खण्ड-380, अंक-8
बुधवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1909
(1 जुलाई, 1987 ई0)

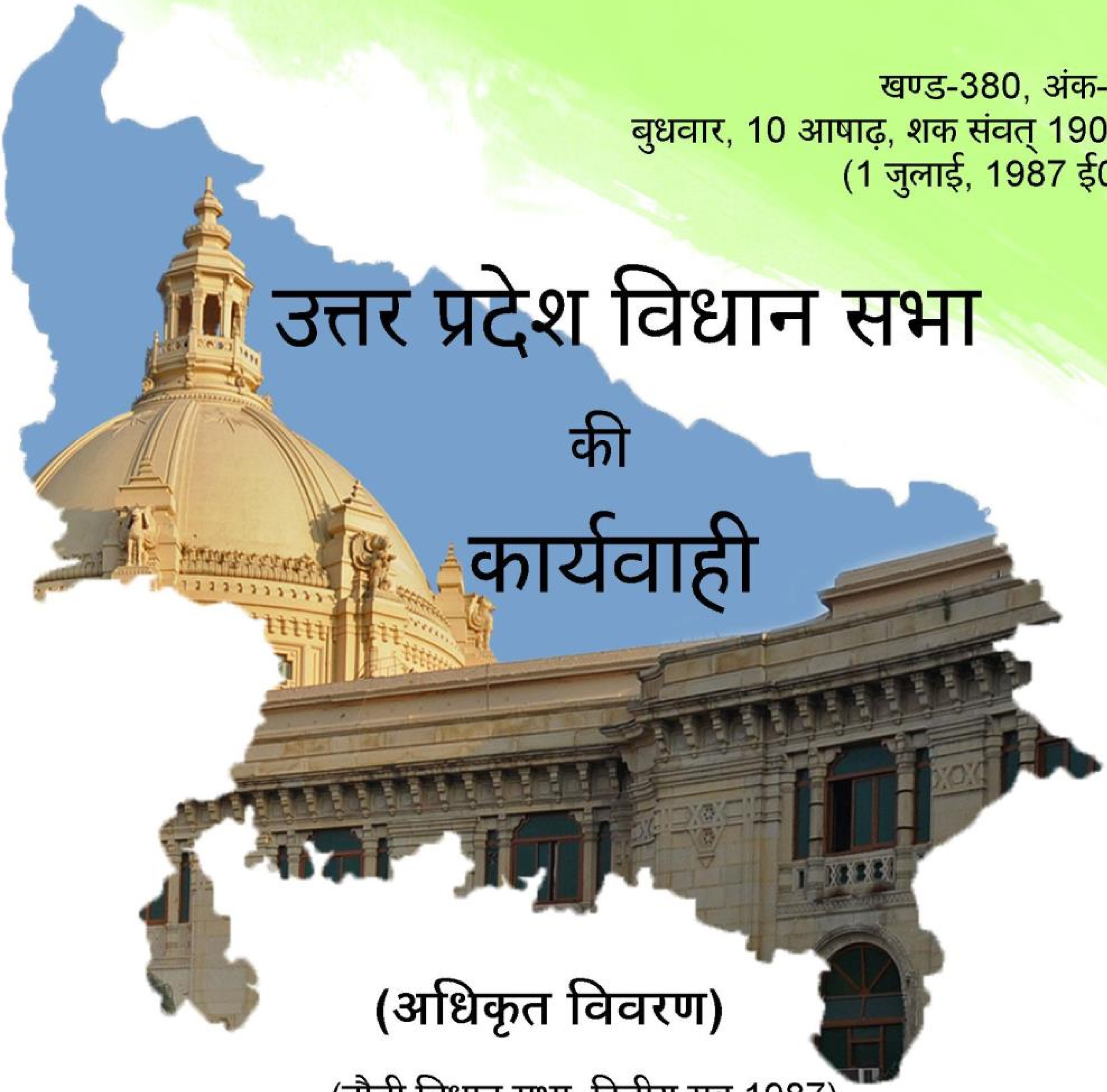

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–81
श्री सन्तराम, निवासी ग्राम सुपाबक्सी, थाना तितरी बाजार, बस्ती की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82
जनपद मुजफ्फरनगर के गंगा जमुना दोआबे में बिजली की अनियमित आपूर्ति से पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82–83
निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़, मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में पेयजल समस्या होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
तहसील डुमरियागंज, बस्ती में अकाल एवं सूखा को ध्यान में रखकर सरकारी देयों की वसूली के स्थगन तथा सत्यापन की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
केसरपुर, विकास खण्ड रामनगर, बरेली में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को को राहत देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
गोरखपुर की रामगढ़ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा तथा रोजगार दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84–85
अलीगढ़ में चयनित गन्ना ग्राम सेवकों को अभी तक सेवा में न लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	85–94
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	94
सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के काली नदी से लगे हुए गांवों में टनकपुर पंचेश्वर-झूलाघाट पिपली से खोलम्यारी (बगड़ीहाट) तक मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र किए जाने विषयक याचिका (उपस्थित)	94
जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचुला के अन्तर्गत धार्मिक स्थल छिपलाकेदार के पर्यटन स्थल घोषित किए जाने विषयक याचिका (उपस्थित) ..	95
विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाए गए आक्षेपों के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	95
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	96–97
प्रथम सत्र 1986 के 6ठे बुधवार के लिए निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में वक्तव्य	97
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	98–123
वित्तीय वर्ष 1987 88 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) ..	123–163

उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 (पारित) 163–173

दिनांक 29-6-87 की कार्यवाही में संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश स्वीकार करने के प्रस्ताव पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय .. 173

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 173

प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद न किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 174–178

नत्थियां 179–193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन म उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अकबर हुसैन बावर, श्री	फैजाबाद	नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	निर्भय पाल सिंह, श्री	सहारनपुर
अजीत प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला अग्निहोत्री एडवोकेट, कुमारी	एटा	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
औसान सिंह, श्री	इटावा	फ्रांसिस डब्लू0 मोरे, श्री	नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली		
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	बद्री सिंह, श्री	जालौन
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
गजराज राम, श्री	जौनपुर	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	बालेश्वर, श्री	देवरिया
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	मंगल देव, श्री	गोण्डा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	महाराज सिंह, चौधरी,	इटावा
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर

मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर,	बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
मोहम्मद हयात, हाजी	मुरादाबाद
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रतन स्वरूप राही, श्री	बुलन्दशहर
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम सरन दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सागर राव, श्री	बहराइच
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सरजू प्रसाद सरोज, श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 1 जुलाई, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पी0 सी0 एस0 परीक्षा के लिए निर्धारित आयु-सीमा

**1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि पी0 सी0 एस0 (प्रान्तीय सम्मिलित सेवा) में सम्मिलित होने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विलम्ब से अध्ययन शुरू किये जाने को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा पुनः 30 वर्ष करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां। सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु 30 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई है। कारण यह है कि 30 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी इस सेवा में 32-33 वर्ष की आयु में प्रवेश पाते तथा उन्हें सेवा निवृत्ति तक लगभग 25 वर्ष तक ही सेवा करने का अवसर मिल पाता जो पूर्ण पेन्शन अर्जित करने हेतु पर्याप्त न होता। इतनी अधिक आयु में उन्हें प्रशासन की आवश्यकतानुसार ढालना भी कठिन होता। जी नहीं। प्रश्नगत परीक्षा में भाग लेने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है जिसे अभ्यर्थी सामान्यतया 22-23 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर लेते हैं। अतः इस परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 28 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किए जाने का औचित्य नहीं है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने पी0 सी0 एस0 परीक्षा के लिए आयु सीमा घटाने के तीन कारण बताए हैं— पहला कि 30 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी इसमें 32-33 वर्ष की अवस्था में प्रवेश पाते जिससे उन्हें केवल 25 वर्ष तक ही सेवा करने का अवसर मिलता है, दूसरे यह कि इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है, जो लोग लगभग 23 वर्ष की आयु में कर लेते हैं आदि, तो इस सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 30 वर्ष में चयनित होने के बाद 33 वर्ष में उसे नियुक्ति देने का क्या कारण है? 3 वर्ष के विलम्ब में अभ्यर्थी का क्या दोष है? इसके लिए तो शासन और आयोग ही पूरी तरह जिम्मेदार है और यह कहना कि अधिक आयु के कारण उनकी क्षमता और योग्यता में कमी आ जाती है, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने परीक्षण किस संस्था द्वारा कराया है जो वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं? आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग देर से पढ़ाई शुरू कर पाते हैं, क्योंकि यह सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई का प्रबन्ध आज भी ठीक से नहीं कर पाई है। इसके अलावा स्नातक कोर्स दो वर्ष का था, जो अब वह तीन वर्ष का कर दिया गया है, इसके लिए उन्हें आयु सीमा और बढ़ानी चाहिए थी, किन्तु उन्होंने बढ़ाने के बजाए उसे दो वर्ष और कम कर दिया है। इसके

अतिरिक्त इस समय प्रदेश में तमाम जगह शिक्षा सत्र अनियमित हैं, तो इन परिस्थितियों में इसको बढ़ाकर 30 वर्ष वह फिर क्यों नहीं करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इनके कौन से प्रश्न का उत्तर दूं ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

पहला यह कि 30 वर्ष में चयनित होने के बाद 33 वर्ष में नियुक्ति देने की जो देर है, उसमें कौन दोषी है और दूसरे जो आपने कहा कि अधिक आयु के कारण उसकी क्षमता और योग्यता में कमी आती है, तो आप यह किस आधार पर कह रहे हैं, जबकि अवस्था बढ़ने के साथ अनुभव और योग्यता बढ़ती जाती है?

श्री प्रमोद कुमार–

अगर मेरे उत्तर को ठीक से पढ़ा जाय तो सारी चीज स्वयं स्पष्ट हो जाती है। 30 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण होने पर 32-33 वर्ष की आयु में सेवा में आ पाते हैं, इसका कारण यह है कि जब 30 वर्ष की आयु में परीक्षा होगी तो फरीक्षाफल आने में एक वर्ष लग ही जायगा फिर माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा में बैठने के बाद एक ट्रेनिंग होती है। बगैर ट्रेनिंग के सेवा में नहीं लिया जा सकता है एक वर्ष यह हो गया और 5-6 महीने मेडिकल आदि में लग जाते हैं तो जो 30 वर्ष में सेवा में लिया जाना होता है वह 33 वर्ष का हो जाता है तो इसकी आयु सीमा 28 वर्ष करके मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पी0 सी0 एस0 परीक्षा में सम्मिलित होने का माफ अवसर देते हुए क्या 30 वर्ष की आयु सीमा करने का कष्ट करेंगे। दूसरी बात क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का वातावरण देखते हुए चूंकि लोग वहां पर पढ़ाई देर से शुरू करते हैं, जो पैटर्न पी0 सी0 एस0 परीक्षा का है उसे फालो करने में उनको कठिनाई होती है इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस परीक्षा में कम आते हैं, तो क्या ग्रामीण लोगों को आरक्षण देकर उनकी आयु सीमा में दो वर्ष की शिथिलता देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जो आयु सीमा आयोग रखता है उससे दो वर्ष आयु सीमा बढ़ाकर रखी जाती है। जब लोग 26 वर्ष में आयोग से आ सकते हैं तो 28 वर्ष में क्यों नहीं आ सकते हैं। दूसरी बात 1972 तक यह आयु सीमा 25 वर्ष थी उसके बाद 26 वर्ष हुई फिर 28 वर्ष हुई। 1986-87 में यह आयु सीमा 30 वर्ष थी लेकिन अब 31 मार्च से यह आयु सीमा घटाकर 28 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, यह भी कहना चाहूंगा कि हरिजन आदि लोगों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देनी होती है तो यदि हरिजन लोग 35 वर्ष की आयु में काम करेंगे, तो ट्रेनिंग और मेडिकल आदि के बाद तो वह 38 वर्ष के सेवा में लिए जायेंगे, जिससे उनको पेंशन और ग्रेच्युटी आदि का लाभ नहीं मिल सकेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि 72 तक आयु सीमा 25 थी, उसके बाद 27 वर्ष हुई फिर 28 वर्ष कर दी गई और 1986 में आयु सीमा 30 वर्ष कर दी

गई, तो मान्यवर, 1986 में भी यही मंत्री जी थे तो उस वक्त आयु सीमा 30 वर्ष क्यों की गई उस समय इन सब बातों पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

दूसरी बात मंत्री जी के अनुसार अधिक आयु हो जाने पर क्षमता और योग्यता में कमी हो जाती है, तो इस निष्कर्ष पर यह कैसे पहुंच गये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले आयु सीमा बढ़ाई गई थी लेकिन जब व्यावहारिक कठिनाइयां आई जैसा मैंने पेंशन और ग्रेच्युटी के बारे में कहा और हरिजनों के बारे में भी कठिनाईयां आ रही हैं, तो काफी सोच समझ कर सरकार ने यह कदम उठाया है।

अब मान्यवर, यह बात तो मैं माननीय सदस्य पर छोड़ता हूं कि 27-28 वर्ष की आयु में जो शक्ति और जो ज्ञान रहता है वह माननीय सदस्य में 35-36 में रहेगा या नहीं ? जहां तक मेरा अनुभव है इसमें कमी होने लगती है ।

कुंवर नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पिछड़ेपन का आधार जाति मान रहे हैं और उसी के आधार पर आप आयु सीमा में शिथिलता दे रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को आयु सीमा में शिथिलता देना चाहिये । एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी के लड़के को आयु में शिथिलता दी जा सकती है तो ग्रामीण क्षेत्र के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके के नौजवान को आयु सीमा में शिथिलता क्यों नहीं दी जा सकती ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं अगर ऐसी छूट देते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को छूट देनी पड़ेगी । पी0 सी0 एस0 के लिये प्रतियोगिता परीक्षा होती है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कोई 2-3 बार में सफल नहीं हो सकता है मैं समझता हूं कि 4 बार में क्या सफल होगा ? अगर किसी में योग्यता और क्षमता है तो 1-2 बार में सिद्ध कर देना चाहिए ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने आयु आई0 ए0 एस0 के लिये 26 वर्ष कर दी है और उससे 2 वर्ष बढ़ाकर यहां पर रखा गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई कानून है या नियम है कि जो आयु संघ लोक सेवा आयोग रखेगा उससे 2 वर्ष ज्यादा यहां रखी जायगी ? उत्तर प्रदेश को छोड़कर, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा में आयु 30 वर्ष रखी गयी है, वह किस आधार पर रखी गयी है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है तो 1980 में मध्य प्रदेश में 30 वर्ष, राजस्थान में 28 वर्ष और पंजाब में 27 वर्ष तथा बिहार में 30 वर्ष आयु सीमा थी । इस समय क्या पोजीशन है वह नहीं बता सकता हूं जैसा मैंने पहले ही कहा यह कोई नियम नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग जो रखेगा वही हम रखेंगे । जो आई0 ए0 एस0 में बैठते हैं और नहीं आते हैं तो उनको भी पी0 सी0 एस0 में दो अवसर

मिलें इसलिए 2 वर्ष आयु बढ़ाकर रखी गयी है। जो 2 वर्ष में पी0 सी0 एस0 में न आ सका वह 4 वर्ष में क्या आयेगा ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यदि संघ लोक सेवा आयोग आयु सीमा घटा देता है या बढ़ा देता है तो उसके अनुसार क्या माननीय मंत्री जी यहां पर भी वही व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कुछ चीजें होती हैं जो यथार्थ के धरातल पर होती हैं। माननीय सदस्य को कल्पना लोक में विचरण करने की आदत पड़ गयी है। अगर कल्पना के आधार पर आप पूछ रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग बढ़ा देगा तो क्या हम भी बढ़ा देंगे तो मैं कल्पना के आधार पर कहना चाहता हूं कि हम भी दो वर्ष बढ़ा देंगे ।

आशुतोष एजुकेशनल सोसाइटी कृष्णानगर, लखनऊ द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त प्रेक्षागृह बनाने के लिये अनुदान की मांग

**2–डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिथ्या तथ्यों के आधार पर कृष्णानगर, लखनऊ में आशुतोष एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) बनाने के लिए शासन के सांस्कृतिक कार्य विभाग से 25 लाख रुपये के अनुदान की मांग की थी? यदि हां, तो क्या उन्हें अनुदान दिया गया? यदि हां, तो क्या उस संस्था के पास इस हेतु अपनी भूमि थी ? क्या इस सम्बन्ध में एल0 आई0 यू0 से जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)–

जी हां, वर्ष 85-86 में आशुतोष एजूकेशनल सोसाइटी कृष्णानगर, लखनऊ द्वारा गोविन्द बल्लभ पन्त प्रेक्षागृह (आडीटोरियम) बनाने के लिए रु0 25.00 लाख के अनुदान की मांग की गई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 85-86 में आशुतोष एजूकेशनल सोसाइटी, कृष्णानगर, लखनऊ की ओर से एक प्रार्थना-पत्र आया था जिसमें अनुदान की मांग की गयी थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब उस वर्ष तीन हजार रुपये की अनुदान की राशि इस सोसाइटी को आपके विभाग के द्वारा दी गयी थी तो वे कौन से ऐसे कारण थे कि 25 लाख रुपये की अनुदान की राशि सरकार ने स्वीकार नहीं किया ?

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, तीन हजार रुपये की जो मांग आई थी वह सांस्कृतिक कार्य करने के लिए आयी थी। उसकी एक प्रक्रिया है, फार्म भरकर देते हैं उसमें एक विभागीय कमेटी है जो इसकी स्वीकृति देती है। इन्होंने 25 लाख रुपये के अनुदान की मांग करी थी उसके लिए डी0 एम0 से आख्या मांगी गयी थी जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, यह मामला बड़ा घपले का है और इस सम्बन्ध में जैसा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है मान्यवर, बहुत सी जांच करने के बाद बहुत सी चीजें प्राप्त हुई हैं जिसके कारण तो 3 हजार रुपये दे दिया लेकिन 25 लाख के लिए सरकार ने अपनी जांच के बाद वह रुपया मंजूर करने से इंकार कर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह श्री नन्दा बल्लभ पन्त जी जो इस संस्था के सचिव हैं क्या उन्होंने कोई शिकायती पत्र इस संस्था के सम्बन्ध में शासन को या सचिव महोदय को दिया था। यदि दिया था तो क्या-क्या इन्क्वायरी हुई और उसके कौन-कौन से कारण थे जिस कारण से आपने इस संस्था को रुपया नहीं दिया?

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया कि तीन हजार रुपये जो इन्होंने सांस्कृतिक कार्य करने के लिए मांगा था उसमें कोई छानबीन नहीं होती है। उसके अन्दर एक फार्म भरा जाता है और वह समिति में जाता है। इसमें और जो अनुदान उन्होंने मांगा है उसमें फर्क है। इसके लिए हमने पूरी जानकारी डी0 एम0 से मांगी है लेकिन उनकी आख्या अभी हमें नहीं मिली है। जहां तक तीन हजार रुपये की बात है, वह शिकायती पत्र आया था उसको दिखवाया है वहां सांस्कृतिक कार्य नहीं हुआ हमने उसके वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करवा दी है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि एल0 आई0 यू0 के सम्बन्ध में कहा गया है कि जांच नहीं करायी गयी है। लेकिन मेरी जानकारी को सत्य मानकर कि यह जांच कराई गई है। उसमें नन्दा बल्लभ पन्त के पत्र पर सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग का डी0 ओ0 पत्र संख्या 4604/4-86-5(27)/86 दिनांक 27 सितम्बर, 1986 को जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था। जिलाधिकारी ने एल0 आई0 यू0 से जांच कराने का आदेश दिया था। उसमें एम0 पी0 श्रीवास्तव ने आशुतोष सहकारी समिति के कई सदस्यों और श्री नन्दा बल्लभ पन्त से जाकर पूछताछ की थी और उन तथ्यों को श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव ने अवगत कराया जिसकी रिपोर्ट 2 मई, 1987 को अपर जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ-3 को भेजी गयी थी उस रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये थे?

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, 25 लाख अनुदान के सम्बन्ध में एल0 आई0 यू0 से जांच नहीं करायी गयी है उसमें डी0 एम0 से जो आख्या मांगी गयी थी वह अभी तक नहीं मिली है। 3 हजार रुपये जो सांस्कृतिक कार्य का था उस सांस्कृतिक कार्य को उन्होंने

नहीं किया तो रुपया वापस मांगा गया उन्होंने स्वीकृति द दी है कि वापस दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे आज माननीया मंत्री जी पर दया आ रही है उसका कारण यह है कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और आपको स्मरण होगा कि विगत दिवस मैंने सहकारिता के विधेयक पर भी इसका उल्लेख किया था । उसी डिपार्टमेन्ट का एक वरिष्ठ अधिकारी है उसी के प्रयास से यह भ्रष्टाचार हुआ है। आज जिस समय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी कर रही थी उस समय उस अधिकारी ने तथ्यों को छिपाकर गुमराह किया है इसलिए मैं 2 तथ्यों को रखना चाहता हूं मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो इस मामले को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेजने की कृपा करें । मान्यवर, यह जो 25 लाख रुपये का मामला है, उसके लिए एक व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र देकर मांग किया और सांस्कृतिक विभाग ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी, लेकिन कुछ जो ईमानदार लोग थे, उन्होंने अप्लीकेशन दे दिया कि यह फर्जी संस्था है, तो वित्त विभाग ने आपत्तियां लगा कर उसको निरस्त कर दिया । मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने कहा कि एल0 आई0 यू0 से जांच नहीं कराई गयी। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि श्री नन्दा बल्लभ पन्त के पत्र पर सचिव, सांस्कृतिक कार्य अनुभाग-4 ने जिलाधिकारी, लखनऊ को जांच हेतु पत्र संख्या डी0 ओ0 नं0 4606/4-86-5 (27)/86, दिनांक 27 सितम्बर, 1986 भेजा । जिलाधिकारी, लखनऊ ने एल0 आई0 यू0, लखनऊ को जांच आदेश दिया, जिसकी जांच इंस्पेक्टर एम0 पी0 सिंह ने आशुतोष सहकारी गृह निर्माण समिति के कई सदस्यों से की, जिसकी रिपोर्ट एल0 आई0 यू0 कार्यालय ने दिनांक 2 मई, 1987 को अपर जिला मजिस्ट्रेट-3, लखनऊ को भेजी है। यह 199 पृष्ठीय रिपोर्ट अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय ने पत्र सं0 191 दिनांक 5 मई, 1987 द्वारा उप सचिव, उ0 प्र0 शासन, सांस्कृतिक कार्य अनुभाग-4 को भेजी है । मान्यवर, माननीया मंत्री जी द्वारा यह कहना कि एल0 आई0 यू0 से जांच नहीं कराई गयी है, गलत है और सदन को गुमराह करना है। माननीया मंत्री जी यहां से जाकर पत्रावली देखें और जिस पत्र का मैंने हवाला दिया है, उस पत्र की वह जानकारी कर लें, उसके पश्चात् माननीया मंत्री जी अग्रेतर इसकी सूचना देने की कृपा करेंगी या मान्यवर, इसे आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को संदर्भित कर दें अथवा मान्यवर, इसे स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब तो वह दे रही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य विभाग ने 25 लाख रु0 स्वीकृत करके वित्त विभाग को भेज दिया था । मान्यवर, इनके वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, उन्हीं की वह समिति है और वह 25 लाख रु0 से प्रेक्षागृह बनवाना चाहते थे । माननीया मंत्री जी पत्रावली देख लें कि वित्त विभाग ने क्या आपत्तियां की थीं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्य विभाग ने 25 लाख रु0 देने के लिए संस्तुति कर दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने तो मना कर दिया कि 25 लाख रु0 नहीं दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं वही बात जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कारण है, जिसके कारण वह रुपया नहीं दिया गया, जबकि सांस्कृतिक कार्य विभाग ने संस्तुति कर दिया था? मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य विभाग का एक भ्रष्ट अधिकारी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मान्यवर, आप कहेंगे, तो मैं उसका पत्र और सब कुछ आपके चेम्बर में लाकर दिखा दूंगा । मान्यवर, माननीया मंत्री जी कहती हैं कि एल0 आई0 यू0 से जांच नहीं कराई गयी । मान्यवर, मैंने जांच के सम्बन्ध में पत्र का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उसकी जांच एल0 आई0 यू0 से कराई गयी। मान्यवर, माननीया मंत्री जी मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दें, वरना इसे मान्यवर, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें, क्योंकि माननीया मंत्री जी कोई उत्तर नहीं दे रही हैं ।

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न काफी लम्बा था और जहां तक मैं समझी हूं उतना जवाब दे रही हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा कि यह संस्था फर्जी थी और इसके बारे में 25 लाख का अनुदान दिया गया और उसे वित्त विभाग द्वारा निरस्त किया गया तो मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि इस पैसे को वित्त विभाग द्वारा नहीं दिया गया तो इसमें सांस्कृतिक विभाग की तो कोई बात नहीं है और दूसरा जो माननीय सदस्य ने एल0 आई0 यू0 की बात कही तो यह बात मेरे सामने नहीं आई है। मैं इसकी जांच करवा लूंगी क्योंकि जो हमारे सामने बात आती है उसकी हम जांच करवा लेते हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस सोसाइटी में बहुत लम्बा चौड़ा घोटाला है। इसके सम्बन्ध में मैंने पहले 301 में इसको उठाया था और 301 का जो उत्तर आया वह इतना तथ्यों से परे है और उसमें इतनी हेरा फेरी की गई है और आज जो प्रश्न आया, उस प्रश्न के संबंध में माननीया मंत्री जी को कुछ जानकारी नहीं है। जैसा माननीय गुप्ता जी ने बताया कि किसी अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया है और उसी अधिकारी ने मा0 मंत्री जी को ब्रीफ किया होगा। इसी कारण माननीय मंत्री जी को पूरी जानकारी नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस जानकारी को सत्य मानते हुए इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दीजिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बहुत सीधा सवाल है, सांस्कृतिक विभाग ने 25 लाख रु0 की स्वीकृति दी और वित्त विभाग ने उसको नामंजूर कर दिया तो वित्त विभाग ने किन-किन

आधारों पर उसे नामंजूर किया तथा दूसरा यह कि एल0 आई0 यू0 से जांच करवाई गई उसके पत्रों के नम्बर आदि सारा विवरण माननीय गुप्ता जी ने सुनाया और माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि एल0 आई0 यू0 से कोई जांच नहीं कराई गई जब कि स्पष्ट सबूत दिये जा रहे हैं, एल0 आई0 यू0 की जांच से सम्बन्धित विवरण की जानकारी दी जा रही है तो क्या जिस अधिकारी ने इस तरह की गलत सूचना इनको दी है, क्या उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने पर विचार करेंगी?

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, एक तो मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहती हूं कि भ्रष्टाचार की बात तो तब कही जाती जब पैसा दिया जाता। यहां पर तो कहीं पर पैसा दिया ही नहीं गया दूसरी बात जो इन्होंने एल0 आई0 यू0 के संबंध में कही वह बात मेरे सामने नहीं आई है और हमने उसके बारे में भी कह दिया कि हम उसकी जांच करवा लेंगे।

(श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं यह पूछना चाहता हूं कि रुपया तो दिया ही नहीं गया तो फिर सवाल क्यों बढ़ा रहे हैं ?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सांस्कृतिक विभाग ने इस रुपये की स्वीकृति दे दी थी, उसे वित्त विभाग ने नामंजूर किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह गलत सूचना दी जा रही है। सदन को गुमराह किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

उसके लिए जांच के लिए उन्होंने कह तो दिया।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, केवल इतना उत्तर दिलवा दें कि एल0 आई0 यू0 से जांच कराई गयी या नहीं यदि जांच करायी गयी तो क्या उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, यदि किया है तो वह क्या है ? जैसा कि मा0 गुप्ता जी ने एल0 आई0 यू0 की जांच के सिलसिले में लेटर आदि दिए हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एल0 आई0 यू0 से जांच कराई गयी है।

श्रीमती दीपा–

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया मैं फिर दिखवा लेती हूं और जो स्थिति होगी, उसको सूचित करूंगी। (एक साथ कई मा0 सदस्यों के खड़े होने पर शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए यह कह रही हैं कि जांच नहीं करवाई है, इसलिए मैं माननीया मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, यह मामला इतना गम्भीर है, परन्तु आप इसकी गम्भीरता को समझ नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं आप जितनी गम्भीरता से बोल रहे हैं, उसको समझ रहा हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीया मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि एल0 आई0 यू0 से जांच नही कराई है और अभी गुप्ता जी ने पत्रों के उल्लेख के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि एल0 आई0 यू0 ने अपनी रिपोर्ट दी है और मिस्टर एन0 पी0 श्रीवास्तव, एल0 आई0 यू0 ने तमाम संस्था के जितने सदस्य थे वहां जाकर लगभग 119 आदमियों ने उस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है इसी आधार पर यह सारे निर्णय पैसा न देने के लिये गये, परन्तु मा0 मंत्री जी ने आदरणीय सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, इसलिए मैं भी माननीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं और माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने आपको अब तक गलत सूचनाएं दी हैं क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी और मान्यवर, दूसरे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द कर दें ताकि स्पष्ट स्थिति सामने आ सके।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पुराना किला, लखनऊ सार्वजनिक स्थान पर देशी शराब की दुकान खोले जाने पर आपत्ति

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुराना किला, कैन्ट रोड, रेलवे क्रासिंग लखनऊ के नागरिकों की ओर से पुराना किला कैन्ट रोड मंदिर, मस्जिद तथा स्कूलों के पास खोली जाने वाली शराब की दुकानों को बन्द कराने के विषय में कोई शिकायती पत्र माह अप्रैल, 87 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय लोगों की भावनाओं तथा मंदिर, मस्जिद तथा स्कूलों को दृष्टिगत रखते हुए शराब की दुकान का लाइसेंस तुरन्त निरस्त करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

जी हां।

पुराना किला नाम से देशी शराब की दुकान स्वीकृत है। नागरिकों की आपत्ति के कारण उक्त दुकान अभी तक खोली नहीं जा सकी है। चूंकि लखनऊ नगर की समस्त दुकानें एक ही ग्रुप में राजस्व हित में नीलाम की गयीं हैं, इसलिए यदि उक्त दुकान का अनुज्ञापन निरस्त किया जाता है तो समस्त लखनऊ नगर के सदर ग्रुप का अनुज्ञापन निरस्त करना होगा जिससे पुनः नीलामी में राजस्व की अपूर्णनीय क्षति की पूर्ण सम्भावना है। उक्त दुकान खोलने के लिए अनुज्ञापी द्वारा नियमानुसार उचित परिसर की तलाश की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर ही दुकान खोली जा सकेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक सामान्य शासन की यह नीति है कि जहां पर मंदिर व मस्जिद या कोई सार्वजनिक स्थान हो वहां पर शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी और ऐसी सामान्य व सुपष्ट नीति के रहते हुए किन परिस्थितियोंवश पुराना किला स्थिति जहां पर दो मंदिर व एक मस्जिद है, शराब की दुकान खोले जाने हेतु लाइसेंस किस अधिकारी द्वारा दिया गया और किन नियमों के तहत दिया गया और क्या लाईसेंस देने वाले अधिकारी के विरुद्ध आपने अब तक कोई कार्यवाही की अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, नीलाम करते समय नियमों के तहत राजस्व हित में इस दुकान की स्वीकृति दी गयी थी ।

वे जब तक नियमों के अन्तर्गत स्थान का चयन नहीं कर लेंगे, तब तक अनुज्ञापी को दुकान नहीं खोलने दी जायेगी ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सवाल यह था कि जिस अधिकारी ने शासन की नीति की अवहेलना करके ऐसे सार्वजनिक स्थान पर, जहां मंदिर हो, मसजिद हो, विद्यालय हो और नागरिकों को आपत्ति भी हो, वहां पर लाइसेंस दिए जाने में किस अधिकारी का हाथ था ? जहां के नागरिकों ने स्वयं शराब की दुकान को नहीं खुलने दिया, इससे स्वयं साबित होता है कि अधिकारी ने जानबूझ कर शरारत की नीयत से लाइसेंस दिया, वह अधिकारी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नाथ मुंशी—

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब अनुज्ञापी को 15 स्थानों की नीलामी की गयी तो उस समय उसे बता दिया गया कि नियमों के अन्तर्गत ही दुकान खोलने का स्थान नियत करना पड़ेगा । उसे अब तक दुकान नहीं खोलने दी है । जब तक नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त स्थान नहीं मिलता, दुकान खुलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि लखनऊ में मवैया में एक स्कूल के पास जो दुकान खोली गयी थी, उस दुकान के विरुद्ध विरोध हुआ और उस दुकान को वहां से उठाने की आज्ञा दी गयी, वह दुकान आज भी वहां पर स्थित है या उठ गयी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न केवल कैण्ट रोड पर स्थित दुकान से ही सम्बन्धित है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, प्रश्न लखनऊ की शराब की दुकानों के अवैध रूप से खोले जाने का है । तमाम बस्तियों और छोटी गलियों में जो दुकाने लग जाती हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर केवल एक ही दुकान का सवाल है, दूसरी का जवाब कैसे दिलवा दूं ? यह सवाल प्रदेश का या लखनऊ की और दुकानों का नहीं है । यह सदर की केवल एक ही दुकान का मामला है ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

वर्माजी, आपने जो सवाल किया उसका उन्होंने जवाब दिया । यह कोई जनरल सवाल नहीं है । इसी समय तक 40 मिनट हो गया है । इस तरह से सवाल होंगे तो 2-3 सवाल से आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा ।

(व्यवधान)

टिहरी बांध परियोजना के निर्माण की रूप रेखा

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना के कार्य की प्रगति की स्थिति क्या है ? उक्त बांध के निर्माण हेतु भारत सरकार के माध्यम से सोवियत संघ से मिलने वाली सहायता की रूप रेखा क्या है और इस सहायता से निर्मित उक्त बांध से पैदा होने वाली विद्युत तथा संग्रहीत जल के स्वामित्व तथा वितरण पर किसका अधिकार रहेगा ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कार्य जैसे सड़क, कालोनी व कार्यशाला तथा मुख्य कार्य जैसे व्यावर्तन सुरंगों, विद्युत गृह की पहुंच सुरंग, स्पिलवे की खुदायी, बांध की नींव की छिलाई एवं विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी कार्य प्रगति में है। योजना पर मार्च 1987 तक 237 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है ।

उक्त योजना के निर्माण के लिये सोवियत संघ से मुख्य बांध के निर्माण हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त टिहरी विद्युत गृह प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण, कोटेश्वर बांध व उसके विद्युत गृह तथा विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण का कार्य सोवियत संघ द्वारा "टर्नकी" के आधार पर किया जायेगा । टिहरी जल-विद्युत कम्पलेक्स के लिये 300 मिलियन रूबल तक का ऋण स्थानीय व्यय के लिये प्राप्त होगा । इसके अतिरिक्त देश की 4 परियोजनायें जिसमें टिहरी परियोजना भी सम्मिलित है, के लिये 1200 मिलियन रूबल तक ऋण प्राप्त होगा ।

परियोजना से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण जल-पर उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व होगा । परियोजना से उपलब्ध ऊर्जा पर 12 प्रतिशत भाग रायल्टी के रूप में तथा शेष 88 प्रतिशत का 25 प्रतिशत अर्थात् कुल का 22 प्रतिशत ऊर्जा, उत्तर प्रदेश सरकार को बिना मूल्य उपलब्ध होगा । शेष 66 प्रतिशत ऊर्जा का वितरण भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आपसी निर्णय के अनुसार होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने टेहरी बांध के निर्माण के संबंध में जो सोवियत संघ से समझौता हुआ, उसके बारे में जानकारी दी है । मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री

जी ने अपने उत्तर में कहा है-परियोजना से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण जल पर उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व होगा । क्या माननीय मंत्री जी सदन में यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि संग्रहीत जो जल होगा, उस सारे के सारे जल का उपयोग उत्तर प्रदेश में सिंचाई और पेयजल में किया जायेगा ? दूसरे, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अंत में कहा है-शेष 66 प्रतिशत ऊर्जा का वितरण भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आपसी निर्णय के अनुसार होगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पहले क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से कोई निर्णय कर लेगी ? इन दोनों सरकारों के बीच कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि कैसे-कैसे बटंवारा होगा ? इसके अतिरिक्त क्या उत्तर प्रदेश सरकार उसे हमेशा के लिये बिजली न देने के लिये, केवल ऊर्जा उतारने के लिये, किसी रेट पर बिजली देने पर विचार करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, प्रारम्भिक चरण में यह बात चल रही है । अभी भारत सरकार से यह पूरा मामला तय करने में कुछ समय लगेगा । अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि बता सकें कि 66 प्रतिशत बिजली का जो उत्पादन होगा, उसका बटंवारा किस आधार पर किया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने अपने दो बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता था । मान्यवर, इस बांध से जल की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के लिये सिंचाई के हिसाब से आवश्यक है क्योंकि पश्चिमी उ0 प्र0 में पुरानी गंगा और यमुना की प्रणाली है, उससे प्रभावित होगी । मान्यवर, विद्युत की कमी जितनी इस प्रदेश में है, शायद ही उतनी किसी अन्य प्रदेश में हो । मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी और यह आश्वासन देगी कि सारा पानी उसका उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जायेगा ? विद्युत का कुछ भाग आपको भारत सरकार को देना है, मैं इसमें यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उ0 प्र0 सरकार विद्युत के अपने स्वामित्व का दावा बरकरार रखेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने हितों को देखते हुए, प्रदेश के हितों को देखते हुए, पूरी बात भारत सरकार के सामने रख रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टेहरी परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था और उस समय उसकी अनुमानित लागत क्या थी और इस समय अनुमानित लागत क्या है ? तथा इस परियोजना पर कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यह योजना 1972 में 600 मेगावाट के लिए 197.99 करोड़ रुपये की लागत से बनी थी । इसके पश्चात् 1983 में इसका विस्तार करके 1000 मेगावाट कर दिया गया है और जिसका पुनरीक्षित आकलन 1345 करोड़ रुपए का बना । इस योजना को 1986 के माह अक्टूबर में भारत सरकार की स्वीकृति मिली और तभी पर्या-

वरण व फारेस्ट से भी क्लीयरेन्स मिला । 1996 तक इस डैम को पूरा करने का प्रस्ताव है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

टिहरी परियोजना के लिए सोवियत संघ ने पैसा देना मंजूर किया है । जब से यह एग्रीमेंट सोवियत संघ से हुआ है, प्रदेश सरकार समझ रही है कि हमारे कन्धे से बोझ हल्का हो गया है । जिस समय यह योजना बनाई गई थी उस समय इसकी लागत 197.99 करोड़ रुपए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, थी लेकिन अब मेरी जानकारी के मुताबिक इसकी लागत लगभग 2500 करोड़ रुपए तक हो गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस समय विस्थापितों के लिए क्या-मानक रखे गए थे और जब आज इस योजना की लागत बढ़ गई है तो उस अनुपात में विस्थापितों को जो धन व भूमि आवंटित की जानी है, उसमें कितनी वृद्धि की गई है । दूसरा, शासन ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया था कि टिहरी नगर के कुछ कार्यालय नए टिहरी में चले जायेंगे, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने कार्यालय टिहरी चले गए हैं ? इस मामले में प्रदेश सरकार जो ढील कर रही है, उससे वहां के लोगों में बड़ा आक्रोश है, इसलिए इसे तुरन्त निष्पादित करने के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, कोई सवाल स्पष्ट तो हो नहीं पाया है । यदि आप कोई सवाल मा0 सदस्य से स्पष्ट करा दो तो मैं उसका उत्तर दूं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

इस समय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल में अकेले अलकनन्दा व मन्दाकिनी घाटी में 16 बांध प्रदेश सरकार बना रही है । कोटला भेल (ऋषिकेश) से बद्रीनाथ तक तमाम पहाड़ों को इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है । पता नहीं पर्वतीय अंचलों का क्या होगा ? पानी हमको मिलेगा नहीं । टिहरी का जो बांध बन रहा है, हमको घर से बेघर कर दिया गया है । वहां के रहने वाले लोग विस्थापितों का जीवन बिता रहे हैं । कम से कम जब हमारे ऊपर पर्यावरण लागू कर दिया गया है, एक पेड़ तो हम काट नहीं सकते हैं, बिजली हमको मिलती नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्वतीय अंचलों में जो बिजली डैमों से प्राप्त होगी, तो क्या जो पर्यावरण कानून लगा दिया है और लकड़ी काट नहीं पा रहे हैं, उसके मुआवजे के रूप में क्या सरकार इन डैमों से प्राप्त होने वाली बिजली मुफ्त में देने के लिए आश्वासन दे सकती है या पर्यावरण कानून समाप्त करने का आश्वासन दे सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो सिंचाई मंत्री हैं, बिजली का जवाब क्या देंगे ? आप बैठें ।

श्री राम नरेश यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना में कितने परिवार विस्थापित हुए हैं और उनको कहां पर व्यवस्थित करने की सरकार की योजना है ? इसमें आज तक क्या प्रगति हो पाई ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

विस्थापितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है और अभी तक उनके लिए काफी कार्य किए जा चुके हैं । इसमें कुल जो प्रभावित विस्थापित हैं वे 3,668 लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं, उनमें से 2,404 परिवारों को पुनर्वासित कर दिया है और 2-2 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है और उसे विकसित करके उन्हें दे दिया गया है । (श्री उपाध्यक्ष द्वारा नत्थी "ग" पुकारे जाने पर श्री विजय सिंह राणा, श्री जयदीप सिंह बरार, श्री पूरन सिंह माहरा के खड़े होने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर बहुत सवाल हो चुके हैं और प्रश्न भी आने हैं, अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

एक भी सवाल का जवाब मा0 मंत्री जी ने नहीं दिया है, आप कार्यवाही देख लें, यह पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

इतनी देर में तो 2-3 सवाल हो जाते । यह पहाड़ को खोखला किए दे रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र के विधायकों को तो मौका दे दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप स्वयं कार्यवाही देख लें, एक भी प्रश्न के उत्तर से अगर आप सन्तुष्ट हों तो हम भी सन्तुष्ट हो जायेंगे । यह मामला पूरे प्रदेश से सम्बन्ध रखता है । मैंने प्रश्न पहले भी दो बार किया, उन्होंने एक बार भी उत्तर नहीं दिया । यह तो हमेशा ही अपेक्षा की जाती है शासन से कि वह यही उत्तर देगी कि सरकार प्रदेश के हितों का ध्यान रखेगी, लेकिन यह कोई उत्तर नहीं है । मैं स्पष्ट जानना चाहता था कि इस बांध से जो जल संग्रहीत होगा और विद्युत होगी उस पर क्या यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इस पर स्वामित्व उत्तर प्रदेश का रहेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पानी पर उत्तर प्रदेश का पूरा अधिकार रहेगा । विद्युत के लिए यह है कि 20 प्रतिशत बिना शुल्क के उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 66 प्रतिशत बिजली का वितरण भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच आपसी निर्णय के अनुसार होगा ।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

आप पहाड़ के लोगों को पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं । मैं स्वयं प्रश्न पर ज्यादा समय बेकार करने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन हमारी जिज्ञासा का समाधान तो होना ही चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई जिज्ञासा नहीं है । काफी उत्तर हो चुके हैं, समाधान हो गया है । यदि कुछ रह गया है तो लिख कर भेज दीजिएगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री बलराम यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जिला बरेली के कतिपय ग्राम को कटान से रोकने हेतु प्रार्थना पत्र

*2—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-6-85 को प्रश्नकर्ता ने जिला बरेली की बीस सूत्रीय कमेटी की बैठक के दिन एक प्रार्थना पत्र विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम मेरोडा व सैदपुर ग्राम को कैलाश नदी की बाढ़ से कटने के संबंध में तत्कालीन मा0 उद्योग मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । मा0 विधायक से अनुरोध के उपरान्त भी उक्त पत्र की प्रति प्राप्त नहीं हो सकी ।

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम सैदापुर कैलाश नदी पर स्थित न होकर बहगुल नदी के किनारे पर है तथा ग्राम मडोरा पन्धैली नदी के किनारे है जिसे स्थानीय जनता कैलाश नदी भी कहती है । इन दोनों ग्रामों के आबादी को कोई खतरा नहीं है परन्तु कुछ भूमि का कटान हो रहा है । हाजीपुर पम्प कैनाल की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य प्रगति पर है जिससे आशा है कि ग्राम मरोड़ा को भी सुरक्षा मिल सकेगी ।

श्री नत्थू लाल विकल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस प्रश्न के संबंध में कि ग्राम मरोड़ा जो कि कैलाश नदी के किनारे पर स्थित है उसमें बराबर कटान हो रहा है, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो उसके कटान को रोकने के लिए कब तक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

हाजीपुर पम्प कैनाल की सुरक्षा हेतु कटान निरोधक कार्य प्रगति पर है जिससे मैं आशा करता हूं कि ग्राम मरोड़ा को भी सुरक्षा हो सकेगी । यह ग्राम नदी से 300 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । पम्प कैनाल का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है । मैं आशा करता हूं कि इससे ग्राम मरोड़ा को सुरक्षा मिल सकेगी ।

श्री नत्थू लाल विकल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि ग्राम सैदापुर जो कि कैलाश नदी के किनारे पर है और वहां कटान हो रहा है तो उस कटान को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? यह मेरी निश्चित जानकारी में है कि खैदपुर कटान से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है ।

श्री भोला शंकर भार्य–

ग्राम खैदापुर के लिए कोई योजना हमारे पास नहीं है । भारत सरकार की बाढ़ सुरक्षा के लिए जो नीति है उसमें यह है कि बड़ी आबादी के लिए कार्य किया जाय और छोटी आबादी तथा जमीन के लिए कार्य न किया जाय । अतः यह हमारे मानक में नहीं आता है, इसलिए इसके लिए कोई कार्य कराना सम्भव नहीं है ।

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग हेतु आवंटित कोयला

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी के प्रतिष्ठान और पकाई भट्ठियों को वर्ष 1985 का आवंटित कोयले वैगन का क्या पूरा कोटा दिसम्बर, 1986 तक मिला ? यदि नहीं, तो क्या फिरोजाबाद में कोयला की कमी से कारोबार के चौपट होने की स्थिति पैदा हुई ? यदि हां, तो शासन ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

वर्ष 1985 में 13820 वैगन स्पान्सर्ड कोयले के विरुद्ध दिसम्बर, 1985 तक 6443 वैगन कोयला प्राप्त हुआ ।

प्रश्नगत वर्ष में विगत तीन वर्षों के औसत से कोयले की आपूर्ति अच्छी रही है । इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप मेरा प्रश्न देखें और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसको आप देखें, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा है कि क्या फिरोजाबाद के कांच उद्योग एवं चूड़ी के प्रतिष्ठान और पकाई भट्टियों को वर्ष 1985 का आवंटित कोल वैगन का क्या पूरा कोटा दिसम्बर, 1985 तक मिल गया है। 1985 में जितने कोयले का आवंटन किया गया था, 13,820 वैगन का जो आवंटन किया गया था, क्या इसकी सप्लाई दिसम्बर, 1986 तक की गयी या दिसम्बर, 1985 तक की गयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोयले का आवंटन किया जाता है, उसकी सप्लाई अगले वर्षों में की जाती है। अगर इस साल एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसकी सप्लाई अगले वर्ष की जाती है, पिछली सप्लाई इस समय तक नहीं हो पायी है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या 1985 में जितना आवंटन किया गया था वह पूरा का पूरा दिसम्बर, 1986 में सप्लाई हो गया या नहीं और दूसरा सवाल यह है कि जो आपने 50 प्रतिशत की कटौती की है, वह किस आधार पर की है।

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, ऐसा है कि हर साल कोयले की जो जरूरत होती है, उस हिसाब से इसका एलाटमेंट किया जाता है। मैं ब्योरेवार स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 1982 में 14,105 वैगन कोयले का एलाटमेंट किया गया जिसमें से 4,906 वैगन कोयला सप्लाई किया गया, 1983 में 16,232 वैगन

एलाट किया गया और 3,998 वैगन सप्लाई किया गया, 1984 में 14,000 वैगन एलाट किया गया और 7,899 वैगन सप्लाई किया गया, 1985 में 13,820 वैगन एलाट किया गया और 6443 वैगन सप्लाई किया गया, 1986 में 14,800 वैगन एलाट किया गया और 10,067 वैगन सप्लाई किया गया और वर्ष 1987 में 15,185 वैगन एलाट किया और अप्रैल के महीने तक 4,393 वैगन कोयले की सप्लाई की गयी। मान्यवर, यह सही है कि रेलवे से वैगन न मिल पाने के कारण सप्लाई नहीं हो पाती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि जितने कोयले की आवश्यकता है, उतना मिल नहीं पाता है। लेकिन इस कठिनाई को देखते हुए, दूसरी योजना रखी गयी है कि कोयला फिरोजाबाद की भट्ठियों को उपलब्ध रहे और काम रुकने न पावे, तो कोल डम्प कायम किया गया है और जिन लोगों को कोयले की जरूरत हो, वह ले सकते हैं। किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है। ट्रक द्वारा तो कोयला कोलियरी से ला सकते हैं। जो एलाटमेंट होता है, उसकी सप्लाई रेलवे वैगन की कमी के कारण पर्याप्त नहीं हो पाती है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बताने की कृपा करेंगे कि चूड़ी पकाई भट्ठियों के लिये कोयला झरियां का उपयुक्त होता है और रानीगंज का उपयुक्त नहीं होता है, रानीगंज का नहीं जलाया जाता है। आपने जो कोयला दिया है, वह चूड़ी पकाई भट्ठियों की जो सोसाइटियां हैं उनको कितना दिया गया है और माननीया मंत्री जी ने जो कोयले की बात कही है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जो कोल डम्प है, वह क्या झरिया का है, यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, आप देखें कि जो प्रश्न किया गया है, वह किसी समिति के बारे में नहीं है, पकाई भट्ठियों को कोयला सप्लाई के बारे में था। कौन सी समिति के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, वहां पर पकाई भट्ठियों को ही कोयला मिलता है और उन्हीं के बारे में मैंने प्रश्न किया है। मंत्री जी उसे छिपा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप पत्रावली देख लें कि इन पकाई भट्ठियों को झरिया कोल फील्ड से कोयला हमेशा मिलता है लेकिन पिछले दो सालों में उन्हें कोई कोयला नहीं दिया गया है। क्या आप इसकी जांच करायेंगे ? यदि जांच में यह पाया गया कि कोयला नहीं दिया गया है तो आपका जो उद्योग निदेशालय इस उद्योग को चौपट करने में लगा हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के पूर्व उत्तर के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि इतनी-इतनी मात्रा में कोयला दिया गया है तो उस 5/7 साल की फीगर्स में 25 से लेकर 40 प्रतिशत से ज्यादा कोयला नहीं दिया गया है। मेरा आरोप है कि जानबूझकर बड़े लोग एक क्राइसिस पैदा करके

काले बाजार में कोयला बेचने का धन्धा करते हैं और जितना एलाटमेंट किया गया उसका 30 प्रतिशत ही कोयला दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, मैंने बताया कि कोयले पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। शासन का प्रयास है कि जितना भी कोयला एलाट होता है वह रेलवे वैगन्स की शार्टेज के कारण उतनी मात्रा में नहीं आता है । इसलिए यह इजाजत दी गयी है कि कोई भी शख्स जो कोयला लाने के लिये तैयार है वह कोलीयरी से ट्रक द्वारा ला सकता है, उसमें पाबन्दी नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा—

मैंने पूछा था कि जो सप्लाई नहीं हुई है उसको मेन्टेन करने के लिये शासन ने कौन सी कार्यवाही की है?

श्री निसार अहमद अंसारी—

शासन का बराबर प्रयास है। मान्यवर, जो फीगर्स दी गई है उनको देखने से पता चलेगा कि हम बराबर तरक्की की तरफ जा रहे हैं। 85 में जो था वह 86 में बढ़ गया । शासन का प्रयास जारी है। लेकिन जो कमी रह जाती है वह ट्रक से पूरी हो जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि फिरोजाबाद में कोल डिपो बना दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वहां पर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त एक व्यक्ति ने विकलांगों की एक फर्जी समिति बनायी है जिसका उद्देश्य यह है कि उसके नाम से कोयला लेकर उसे बेच दिया जाता है। इस सम्बन्ध में फिरोजाबाद में रहने वाले कई विकलांगों ने तथा मैंने स्वयं भी मंत्री जी को एक पत्र लिखकर दिया है कि राजनैतिक प्रभुत्व प्राप्त लोगों ने ऐसी समिति बनाकर कोयला लेने का काम किया जाता है और उसके बाद उसे काले बाजार में बेचा जाता है। क्या इसकी आपने जांच करायी ? यदि नहीं करायी तो क्या सरकार इस समिति की जांच कराने का आश्वासन देने की कृपा करेगी ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच भी हुई थी । उसमें क्या हुआ, उसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। इसको देख लेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या आपको यह जानकारी है कि सन् 85-86 और 86-87 में जो आपने कोल सप्लाई बतायी है वह किन-किन वर्षों की है ? दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि जो आपके उद्योग विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने पिछले दो सालों का लाखों टन कोयला इन कोल डिपो को बेचा है ?

श्री निसार अहमद अंसारी—

मान्यवर, जहां तक आवंटन के विरुद्ध सप्लाई का ताल्लुक है वह मैंने बताया कि इतना आवंटन हुआ और उसके विरुद्ध इतना सप्लाई हुआ ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

उतना नहीं है।

श्री निसार अहमद अंसारी—

नहीं है तो बता दीजिये जांच करा लेंगे । इसके अलावा कोल डम्प से ले सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न

*1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[8वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*2—श्री जगमोहन सिंह यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

विकास खण्ड मीरगंज, बरेली के राजकीय नलकूपों को निर्माणाधीन स्वतंत्र फीडर पर जोड़ने का प्रस्ताव

*3—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या—2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज में विश्व बैंक परियोजना के पब्लिक नलकूप समूह के अन्दर तथा किनारे पर दो कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले समस्त राजकीय नलकूपों को भी निर्माणाधीन स्वतंत्र फीडर पर जोड़ने के स्पष्ट आदेश अविलम्ब देंगे ताकि इन नलकूपों से भी अधिकाधिक सिंचाई प्राप्त हो सके । यदि नहीं, तो इन राजकीय नलकूपों की उपेक्षा का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज में विश्व बैंक परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत 25 नलकूप एक क्लस्टर में लगाये गये हैं। इस क्लस्टर की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले तीन राजकीय नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है तथा किनारे पर दो किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले समस्त राजकीय नलकूपों को विश्व बैंक नलकूप योजना के स्वतंत्र फीडर से जोड़ने का कोई प्राविधान न होने के कारण उनको योजना कार्यों से सम्मिलित करना सम्भव नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो विश्व बैंक द्वारा ट्यूबवेल कलस्टर लगाये गये हैं इन क्लस्टर की सीमा के अन्तर्गत पड़ने वाले राजकीय नलकूपों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की बात मानी है। तो जो पुराने राजकीय नलकूप हैं जो उस क्लस्टर के अन्तर्गत आते हैं जैसे खानपुर, नगरिया सादात, चनेटा, नरखड़ा, सिधौली आदि जो इस क्लस्टर के भीतर स्थित हैं उनका भी आधुनिकीकरण करके स्वतंत्र फीडर से उनको जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जो हमारे क्लस्टर की परिधि के अन्दर आ जाते हैं उनको हम अवश्य जोड़ देंगे । माननीय सदस्य जानकारी दे दें तो हम करा देंगे ।

*4–श्री राम शरण दास–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*5–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

सीतापुर में बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन प्रस्तावित बन्धे की स्वीकृति

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर में बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन प्रस्तावित बन्धे के निर्माण की स्वीकृति गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से कब प्राप्त हुई? योजना आयोग को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कब भेजा गया है तथा निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

प्रश्नगत सीतापुर नगर बाढ़ नियंत्रण योजना का प्राक्कलन उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदन उपरान्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को प्रस्तुत किया जा चुका है जहां वह परीक्षण में है तत्पश्चात् उनके द्वारा इसको स्वीकृति हेतु केन्द्रीय योजना आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा । यह योजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा केन्द्रीय योजना आयोग को जून, 1987 के अन्त तक भेज दिये जाने की आशा है। प्रारम्भिक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जनता को गुमराह करने और उसे भ्रमित करने का इससे दूसरा नमुना नहीं मिलेगा । मैं जानना चाहता हूं कि संदर्भित योजना जिसका कार्य आरम्भ करने का शिलान्यास फरवरी, 87 में किया है जिसकी अभी तीनों स्तरों पर स्वीकृति प्राप्त हुई है । इसलिये मैं नीति सम्बन्धी बात जानना चाहता हूं कि क्या शिलान्यास करके जनता को भ्रमित करने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, भ्रमित करने की कोई बात नहीं है जो शिलान्यास की तारीख है उससे बहुत पूर्व हमारी टी0 ए0 सी0 ने स्वीकृति प्रदान कर दी । 1-4-86 को टी0 ए0 सी0 ने मंजूरी दे दी थी उस समय वह 623 लाख की थी लेकिन कुछ और सुझाव आये क्योंकि गंगा बोर्ड आयोग ने कुछ आपत्ति की और उसके बाद यह 755 लाख की योजना अन्तिम रूप से बनी है। जो उन्होंने आपत्तियां की वह पूरी कर दी गयी हैं और अब यह योजना तकनीकी रूप से ठीक हो गयी है और यह स्वीकृति के चरण में है शीघ्र ही भारत सरकार के योजना आयोग को भेजी जाने वाली है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है और इसे अभी दो चरणों में स्वीकृति हेतु जाना है। अभी तो केवल गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को ही योजना प्रस्तुत की गयी है जहां इसका परीक्षण हो रहा है। इसके बाद योजना केन्द्रीय योजना आयोग को भेजी जायेगी, उसके बाद गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को फिर भेजी जायेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। मान्यवर, आप देखें कि अभी न तो वित्तीय स्वीकृति और न योजना को अन्तिम चरण में ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसलिये मैं नीति सम्बन्धी बात जानना चाहता हूं कि क्या जिन योजनाओं को न तो वित्तीय स्वीकृति और न अन्तिम स्वरूप ही दिया गया हो क्या उन योजनाओं का भी सरकार ने शिलान्यास करने का निर्णय ले लिया है और योजना की अन्तिम चरण में स्वीकृति प्राप्त न होने के बावजूद योजना का शिलान्यास करके जनता को भ्रमित करने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, जनता को भ्रमित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है, इसको हम बनाने जा रहे हैं, इसलिये शिलान्यास किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप संरक्षण दें और मंत्री जी से संगत उत्तर दिला दें क्योंकि जब योजना की अन्तिम और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो शिलान्यास करने का क्या कारण है। जो शिलान्यास में पैसा खर्च हुआ है वह कहां से आया है। एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय स्वीकृति के बिना शिलान्यास करने का क्या कारण है। क्या जिन योजनाओं के बनने का विचार शासन ने कर लिया तो क्या हर योजना में स्वीकृति के पहले ही शिलान्यास का पत्थर लगाया जायेगा।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, गुप्त जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन यह जो आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं यह निराधार है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि जनता को भ्रमित किया जाये, जिन कामों को करने का पक्का इरादा किया जा चुका है उनका ही शिलान्यास कराया जा रहा है। इसमें तो कार्य की प्रगति हो रही है जिसका उनको सम्मान करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि शिलान्यास पर जो पैसा खर्च किया गया है वह क्या इंजीनियरों पर दबाव डालकर नम्बर दो का पैसा खर्च किया गया है या सरकार ने किस हेड से खर्च किया है या फिर शासन कहे कि इस योजना का कब से कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपये का प्राविधान करके स्वीकृति दे दी है, सर्वे और भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र, रायबरेली में जल भराव की समस्या के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*7—श्री दीपचन्द्र सोनकर —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र रायबरेली रोड, उतरटिया में जल भराव की समस्या के संबंध में तत्कालीन नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव) के पत्र के साथ संलग्न, प्रबन्धक एवं अन्य निवासियों का पत्र दिनांक 9-7-87 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो छात्रों की समस्याओं को देखते हुए जल निकासी हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार अविलम्ब जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर —

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जवाहर सर्वोदय शिक्षा केन्द्र, रायबरेली रोड उतरटिया में जल भराव के संबंध में उतरटिया के निवासियों ने एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन नेता विरोधी दल के पत्र के साथ प्रबंधक एवं अन्य निवासियों का पत्र जिलाधिकारी लखनऊ को दिया गया था जो जल निकासी के संबंध में था, तो इसमें क्या सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि सूचना एकत्र करने का तो कोई सवाल ही नहीं है । क्या मंत्री जी जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ।

श्री भोला शंकर मौर्य —

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यदि श्री मुलायम सिंह के पत्र की कापी उनके पास हो या उनसे उसकी कापी दिलवा दें तो हम कार्यवाही करवा देंगे ।

श्री दीप चन्द्र सोनकर—

जब कापी दी गयी थी तो क्या मंत्री जी के यहां से वह गायब हो गयी है ।

श्री भोला शंकर मौर्य —

मान्यवर, आज पत्रावली देखा और प्रयास किया गया कि पत्र उपलब्ध हो जाये लेकिन वह पत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है, इसलिए अनुरोध है कि पत्र की कापी उपलब्ध करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्नों का समय समाप्त ।

*8—श्री हर्ष वर्धन —

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री घासी राम शर्मा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

*9—श्री नत्था राम रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड—2, आजमगढ़ के तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री घासी राम शर्मा द्वारा कार्यादेश संख्या 289045 दिनांक 8-2-84 द्वारा निम्न श्रेणी के ईंटों का भुगतान करने, उक्त खण्ड में मस्टर रोल संख्या 165 में माह नवम्बर, 1983 में बहुत से व्यक्तियों के नाम बढ़ाकर भुगतान करने तथा माप पुस्तिका संख्या 19 डब्लू के गायब होने की बात प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो किस माध्यम से तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

कार्यादेश संख्या-289045, दिनांक 8-2-84 द्वारा की गई 12000 (बारह हजार) ईंटों की आपूर्ति में निम्न श्रेणी की ईंटों का भुगतान नहीं किया गया ।

2—मस्टर रोल संख्या-165 में माह 11/83 में तीन व्यक्तियों के नाम बढ़ाकर भुगतान करने तथा माप पुस्तिका संख्या-19/डब्लू0 एस0 गायब होने की अनियमितता प्रकाश में आयी जिसके लिए क्रमशः श्री रमेश राय व श्री मानिक राज मिश्र, अवर अभियंतागण दोषी पाये गये हैं । दोषी व्यक्तियों को निम्न प्रकार दंडित कर दिया गया है:—

(1) श्री रमेश राय, अवर अभियंता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए शासन को हुई क्षति रुपया-288.00 की वसूली के आदेश दिये गये हैं ।

(2) श्री मानिक राज मिश्र, अवर अभियंता की एक वार्षिक वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है ।

अधिशासी अभियंता श्री घासी राम शर्मा द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में किसी प्रकार की अनियमितता करने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गोदाम गाजियाबाद में चोरी की चीनी की नीलामी

*10—श्री राम नरेश यादव—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद स्थित सहकारी गोदाम में रखी हुई 7400 बोरी चीनी जो वर्ष 79-80 में चोरी में पकड़ी गई थी, कब और किस भाव में नीलाम की गयी ? क्या यह काफी विलम्ब से नीलाम की गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं आज तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

वर्ष 1980 में दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजियाबाद जनपद में साहिबाबाद पर विभिन्न ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के गोदामों/ट्रकों से कुल 7951.40 बोरी चीनी/खाण्डसारी पकड़ी गयी थी, जिसमें से 1235.40 बोरी चीनी तथा 6716 बोरी खाण्डसारी थी । उक्त चीनी/खाण्डसारी का निस्तारण न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद के आदेशानुसार किया गया था । चीनी एवं खाण्डसारी रु0 100 से 630 तक प्रति कुन्टल

की दर से व्यापारी दुकानदारों को दिनांक 30-8-80 से 16-7-83 व 9.4.87 को विक्रय की गयी । चीनी/खाण्डसारी का निस्तारण न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद के आदेश प्राप्त होने पर ही किया था, इसलिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी ।

यमुना नहर परियोजना की नहर के मोड़ पर पानी का हिस्सा

*11—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नहर परियोजना की नहर के मोड़ पर सन् 1947 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाले पानी का हिस्सा 1/3 था जो अब सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली दोष पूर्ण होने के कारण औसत क्षमता प्रयोग के आधार पर 1/5 रह गया ? यदि हां, तो विभाग के पास कोई ऐसी परियोजना विचाराधीन है जो प्रदेश को उक्त हानि से बचा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

पूर्वी यमुना नहर के शीर्ष पर जो पानी यमुना नदी में उपलब्ध होता है, वह वर्तमान हरियाणा प्रान्त (तत्कालीन पंजाब) एवं उत्तर प्रदेश के मध्य एक अनुबन्ध के अन्तर्गत वितरित किया जाता है । पूर्वी यमुना नहर के शीर्ष पर यमुना नदी में पानी रोक कर नहर की ओर मोड़ने हेतु कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण वर्षा ऋतु में पूर्वी यमुना नहर अपने हिस्से के पूरे पानी को शीर्ष से नहीं ले पाती है । इस कठिनाई को दूर करने हेतु यमुना नदी पर नया बैराज बनाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है ।

*12—श्री राम संजीवन—

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

गोकुल एवं महाबन की आबादी में कमी तथा उद्योग लगाने की मांग

*13—श्री सरदार सिंह—

क्या शासन की जानकारी में है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गोकुल एवं महाबन में पण्डागीरी का व्यवसाय निरन्तर कम होने के कारण वहां की आबादी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन इन कस्बों में कुछ उद्योग धन्धे लगाने की कृपा करेगा जिससे दोनों प्राचीन कस्बे आबाद बने रहें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उद्योग विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि गोकुल एवं महाबन में पण्डागिरी के व्यवसाय में कमी के कारण वहां की आबादी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है । जिला उद्योग केन्द्र, मथुरा द्वारा गोकुल एवं महाबन में व्यवसाय की कमी को ध्यान में रखते हुए इन कस्बों में उद्योग लगाने के लिए नवयुवकों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिए शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वःरोजगार योजना तथा उद्योग विभाग की अन्य सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने तथा बैंकों आदि से ऋण दिलाने के प्रयास किये जाते हैं ।

*14–श्री काशी सिंह एरेरी –

[7वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ब्लाक छानबे, मिर्जापुर में सिंचाई सुविधा की योजना

*15–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के छानबे विधान सभा के ब्लाक छानबे जो मौजूदा सिंचाई सुविधा से त्रस्त हैं, में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु कोई कारगर नई योजना बनाने के लिए शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, सिंचाई सुविधा में वृद्धि हेतु चार निम्नलिखित योजनायें विचाराधीन हैं।

1–बछेना बन्धी योजना

2–काली खोह बन्धी योजना

3–झरनवां नाला बन्धी

4–खजुरी लालगंज सिंचाई योजना

प्रश्न नहीं उठता ।

*16–श्री अशोक बाजपेयी–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

*17–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलंबित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में स्थित मंदिरों व पूजा स्थलों को पंजीकृत किये जाने की मांग

*18–श्री पूरन सिंह भाहरा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में कितने मन्दिर शासकीय नियंत्रण में हैं ? क्या सरकार उ0 प्र0 में स्थित सभी मन्दिरों व पूजा स्थलों को पंजीकृत करवाने का आदेश जारी कर उन्हें शासकीय नियंत्रण में लाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान में इस प्रदेश के जनपद चमोली स्थित श्री बद्री नाथ एवं श्री केदार नाथ मंदिर तथा वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ही शासकीय नियंत्रण में हैं ।

प्रदेश के मात्र सार्वजनिक हिन्दू मंदिरों तथा अन्य हिन्दू पुण्यार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से, कालातीत हो गये, "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुण्यार्थ एवं हिन्दू धार्मिक संस्था तथा निबन्ध अध्यादेश, 1976" जिसमें इन संस्थाओं और निबंधों के सर्वेक्षण तथा पंजीकरण तथा उनकी सम्पत्ति के उपयोग एवं व्यय पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था रखी गयी थी, के स्थान पर नया विधेयक लाए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में स्थित सभी मंदिरों व पूजा स्थलों को पंजीकृत करवाने का आदेश जारी कर उन्हें शासकीय नियंत्रण में लाने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

ब्लाक बिहार जनपद प्रतापगढ़ में जल भराव की समस्या

*19—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के बिहार ब्लाक में सई नदी के प्रभाव से हजारों एकड़ भूमि पर सदैव जल भराव रहने से उक्त भूमि कृषि कार्य के योग्य नहीं रह गयी है? यदि हां, तो इस जल भराव को रोकने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रतापगढ़ जनपद के बिहार ब्लाक में सई नदी के प्रभाव से कोई जल भराव की समस्या प्रकाश प्रकाश में नहीं आई है।

जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों के ग्रामों में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य कराये जाने की मांग

*20—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री श्री महेश चन्द्र वैश्य वैयक्तिक सहायक नलकूप (मध्य) कृते प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 3561-नलकूप (मध्य) 164 वी-3055 डब्लू/बजट/83-84 दिनांक 26 अप्रैल, 1984 के पत्र के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के ग्राम पासाखेड़ा तथा विकास खण्ड असोहा के ग्राम बैगांव एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर में क्षिद्रित नलकूप में खारा पानी होने के कारण केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार के द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य अब तक न कराये जाने के कारण क्या है? यह कार्य अब कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड पुरवा के ग्राम पासा खेड़ा तथा विकास खण्ड असोहा के ग्राम बैगांव में एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य अब तक इस कारण नहीं कराये जा सके, क्योंकि पहले दो ग्रामों के पास उनके द्वारा ब्लाक बीघापुर के ग्राम राजापुर गढ़ेवा में एवं विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम ताजकपुर के पास इसी ब्लाक के ग्राम कीरतपुर में पहले ही अन्वेषणात्मक कार्य किया जा चुका है तथा केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा दूसरे नलकूप का अन्वेषणात्मक कार्य 20 किलोमीटर दूरी पर ही किया जाता है। उपर्युक्त तीनों ग्रामों की दूरी उनके द्वारा निर्मित दोनों नलकूपों से 20 किलोमीटर से कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद मण्डल में नलकूपों पर पाइप गूल बनाने के लिए सीमेण्ट कंकरीट पाइप बिछाने का अनुबन्ध

1—इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 एवं 1974-75 में सिंचाई कार्य मण्डल फैजाबाद एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न खण्डों द्वारा नलकूपों पर पाइप गूल बनाने के लिए 12 इंच व्यास के कितने मीटर सीमेंट कंकरीट पाइप का निर्माण कराया गया? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विवरण संलग्न है (संलग्नक-1)

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 179 पर)

2–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

उपरोक्त पाइपों को विभिन्न खण्डों में नलकूपों के क्षेत्रों में बिछाने हेतु कितने-कितने अनुबंध तथा कार्यादेश कब-कब कितनी लम्बाई के किये गये थे? क्या उक्त सम्पूर्ण पाइपों का नलकूपों पर पाइप गुल के रूप में प्रयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विवरण संलग्न है†

(खण्डवार)

नलकूप खण्ड बहराइच में 8829.95 मीटर तथा नलकूप खण्ड फैजाबाद में 1474.52 मीटर पाइप उपयोग से रह गया।

नलकूप खण्ड बहराइच के पाइप का प्रयोग न होने में सर्व श्री अख्तर हुसैन खां एवं राधेश्याम सिंह अधिशासी अभियन्ता प्रथम दृष्टतः दोषी हैं। नलकूप खण्ड फैजाबाद में पाइपों की कमी पाई गई है जिसके लिए सर्वश्री सी0डी0 शुक्ला एवं सम्पूर्णानन्द अवर अभियंता प्रथम दृष्टतः दोषी हैं।

पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना का लिखित आश्वासन

3–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध परियोजना द्वारा समय-समय पर पुनर्वास के सम्बन्ध में जो लिखित आश्वासन टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को दिये गये हैं उनकी जानकारी सरकार को है? यदि हां, तो क्या उन आश्वासनों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुनर्वास निदेशालय टिहरी बांध से परियोजना द्वारा टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले लोगों को कोई लिखित आश्वासन अपने स्तर से नहीं दिये गये हैं।

पुनर्वास निदेशालय द्वारा समय समय पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के उत्तर तथा प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के सूचनार्थ पुनर्वास की रूपरेखा सूचित की गयी है। विभिन्न मामलों में शासन के आदेशानुसार कार्यवाही की जाती है।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नति

4–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के संदर्भ में सहायक अभियंता (प्रोन्नत) का वेतन निर्धारण जो किया गया है, क्या शासनादेश संख्या जी-2/1330/दस-320-78 दिनांक जुलाई 3, 1978 (नेक्स्ट बिलो रूल) के अंतर्गत

---

†छापा नहीं गया।

किया गया है? यदि हां, तो इसी शासनादेश के अंतर्गत प्रोन्नत सहायक अभियंताओं की श्रेणी में उक्त सहायक अभियंता की वरिष्ठता निर्धारण में क्या कठिनाई है? सहायक अभियन्ता की निर्धारित वेतन की प्रतिलिपि उनके प्रखण्ड को वेतन आहरण हेतु कब तक भेज दी जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 1986 के पांचवे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 52 के उत्तर में सहायक अभियंता (प्रोन्नत) के वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या-जी-2/1330/302-78 दिनांक 3-7-78 के अनुसार किया गया है। चूंकि पदोन्नति तदर्थ है अतः नेक्स्ट बिलो रूल के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

उक्त सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

आदेशों की प्रति दिनांक 6-1-84 को ही भेज दी गयी है।

5–श्री भगवती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

6–श्री राजित प्रसाद यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, बस्ती में एक लेथ मशीन की खरीद

7–श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में लेथ तथा लेअर मशीन जो क्रमशः 53,064 रुपये तथा 57,761 रुपये में खरीदी गयी थी वह प्रयोग में लाई गई है कि नहीं ? यदि प्रयोग में लायी गई है तो संबंधित लाव बुक के अनुसार अब तक क्रमशः कितने-कितने घंटे चलाई गई ? यदि अभी तक उपरोक्त मशीन प्रयोग में न लाई गई हो तो उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती में वर्ष 19818-82 (23-3-82 को) में एक लेथ मशीन रु0 58,410,00 में तथा एक शेफर मशीन रु0 57,761.00 में खरीदी गई थी। इनमें से लेथ मशीन प्रयोग में लाई जा रही है। लागबुक के अनुसार इस मशीन के चलित घंटे संलग्न तालिका-1 में दर्शाये गये हैं। शेफर मशीन अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गई है। इसका उपयोग पम्पगृह में पम्पों की स्थापना (इरेक्शन) के समय किया जायेगा।

कुआनों, बस्ती पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नये पम्प हाउस की नींव के ड्राफ्ट पर व्यय

8–श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती की कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नये पम्प हाउस के नींव के राफ्ट डालने हेतु जो काफर ड्रेन मई, 1986 में बनाई गयी थी उक्त कार्य में कौन-कौन से मैटेरियल कितनी-कितनी मात्रा में मई, 86 से सितम्बर, 86 तक निर्गत किये गये हैं और प्रत्येक आइटम का मूल्य क्या है ? काफरड्रेन के निर्माण में मस्टर रोल के माध्यम से कितने-कितने रुपये के भुगतान किये गये हैं और ठेकेदार व अन्य माध्यम से कितना-कितना रुपया माह 5/86 से 9/86 तक माहवार व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला बस्ती की कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नये पम्प हाउस के नींव के राफ्ट डालने हेतु काफरडैम माह अप्रैल 1986 में बनाई गई थी । उक्त कार्य में अप्रैल 1986 से सितम्बर, 1986 तक निम्नलिखित मैटेरियल उनके समक्ष अंकित धन-राशि के निर्मित किये गये हैं:—

1—बल्ली 96 अदद रु0 27,500·00

2—जी0 सी0 शीट्स 1·15 मी0 ट0 रु0 9,200·00

3—बांस 350 अदद रु0 5,250·00

4—खाली बोरिया 38,350 अदद रु0 73,000·00 उक्त अवधि में काफर डैम के निर्माण में मस्टर रोल के माध्यम से रु0 16575·00 का तथा ठेके-दार के माध्यम से रु0 1,50,570·00 का भुगतान हुआ है । भुगतान का माहवार विवरण संलग्न तालिका-2 में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180-181 पर)

9—श्री भगवती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

स्व0 श्री कृष्णा नन्द शर्मा ड्राइवर, उ0प्र0 नलकूप निगम, बरेली की विधवा को पारिवारिक पेंशन

10—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्णानन्द शर्मा जो उ0 प्र0 नलकूप निगम बरेली में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, का स्वर्गवास दिनांक 11-12-84 को हो गया था, किन्तु अभी तक उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को उनकी पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है? यदि हां, तो पेंशन न मिलने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उनके पारिवारिक पेंशन का भुगतान तुरन्त करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्व0 श्री कृष्णानन्द शर्मा जो उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0 की बरेली इकाई में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, का स्वर्गवास दिनांक 11-12-84 को हो गया था, उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सर्वोदयनगर, कानपुर को समस्त औपचारिकताएं एवं सूच-नाएं पूर्ण कर प्रबन्ध निदेशक, नलकूप निगम द्वारा दिनांक 5-8-86 को लिखा जा चुका है । पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय कानपुर द्वारा किया जाना है । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय कानपुर से वरीयता से कार्यवाही करने के लिए निरन्तर लिखा गया है ।

श्री श्याम सुन्दर वर्मा, सहायक अभियन्ता, ट्यूबवेल डिवीजन आंवला, बरेली की हत्या

11—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री श्याम सुन्दर वर्मा सिंचाई विभाग के ट्यूब वेल डिवीजन आंवला, जनपद बरेली में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 11-7-84 को उसकी हत्या हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी तक उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड व अन्य लाभ उनकी पत्नी को अभी तक क्यों नहीं मिला है ? क्या सरकार उनकी पत्नी को समस्त लाभ दिलाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 11.7.84 को श्री श्याम सुन्दर वर्मा की उनके निवास स्थान पर मृत्यु हो गयी थी । पुलिस की तफतीश के अनुसार उन्होंने आत्महत्या की थी । उनके कुछ देयों का भुगतान कर दिया गया है । मृत्यु के पश्चात् उनके स्टोर का चार्ज दिलवाने पर तथा स्टाक रजिस्टर के मिलान करने पर कुछ सरकारी सामान की कमियां प्रकाश में आयीं जिनकी अभिलेखों से छानबीन करने पर कुल कमियां—96008 रु0 20 पैसे की पायी गयी थी । इनके भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान हेतु प्रकरण 24 अप्रैल, 1986 को महालेखाकार को संदर्भित किया जा चुका है ।

टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित कृषकों को देय प्रतिकर की धनराशि

12—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले कृषक परिवार को मकान बनाने के लिए 12,000 की धनराशि किस सन् में निश्चित की गई थी और उस सन् से अब तक लागत की कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध से प्रभावित होने वाले प्रत्येक विस्थापित परिवारों को उनके भवन का न्यूनतम प्रतिकर 12000 रु0 दिनांक 21.4.84 द्वारा निर्धारित किया गया था । उक्त दिनांक के पश्चात् भवनों की लागत में वृद्धि हुई है ।

13—15—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फिरोजाबाद के कतिपय राजबाहों के बैडवार

16—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के राजबाहों सहपऊ व बरहन व फिरोजाबाद व उनके माइनरों के एल सेक्शन फर्जी प्रस्तुत करके लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सभी राजबाहों व माइनरों में बैडवार तक नहीं है और न लेविल मशीनें चालू हालत में हैं ? क्या मंत्री जी उपरोक्त राजबाहों व माइनरों में मौके पर बैडवारों के होने की व लेविल मशीनों की खराब होने की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्नगत राजबाहों व माइनरों में लगभग 50 प्रतिशत बैडवार नहीं हैं । यह नहर प्रणाली 100 वर्ष से अधिक पुरानी है अतः काफी बैडवारस क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिन्हें रखरखाव मद के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जाने पर 3 साल में पूरा कराने का कार्यक्रम बनाया गया है । खण्ड में 10 लेविल मशीनों में से 5 लेविल मशीन खराब थी परन्तु उनको पूर्ण रूप से ठीक करा लिया गया है और सभी लेबिल मशीनें सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं ।

नहरों पर समस्त बैडवारों के अभाव में जो बैडवारस उपलब्ध थी उन पर सिल्ट नाप कर एवं प्रत्येक नहर के पुल एवं अन्य पक्के कार्यों पर उपलब्ध लेविलों की सहायता से सिल्ट नापकर लम्ब छिननक तैयार किये गये । कार्यों का भुगतान मौके पर पैमायश करके किया गया और माप की चैकिंग नियमानुसार सहायक अभियन्ता द्वारा की गई ।

वाराणसी मण्डल में राजकीय नलकूपों द्वारा की गयी सिंचाई

17—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक नलकूप परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं, की संख्या पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी थी तथा इन पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन नलकूपों द्वारा प्रति नलकूप औसतन कितनी सिंचाई की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में पिछले पांच वर्षों में चलित राजकीय नलकूपों जिसमें विश्व बैंक परियोजना के नलकूप भी सम्मिलित हैं की संख्या वर्ष के प्रथम दिन को वर्षवार निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	जनपद				
	वाराणसी	मिर्जापुर	गाजीपुर	जौनपुर	बलिया
1981—82	1178	210	555	343	450
1982—83	1235	223	577	333	480
1983—84	1274	245	606	338	489
1984—85	1283	260	617	355	526
1985—86	1301	255	625	365	560

इन पांच वर्षों में प्रति नलकूप औसतन हेक्टेयर सींच निम्न प्रकार है:—

वर्ष	जनपद				
	वाराणसी	मिर्जापुर	गाजीपुर	जौनपुर	बलिया
1981—82	39.02	49.00	41.83	34.81	35.40
1982—83	41.55	50.00	39.20	35.27	37.00
1983—84	37.68	45.00	40.07	32.44	34.70
1984—85	40.50	47.00	42.60	18.25	33.30
1985—86	34.24	39.00	35.45	30.58	29.80

मांट क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने हेतु प्रार्थना पत्र

18—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-9-86 को मांट क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगवाने के बारे में एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मांट क्षेत्र में भू-गर्भ में खारा पानी होने के कारण वहां राजकीय नलकूप लगाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

19—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13-1-86 को सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने कवरिंग लेटर के साथ उप सचिव, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत पत्र के साथ प्राप्त सुल्तान एण्ड कम्पनी अमरोहा के पत्र दिनांक 4-1-86 में जमानत की धनराशि लौटाने, सेल्स टैक्स का फार्म 3-डी निर्गत किये जाने, न्याय विभाग का एक अधिकारी आर्बीट्रेटर नियुक्त किये जाने एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई है ।

सुल्तान एण्ड कम्पनी की जमानत की धनराशि सेल्स टैक्स अधिकारी, मुरादाबाद के आग्रह पर रोकी गई है। फार्म-3 डी देने का कोई शर्त अनुबन्ध में नहीं था। अतः फार्म 3 डी निर्गत करने का प्रश्न ही नहीं उठता । अनुबन्ध की शर्त के अनुसार न्याय विभाग का अधिकारी आर्बीट्रेटर नियुक्त किये जाने का कोई प्राविधान नहीं था । फर्म को किये गये अधिक भुगतान के संबंध में पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

20—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तान एण्ड कम्पनी, अमरोहा द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को तीन पत्र दिनांक 6-1-86 व 18-2-86 व 21-7-86 तथा तीन पत्र तत्कालीन सचिव सिंचाई विभाग के दिनांक 4-1-86 व 14-2-86 व 22-7-86 तथा एक पत्र तत्कालीन विशेष सचिव सिंचाई विभाग को दिनांक 14-2-86 को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किए गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर कब तक कार्यवाही की जायेगी व उनके मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या उपरोक्त ठेकेदार को भी सूचित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रश्नगत पत्रों में निम्न बातें कही गई हैं:–

1–जमानत की धनराशि लौटाई जाय।

2–सेल्स टैक्स का फार्म 3 डी निर्गत किया जाये।

3–न्याय विभाग का एक अधिकारी आरबीट्रेटर नियुक्त किया जाय।

4–अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

उक्त बातें अनुबंध सं0 3/एस0 ई0/79-80 से संबंधित हैं जिसका अन्तिम भुगतान दिनांक 29-11-80 को किया जा चुका है तथा फर्म ने बकाया देय न होने का प्रमाणक (फारखती) भी दे दिया है। केवल जमानत की रु0 52294-25 की राशि विभाग के पास जमा है जो बिक्री कर अधिकारी के आग्रह पर रोकी गयी है। फर्म को उसके वकील के नोटिस के उत्तर में इस तथ्य से अवगत कराया जा चुका है।

बाढ़ सुरक्षा कार्य, मुरादाबाद को उपलब्ध डीजल का विवरण

21–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80 में जब प्रदेश में डीजल की शार्टेज बनी हुई थी उस समय बाढ़ सुरक्षा कार्य मुरादाबाद को कुछ डीजल सुविधा हेतु सप्लाई हुआ था? यदि हां, तो डीजल की मात्रा कितनी थी? क्या यह सही है कि वह डीजल विभाग ने अपने ठेकेदारों को सरकारी कार्य के लिए उपलब्ध कराया था? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी मात्रा में डीजल दिया गया था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद को 1,56,250 लीटर डीजल दिया गया था। उक्त डीजल में से ठेकेदारों को उनकी मांग के अनुसार सरकारी कार्य हेतु तथा अन्य खंडों/उप खंडों को डीजल दिया गया था। उपलब्ध कराये डीजल का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 182-183 पर)

बस्ती जनपद के बुनकरों को सस्ती धोतियों का हथकरघा विकास निगम द्वारा भुगतान

22–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि नवम्बर, 85 के अंतिम सप्ताह तथा उसके बाद हथकरघा विकास निगम द्वारा बस्ती जनपद में क्रय केन्द्र राजेडीहा पश्चिमी पूर्वी तथा दक्षिणी एवं साथा तथा लोहरसन और रुघौली पर बुनकरों से खरीदी गयी सस्ती धोतियों का भुगतान निगम द्वारा 31 जनवरी, 86 तक नहीं किया गया? यदि हां, तो इतने दिनों तक भुगतान न किये जाने का कारण क्या है? क्या यह सत्य है कि हथकरघा विकास निगम के प्रधान कार्यालय द्वारा बस्ती जनपद में बुनकरों के भुगतान हेतु धन विलम्ब से उपलब्ध कराया जाता है जबकि और जनपदों में भुगतान नियमित रूप से कर दिया जाता जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

धनराशि के अभाव में पूर्ण भुगतान 31 जनवरी, 1986 तक न किया जा सका। राजडीहा पूर्वी, राजडीहा दक्षिणी, साथा, लोहासन और रुथौली पर बुनकरों से नवम्बर, 85 के अन्तिम सप्ताह दिसम्बर, 1985 एवं जनवरी, 1986 में क्रय किए गए वस्त्रों का भुगतान दिनांक 10-3-86 तक कर दिया गया था। राजडीहा पश्चिमी में केन्द्र मई, 1986 में स्थापित हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

23—श्री भगवती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

24—श्री जुगमोहन सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

पूर्वी यमुना नहर का आधुनिकीकरण पर व्यय

25—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर का वर्तमान आधुनिकीकरण कार्य जो इस समय निर्माणाधीन है, से पूर्व उक्त नहर प्रणाली पर किस अवधि में कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी? क्या उक्त पारयोजना में भी इस नहर की वहन क्षमता जो सन् 1960 में लगभग 1800 क्यूसेक थी, को बढ़ाकर 4000 क्यूसेक करना था परन्तु विभाग की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के फलस्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये थे? क्या ऐसे परिणाम मौजूदा आधुनिकीकरण के उपरान्त भी सम्भावित हैं यदि हां, तो ऐसा न होने देने के लिए विभाग ने क्या ठोस उपाय किये?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

26—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

27—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

28—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

29—श्री बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले'—

[दिनांक 23-6-87 को अला0 प्र0 सं0 84 द्वारा उत्तारित]

हथौड़ा ड्रेन हरदोई के पुनरोद्धार की योजना

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम से गुजरने वाली हथौड़ा ड्रेन लगभग चौथाई जनपद का पानी खींचने के कारण काफी अहमियत रखती है किन्तु सफाई व जीर्णोद्धार के अभाव में उक्त तहसील के अनेक गांव तबाही के शिकार बनते रहते हैं? यदि हां, तो क्या इसका विशेष प्राविधान करने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, हथौड़ा ड्रेन के पुनरोद्धार की योजना जिला विकास अभिकरण, हरदोई की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी। योजना की स्वीकृति आवश्यक धन व भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य कराये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करना संभव हो सकेगा।

लखनऊ जनपद के अहमामऊ माइनर की पटरी की सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

31–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई अनुभाग के पत्र संख्या–12 वि0/86-23-सिं0-3-48 (3) पी/86 दि0 15 अप्रैल, 1986 जो लखनऊ जनपद के अहमामऊ माइनर की नहर की पटरी को ठीक करने एवं उसकी सुरक्षा के सम्बन्ध में था मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

ट्रक तथा ट्रैक्टर के चलने से नहर सर्विस रोड पर बनी गहरी लीकों को बन्द करा दिया गया है। अहमामऊ माइनर की पटरी की सुरक्षा हेतु 4.0 किलोमीटर की लम्बाई में खड़ंजा लगवाने का प्राक्कलन रु0 5.43 लाख का तैयार कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ को प्रस्तुत किया जा चुका है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा योजना की स्वीकृति एवं आवश्यक धन उपलब्ध कराने के उपरान्त कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

32–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बहराइच जनपद के कतिपय ग्राम में नलकूप लगाने की मांग

33–श्री राम सागर राव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-इकौना के अन्तर्गत ग्राम सभा निगोह में सरकारी नलकूप लगाये जाने से सम्बन्धित कोई मामला जिला अथवा शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

वर्ष 1987-88 में नये नलकूपों के आवंटन के विरुद्ध ग्राम सभा निगोह में नलकूप लगाने का प्रस्ताव जिला सिंचाई सलाहकार समिति के सम्मुख होने वाली आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

टिहरी गढ़वाल के उद्योगों का वर्षवार विवरण

34—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल को औद्योगिक रूप से विकसित करने हेतु 1980 से 1985 के बीच, वर्षवार यहां कितने-कितने उद्यमियों को उद्योग लगाने की सुविधा प्रदान की गयी ? इनमें से क्रमशः कितने लोग जनपद टिहरी के स्थाई निवासी थे ? सुविधा प्राप्त जनपदीय/बाहरी उद्यमियों को क्रमशः कितनी धनराशि के ऋण व अन्य सुविधायें वर्षवार प्रदान की गयीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग

वर्ष 1980 से 1985 के बीच टिहरी गढ़वाल को औद्योगिक रूप से विकसित करने हेतु वर्षवार जितने उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई और जितनी सुविधा/ऋण एवं अन्य सुविधाओं के रूप में दी गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है:—

वर्ष	उद्यमियों की संख्या	सहायता की राशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1980	27	4.00
1981	34	5.364
1982	41	3.653
1983	67	7.847
1984	44	6.717
1985	64	12.372

2—प्रश्न का द्वितीय भाग

विवरण संलग्न है

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194 पर)

35—श्री विष्णु देव—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांसगांव-गोरखपुर के ताड़ी पर्यवेक्षक के विरुद्ध शिकायत एवं जांच

36—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि ताड़ी पर्यवेक्षक (श्री पाण्डेय) बांसगांव, गोरखपुर के विरुद्ध उनके वर्तमान स्थान के कार्यकाल में अनेक शिकायतें शासन को मिली हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और इनकी जांच न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि इसके पूर्व भी पाण्डेय इसी क्षेत्र में कार्यरत थे एवं गम्भीर आरोपों के आधार पर इन्हें हटाया गया था ? यदि हां, तो पुनः इन्हें यथा स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री पाण्डेय के विरुद्ध ठेकेदारों से नाजायज पैसा वसूलने, न देने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने, मारने पीटने व धमकी देने, ताड़/खजूर के पेड़ों से नाजायज ताड़ी चुलवाकर राजस्व की क्षति पहुंचाने तथा अनुज्ञापितों से पेड़ों पर जमा होने वाले टैक्स एवं सरचार्ज कोषागार में जमा न करा कर स्वयं अपने पास रख लेने की शिकायतें हैं । उक्त शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कराई गई और उसमें श्री पाण्डेय के विरुद्ध प्रथम दृष्टा आरोप पाये गये हैं, जिनके लिये उन्हें आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 27-5-87 द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा प्रथम दृष्टा पाये गये आरोपों की विधिवत् विभागीय जांच की जा रही है ।

यह सच है कि श्री जय जय राम पाण्डेय पूर्व में क्षेत्र-3 बांस गांव में ताड़ी पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 18-8-73 से 18-5-74 तक कार्यरत रहे और इन्हें वहां से शिकायतें प्राप्त होने पर हटाया गया था ।

वर्ष, 1985 में ग्रीष्म कालीन सामान्य स्थानान्तरण के समय इन्हें पुनः क्षेत्र-3 बांस गांव में रिक्त स्थान पर स्थानान्तरण किया गया था ।

सूखे की स्थिति में, बलिया जनपद में सिंचाई की नई योजना

37–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूखे को देखते हुए इस वर्ष रबी की फसल के लिये कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं ? क्या सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये बलिया जनपद में कोई बड़ी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बलिया जनपद में सिंचाई हेतु दोहरीघाट सहायक तथा सुरहा ताल पम्प नहरों को बिजली की उपलब्धता के अनुसार रबी 1394 फसली में चलाकर सिंचाई प्रदान की गई । जनपद बलिया में सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु इस समय शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत दोहरीघाट समानान्तर नहर प्रणाली नामक परियोजना निर्माणाधीन है ।

फैजाबाद मण्डल में डेरी प्लांट लगाने की मांग

38–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद मंडल में दिनांक 7-2-87 को उनके साथ हुई बैठक में प्रश्नकर्ता ने अपने विधान सभा क्षेत्र में एक डेरी प्लान्ट स्थापित करने हेतु मांग की थी और दिनांक 11-2-87 को उपरोक्त आशय का पत्र भी उन्हें लिखा था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां, गोंडा जनपद में डेरी प्लान्ट की आवश्यकता के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 11-2-87 शासन को प्राप्त हुआ है । वर्तमान में उक्त जनपद में डेरी प्लान्ट लगाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है किन्तु गोंडा जनपद के लिये भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रियल फाउन्डेशन योजना कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके प्रथम चरण में प्रारम्भिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय प्रारम्भ किया जायेगा ।

जिला मुख्यालय गोण्डा में इण्डस्ट्रियल स्टेट स्थापित करने की मांग

39–श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद मण्डल में दिनांक 7-2-87 को उनके साथ हुई बैठक में प्रश्नकर्ता के अपने जनपद में औद्योगिक विकास हेतु गोंडा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर इण्डस्ट्रियल स्टेट स्थापित करने हेतु मांग की थी और उपरोक्त आशय का दिनांक 11-2-87 को लिखित रूप में भी पत्र दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

गोण्डा सदर में औद्योगिक आस्थान की स्थापना हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

तत्कालीन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा मुख्यालय में हुये घोटाले के सम्बन्ध में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

40–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मुख्यालय श्री सुरेन्द्र चन्द्र मिश्र ने वर्ष 1983 में मुख्यालय के नजारत में हुए सामानों के घोटाले के सम्बन्ध में कोई जांच रिपोर्ट तत्कालीन निदेशक, पर्यटक, उ0 प्र0, श्री पुलक चटर्जी को प्रस्तुत की थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री मिश्रा ने अपनी जांच रिपोर्ट में लगभग 65 हजार की कीमत का सामान गायब होना बताया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि तत्कालीन निदेशक ने सम्बन्धित पत्रावली पर सी0 आई0 डी0 जांच एवं सख्त विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति भेजी थी? क्या यह सही है कि उक्त पत्रावली गायब हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय अनियमितता, वित्तीय क्षति एवं अनुशासनहीनता के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री खालिद कमाल, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ के स्थानान्तरण की मांग

41–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री खालिद कमाल, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ विगत लगभग 14 वर्षों से अभी तक विभिन्न पदों पर लखनऊ मुख्यालय में ही कार्यरत हैं? यदि हां, तो शासनादेशों के विरुद्ध इतनी अधिक अवधि तक उनके लखनऊ में बने रहने का क्या औचित्य है? क्या सरकार श्री खालिद कमाल को अविलम्ब लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रमोद कुमार–

श्री खालिद कमाल, तत्कालीन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर सहायक निदेशक, पर्यटन के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप निदेशालय में दिनांक 6-3-75 को तैनात किये गये, तथा पुनः उप निदेशक, पर्यटन के पद पर पदोन्नति होकर निदेशालय में ही दिनांक 20-12-76 को कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कमाल उप निदेशक के पद पर पर्यटन निदेशालय में लगभग 10 वर्ष 6 माह से कार्यरत हैं। जहां तक श्री कमाल को इतनी अवधि तक लखनऊ मुख्यालय पर कार्यरत रखे जाने का प्रश्न है, उप निदेशक के 4 पद स्वीकृत हैं जिनमें से केवल एक पद क्षेत्रीय स्तर पर है और 3 पद मुख्यालय पर ही हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नई दिल्ली में उप निदेशक का पद दिनांक 10-11-78 को स्वीकृत हुआ था तथा इस पद पर श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय की नियुक्ति की गयी थी। वर्ष 1980 में श्री कमाल को श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय के स्थान पर नई दिल्ली दिनांक 8-8-80 को स्थानान्तरित किया गया था, परन्तु उक्त आदेश जनहित में स्थगित कर दिए गए।

चूंकि नई दिल्ली में तैनात उप निदेशक को 1985 में सेवा निवृत्त होना था अतः शासन की नीति के अनुसार उन्हें नई दिल्ली से स्थानान्तरित नहीं किया गया। बाद में उप निदेशक नई दिल्ली का पद नैनीताल स्थानान्तरित हो जाने पर श्री जी0 पी0 ढौंढियाल को जुलाई, 1986 में नैनीताल तैनात किया गया और 3 साल पूर्व साधारणतया उनका स्थानान्तरण उचित न होगा। उक्त परिस्थिति में श्री कमाल को मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित किया जाना सम्भव न हो सका। उल्लेखनीय है कि श्री कमाल जुलाई, 1988 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं अतः अब उनका स्थानान्तरण करना उचित नहीं होगा।

42–43–श्री महेन्द्र भाटी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

44–श्री हफीज भारती–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

रबूपूरा मण्डी, जनपद बुलन्दशहर में छापा द्वारा बरामद अवैध सामान

45–श्री राम नरेश यादव–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-8-85 को रबूपूरा मण्डी, जनपद बुलन्दशहर में छापा मारा गया था ? यदि हां, तो कितने का अवैध सामान बरामद किया गया एवं आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, दिनांक 17 अगस्त, 1985 को नहीं वरन् 16 अगस्त, 1985 को उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मण्डी रबूपूरा, बुलन्दशहर की चार फर्मों मैसर्स प्रकाश घनश्याम दास, मैसर्स मुरलीधर नौबतराय, मैसर्स मुरारी लाल एण्ड सन्स तथा मैसर्स श्याम सुन्दर देवेन्द्र कुमार के यहां निरीक्षण किया गया था।

उक्त चार फर्मों में से तीन के यहां कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। शेष एक फर्म मैसर्स मुरलीधर नौबत राय के यहां स्टाक में जो अन्तर पाया गया वह शासनादेश सं0–पी-367/उन्तीस-खा0–5-8(15)/81 दिनांक 9 फरवरी, 1982 में

दी गयी एक प्रतिशत की छूट सीमा के अन्तर्गत था । इस प्रकार वास्तव में उक्त चारों फर्मों के विरुद्ध कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

नाथ फ्लोर मिल, गाजियाबाद की चेकिंग

46—श्री राम नरेश यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-10-85 व 5-10-85 में गाजियाबाद स्थित नाथ फ्लोर मिल की चेकिंग डिप्टी आर0 एम0 ओ0 गाजियाबाद व अन्य स्टाफ से श्री आर0 के0 वर्मा द्वारा करायी गयी और 98 कुन्टल 10 किलो 900 ग्राम गेहूं का अन्तर पाया गया जो कम था जिसका उल्लेख फर्म के सम्बन्धित रजिस्टरों में डिप्टी आर0 एम0 ओ0 व चेकिंग स्टाफ द्वारा दिनांक 4-10-85 में ही अंकित किया गया ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित मिल के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

दिनांक 4-10-85 को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ ने मेसर्स नाथ फ्लोर मिल, गाजियाबाद की चेकिंग उप संभागीय विपणन अधिकारी, गाजियाबाद व अन्य स्टाफ द्वारा करायी जो दिनांक 5-10-1985 तक चलती रही ।

विन्स में संचित गेहूं का वोल्यूमैटिक आधार पर वजन करने पर स्टाक में 98-10-900 कु0 गेहूं कम पाया गया जिस पर मिल के भागीदार द्वारा आपत्ति उठायी गयी । जिस पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा विन्स खाली कराकर शत-प्रतिशत तौल कराने के आदेश दिये गये । शत-प्रतिशत तौल कराने पर गेहूं के स्टाक में मात्र 12-22-600 कु0 गेहूं अधिक पाया गया ।

शासनादेश सं0—367/29-खा0-5-8(15)/81, दिनांक 9-2-82 के द्वारा समस्त स्टाक पर कमी व बेशी दोनों हालत में 1% तक की छूट अनुमन्य है।

निरीक्षण के दिन दिनांक 4-10-85 को मिल के स्टाक में 1015-77-400 कु0 गेहूं प्रारम्भिक शेष था । इस प्रकार शासनादेशों के अनुसार मिल के स्टाक में गेहूं में नाम मात्र का अन्तर था जो अनुमन्य प्रतिशत से बहुत कम था । अतः मिल के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता था।

47—श्री नत्था राम रावत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के क्षेत्र एतमादपुर के कतिपय ग्रामों के राजबाहों तथा माइनरों की सफाई पर व्यय धन

48—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एतमादपुर, जनपद आगरा के क्षेत्र की सहपऊ, वरहन व फिरोजाबाद राजवाहों तथा इनकी सभी माइनरों की सफाई में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में कितना धन व्यय किया गया है? क्या मंत्री जी इस धन से किये गये सफाई कार्यों की मौके की जांच प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक के क्षेत्र में सहपऊ, व फिरोजाबाद राजबाहे प्रणालियों की नहरों का जो भाग आता है, उनकी सफाई पर वर्ष 1985-86 व 1986-87 में हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	नहर प्रणाली का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	वर्ष 85-86 में व्यय लाख रुपये में	वर्ष 86-87 में व्यय लाख रुपये में
	1—सहपऊ राजवाहा	56.88	1.243	0.979
	2—बरहन राजवाहा	63.04	1.179	2.381
	3—फिरोजाबाद राजवाहा	6.44	0.063	0.143
		126.36	2.485	3.503

जी नहीं । वर्ष 1985-86 व 1986-87 में नहरों की सफाई के निरीक्षण आदि हेतु शासनादेश संख्या—3756/एवी/85-23-सि-9-332/एसजी/85 दिनांक 19-10-1985 द्वारा प्रत्येक उपखण्ड में एक समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित जन प्रतिनिधि तथा सिंचाई विभाग के अधिकारी थे । वर्ष 1985-86 व 1986-87 में गठित समिति ने कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को सन्तोषजनक पाया ।

श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, टूण्डला द्वारा किये गये अवैध भुगतान की जांच

49—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप खण्ड, टूण्डला द्वारा सकरौली राजवहा पर किये गये कार्य के कार्यादेश संख्या 388195 दिनांक 4-10-85 तथा कार्यादेश संख्या 353708 दिनांक 27-10-85 द्वारा एक ही रीच के दो बार भुगतान फर्जी रूप से किये गये हैं? क्या सिंचाई मंत्री को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित रेट 3.80 पैसा से अधिक रेट 4.20 पैसा पर वित्तीय निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके कार्यादेश संख्या 388195 दिनांक 4-10-85 व कार्यादेश संख्या 341673 दिनांक 10-1-86 में ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त रिकार्ड की जांच अधीक्षण अभियन्ता आगरा से कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता, उपखण्ड टूण्डला, सिंचाई खण्ड, हाथरस ने कार्यादेश संख्या 388195 दिनांक 4-10-85 सकरौली राजबहा पर मिट्टी के कार्य हेतु निर्गत किया किन्तु कार्यादेश संख्या—353708 दिनांक 27-10-85 उनके द्वारा निर्गत ही नहीं किया गया अतएव एक ही रीच के दो बार भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियन्ता द्वितीय उपखण्ड, टूण्डला, सिंचाई खण्ड, हाथरस ने कार्यादेश संख्या–388195 दिनांक 4-10-85 सकरौली राजबहे की कटी हुई पटरियों की मरम्मत व उन्हें सुदृढ़ करने हेतु मिट्टी के कार्य के लिए 4.20 रुपये प्रति घ0मी0 की दर से किया । इसी प्रकार उनके द्वारा हाथरस शाखा की सिल्ट सफाई में निकाली जाने वाली मिट्टी के कार्य हेतु 4.40 रुपये प्रति घ0मी0 की दर से कार्यादेश संख्या–341673 दिनांक 10-1-1986 किया गया ।

कार्यादेश संख्या–388195 दिनांक 4-10-85 के साथ लगे दर विश्लेषण से विदित है कि सकरौली राजबहे पर प्रस्तावित मिट्टी के कार्य के लिए दी गयी 4.20 रुपये प्रति घ0 मी0 की दर में, स्वीकृत दर अनुसूची के अनुसार साधारण मिट्टी हेतु न्यूनतम 3.80 रुपये प्रति घ0मी0 की दर व कुल मिट्टी की मात्रा में अनुमोदित दो तिहाई मिट्टी गीली होने के कारण 0.40 रुपये प्रति घ0मी0 का अतिरिक्त दर शामिल है ।

इसी प्रकार कार्यादेश सं0 341673 दिनांक 10-1-86 के साथ लगे दर विश्लेषण अनुसार हाथरस शाखा की सिल्ट सफाई हेतु दी गयी 4.40 रुपये प्रति घ0मी0 की दर में, स्वीकृत दर अनुसूची के अनुसार, साधारण मिट्टी हेतु न्यूनतम 3.50 रुपये प्रति घ0मी0 की दर व समस्त सिल्ट नहर की तली से उठाये जाने के कारण सिल्ट गीली होने के फलस्वरूप 0.60 रुपये प्रति घ0मी0 व कुल मिट्टी की मात्रा को 2.10 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उठाकर निस्तारण करने के लिए 0.30 रुपये प्रति घ0मी0 की अतिरिक्त दर भी शामिल है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियंता द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का कथित उल्लंघन व ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके, अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से केवल यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कार्यादेशों में दी गयी दर का जो विश्लेषण कार्यादेशों पर चिपका रखा है उसी के अनुसार उन्हें कार्यादेश में भी प्रत्येक मद की मात्रा व दरें अलग-अलग लिखनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं किया। इस असावधानी के लिए भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिए, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है।

चूंकि सिद्ध अनियमितताओं के लिए दोषी सहायक अभियन्ता को निर्देशित कर दिया गया है, अतः अधीक्षण अभियंता से द्वारा इस मामले की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

50–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सहायक अभियन्ता (श्री रमेश चन्द्र) सिंचाई उप खण्ड टूण्डला द्वारा वर्ष 1985-86 में एक ही कार्य का दो बार भुगतान माप पुस्तिका नं0 162 व 194 से करके हजारों रुपयों का गबन किया है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मामले की जांच अधीक्षण अभियंता आगरा कर रहे हैं? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियंता, द्वितीय उपखण्ड, टूण्डला द्वारा वर्ष 1985-86 में कुछ कार्यों का दो बार भुगतान किया गया था परन्तु दुबारा किये गये भुगतान की धन-राशि ठेकेदारों से वसूल कर ली गई है।

जी हां, वस्तुतः अधीक्षण अभियंता तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा द्वारा जांच कर ली गयी है।

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य आगरा की जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

1–माह 9 व 10/82 में द्वितीय उपखण्ड सिंचाई खण्ड, हाथरस के तत्कालीन सहायक अभियंता श्री बी0पी0 सक्सेना ने आठ कार्यादेशों के विरुद्ध रुपया-35747-00 का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त एक आपूर्ति आदेश के विरुद्ध दिनांक 14-2-83 को 1.102/- रुपये का भुगतान किया। इन भुगतानों को करते समय माप पुस्तिकाओं में न तो भुगतान का बाउचर संख्या ही अंकित की गई और न ही माप को "क्रास" किया गया जो वित्तीय नियम के अनुसार आवश्यक था।

2–श्री रमेश चन्द्र, सहायक अभियंता ने माह 5/85 व 10/85 में उपरोक्त पैरा-1 में वर्णित 9 कार्यादेशों/आपूर्ति आदेशों का भुगतान पुनः कर दिया, जिसकी कुल धनराशि रुपया 36958 रही। यद्यपि श्री रमेश चन्द्र ने दोबारा भुगतान इस कारण करना बताया क्योंकि माप पुस्तिकाओं में पहले श्री सक्सेना, सहायक अभियंता द्वारा किये गये भुगतान का न तो संदर्भ था, न माप "क्रास" की गई थी फिर भी श्री रमेश चन्द्र को दुबारा भुगतान के लिए इसलिए दोषी पाया गया क्योंकि श्री रमेश चन्द्र ने भुगतान से पूर्व कार्यादेश पुस्तिका नहीं देखी।

3–श्री बी0पी0 सक्सेना व श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियंताओं के अतिरिक्त श्री नत्थी लाल वर्मा, अवर अभियंता, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा व श्री अवतार सिंह, उपखण्डीय लिपिकगण एवं 5 ठेकेदारों को जिन्होंने दोबारा भुगतान लिया, दोषी पाया गया।

51–श्री अकबर हुसैन ज़ाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत

52–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड मुरादाबाद में कार्यरत श्री सुरेश चन्द्र शर्मा सहायक अभियन्ता के विरुद्ध घोर अनियमितताएं किये जाने के संबंध में जांच विचाराधीन है? क्या यह सही है कि उपरोक्त जांच अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियन्ता द्वारा दबाई जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

53–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

54–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग में कार्यरत आशुलिपिक की प्रोन्नति की मांग

55–श्री किरन पाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपूर्ति विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भांति आशुलिपिकों को भी विभाग में प्रोन्नति दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद (सम्पूर्ति शाखा) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 में स्थायी आशुलिपिकों (साधारण श्रेणी–सीधी भर्ती द्वारा) में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर आशुलेखक (चयन श्रेणी) पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने के अतिरिक्त प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है ।

बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़ एवं मथुरा में नहरों के नालियों के क्रासिंग न होने से रबी फसल की हानि

56–श्री किरन पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा जनपदों में जो रबी का सघन क्षेत्र है, लखौटी, लखावटी ब्रांच एवं उसकी राजबहा प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित नहरों से उक्त जनपदों में मौजूदा सरकारी एवं व्यक्तिगत नलकूपों की नालियों के क्रासिंग निर्मित नहीं किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त जनपदों में इन नहरों के कमाण्ड में रबी के फसल की कितनी हानि प्रति वर्ष होने का अनुमान है तथा उक्त हानि के लिए जो दोषी हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बुलन्दशहर, गाजियाबाद एवं अलीगढ़ जनपदों में लखावटी शाखा एवं उसकी राजबहा प्रणाली के अन्तर्गत निर्मित नहरों पर मौजूदा सरकारी एवं व्यक्तिगत नलकूपों की नालियों की क्रासिंग बनायी जा रही है ।

लखावटी शाखा का कोई भाग मथुरा जनपद में नहीं पड़ता है ।

मुख्य शाखा पर जहां व्यक्तिगत नलकूप एक ओर थे और कृषकों के खेत का भाग दूसरी ओर था वहां कृषकों की सहमति से दूसरी ओर नलकूप लगाने हेतु मुआवजा दिया गया है । अतः रबी की फसल के नुकसान का प्रश्न नहीं उठता ।

कीट नाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाली कतिपय फर्मों की जांच

57—श्री शारदा प्रताप—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की कीट नाशक दवाओं की आपूर्ति करने वाली कुछ फर्मों के नमूनों की जांच भारत सरकार द्वारा की गयी थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 35 फर्मों को अधिमानक आपूर्ति के लिए दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परन्तु कृषि निदेशालय उ0 प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार मात्र 3 उत्पादक फर्मों के नमूने अधोमानक पाये गये थे ।

सम्बन्धित तीनों फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया तथा उनके विरुद्ध कृषि निदेशालय द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 के अन्तर्गत वाद भी दायर किये जा चुके हैं ।

इन्डोफिल केमिकल द्वारा आपूर्ति एक्सपायरी कीटनाशक दवाएं

58—श्री शारदा प्रताप—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इंडोफिल केमिकल द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कीटनाशक दवा (मैंकोजेब) की एक्सपायरी एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष रखकर सरकार व जनता के साथ धोखा किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा क्या मेसर्स इन्डोफिल केमिकल के नमूने अधोमानक पाये जाने के बावजूद उनका रेट कान्ट्रेक्ट जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके निरस्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फर्म ने अपने भाव-पत्र में प्रश्नगत कीटनाशक दवा की सेल्फ लाइफ अवश्य दो वर्ष दर्शाई थी । कृषि निदेशालय से इस दवा की सेल्फ लाइफ एक वर्ष होने की सूचना प्राप्त होने पर फर्म को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

जी नहीं । फर्म का दर अनुबन्ध जारी करने की तिथि तक कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया था जिसमें इस फर्म के कोई नमूने अधोमानक पाये जाने की सूचना हो ।

दर अनुबन्ध सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् कृषि निदेशालय से फर्म के नमूने अधोमानक पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई । इस पर फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। प्राप्त उत्तर का परीक्षण किया जा रहा है। इस अन्तराल अवधि में अगले दर अनुबन्ध में फर्म को अभी सम्मिलित नहीं किया गया ।

मुजफ्फरनगर में गुड़ की स्मगलिंग

59—श्री राम नरेश यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7, 8 जनवरी, 86 में गुड़ के बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण मुजफ्फरनगर केन्द्र से 100 ट्रक गुड़ की स्मगलिंग होने की सूचना तार द्वारा मुजफ्फरनगर केन्द्र से कतिपय व्यापारियों ने शासन को दी थी ? यदि हां, तो इससे संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

प्रश्न में सन्दर्भित तार उपलब्ध नहीं हो रहा है। यदि माननीय सदस्य प्रश्नगत मामले में विस्तृत विवरण उपलब्ध करा दें, तो शासन द्वारा उस पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

सहारनपुर गंगोह मंडी में कतिपय राइस मिलों द्वारा रिकार्ड की हेरा फेरी

60—श्री राम नरेश यादव—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जनपद की गंगोह मण्डी में मेसर्स लार्ड कृष्णा राइस मिल, मेसर्स जय भारत राइस मिल तथा मेसर्स गोयल राइस मिल द्वारा वर्ष 1984-85 में अवैध रूप से अपने रिकार्ड की हेरा-फेरी करके लाखों रुपये की सरकारी चावल की लेवी का अपवंचन किया व सरकारी करों की चोरी की ? क्या संभागीय खाद्य नियंत्रक (यू0 एन0 मिश्रा) ने उपरोक्त राइस मिलों के विरुद्ध जांच में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने की पुष्टि करते हुए उनके तथा सम्बन्धित स्टाफ के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ द्वारा कराई गई प्रारम्भिक जांच से यह बात प्रकाश में आयी कि जनपद सहारनपुर की गंगोह मण्डी में कतिपय चावल मिलों द्वारा चावल का अवैध व्यापार विभागीय कर्मचारियों की सहमति से किया गया है। जांच अधिकारी ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच गुप्तचर विभाग की अपराध अनुसंधान शाखा से कराये जाने की संस्तुति की। मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रसंग को गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा को विस्तृत जांच के लिए सन्दर्भित कर दिया गया है।

गोरखपुर जनपद के सोपाई बांध पर ग्राम मिसिया के पास पम्प हाउस निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र

61—श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला अन्तर्गत छितौना मिसिपा सोपाई बांध पर ग्राम मिसिपा के पास पम्प हाउस बनवाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-9-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी विषय से सम्बन्धित श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-3-86 के द्वारा प्राप्त हुआ था जिसमें गोरखपुर जिला अन्तर्गत बेलघाट विकास खण्ड में मिसिया नाले पर पम्प हाउस बनाने की मांग की गयी थी।

ग्रामीण क्षेत्र में पम्पिंग द्वारा जल निकासी विभागीय नीति के अनुकूल नहीं है। अतः प्रारम्भिक जांच के उपरान्त किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा गांधी जयन्ती पर प्राप्त कुल रिबेट क्लेम की स्थिति

62—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा वर्ष 1986-87 में गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की छूट स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो इन वर्षों में अलग-अलग खादी संस्थाओं से कुल कितनी छूट के क्लेम प्राप्त हुये तथा प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित वर्षों में खादी संस्थाओं से प्राप्त कुल रिबेट क्लेम की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त रिबेट क्लेम (रु0 में)
84-85	1,98,04,141·20
85-86	2,78,88,000·00

वर्ष 86-87 में अब तक रु0 1,60,15,733·95 के रिबेट क्लेम प्राप्त हुए हैं तथा अभी और प्राप्त होने की संभावना है ।

खादी संस्थाओं जिनसे उक्त रिबेट क्लेम प्राप्त हुए हैं की सूची काफी विस्तृत है । मा0 सदस्य उसे कृपया मेरे कक्ष में आकर देख लें ।

वर्ष 84-85 में प्राप्त समस्त रिबेट क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है । वर्ष 85-86 में प्राप्त रिबेट क्लेमों के विपक्ष में रु0 26,95,858·80 पैसे का भुगतान किया जा चुका है एवं रु0 1·65 करोड़ के भुगतान के बिल पारित किए जा चुके हैं । शेष रु0 86,92,141·20 पैसे का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में कर देने का प्रयास किया जावेगा । वर्ष 86-87 के रिबेट क्लेम पूर्ण रूप से प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किए जा सकेंगे ।

गढ़वाल मण्डल में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना

63—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में जो विद्युत परियोजनायें निर्माणाधीन हैं उनको लकड़ी की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति कहां से की जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वन निगम के लकड़ी के डिपो विभिन्न स्थानों पर हैं । बहुद्देशीय तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये इन डिपो से लकड़ी की आपूर्ति की जाती है ।

पर्वतीय जनपदों में वर्षा से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत हेतु आवंटित धन

64—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में वर्षा से हुई नहरों की क्षति मरम्मत करने हेतु (स्पेशल रिपेयर मानसून डैमेज) कोई धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या उक्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि शासन को प्राप्त हो गयी है या नहीं ? यदि प्राप्त हो गयी है तो विभिन्न पर्वतीय जनपदों को उक्त धनराशि वर्ष 86-87 के लिए आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है जो प्राप्त हो गई है । वर्ष 86-87 के लिये पर्वतीय जनपदों को आवंटित की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है:—

(लाख रु0 में)

जनपद		बाढ़ कार्यों हेतु	सिंचाई कार्यों हेतु	पम्प नहरों हेतु	योग
					13:00
1—टिहरी	..	3.00	10.00	..	7.00
2—चमोली	..	2.00	5.00	..	15.00
3—उत्तरकाशी	..	5.00	10.00	..	8.00
4—पौड़ी	..	2.00	6.00	..	24.00
5—देहरादून	..	6.00	18.00	..	44.00
6—नैनीताल	..	12.00	32.00	..	
7—पिथौरागढ़	..	..	4.00	0.20	4.20
8—अल्मोड़ा	..	.	4.00	1.25	5.25
योग	..	30.00	89.00	1.45	12045

स्व0 श्री शराफत हुसैन की पत्नी श्रीमती असगरी, हरदोई को पारिवारिक पेंशन

65—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री शराफत हुसैन, पतरौला, हरदोई की मृत्यु 23 सितम्बर, 1967 को सेवा अवधि के दौरान हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पत्नी श्रीमती असगरी बेगम निवासिनी गौरी खालसा डा0 सुभान खेड़ा, जिला हरदोई को पारिवारिक पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक आश्रित के नाते किसी को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री शराफत हुसैन की मृत्यु दिनांक 23-9-67 को इनवेलिड रिटायरमेन्ट के पश्चात् किन्तु अधिवर्षता आयु से पहले हुई थी । श्रीमती असगरी बेगम पत्नी स्व0 श्री शराफत हुसैन पतरौला निवासिनी गौरी खालसा, सुभानखेड़ा जिला हरदोई को पारिवारिक पेंशन स्वीकार की जा चुकी है ।

चूंकि श्री शराफत हुसैन पतरौल की मृत्यु सेवा निवृत्ति के पश्चात हुई थी, अतः मृतक के आश्रित को सेवा में लिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में राजेपुर विकास खण्ड के ग्राम गांधी में निर्माणाधीन नलकूप के पाइप की चोरी तथा सुरक्षा की मांग

66—श्री महरम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में राजेपुर विकास खण्ड के ग्राम गांधी में निर्माणाधीन राजकीय नलकूप के पचासों हजार रुपया के पाइप 1986 में चोरी कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

67—श्री महरम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गांधी में निर्माणाधीन राजकीय नलकूप के सामान की तथा पाइपों की सुरक्षा के लिये विभाग ने पहले से क्या-क्या प्रबन्ध किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भीटी बाजार, फैजाबाद में धान तथा गेंहूं के स्थायी क्रय केन्द्र खोलने की मांग

68—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी —

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद भीटी ब्लाक के भीटी बाजार में धान का सरकारी क्रय केन्द्र न होने के कारण ब्लाक के मध्य और दक्षिणी अंचल के किसानों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार भीटी बाजार में धान तथा गेंहूं के स्थायी क्रय केन्द्र खोलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह —

जी नहीं, क्योंकि भीटी ब्लाक तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में इस वर्ष धान तथा गेंहूं के क्रय हेतु निम्नांकित क्रय केन्द्र खोले गये :—

(1) भीटी ब्लाक के पास गोसाईगंज में राज्य सरकार द्वारा संचालित स्थाई केन्द्र ।

(2) राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, नगरहा चौराहा ।

(3) साधन सहकारी संघ, रनियां ।

(4) साधन सहकारी संघ, भीटी ।

(5) साधन सहकारी संघ, खजूरी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत उप आबकारी निरीक्षकों को आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग

69—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-3-87 को एक पत्र लिखकर शासन से यह अनुरोध किया है कि चीनी मिलों में कार्यरत उप आबकारी निरीक्षकों को केन्द्रीय पैटर्न पर आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कर दोनों संवर्गों को एक कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त दोनों संवर्गों के विलय का औचित्य न पाये जाने के कारण शासन ने यह निर्णय लिया है कि आबकारी निरीक्षक एवं उप आबकारी निरीक्षक के संवर्गों को एक न किया जाय ।

70—श्री मैनेजर सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कानपुर में विवाह हेतु विशेष परमिट की सुविधा पर हुयी अनियमितताओं की जांच

71—श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में शादी विवाह हेतु वर्तमान ए0 डी0 एम0 (सी0 एस0) द्वारा विशेष परमिट की सुविधा जो प्रत्येक एरिया में अभी कुछ माह पूर्व की गयी थी अब जनहित की उपेक्षा करके प्रत्येक एरिया से समाप्त कर एक ही दुकान श्री रोशन लाल कनौडिया को की गयी है ? क्या यह सच है कि जूही में श्रीमती कान्ती देवी का निरस्त दुकान ए0 डी0 एम0 (सी0 एस0) की जानकारी में चलायी जाती रही और सूरजपाल नामक राशन की दुकान उसके एक वर्ष तक जेल रहने पर भी चलती रही ? यदि हां, तो कैसे और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री हुकुम सिंह—

कानपुर नगर के कतिपय क्षेत्रों (एरिया) में विशेष परमिट की चीनी बिना अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) की अनुमति प्राप्त किये अनधिकृत एवं अनियमित रूप से उठवा-कर वितरित कराने की शिकायतों को देखते हुए दिनांक 19-5-87 के आदेश द्वारा अगले आदेशों तक यह व्यवस्था की गई है कि विशेष परमिटों पर चीनी की आपूर्ति केवल श्री रोशन लाल कनौडिया की दुकान से ही होगी । क्षेत्र में जो विशेष परमिट की दुकानें थी उनको इस हेतु चीनी की आपूर्ति फिलहाल शिकायतों की जांच होने तक रोक दी गई है ।

जी नहीं । जूही क्षेत्र में श्रीमती कान्ती देवी के नाम से कोई दुकान नहीं है । श्रीमती कान्ती देवी की दुकान दिनांक 19-7-85 को निरस्त की गई परन्तु दुकानदार को निरस्तीकरण आदेश दिनांक 24-7-85 को तामील किया गया जिसके उपरान्त दुकान समाप्त हो गयी । निरस्तीकरण आदेश की तामीली में हुए बिलम्ब के लिए संबंधित कर्म-चारियों को कड़ी चेतावनी दी गई । श्री सूरज पाल राशन के दुकानदार दिनांक 17-7-84 को पकड़े गए । जेल में रहने की अवधि में संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा उनकी दुकान के लिए आपूर्ति बन्द कर दी गई थी और श्री सूरज पाल के जेल से छूट कर आने पर संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने दुकान के संचालन हेतु आपूर्ति पुनः चालू कर दी। नियमानुसार दुकान के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी । आपूर्ति चालू करने वाले क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं अतः कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

अपर जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा संस्तुत कतिपय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बदले उनकी पुनः तैनाती

72—श्री मैनेजर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में अपर जिलाधिकारी (आ0) द्वारा प्रशासनिक आधार पर हटाये गये कर्मचारियों सर्वश्री मैडई सिंह, रामप्रकाश सिंह, राजेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, मानू लाल, बी0 डी0 यादव, एस0 डी0 राय को पुनः उन्हीं काउन्टरों पर यथावत् वापस तैनात कर दिया गया है? क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को आज तक हमेशा कुछ निश्चित व उनके मनचाहे कार्य ही दिये गये हैं और क्या यह भी सच

है कि उपरोक्त लोगों को पूर्व अपर जिलाधिकारी (आ0) श्री जे0 एन0 मिश्र ने प्रशासनिक आधार पर घोर अनियमितताओं के आधार पर जनपद के बाहर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति की थी फिर क्यों इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) कानपुर नगर द्वारा सर्वश्री मेडई सिंह, राम प्रकाश सिंह तथा राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव का स्थानान्तरण करने हेतु मंडलायुक्त को केवल संस्तुति की गई थी । जिलाधिकारी द्वारा उक्त संस्तुति से असहमति व्यक्त करने के कारण मंडलायुक्त द्वारा उक्त तीनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया । इन कर्मचारियों की पुनः उन्हीं काउन्टरों पर तैनाती किसी द्वेष भावना अथवा स्वार्थ के कारण नहीं वरन् कर्मचारियों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता एवं कार्यहित को देखते हुए की गई है ।

कानपुर नगर के श्री मोहन लाल गुप्त व रंजन लाल गुप्त के निरस्त कोटा की पुनः बहाली

73–श्री मैनेजर सिंह –

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में मोहन लाल गुप्त व रंजन लाल गुप्त की राशन की दुकानें एक ही व्यक्ति चला रहा है और क्या यह सच है कि तत्कालीन ए0 डी0 एम0 (सी0 एस0) श्री जे0 एन0 मिश्र की आख्या व तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह के आदेश से उक्त दोनों दुकानों का 300 टीन पाम आयल व 300 टीन रेप0 आयल का कोटा निरस्त किया गया था ? यदि हां, तो फिर किस अधिकारी के आदेश से पुनः कोटा दिया गया और क्यों ? क्या अन्य दुकानदारों को भी यह कोटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

दोनों दुकानें अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती थीं । ये दुकानें निरस्त की जा चुकी हैं । यह सच है कि तत्कालीन मा0 खाद्य मंत्री जी श्री स्वामी प्रसाद सिंह के आदेश दिनांक 21-9-84 के पश्चात तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) श्री जे0 एन0 मिश्र ने श्री मोहन लाल व श्री रज्जन लाल अग्रवाल को दिए जाने वाले 270 टिन पाम आयल तथा 120 टिन रेपसीड आयल का कोटा अपने आदेश दिनांक 26-9-84 द्वारा निरस्त कर दिया था । पाम आयल/रेपसीड आयल की उपलब्धि को देखते हुए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन खाद्य मंत्री जी के आदेश पर उक्त दोनों दुकानदारों को उनकी मांग पर विशेष कोटा दिए जाने के आदेश 26-10-85 को पारित किए थे । जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 26-10-85 के उपरान्त उक्त दोनों दुकानदारों के अतिरिक्त किसी अन्य दुकानदार ने रेपसीड आयल/पाम आयल के विशेष कोटे की मांग नहीं की थी और इस कारण विशेष कोटा अन्य दुकानदारों को नहीं दिया गया ।

74–श्री मैनेजर सिंह –

[दिनांक 18-6-87 को अता0 प्र0 सं0 167 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के महर्षि भृगु मन्दिर को पर्यटक केन्द्र के रूप में स्थापित करने की मांग

75—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या पर्यटन मंत्री सभी प्रसिद्ध स्थानों में पर्यटक केन्द्र के रूप में परिणित किये जाने की योजना के अन्तर्गत बलिया के महर्षि भृगु मन्दिर को पर्यटक केन्द्र के रूप में स्थापित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार —

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रश्नगत परियोजना विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित नहीं है ।

अवर अभियंता, गण्डक नहर निर्माण मण्डल-3 गोरखपुर की चरित्र पंजिका

76—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक नहर निर्माण मण्डल-3 गोरखपुर के अवर अभियन्ताओं (सिविल) की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि सन् 1985-86 व 86-87 तक की होकर चरित्र पंजिका प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो अब तक चरित्र पंजिका प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को न भेजने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985-86 में मण्डल के 91 अवर अभियन्ताओं में से 67 अवर अभियन्ताओं की तथा वर्ष 1986-87 में 98 अवर अभियन्ताओं में से 69 अवर अभियन्ताओं की चरित्र पंजी वार्षिक प्रविष्टि के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हो चुकी है । शेष अवर अभियन्ताओं की चरित्र पंजिकायें अपूर्ण होने के कारण नहीं प्राप्त हुई हैं ।

जनपद बलिया के सुरहा ताल को पर्यटक केन्द्र बनाने की मांग

77—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या पर्यटन मंत्री बलिया जनपद के सुरहा ताल की प्राकृतिक छटा को देखते हुए इसे पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार—

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सुरहाताल बलिया की योजना जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है ।

आवश्यक आगणन तैयार कराये जा रहे हैं ।

जनपद बलिया में कटहर नाले पर बने रेगुलेटर को उठा लेने की मांग

78—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री जनपद बलिया में बलिया नगर के पास कटहर नाला में बने बहादुरपुर और बलिया में बने रेगुलेटर को किसानों के हित में उठा लेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । बलिया नगर के पास विजयीपुर (बहादुरपुर नहीं) बलिया में कटहर नाले पर बने हुए रेगुलेटर से सुरहा ताल के बाढ़ का पानी गंगा नदी में निकाला जाता है तथा गंगा नदी का बाढ़ का पानी सुरहा ताल में जाने से रोका जाता है । इस रेगुलेटर के न होने से सुरहा ताल के आस-पास के क्षेत्र को बाढ़ से अधिक नुकसान होगा ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम बूढ़ाडीह और बेलवारायपुर के बीच बने पुल के पुनर्निर्माण की मांग

79–श्री सैयद जावेद अली–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम बेलवारायपुर और बूढ़ाडीह के बीच बरगदही ड्रेन पर 5 वर्ष पूर्व एक पुलिया का निर्माण हुआ था, जो इस समय टूटी हुई हालत में है और आवागमन नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुनः निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम बेलवारायपुर और बूढ़ाडीह के बीच सिरसिया ड्रेन (न कि बरगदही ड्रेन) के कि0मी0 12.2 पर पुल का निर्माण वर्ष 1979-81 में हुआ था जुलाई 1986 में यह जानकारी में आया कि उस पुल के स्लैब की गिट्टी निकल जाने के कारण कहीं-कहीं सरिया दिखाई देने लगी है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित है । जांच उपरान्त पुल का स्लैब डलवा दिया गया है तथा पुल पर जनवरी, 87 से आवागमन चालू है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में किसानों में भूमि के मुआवजे की मांग

80–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में बरगदही ड्रेन जो कि आठ वर्ष पहले बनाई गई थी निर्माण कार्य पूरा होने पर भी अभी तक ग्राम बरगदही ग्राम खिरया इटहीया बरौली, बेलवा रायपुर, जा0 औराही हाथीनगर, रामपुर खुर्द, बिसमिलहवा के किसानों का उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों के किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गोरखपुर में बरगदही ड्रेन में ग्राम बरगदही, खिरया, इटहीया, बरौली बेलवा रायपुर, जाठ औराही हाथी नगर, रायपुर खुर्द, बिसमिलहवा के किसानों की भूमि से संबंधित प्रस्ताव में विज्ञप्ति धारा 4 (1) जारी कर दिनांक 23 जनवरी, 1987 को राजकीय प्रेस, इलाहाबाद को प्रकाशन हेतु भेजी जा चुकी है । इसके प्रकाशन के बाद एवं धारा 6 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी होने तथा उसके प्रकाशन के पश्चात् मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के ग्राम पतरा के किसानों की जमुनियां माइनर में ली गई भूमि के मुआवजे की मांग

81—श्री सैय्द जावेद अली राब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम पतरा के किसानों को सात वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी, जमुनिया माइनर हेतु ली गई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पतरा के किसानों को शीघ्र भुगतान दिलाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रतिकर वितरण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत रजई सराय माइनर का निर्माण तथा फसलों की सिंचाई

82—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत, रजई सराय माइनर जो भीखनपुर से दाऊदपट्टी, कल्यानपही, एवं बेलसौना से निकलकर दिलावलपुर के लिए जो दोनों माइनर किसानों की सुविधा के लिए जो कागज पर दिखाई गई है, उनका निर्माण कब हुआ तथा किसानों की फसल की सिंचाई के लिए कब-कब पानी दिया गया, सिंचाई से कितना राजस्व शुल्क शासन को प्राप्त हुआ क्या मौके पर इस समय पानी चल रहा है ? क्या यह सत्य है कि उस माइनर में पानी न आने से संबंधित किसान फसल की सिंचाई न कर पाने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या यथाशीघ्र जनपद सुल्तानपुर में ब्लाक भदैया के दक्षिणी छोर के किसानों की देखभाल के लिए प्रतापगढ़ से कार्यालय स्थानान्तरित कर सुल्तानपुर में स्थायी तौर से एक अधिकारी को बैठायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरर्ड व अशोकपुरी माइनर, कानपुर का निर्माण

83—श्री आसान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ मण्डल कानपुर में बरर्ड माइनर व अशोकपुरी माइनर का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था, कितना कार्य शेष रह गया है ? शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरर्ड माइनर व अशोकपुरी माइनर का निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किया गया था । बरर्ड माइनर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । अशोकपुरी माइनर का निर्माण कार्य कृषकों द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेने के कारण हेड से मील 0-6-330 तक अवशेष है । उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश निरस्त होने तथा भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

अपूर्ण इन्दारा रजबहा बलिया के कारण हुई फसलों को हानि

84–श्री मयंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास क्षेत्र रतनपुरा के साहूपुरा से मिसरौली तक अपूर्ण इन्दारा रजबहा के कारण किसान 1985 की रबी की फसल खो बैठे हैं, फिर भी विभाग द्वारा कृषकों से नाजायज वसूली की जा रही है ? क्या शासन इसे वसूली से मुक्त करने तथा रजबहा को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का आदेश देगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बलिया जनपद के रतनपुर विकास क्षेत्र में साहूपुर से मिश्रौली तक, शारदा सहायक के अन्तर्गत, इन्दारा राजवाहा निर्माणाधीन है । वर्ष 1985 में निर्माणाधीन भाग में पानी ले जाकर ग्राम मिश्रौली, कादीपुर, कस्बा बिनोद, चक भिखारी व साहूपुर क्षेत्र में सिंचाई की गई । इसमें फसल को कोई क्षति नहीं हुई । ऐसी दशा में कृषकों से नाजायज वसूली करने अथवा उससे मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता । राजवाहे के निर्माण का कार्य शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जा रहा है ।

बस्ती के डुमरियागंज-बांसी बांध पर ठेकेदार द्वारा कराया गया अपूर्ण कार्य का भुगतान

85–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में डुमरियागंज-बांसी बांध पर एग्रीमेन्ट नं0 88/आई 82-83 के अन्तर्गत श्री लल्लू प्रसाद ने मिट्टी का कार्य किया था ? यदि हां, तो क्या उनके द्वारा किए गए कार्य का पूरा भुगतान तथा जमानत की धनराशि की वापसी हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अनुबन्ध संख्या-88/एई–1/82-83 के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा किए गए वास्तविक कार्य का भुगतान कर दिया गया है । चूंकि ठेकेदार द्वारा अनुबंधित मात्रा के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया गया अतः अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसके देय बिल से जमानत की धनराशि काट ली गई ?

86–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

87–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण नीति

88–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र के तीसरे बुधवार में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के तारतम्य में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 1-1-85 तक प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं0 वि0 के अभिष्ठान-4 अनु0

में कितने ऐसे मण्डलीय/खण्डीय कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध थे जो स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक थे ? उक्त प्रकरण में जिस संबंधित शासनादेश का उल्लंघन हुआ है क्या उसमें इस आशय का उल्लेख है कि निजी खर्चे/प्रार्थना एवं सद्भाव के आधार पर यदि उक्त शासनादेश का उल्लंघन होता है तो यह दण्डनीय नहीं होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

स्थानान्तरण संबंधी नीति शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है । जो स्थानान्तरण निजी अनुरोध पर किया गया था वह विशेष परिस्थितियों में स्वयं के खर्चे पर सद्भाव में किया गया था ।

ऐसे स्थानान्तरण भी शासकीय अनुमति के बिना न किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

89–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा) —

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बलिया जनपद में खराब नलकूप

90–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1985 से नवम्बर, 1986 तक बलिया में कुल कितने ट्यूबवेल रहे तथा उनमें कुल कितने विद्युत आपूर्ति की गड़बड़ी, ट्रान्सफारमरों की खराबी, मोटर की गड़बड़ी के कारण बन्द रहे ? वर्ष 1986 के सूखे को देखते हुए कृषि के हित में कितने को कार्यरत कराया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बलिया में नवम्बर, 1985 में 561 तथा नवम्बर, 1986 में 579, चलित राजकीय नलकूप थे उनमें विद्युत आपूर्ति की गड़बड़ी से 1, ट्रान्सफार्मर की खराबी से 4, मोटर की खराबी से शून्य नलकूप बन्द रहे ।

5 नलकूपों को छोड़कर शेष को कार्यरत रखा गया ।

91–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

92–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

आबकारी निरीक्षकों की प्रिवेन्टिव पद में हरिजनों का कोटा

93–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी निरीक्षकों की प्रिवेन्टिव में तैनाती में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा प्रदेश में कुल कितने प्रिवेन्टिव पद हैं और क्या उन पर तैनाती में हरिजनों का कोटा पूरा है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में प्रिवेन्टिव पदों पर आबकारी निरीक्षकों की तैनाती में सामान्यतया निम्न प्रक्रिया अपनायी जा रही है:–

(1) जो आबकारी निरीक्षक नान-प्रिवेन्टिव पदों पर लगातार 3 वर्षों से कार्यरत हैं तथा जिनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा है, उन्हें प्रिवेन्टिव पदों पर यथासम्भव स्थानान्तरित करने की नीति है।

(2) जो आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन में 2 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं तथा जिनका कार्य एवं आचरण अच्छा रहा, उन्हें भी यथासम्भव प्रिवेन्टिव या अन्य पदों पर समायोजित करने की नीति है।

प्रदेश में आबकारी निरीक्षकों के कुल 188 प्रिवेन्टिव पद हैं।

प्रिवेन्टिव पदों पर तैनाती में हरिजनों का कोटा निर्धारित किये जाने का कोई नियम अथवा शासनादेश नहीं है। अतः कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम0 एच0 खान, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर सर्किल मेरठ की चरित्र पंजिका

94–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री एम0 एच0 खान, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर सर्किल मेरठ की चरित्र पंजिका में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र ने राजनैतिक दबाव डलवाने के आरोप में प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश किये थे ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी को पदोन्नति कैसे दे दी गई ? क्या उन्हें पदावनत किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री एम0 एच0 खान, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर सर्किल, मेरठ को राजनैतिक दबाव डलवाने के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। इस हेतु आदेश तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र द्वारा नहीं दिये गये थे।

सम्पूर्ण सेवा के अभिलेखों के आधार पर चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर श्री एम0 एच0 खान को पदोन्नत किया गया। अतः इन्हें पदावनत करने का प्रश्न नहीं उठता है।

95–श्री जयदीप सिंह बरार–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

स्व0 श्री रूपानन्द बौड़ाई हाट निरीसक की पारिवारिक पेंशन

96–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री रूपानन्द बौड़ाई हाट निरीक्षक, जो 14-3-74 को सेवा निवृत्त हो चुके थे, की पेंशन के संबंध में महालेखाकार द्वितीय (लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद ने पत्र संख्या पी0आर0 4(230939)/आर-970–84-85 द्वारा जानकारी मांगी है ? उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है, कब तक स्व0 श्री रूपानन्द बौड़ाई की धर्म पत्नी को पेंशन का भुगतान करना आरम्भ कर दिया जायेगा तथा लगभग 13 वर्ष तक इस प्रकरण को स्वीकार करने में देरी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । महालेखाकार के प्रश्नाधीन पत्र में मांगी गयी समस्त सूचनायें, अदेयता प्रमाण पत्र छोड़कर, भेज दिये गये थे ।

स्व0 रूपानन्द बौड़ाई की पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के आदेश महालेखाकार द्वारा दिनांक 19-7-85 को निर्गत दिये जा चुके हैं ।

चूंकि स्व0 बौड़ाई के सेवा काल में रु0 22543.98 पैसे का भण्डारण एवं मार्ग-गत हानि का मामला विचाराधीन है इसलिये इस प्रकरण में विलम्ब के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है ।

गाजीपुर में राजकीय नलकूपों पर आपरेटर की नियुक्ति की मांग

97–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कुल कितने राजकीय ट्यूबवेल हैं ? क्या इन सभी ट्यूबवेलों का एक-एक आपरेटर नियुक्त है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि एक ही आपरेटर को कई-कई ट्यूबवेलों का कार्य देखना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने आपरेटर हैं जो एक से अधिक ट्यूबवेल का कार्यभार देख रहे हैं ? क्या नये आपरेटरों की नियुक्ति करके प्रत्येक ट्यूबवेल पर एक-एक आपरेटर से कार्य लिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजीपुर में 601 राजकीय ट्यूबवेल हैं ।

जी नहीं ।

केवल 50 नलकूपों पर आपरेटर न होने के कारण उन्हें निकटवर्ती नलकूपों के नलकूप चालकों द्वारा चलाया जा रहा है ।

50 आपरेटर ।

जी हां ।

98–श्री कुशल पाल सिंह–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

99–श्री काशी सिंह ऐरी–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

100–श्री शारदानन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

101–श्री अशोक वाजपेई–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

102–श्री राज किशोर सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

103–श्री मंयकर सिंह–

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री अब्दुल सलीम सिद्दीकी जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच रिपोर्ट

104—श्री कल्यान सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि माह नवम्बर, 1986 में उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर से कोई जांच टीम श्री अब्दुल सलीम सिद्दीकी जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र, अलीगढ़ के विरुद्ध अनियमितताओं के गंभीर आरोपों की जांच करने के लिये अलीगढ़ पहुंची थी ? यदि हां, तो जांच टीम में कौन-कौन अधिकारी थे ? श्री अब्दुल सलीम सिद्दीकी उक्त जनरल मैनेजर जिला उद्योग केन्द्र अलीगढ़ के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं तथा जांच का परिणाम क्या रहा और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री यशपाल, संयुक्त निदेशक उद्योग (कच्चा माल), उद्योग निदेशालय, कानपुर जांच हेतु गये थे ।

श्री सिद्दीकी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूची संलग्न है । संयुक्त निदेशक उद्योग की जांच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 185 पर)

फतेहपुर के तत्कालीन जनरल मैनेजर श्री अब्दुल सलीम सिद्दीकी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

105—श्री कल्यान सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र फतेहपुर में जनरल मैनेजर के पद पर श्री अब्दुल सलीम सिद्दीकी की तैनाती की अवधि में लगाये गये गंभीर आरोपों की जांच किस अधिकारी ने कब की ? आरोप क्या थे ? जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? अभी तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? कार्यवाही में विलम्ब के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? जांच आख्या के आधार पर सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न के उत्तर के लिये आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

गोरखपुर के जगदीश पुर माइनर की पटरी पर अंधा कूप को पटवाने की मांग

106—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में जगदीशपुर माइनर की पटरी (मार्ग) पर ग्राम पिपरा बसन्त एवं ग्राम गोपाल पुर के बीच में एक अंधा कूप है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जगत को ऊंचा करायेगी या उसको मिट्टी से पटवा कर बराबर करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत अन्धा कूप को पटवा दिया गया है।

गोरखपुर में सिंचाई विभाग में कार्य कराने हेतु एक समिति का गठन

107—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में सिंचाई विभाग की समिति गठित की गयी है जो नहर संबंधी निर्माण कार्यों को कराती है ? क्या वर्ष 1985-86 में सिंचाई समिति की बैठक में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में नहर संबंधी कुछ निर्माण कार्य कराने का सुझाव दिया गया था? यदि हां, तो निर्माण कार्य कौन-कौन थे और उनमें से कितने कार्य 31-3-86 तक पूरे कराये गये? क्या शेष कार्यों को वर्ष 86-87 में पूरा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु जनपद गोरखपुर में सिंचाई सलाहकार समिति गठित है। वर्ष 1985-86 में सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में माननीय विधायक द्वारा कई सुझाव दिये गये थे जिनका विवरण संलग्न है।

इन सुझावों में से 9 सुझाव नहर की पट्टरियों पर खड़ंजा लगाने, 22 सुझाव निर्मित नहरों पर पक्के निर्माण कार्यों के लिये, जिनमें से 18 पुल से संबंधित है, 4 सुझाव निर्मित ड्रेनों पर पुल का निर्माण कराने एवं 2 सुझाव नई ड्रेनों के निर्माण से संबंधित है। इनमें से कोई भी कार्य 31-3-86 तक या वर्ष 1986-87 में नहीं हो पाया है क्योंकि नहर की पटरियों पर खड़ंजा लगाने का कार्य विभाग की नीति में नहीं है। नहरों एवं ड्रेनों पर पक्के कार्यों के निर्माण हेतु विभाग के कुछ मानक हैं जिनके अनुसार परियोजना प्राक्कलन में प्रस्ताव रखे गये हैं व निर्माण हुआ है। वर्ष 1986-87 में परियोजनावार धनाभाव के कारण केवल निर्माणाधीन कार्य ही पूरा कराने का प्रयास किया गया। माननीय विधायक के सुझावों अनुसार कार्यों का परीक्षण कराके अतिरिक्त वांछित लागत निकाली जा रही है ताकि धन की व्यवस्था की जा सके व कार्य कराये जा सकें।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 186-187 पर)

गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के फुलवरिया ड्रेन की दोनों पुलियों के बीच खुदायी का कार्य

108—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के ग्राम फुलवरिया में फुलवरिया ड्रेन की दोनों पुलियों का निर्माण कार्य कई वर्षों पहले पूर्ण हो चुका है परन्तु दोनों पुलियों के बीच ड्रेन की खुदाई नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि का मुआवजा दे कर दोनों पुलियों के बीच खुदाई का कार्य आरम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नगत ग्राम में दोनों पुलियों के बीच ड्रेन की खुदाई का कार्य भूमि का अधिकार न मिलने के कारण अवरूद्ध था, परन्तु अब इस भाग की भूमि मिल गई है तथा दोनों पुलियों के बीच ड्रेन की खुदाई करा दी गई है।

फुलवरिया ड्रेन-जनपद गोरखपुर में अधिगृहित भूमि का मुआवजा

109—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की फुलवरिया ड्रेन की खुदायी का कार्य चार वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो क्या किसानों को उनके भूमि का मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमि का मुआवजा किसानों को शीघ्र दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

फुलवरिया ड्रेन की खुदाई का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। फुलवरिया ड्रेन के निर्माण में ली गयी 15 ग्रामों के किसानों की भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु 16.00 लाख रुपये की धनराशि विशेष भूमि प्रध्याप्ति अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा निम्नलिखित 8 ग्रामों के किसानों का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है:—

(1) ग्राम हाफिज नगर (2) लंगड़ी गुलरिया (3) अशरफपुर (4) फुलवरिया (5) बखैरती (6) माफी जंगल (7) पकड़ी (8) सोनाराइच। शेष 7 ग्रामों के प्रतिकर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है।

सिंचाई विभाग के अभियंता श्री एस0 एन0 सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

110—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 481 मुख्य मंत्री जी को 3-12-85 को इलाहाबाद में सिंचाई विभाग के अभियंता श्री एस0 एन0 सिंह के द्वारा इलाहाबाद में मकान बनाने के बारे में मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र में जिन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी वह जानकारी अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधुना, जनपद इटावा में सिंचाई कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

111—श्री औसान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 जो विधूना क्षेत्र जनपद इटावा में सिंचाई से सम्बन्धित कार्यों एवं धनराशि की स्वीकृति देने के बारे में था, माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। पत्र मुख्य अभियंता (रामगंगा) को सम्बोधित है तथा मुख्य मंत्री को पृष्ठांकित है। मुख्य अभियंता (रामगंगा) एवं माननीय विधायक की दिनांक 1 अप्रैल, 1986 की वार्ता के पश्चात् अधिकांश कार्य 30 जून, 1986 तक पूर्ण हो गये थे। उसके बाद 9 अप्रैल, 1987 को माननीय विधायक के साथ हुई बैठक में प्रगति पर विचार विमर्श हुआ। दिनांक 1 जून, 1987 को माननीय विधायक ने निचली गंगा नहर के सम्बन्धित अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के साथ खण्ड के अन्तर्गत विधुना क्षेत्र में हो

रहे कार्यों को देखा था तथा प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। अधूरे कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 1987-88 में इस क्षेत्र के शेष कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराया गया है।

अलीगढ़ जनपद के अन्तर्गत बन्द नलकूपों के लिए दोषी अधिकारी

112—श्री कल्यान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 की अवधि में अलग-अलग नलकूप निर्माण खण्ड अलीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले राजकीय नलकूप जो डिमाण्ड सिविल डिफैक्ट, मैकेनिकल डिफैक्ट तथा विद्युत आपूर्ति के अभाव के कारण कितने-कितने घण्टे बन्द रहे? इस बन्दी को कम करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं? इस बन्दी के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में नलकूप निर्माण खण्ड, अलीगढ़ के अन्तर्गत आने वाले राजकीय नलकूप निम्न प्रकार बन्द रहे:—

(आंकड़े घन्टों में)

क्रम-स0	वर्ष	नो-डिमांड	सिविल दोष	या0दोष	विद्युत आपूर्ति का अभाव तथा विद्युत दोष	
					वि0अपूर्ति का अभाव	विद्युत दोष
1	2	3	4	5	6	7
1	84—75	228519	8996	72131	1766069	31753
2	85—86	223033	9461	63066	1564845	28332
3	86—87	180772	22716	96781	1420398	28309

उक्त बन्दियों को कम करने के लिए अधिकारी स्तर पर विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में नियमित रूप से साप्ताहिक पाक्षिक बैठकें की गयीं। यांत्रिक तथा सिविल दोष से बन्द नलकूपों के बन्दी के घन्टों में कमी लाने हेतु उनकी समीक्षा की गयी तथा नलकूपों को अधिक से अधिक चलाने का प्रयास किया गया।

यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को समय से चलाने में शिथिलता बरतने के लिए दो अवर अभियंता दोषी पाये गये। उन दोनों अवर अभियंताओं को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी।

113—अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड अलीगढ़ का टी0 ए0 एवं डी0 ए0

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड, अलीगढ़ के वर्तमान अधिशासी अभियंता ने इस खण्ड में अपनी तैनाती की तिथि से दिनांक 10-12-86 तक की अवधि में कहां-कहां का दौरा कब-कब किया तथा कब-कब कहां-कहां रात्रिवास (नाइट हाल्ट) किया तथा अब तक टी0 ए0 एवं डी0 ए0 के रूप में कितना धन प्राप्त किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप निर्माण खण्ड, अलीगढ़ के वर्तमान अधिशासी अभियंता ने इस खण्ड में अपनी तैनाती की तिथि 7-7-84 से दिनांक 10-12-86 तक की अवधि में मुख्यालय से बाहर 213 दिन दौरा किया तथा 64 रात्रि विश्राम (नाइट हाल्ट) किया, जिसका विवरण संलग्न† है। उन्होंने अब तक टी0 ए0 एवं डी0 ए0 के रूप में रु0 8122.25 पैसे मात्र प्राप्त किया है।

चित्तौड़ी रेगुलेटर, पलिया-वाराणसी की सफाई

114—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के चित्तौड़ रेगुलेटर, विकास क्षेत्र पलिया की सफाई पिछले पांच वर्षों से क्यों नहीं की जा रही है? क्या शासन उसकी सफाई तत्काल कराये जाने का आदेश देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद वाराणसी के चित्तौड़ी (सी0पी0) रेगुलेटर, विकास खण्ड चकिया में सिल्ट सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। पेंटिंग वर्ष 1985-86 में की गई थी। रेगुलेटर के दो गेटों में कुछ खराबी आ गई है, जिसे बरेली वर्कशाप से ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

देवकली पम्प नहर, गाजीपुर का पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

115—श्री मयंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर देवकली पम्प नहर का पानी टेल तक न पहुंचाने के कारण अधिकांश गांव प्रभावित हो रहे हैं? क्या शासन उपरोक्त नहर का पानी टेल तक पहुंचाने का तत्काल समुचित प्रबन्ध करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

यह योजना अभी निर्माणाधीन है। जहां तक नहरें पूर्ण हैं पानी टेल तक जा रहा है। प्रश्न नहीं उठता।

116—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

117—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

---

†छापा नहीं गया।

118—श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

119—श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

120—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

अकबरपुर में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया धन

121—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, जिला फैजाबाद में वर्ष 1985-86 में स्वतः रोजगार योजना में कितने तथा किन-किन नवयुवकों का चयन किया गया था कृपया उनके नाम पते के साथ जिन उद्योगों के लिये चयन किया गया है, की सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखते हुये यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड अकबरपुर में लाभान्वित 27 व्यक्तियों की सूची, उनके नाम एवं पते सहित, संलग्न है। इनमें से 21 व्यक्तियों ने ऋण का सदुपयोग किया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 188-190 पर)

आगरा जनपद के कतिपय कस्बों में नकली शराब की बिक्री

122—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के सभी कस्बों में अंग्रेजी शराब की जगह पर नकली शराब बेची जा रही है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि आगरा जनपद के टूण्डला आदि कस्बों में अंग्रेजी शराब की बोतलों में दुबारा नकली शराब भर कर सील बन्द करने आदि के कारखाने हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस भ्रष्टाचार की जांच कराने व दोषी अधिकारियों व दूकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। इस आशय की कोई सूचना नहीं है। आगरा जनपद के टूण्डला आदि कस्बों में अंग्रेजी शराब की बोतलों में दुबारा नकली शराब भरकर सील बन्द करने आदि के कारखानों की भी कोई सूचना ज्ञात नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद के कतिपय ग्रामों में शराब की दुकानों को बन्द कराने की मांग

123—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र जनपद आगरा में ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे गांव पचोखरा मितावली बरहन, अहारन सैमरा, खाण्डा, आंवला खेड़ा आदि में देशी शराब के ठेकों की दुकानें खोली गयी हैं और कुछ दुकानें तो धार्मिक मंदिरों के बिल्कुल पास जैसे आंवला खेड़ा मेतावली, पचोखरा आदि में खोली गयी हैं जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को भारी चोट लगी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उपरोक्त दुकानों को शीघ्र बन्द कराने तथा दोषी अधिकारियों के प्रति कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आगरा के तहसील एतमादपुर के ग्राम मितावली, बरहन तथा सैमरा में देशी शराब की दुकानें गत 15 वर्षों के पूर्व से चल रही हैं। सुदूर देहाती क्षेत्रों में अवैध मद्य निष्कर्षण व मिलावटी शराब की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1985-86 में गांव पचोखरा में तथा वर्ष 1986-87 में गांव आंवलखेड़ा में देशी शराब की एक-एक दुकान और खोली गयी थी। इसमें से आंवलखेड़ा की दुकान जनविरोध के कारण बन्द करा दी गयी। ग्राम अहारन व खाण्डा में देशी शराब की कोई दुकान नहीं खोली गयी है। उपरोक्त दुकानों के समीप कोई धार्मिक स्थल नहीं है और दुकानों की स्थिति नियमानुसार है।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव के त्रिलोकपुर ग्राम में राजकीय नलकूप का निर्माण कार्य

124—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के तहसील पुरवा, बीघापुर ब्लाक के ग्राम त्रिलोकपुर में राजकीय नलकूप संख्या पी0जी0 19 का निर्माण कार्य नलकूप निर्माण खंड द्वारा कब प्रारम्भ हुआ था और अब इस निर्माण कार्य को पूरा करके मेन्टिनेन्स विभाग को कब तक दे दिया जायेगा? इस नलकूप के अब तक किये गये निर्माण कार्य में मदवार कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय नलकूप संख्या-19 पी0जी0 का निर्माण फरवरी, 1982 में प्रारम्भ हुआ तथा 7/83 में उर्जीकृत होकर नलकूप सिंचाईरत है। नलकूप में निकास की कमी के कारण इसका हस्तान्तरण अनुरक्षण खण्ड को नहीं किया जा सका है। अब इसे शीघ्र हस्तान्तरण कर दिया जायेगा।

इस नलकूप के निर्माण कार्य में 31-3-87 तक मदवार व्यय निम्न प्रकार है:—

			रु0
1—छिद्रण एव विकसन	..	..	58,000.0
2 क्यू इक्यूपमेंट	..	..	49,000.00 0
3—सिविल कार्य	..	..	1,00,000.00
4—विद्युतीकरण	..	..	53,000.00
	योग	..	2,60,000.00

प्रिवेन्टिव आबकारी निरीक्षकों को नान प्रिवेन्टिव में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

125—श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने आबकारी निरीक्षक सन् 1972 से अब तक अधिकांश प्रिवेन्टिव में ही हैं? क्या ऐसे आबकारी निरीक्षकों को नान-प्रिवेन्टिव में स्थानान्तरित कर उनके स्थान पर प्रिवेन्टिव के निरीक्षकों को तैनात करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

126—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

झांसी जिले में स्वीकृत राजकीय नलकूप

127—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले में वर्ष 1985-86 में कितने और कहां-कहां राजकीय नलकूप स्वीकृत हुए और उनमें से कितने और कहां-कहां लग चुके हैं, कितने कहां-कहां नहीं लगे हैं तथा न लगने का कारण क्या है और कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जिले में वर्ष 1985-86 में जिला चयन समिति द्वारा निम्न आठ स्थानों पर राजकीय नलकूप लगाने की स्वीकृत दी गयी थी:—

ग्राम	ब्लाक
1—पूरा चिरगांव	चिरगांव
2—बाजीरा कांडौर	मौठ
3—पालर	बड़ावांव
4—धनौरा	बामौर
5—रमपुरा	गुरसराय
6—बेरवई	मऊरानीपुर
7—उल्दन	बंगरा
8—नोटा	बंगरा

उपरोक्त स्वीकृत स्थानों में से पूरा चिरगांव (चिरगांव) व बाजीरा कांडौर (मौठ) पर राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं। अन्य छः स्थानों-पालर (बड़ागांव), धनौरा (बामौर), रमपुरा (गुरसराय), बेरवई (मऊरानीपुर), उल्दन (बंगरा), नोटा (बंगरा)-पर राजकीय नलकूप नहीं लगे हैं। उपरोक्त छः स्थानों पर रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा परीक्षण किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भ जल की उपलब्धता राजकीय नलकूपों के निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आनन्द कुमार, अवर अभियंता, नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

128—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप निर्माण खण्ड बरेली के अवर अभियन्ता श्री आनन्द कुमार द्वारा की जा रही गम्भीर अनियमितताओं के विरुद्ध श्री रामेश्वर नाथ चौबे सदस्य, विधान सभा द्वारा विगत वर्ष में शासन से कोई शिकायत की गयी थी जिसकी जांच पर उक्त अवर अभियन्ता को दोषी भी पाया गया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

देहरादून के कतिपय स्वीकृत बांध परियोजना का निर्माण कार्य

129—श्री किशोरी लाल सकलानी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि देहरादून जनपद के झबरावाला, बुल्लावाला, खैरी, श्यामपुर, निरंजनपुर, ब्रह्मणवाला की बांध परियोजनायें टी0 ए0 सी0 कमेटी से स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या बरसात आरम्भ होने से पूर्व इन पर कार्य आरम्भ हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में धनाभाव के कारण इन योजनाओं पर कार्य वर्षा के पूर्व आरम्भ कराना संभव न हो सकेगा ।

130—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री एल0 एम0 पन्त, जनरल मैनेजर पी0 सी0 डी0 एफ0 लखनऊ का स्थानान्तरण

131—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या पशुधन एवं दुग्धशाला विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री एल0एम0 पन्त जेनरल मैनेजर (परसोनल) पी0सी0डी0एफ0 लखनऊ का स्थानान्तरण शासन द्वारा दिनांक 9-7-86 को उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम लखनऊ में किया गया है ? यदि हां, तो श्री पन्त को पी0सी0डी0एफ0 से अब तक कार्यमुक्त न किये जाने का कारण क्या है, जबकि इस स्थान पर इनको लगभग चार वर्ष हो रहा है और इनके स्थान पर दूसरे अधिकारी ने ज्वाइन भी कर लिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस अधिकारी को अविलम्ब कार्यमुक्त कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

श्री पन्त को पी0 सी0 डी0 एफ0 से दिनांक 1.9-86 को अपराह्न से कार्यमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

छिबरामऊ, फर्रुखाबाद को उद्योग शून्य घोषित किये जाने विषयक पत्र पर कुछ कार्यवाही

132—श्री सन्तोष चतुर्वेदी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील छिबरामऊ, उद्योग जिला फर्रुखाबाद को शून्य घोषित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र श्रीमती शीला दीक्षित राज्य मंत्री संसदीय कार्य भारत सरकार नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र सं0-एम0-ओ0-एस/एल-एस 722/86 दिनांक 29 जुलाई, 1986 के साथ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या तहसील छिबरामऊ उद्योग शून्य घोषित की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, उक्त पत्र के संदर्भ में माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, भारत सरकार को सूचित किया गया है कि किसी क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि कोण से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है और वर्तमान में यह प्रश्न भारत सरकार में विचाराधीन है कि किन-किन क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा घोषित किया जाय ।

वैसे जनपद फर्रुखाबाद की छिबरामऊ तहसील 1982 में विशेष राज्य पूंजी उपादान दिये जाने हेतु उद्योग शून्य घोषित की गयी है ।

कतिपय जनपदों के उद्योग शून्य घोषित करने की नीति

133—श्री सन्तोष चतुर्वेदी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण जनपद को उद्योग शून्य घोषित करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उसे उद्योग शून्य घोषित न करके किसी तहसील विशेष, विकास खण्ड विशेष अथवा क्षेत्र विशेष को उद्योग शून्य घोषित किये जाने का आधार या मानक व मापदण्ड क्या है ? क्या जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी तथा जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद ही उद्योग शून्य घोषित हैं और सम्पूर्ण जनपद उद्योग शून्य घोषित नहीं हैं ? यदि हां, तो यह तहसीलें किस प्राविधान के अन्तर्गत उद्योग शून्य घोषित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसी जनपद अथवा क्षेत्र को पिछड़ेपन के आधार पर उद्योग शून्य घोषित करने का निर्णय सामान्यतः भारत सरकार द्वारा लिया जाता है । राज्य सरकार द्वारा पायनियर/प्रेस्टिज उद्योग योजना जो वर्ष 1982 से चल रही है, के अन्तर्गत ऐसी तहसील जिसमें योजना चालू होने के दिन तक 1 करोड़ या उससे अधिक स्थायी पूंजी विनियोजन का उद्योग स्थापित नहीं हुआ था उसे उद्योग शून्य तहसील घोषित किया गया है । गाजियाबाद की दादरी तहसील एवं बुलन्दशहर जनपद की सिकन्दराबाद तहसील उद्योग शून्य तहसील नहीं हैं और न ही उक्त दोनों जनपद उद्योग शून्य घोषित हैं । अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के मुखलिसपुर पम्प कैनाल के वाटर रेजिन्ग बैरियर का निर्माण कार्य

134—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प केनाल के वाटर रेलिंग बैरियर का निर्माण कार्य 1980 से चालू किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये बजट था तथा कब तक बनकर तैयार होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? दिसम्बर, 1986 तक प्रत्येक वर्षों में अलग-अलग कितना-कितना रुपया खर्च हुआ और कितना कार्य पूरा हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प कैनाल के वाटर रेजिन्ग बैरियर (वीयर) का निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 में चालू किया गया था । पुनरीक्षित कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत नदी में स्थायी वीयर (वाटर रेजिन्ग-बैरियर) के निर्माण हेतु रु0 241·68 लाख का प्राविधान है । उक्त कार्य को वर्ष 1988-89 में पूर्ण करने का लक्ष्य है । इस कार्य पर वर्ष 1980-81 से दिसम्बर, 1986 तक कुल 25,11,782/- रुपए का व्यय हुआ है जिसका वर्षवार फांट निम्न प्रकार है:—

वर्ष 1980-81 रु0 1,573·00
वर्ष 1981-82 रु0 5,26,096·00
वर्ष 1982-83 रु0 4,98,191·00
वर्ष 1983-84 रु0 58,777·00
वर्ष 1984-85 रु0 1,66,646·00
वर्ष 1985-86 रु0 11,48,164·00
वर्ष 1986-87 रु0 1,12,335·00

———

दिसम्बर 86 तक योग 25,11,782·00

———

उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सर्वेक्षण साइट डेवेलपमेन्ट, माडल स्टडील तथा आंशिक सामग्री भण्डारण का कार्य पूर्ण हुआ है ।

अगइया नाला, जनपद फैजाबाद के अवशेष कार्यों को पूरा कराने की मांग

135—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 13-8-86 का पत्र प्रधान गांव सभा चतुरी पट्टी, प्रधान गांव सभा रनीवां करमजीत, प्रधान गांव सभा सुल्तानपुर, प्रधान गांव सभा पाण्डे पैकोली तथा श्री अम्बिका सिंह प्रमुख विकास खण्ड भीटी, जनपद फैजाबाद तथा अन्य लोगों के प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को मिल गया है, जिसमें अगइया नाला के अवशेष दो किलोमीटर की खुदाई का काम शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया गया है ? क्या यह सही है कि मड़हा नदी के तरफ से उक्त नाले की दो किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गयी है और इसके आगे तालाब तक दो कि0 मी0 की खुदाई पूरी न होने के कारण उक्त नाला उस क्षेत्र के निवासियों के लिए अभिशाप बन गया है ? यदि हां, तो शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा और उक्त नाले की खुदाई का कार्य अब तक पूरा न कराने के लिए कौन दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी हां । मड़हा नदी के तरफ से उक्त नाले की दो किलोमीटर खुदायी पूरी हो गई है । नाले की खुदाई से स्थानीय जल भराव की समस्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। शेष कार्य हेतु धन की मांग ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद से की जा रही है । धन उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा । चूंकि ग्राम्य विकास अधिकरण से कोई अतिरिक्त धन नहीं मिला है अतः कार्य पूरा करने के लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गाजीपुर में निरस्त कोयले का लाइसेंस तथा नये लाइसेंस की सूची

137–श्री मैनेजर सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत किन-किन लोगों का थोक कोयला लाइसेंस किन-किन कारणों से निरस्त हुआ और किन-किन व्यक्तियों को उक्त अवधि में नया लाइसेंस दिया गया तथा उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1985-86 में निरस्त किये गये थोक कोयला लाइसेंसों की सूची "क" संलग्न† है तथा इसी अवधि में दिये गये नये लाइसेंसों की सूची "ख" संलग्न† है ।

फुटकर किरोसीन व्यापारी श्री लल्लन प्रसाद, गाजीपुर को आवंटित स्टाक

138–श्री मैनेजर सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता सकलेनाबाद गाजीपुर नगर निवासी फुटकर किरोसिन तेल व्यापारी को अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1986 तक प्रत्येक माह कितना-कितना लीटर तेल आवंटित किया गया और वह तेल कहां-कहां वितरित हुआ ? इसी अवधि में गाजीपुर नगर के अन्य कितने फुटकर विक्रेताओं को औसतन प्रत्येक माह कितना तेल आवंटित किया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

श्री लल्लन प्रसाद, फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता सकलेनाबाद गाजीपुर नगर को अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1986 तक प्रत्येक माह में आवंटित मिट्टी तेल मात्रा का विवरण तथा जहां उक्त मिट्टी तेल मात्रा वितरित की गयी उसका ब्योरा संलग्न है ।

---

†छापी नहीं गई ।

प्रश्नगत अवधि में उपरोक्त विक्रेता को छोड़कर गाजीपुर नगर के अन्य फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को प्रत्येक आवंटित औसत मिट्टी तेल की मात्रा का विवरण निम्नलिखित है :–

अवधि	उपरोक्त विक्रेता को छोड़कर गाजीपुर नगर में कार्यरत अन्य फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं की संख्या –	प्रत्येक माह का औसत आवंटन (लीटर में)
1	2	3
1 अप्रैल, 85 से सितम्बर 85 तक	67	2510
2 अक्टूबर 85 में ।	59	2850
3 नवम्बर 85 से दिसम्बर 1986 तक	56	3002

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 191 पर)

139–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गाजीपुर में बीड़ी के लाइसेंसी कारखाने तथा इनमें कर्मचारियों की संख्या

140–श्री अफजाल अंसारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में बीड़ी के कुल कितने लाइसेंसी कारखाने हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने मजदूर हैं? इन मजदूरों में औरत और मर्द की संख्या क्या है तथा इन कारखानों में प्रतिदिन बीड़ी बनने का औसत क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गाजीपुर में बीड़ी के 4 पंजीकृत कारखाने हैं अन्य अपेक्षित विवरण संलग्न सूची में दिए गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 192 पर)

ग्राम फिरोजपुर, गाजीपुर के हरिजन बस्ती में पानी की निकासी बन्द होने के कारण क्षति-ग्रस्त मकान

141–श्री अफजाल अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम फिरोजपुर की मध्य हरिजन बस्ती में पानी की निकासी बन्द होने के कारण सितम्बर, अक्टूबर, 1986 में पूरी बस्ती में पानी भर गया था ? यदि हां, तो इस बस्ती में कुल कितने मकानात थे और उनमें से कितने पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से गिरकर ध्वस्त हो गये थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, इस बस्ती में कुल 23 मकानात (कच्चे व छप्पर) थे । इनमें से 4 कच्चे मकान पूर्ण रूप से तथा 12 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे ।

क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण

142–श्री अफजाल अंसारी–

क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर ने अक्टूबर, 86 में इस ग्राम की स्थिति का निरीक्षण करके पानी की निकासी के संबंध में उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो अब तक क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, कार्य स्थल के निरीक्षण उपरान्त आख्या जिलाधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 17-12-86 को भेजी गई । उन्हें सुझाव दिया गया कि वर्षा के पानी के निकास हेतु साइफन के निर्माण से समस्या का समाधान सम्भव है । उक्त साइफन के निर्माण के आदेश दे दिए गये हैं ।

गौरी ड्रेन, तहसील फूलपुर आजमगढ़ का निर्माण कार्य

143–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के परसोय नामक ताल से निकलने वाला गौरी ड्रेन का कितना निर्माण कार्य हुआ है तथा शेष कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

परसोय ताल से निकलने वाली गौरी गांव ड्रेन विकास खण्ड अहरौला जनपद आजमगढ़ में स्थित है । उसकी कुल प्रस्तावित लम्बाई 11.2 कि0 मी0 है । अब तक शीर्ष से 10 कि0 मी0 तक ड्रेन की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 1.2 कि0मी0 का कार्य कृषकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप रुका हुआ था । विशेष प्रयास कर शेष 1.2 कि0 मी0 लम्बाई में भी कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है । कार्य प्रगति पर है जिसके एक माह में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों की अध्याप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान

144–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम देवडीह के कृषकों को चक संख्या 500/745, 550-551, 554, 567, 568, 591, 616, 630, 632 की भूमि जिस पर नहर का निर्माण हो गया है, अध्याप्ति की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं हुई ? कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर के ग्राम सोहनी में नहर के पानी से फसल की क्षति

145–श्री मयंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के ग्राम सोहनी में नहर का पानी टेल पर अधिक पहुंच जाने के कारण उपरोक्त ग्राम के कृषकों की फसल तबाह हो जाती है ? क्या शासन उससे बचाव का कोई प्रबन्ध करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम सोहनी में पड़ने वाली सभी नहरों के दोनों बैंक मजबूत बने हुए हैं तथा उसमें पानी बाहर निकल कर फैलने की कोई सम्भावना नहीं है । नहर के पानी से कृषकों की फसल को क्षति होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

नहरी सींच सुविधा हेतु विधान सभा क्षेत्रवार सर्वेक्षण तथा एस्टीमेट के अनुसार धन उपलब्ध कराने की मांग

146–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार नहर संबंधी कार्यों के निर्माण के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं इस्टीमेट बना कर धन का वितरण करायेगी ताकि क्षेत्र की कठिनाइयों का समाधान हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सिंचाई परियोजनाओं का विकास जल संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्रीय भौगोलिक स्थिति एवं नहर प्रणाली के समग्र कमाण्ड क्षेत्र को दृष्टिगत रखकर किया जाता है । अतः नहरी सींच सुविधा हेतु विधान सभा क्षेत्रवार सर्वेक्षण कराकर प्राक्कलन बनाकर धनावंटन कराना तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं व्यवहारिक नहीं है ।

गोरखपुर में सिंचाई विभाग के लिए उपलब्ध कराया गया धन

147–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में जो धन विभाग को उपलब्ध कराया जाता है वह पुरानी देनदारियों के भुगतान में ही समाप्त हो जाता है और नए निर्माण कार्य के लिए कोई धन नहीं बचता, जिस कारण जनपद गोरखपुर में नहर संबंधी कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर सम्बन्धी कार्य कराने के लिए निर्देश एवं अतिरिक्त धन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । जनपद गोरखपुर में नहर संबंधी कार्य गण्डक परियोजना के अन्तर्गत किये जाते हैं । वर्ष 1986-87 में उपलब्ध धनराशि का उपयोग चालू कार्यों को पूर्ण कराने हेतु किया गया ।

वर्ष 1987-88 में इस परियोजना के चालू तथा अन्य कार्यों के लिये रु0 82,00,000 आवंटित किए गए हैं । इसमें चालू कार्यों के साथ-साथ कुछ अन्य

कार्यों का भी निर्माण प्रस्तावित है । वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है ।

चरगांवा के ग्राम बरौली जनपद गोरखपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग

148—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम बरौली से हाफिजनगर के बीच एक पुलिया 5 वर्ष पूर्व निर्मित की गई थी, जो इस समय धंस कर टूट-फूट गई है एवं आवागमन बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस पुलिया का निर्माण अति शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

पुलिया ठीक है, केवल एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गया था । आवश्यक मरम्मत कर दी गई है और पुल से आवागमन पुनः चालू हो गया है ।

जगदीशपुर माइनर, गोरखपुर पर अर्धनिर्मित पुलिया को पूरा कराने के लिए प्रार्थना पत्र

149—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के जगदीशपुर माइनर पर प्रा0 पाठशाला गोविन्दपुर के पास एक पुलिया अर्धनिर्मित रूप में कई वर्षों से पड़ी हुई है ? क्या इस विषय पर प्रश्नकर्ता विधायक पिपराइच का पत्र दिनांक 15-8-85 जो अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड प्रथम गोरखपुर को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दिनांक 15-8-85 का पत्र उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में माननीय विधायक के पत्र दिनांक 22-7-86 तथा 7-3-87 प्राप्त हुए हैं । अधूरे पुल के कार्य को पूरा किए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

गोरखपुर के गुलहरिया ड्रेन में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

150—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की गुलहरिया ड्रेन जो पांच वर्ष पूर्व बन कर तैयार हो चुकी है का ग्राम ज0 पकड़ी बीचऊपुर बंगला मिरोलिया के किसानों को भूमि का मुआवजा पांच वर्ष बीतने पर भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के किसानों को मुआवजा शीघ्र दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । ग्राम जंगलपकड़ी तथा छत्रधारी जंगल के टोले विचऊपुर बंगला व मिश्रौलिया में एक ड्रेन का निर्माण किया गया है । इस ड्रेन का नाम गुलहरिया न

होकर फूलवरिया डूबे हैं । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोरखपुर को प्रश्नगत ग्रामों की भूमि के मुआवजे के वितरण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर ने ग्राम जंगल पकड़ी की भूमि का मुआवजा वितरित कर दिया है तथा ग्राम छत्रधारी जंगल के भूमि का मुआवजा बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अशोक ठाकुर, निरीक्षक, जिला पूर्ति कार्यालय बरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

151—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को यह जानकारी है कि जिला पूर्ति कार्यालय बरेली के पूर्ति निरीक्षक (श्री अशोक ठाकुर) को कार्यालय द्वारा कुछ गम्भीर अनियमितताओं के आधार पर निलम्बित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त पूर्ति निरीक्षक को बचाने हेतु अपर जिलाधिकारी आपूर्ति बरेली ने सक्षम भूमिका निभाई है ? यदि हां, तो क्या इस पूरे प्रकरण की जांच कराने तथा भ्रष्ट पूर्ति निरीक्षक को निलम्बित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

यह सही है कि श्री अशोक ठाकुर, पूर्ति निरीक्षक जिला पूर्ति कार्यालय बरेली को निलम्बित करने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई परन्तु तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा परीक्षणोपरान्त निलम्बन की कार्यवाही को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा आख्याओं के परीक्षण के पश्चात् श्री अशोक ठाकुर को कठोर चेतावनी दिए जाने का आदेश पारित किया गया।

यह सत्य नहीं है कि तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) ने उक्त पूर्ति निरीक्षक को बचाने के लिए नियमों के विरुद्ध कोई भूमिका निभाई है ।

कार्यवाही पूर्ण हो गई है। अतः पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

मध्य गंगा नहर को पक्का बनाने की योजना

152—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या—6 नत्थी (घ) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर को पहले पक्का बनाने की योजना बनाई गई थी परन्तु गलत तकनीकी सलाह एवं त्रुटिपूर्ण नीतिगत निर्णय लेकर कच्ची नहर का निर्माण कराने के फलस्वरूप परीक्षण के समय ही सीपेज से हजारों एकड़ भूमि की फसल मारी गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गलत सलाह एवं निर्णय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची एवं उनके खिलाफ प्रस्तावित कार्यवाही की जानकारी सदन को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी सीपेज से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने तथा नहर को चलाने से पूर्व पक्का करने के निर्देश अविलम्ब देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत मध्य गंगा मुख्य नहर को कच्चा बनाना प्रस्तावित था तथा पक्की नहर बनाने की योजना नहीं थी । यह नहर खरीफ की सिंचाई हेतु

है जिसे वर्षा ऋतु में जून से अक्तूबर के बीच जब गंगा नदी में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होता है, धान की सिंचाई हेतु चलाया जाता है। वर्ष 1985 में नहर को परीक्षण हेतु चलाने के समय नहर के कुछ भागों के समीप जहां नहर गंगा नदी के खादर से गुजरती है तथा अधिक भराई में है, खादर के नीचे भाग में सीपेज पाया गया। इसके निदान हेतु ऐसे विभिन्न भागों में जहां सीपेज पाया गया था तथा खेती हो रही थी, नहर में पक्की टाईल लाईनिंग 10 किलोमीटर लम्बाई में करा दी गई है। नहर के किनारे जो सीपेज हुआ था उससे खेती को कोई विशेष हानि नहीं हुई जिसके लिए मुआवजा देने की आवश्यकता पड़ी हो।

सिंचाई विभाग के असफल नलकूपों को भूजल वैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों को सौंपने की योजना

153—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के पत्र सं0 3301—14/3—डी दिनांक 21 मई, 1986 द्वारा नलकूपों को असफल होने के कारण भूजल वैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों की पृथक इकाई का सृजन किया जा रहा है ? यदि हां, तो भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग का क्या औचित्य है एवं क्या उपरोक्त कार्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण के संगठन द्वारा नहीं कराया जा सकता है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति घोषित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में अंकित पत्र सं0—3301-14/3डी, दिनांक 21 मई, 1986 निर्गत नहीं हुआ है बल्कि कार्यालय ज्ञाप सं0—3301 टी डब्लू/एस0 ओ0, दिनांक 21 मई, 1986 निर्गत हुआ है। इस पत्र द्वारा भूजल वैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों की पृथक इकाई के सृजन के आदेश नहीं है बल्कि इसमें अधीक्षण अभियन्ताओं को भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय भूगर्भ जल संस्थान, भारत सरकार से अन्वेषण कराने हेतु निर्देश दिए गये हैं। अतः इस संबंध में कोई नीति घोषित करने का प्रश्न नहीं है।

फूलपुर, आजमगढ़ के ग्राम दवेडीह के कतिपय चक पर नहर विभाग का कब्जा

154—श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम दवेडीह के चक नं0 544, 627 से नहर के खाते में कितनी भूमि है तथा क्या उस नहर विभाग का कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर के खाते में निम्न भूमि है:—

चक सं0 544 में	15 बिस्वा
	14 बिस्वांसी
चक सं0 627 में	1 बीघा 2 बिस्वा
	6 बिस्वांसी।
योग—	1 बीघा 18 बिस्वा

इस भूमि का कब्जा सिंचाई विभाग को प्राप्त हो चुका है।

आजमगढ़ की मुख्य टाण्डा नहर पर साईफन निर्माण योजना का प्रस्ताव

155–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की मुख्य टाण्डा नहर के कि0 मी0 61–594 पर ग्राम देवडीह एवं गोपाली पट्टी सरहद पर प्रस्तावित साईफन का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा तथा कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत क्षेत्र में प्रस्तावित साइफन का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के उद्देश्य से स्थल पर निर्माण सामग्री की आंशिक व्यवस्था की गई थी जिसके बाद ही नहर के पूर्व की ओर की स्थानीय जनता ने इसका विरोध किया । अब इसकी वैकल्पिक तकनीकी रूप से उचित व्यवस्था का दुबारा परीक्षण कराकर निर्णय लेने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संम्भव हो सकेगा ।

आजमगढ़ की अभयपुर माइनर से फसलों के सिंचाई हेतु पानी

156–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की अभयपुर माइनर से 1393 फसली में रबी की फसल की सिंचाई हेतु टेल तक पानी मिला था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम नेरा, तहसील सादाबाद, मथुरा की बन्द नवनिर्मित नलकूप को चालू करने की मांग

157–श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि तहसील सादाबाद जिला मथुरा के गांव नेरा में नव निर्मित नलकूप बंद पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब नलकूप को चालू कर सिंचाई कार्य शुरू करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जनपद मथुरा तहसील सादाबाद के ग्राम नेरा में वर्ष 1981-82 में एक नलकूप का केन्द्रीय भू-गर्भ संस्थान, वाराणसी द्वारा अन्वेषणात्मक छिद्रण किया गया परन्तु पर्याप्त निकास प्राप्त न होने के कारण अन्य कार्य नहीं कराये गये ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि निकास कम होने के कारण सिंचाई संभव नहीं है ।

158–श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर में ताड़ी की दुकानों का आवंटन

159—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में ताड़ी के पेशेवर व्यक्तियों को 1985-86 में उनके खानदानी व्यवसाय से वंचित कर अनियमित ढंग से बेनामी व्यक्तियों के पक्ष में ताड़ी की दुकानों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ताड़ी के पेशेवर व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस मामले में जांच कराई जा रही है ।

विकास खण्ड चरगांवा, गोरखपुर के निर्माणाधीन पुलिया को पूरा कराये जाने की मांग

160—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम जा0 पकड़ी और सोनराइच के बीच एक पुलिया का 3 वर्षों से निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो क्या इस पुलिया का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-चरगांवा के ग्राम जंगल पकड़ी और सोनराइच के बीच (फुलवारिया ड्रेन के कि0 मी0 3.900) स्थित पुलिया का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ।

उन्नाव जनपद के कतिपय नहर सर्विस रोड को खड़न्जा कराने की मांग

161—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में दोस्तीनगर (रामसिंह खेड़ा) से माखी कोठी तक नहर सर्विस रोड को खड़न्जायुक्त अथवा पेन्ट करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोस्तीनगर (राम सिंह खेड़ा) से माखी गोठी तक नहर सर्विस रोड को सिंचाई विभाग के व्यय पर खड़न्जायुक्त करने अथवा पेन्ट कराने का प्रस्ताव नहीं है । इस भाग को खड़न्जायुक्त करने हेतु रु0 17-2 लाख का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उन्नाव की स्वीकृति के लिये अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर उन्नाव द्वारा माह 3/87 में भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति तथा तद्नुसार वित्तीय आवंटन अभी अपेक्षित है ।

162—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

163—164—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद आगरा में कतिपय नालों पर कराये गये कार्यों की स्थिति

165—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के नियम 301 की सूचना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के नालों का कार्य पूरा न कराये जाने के सम्बन्ध में सा0 नि0 मंत्री के पत्र सं0 अर्द्ध शा0 प0 सं0 5250 सी/23/स0 नि0 अनु-1 दिनांक 24 सितम्बर, 1983 के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित नियम 301 की सूचना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को सिंचाई मंत्री के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 275 एफ/84-23-सिं0-6-30 सी (3)/83 (सा0नि0अनु0 1), दिनांक 21 जनवरी, 1984 द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है। प्रश्नगत नालों पर कराये गये कार्यों की वर्तमान स्थिति संलग्नक में दर्शायी गयी है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 193 पर)

बलिया में शिक्षित बेरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग लगाने हेतु उपलब्ध कराया गया ऋण

166—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में बलिया जनपद में जिन शिक्षित बेरोजगार लोगों ने उद्योग के नाम पर ऋण लेकर उद्योग प्रारम्भ नहीं किये, उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधूना, इटावा के किसानों, मजदूरों तथा व्यापारियों की मांग

167—श्री औसान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1985 तह0 विधूना इटावा के किसानों मजदूरों तथा व्यापारियों की मांगों के संदर्भ में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

168—श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

169—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री सन्तराम, निवासी ग्राम सूपाबक्शी थाना तेलरी बाजार, बस्ती की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। यह सात सूचनाएं माननीय सदस्य सर्वश्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी', श्री हरेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र देव, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री जनार्दन प्रसाद आभा व श्री दीप नारायण जी की हैं। बाकी सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

दिनांक 12-13 जून, 1987 की मध्य रात्रि में बस्ती जिले के ग्राम सूपाबक्शी में थाना तेलरी बाजार के 8-10 पुलिस ट्रैक्टर ट्राली लेकर श्री संतराम के घर पहुंचे और कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने जो इस्तगासा थाने के नायब दरोगा श्री अशोक सिंह के विरुद्ध दाखिल किया है उसमें समझौता कर लो। श्री संतराम के इस उत्तर पर कि न्यायालय में जो फैसला होगा वही मानेंगे, पुलिस जन नाराज हो गये और श्री संतराम को घसीट कर ट्रैक्टर ट्राली पर बिठा लिया और थाने ले जाकर इतना मारा कि जब वह मरणासन्न हो गया तब उसे एक निर्जन स्थान पर ले जाकर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी के मांगने पर संतराम की लाश नहीं दी और उसको धमकाया कि यदि कोई कार्यवाही करोगी तो परिवार के शेष लोगों को भी समाप्त कर दिया जायेगा पुलिस द्वारा की गयी इस नृशंस हत्या से क्षेत्र की जनता में शासन के प्रति भारी रोष तथा क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से मांग करता हूं कि इस हत्या काण्ड की जांच गुप्तचर विभाग से कराई जाय। हत्या करने वाले पुलिस जन को निलम्बित कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाय तथा श्री संतराम की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया दिया जाय।

जनपद मुजफ्फरनगर के गंगा जमुना दोआबे में बिजली की अनियमित आपूर्ति से पेयजल संकट होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गंगा जमुना के दोआबे में जनपद मुजफ्फरनगर भीषण पेयजल संकट में पड़ गया है। 20 दिनों से प्रेशर बिल्कुल कम है जिसके कारण ऊपरी मंजिलों में पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण ऊपर बसे नागरिक एक-एक बून्द पानी के लिए तरस रहे हैं। यही नहीं मुजफ्फरनगर में कई वर्षों से ओवरहेड खराब पड़े हैं उसे ठीक नहीं कराया गया है। यही नहीं बिजली के अभाव में पानी की सप्लाई आये दिन बन्द रहती है। अधिकारीगण इस दिशा में कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आम जनता अत्यन्त परेशान है और जिला प्रशासन से अत्यधिक क्षुब्ध है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए ।)

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करके बिगड़े ओवरहेड ठीक कराये जायें । लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ताकि आम जनता को पानी पीने की कठिनाई न हो ।

निर्वाचन क्षेत्र–राजगढ़, मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में पेयजल समस्या होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर के दक्षिण में स्थित राजगढ़ विधान सभायी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण पेयजल का अभूतपूर्व संकट उपस्थित हो गया है । घोरावल ब्लाक के कंडिया अट्ठाइस के गांवों में तो पशुओं की भारी संख्या में मौतें हो रही हैं सड़क के किनारे के गांव में भी इस वर्ष प्रशासन टैंकर से पेयजल आपूर्ति में बुरी तरह विफल रहा है ।

बघोर कर्मा, सक्तेशगढ़ व शिवद्वार पेयजल योजनायें तो जाड़े के दिनों में रिकार्ड के अनुसार सर्वाधिक 30 मिनट प्रति 24 घन्टे जल आपूर्ति करती रही हैं इस समय तो पूर्णतया बन्द हैं ।

मद्धपुर-सुकृत के पास के गांवों में जिन्हें बघोर टंकी से पेयजल आपूर्ति दिखाकर हैण्ड पाइप के लगाने के कार्यक्रम से भी वंचित रखा गया । इस समय वहां के निवासी बून्द-बून्द पानी को तरस रहे हैं ।

कुछ जगहों पर जो टैंकर से पानी भेजे गये उनमें मरे हुए जानवरों की सड़ांध की बू आ रही है तथा मिट्टी बड़े पैमाने पर घुली हुई थी ।

शर्म की बात तो यह है कि जिला प्रशासन पिछले दो वर्षों से बन्द पड़े सक्तेशगढ़ जल आपूर्ति योजना को चालू करने के नाम पर लाखों रुपया खा चुका है और 5 मिनट के लिए भी किसी गांव में पानी नहीं दे पाया है ।

मिर्जापुर में जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता तथा भ्रष्ट आचरण से सैकड़ों पशुओं की मृत्यु प्रति सप्ताह हो रही है । मैं आपके माध्यम से शासन से आग्रह करता हूं कि अविलम्ब पेयजल आपूर्ति में ढिलाई के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को दण्डित कराने तथा समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करें । पेयजल के अभाव में हुई पशुओं की मृत्यु के मुआवजे के रूप में समुचित मूल्य देने की घोषणा की जाए ।

तहसील डुमरियागंज, बस्ती में अकाल एवं सूखा को ध्यान में रखकर सरकारी देयों की वसूली के स्थगन तथा सत्यापन की मांग होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में इस समय भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है । डुमरियागंज तहसील पिछले वर्ष भी सूखा से पीड़ित रहा है इसलिए कोई फसल नहीं पैदा हुई । जहां लोगों के घरों में अन्न के अभाव में उपवास हो रहा है, वहीं विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम सेमरा, गदाखउवा,

बुड्ढी व त्रिलोकपुर, बभनी, सोहना क्षेत्र के विस्कोहर क्षेत्र व इटवा विकास खण्ड के कठेला न्याय पंचायत तथा मुल्लाबक्शर न्याय पंचायत में पीने के पानी का संकट भी उपस्थित हो गया है । लोग छः-छः कि0मी0 से पीने का पानी ला रहे हैं जहां ऐसी स्थिति है वहां राजस्व विभाग व सहकारिता विभाग के लोग फर्जी ऋणों की व्यापक वसूली कर रहे हैं । उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड भनवापुर खुनियांव इटवा में 80 प्रतिशत फर्जी ऋणों का वितरण दिखाया गया है । आज तक कोई सत्यापन की कार्यवाही नहीं हुई है । जिससे लोगों में घोर असंतोष है ।

अतएव आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि उक्त तीनों विकास खण्डों में सहकारी ऋणों का सत्यापन कराया जाए तथा वसूली स्थगित कर दी जाए ।

केसरपुर, विकास खण्ड रामनगर, बरेली में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि बरेली जनपद में विकास खण्ड रामनगर केसरपुर में दिनांक 25-6-87 को आग लग जाने से 49 घर जलकर तबाह हो गये । न रहने को घर रह गया, न पहनने को कपड़ा रह गया । लोगों को खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा, लोग परेशान हैं । जानवरों के लिए चारा-भूसा भी नहीं बचा, उनके भूख से मरने की नौबत आ गई है ।

लोग बहुत परेशान एवं भयभीत हैं सरकारी सहायता 49 घरों के विपरीत मात्र 19 घर वालों को ही सहायता दी गई है ।

अतएव अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि जितने घर जल गये हैं उन सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, मकान तैयार करने, पशुओं को चारा आदि के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाने का निर्देश सरकार को देने की कृपा करें ।

गोरखपुर की रामगढ़ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा तथा रोजगार दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अत्यन्त सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।

गोरखपुर की रामगढ़ परियोजना के चलते हजारों किसान बेघरबार और बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे किसानों की पूरी जायदाद अचल, सम्पत्ति सब कुछ नष्ट हो रही है किन्तु इनके पुनर्वास एवं मुआवजा के संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट न होने से महीनों से हजारों किसान संघर्ष पर उतारू हैं । प्रदर्शन, धरना और सत्याग्रह का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिलसिला शुरू है । कई बार पुलिस ने सत्याग्रहियों की बरबरता पूर्वक पिटाई की और उन्हें जेल भेजा फिर भी आन्दोलन रुका नहीं। पूरे जिले में जनाक्रोश है । शासन की अदूरदर्शिता के कारण स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मेरी मांग है कि विस्थापितों को अन्यत्र कहीं ससम्मान बसाया जाए । उनके जायदाद का वर्तमान दर पर मुआवजा दिलाया जाए । प्राथमिकता के आधार पर विस्थापित लोगों को नौकरी दिया जाए और इनके विरुद्ध चल रहे मुकदमें वापस लिये जाएं ।

अलीगढ़ में चयनित गन्ना ग्राम सेवकों को अभी तक सेवा में न लेने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीप नारायण –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं ।

निवेदन है कि जिला गन्ना अधिकारी, अलीगढ़ (डा0 वी0 के0 पांडेय) ने पत्र संख्या 308–09 दिनांक 7-6-86 तथा पत्र संख्या–312-13 दिनांक 7-6-86 द्वारा श्री विनोद कुमार सिंह जनपद आजमगढ़ तथा श्री अशोक कुमार पांडेय बलिया के साथ श्री अजय कुमार शर्मा पुत्र श्री जवाहर लाल शर्मा (वरिष्ठ सहायक जिला गन्ना अधिकारी अलीगढ़) एवं देव प्रकाश शर्मा अलीगढ़ को गन्ना ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त किया था और उक्त चारों अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया, इसके तुरन्त बाद उक्त जिला गन्ना अधिकारी स्थानान्तरित हो गये और एन0 एस0 तेवतिया ने कार्यभार ग्रहण किया, जिन्होंने विनोद कुमार सिंह तथा श्री अशोक कुमार पांडेय को कार्य करने से रोक दिया तथा अन्य दोनों अभ्यर्थियों को कार्य करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि चारों अभ्यर्थी एक ही साथ साक्षात्कार से चयनित किये गये हैं ।

अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जाय तथा एक ही नियम के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाय ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

*श्री माता प्रसाद पांडेय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से आज मैं एक गम्भीर संवैधानिक संकट की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे संविधान के अनुच्छेद 202 में वित्तीय विवरण तैयार करने का प्राविधान है । वित्तीय विवरण को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए और सदन से पारित कराकर अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक द्वारा कार्यपालिका को खर्च करने का अधिकार विधान मंडल देता है कि जो वित्तीय विवरण है उसके अनुसार उसी वित्तीय वर्ष में उसे खर्च किया जाय । लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें जो वित्तीय विवरण में दर्शाया जाता है वह उसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रकार खर्च नहीं किया जाता है और उसको एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है । उसके लिए अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग का प्राविधान है । लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे सिंचाई विभाग और पी0 डब्लू0 डी0 जिनके लिए धन-राशि विधान मंडल से पारित कराकर विनियोग विधेयक के माध्यम से हम खर्च करने के अधिकार दे देते हैं । लेकिन होता यह है वह उसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं करते हैं। चूंकि 205 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग का अधिकार मिल गया है इसलिए 202 और 204 का उल्लंघन सरकार करती चली जा रही है । 31 मार्च के बाद पुनर्विनियोग कर लेते हैं । यही नहीं होता है बल्कि जो रुपया वित्तीय स्वीकृति के माध्यम से भेजा जाता है उसको जिलों में पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा कर दिया जाता है । तो उस रुपये को खर्च दिखा-कर संविधान की धाराओं का उल्लंघन किया जाता है । जो रुपया पर्सनल लेजर एकाउन्ट में डाला जाता है उसको खर्च नहीं माना जाना चाहिए । क्योंकि यह देखा गया है कि यह पैसा 3-3, 4-4 साल पड़ा रहता है ।

अकेले शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा परिषद में 3 अरब रुपया पर्सनल लेजर एकाउन्ट में पड़ा है । अकेले मेरे जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् में सन् 76 से 2 करोड़ रुपया पड़ा है और वित्तीय विवरण में आपने उसे खर्च दिखा दिया है उसका पुनर्विनियोग भी नहीं किया गया है । अगर पुनर्विनियोग नहीं किया जाता है तो यह संवैधानिक त्रुटि है ।

मान्यवर, आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके शासन को निर्देशित करें कि इस प्रकार की त्रुटियों पर प्रतिबन्ध होना चाहिए और जिस वर्ष के लिए खर्च करने के लिए दिया गया है उसी वर्ष में खर्च करना चाहिए । यही मैं अपने औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पांडेय ने इसी तरह का प्रश्न 14 मार्च, 86 को उठाया था और उस समय माननीय अध्यक्ष जी पीठासीन थे, उन्होंने उसे औचित्य के लिए स्वीकार नहीं किया था । माननीय पांडेय जी ने जो कहा है, जो औचित्य का प्रश्न उठाया है तो उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वह किन मदों के बारे में है ।

मान्यवर, संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत सरकार को इस प्रकार का पूरा अधि-कार है और उसी के अन्तर्गत यह सारा कार्य हुआ है, यह कोई गल्ती नहीं होगी । इस तरह की बराबर यह प्रक्रिया है और यह बराबर सदन के सामने आता रहता है । तो मैं समझता हूं कि इस तरह का औचित्य का प्रश्न है, यह अलग से इस तरह की बात कह सकते हैं । कुछ इरीगुलैरिटी या अनियमितता हो सकती है लेकिन औचित्य के अन्दर लाना यहां उचित नहीं है । इस औचित्य से इस सदन के कार्य से कोई संबंध नहीं है तो मेरा आग्रह है कि इसको अस्वीकार करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 246 सब क्लास 3 और शिड्यूल 2 के मद 5 से संबंधित और आज की कार्यसूची की मद संख्या 11, 12 और 13 के संदर्भ में है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 246 के सब क्लास 3 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है –

श्री अधिष्ठाता –

माननीय तिवारी जी, क्या यह उचित न होगा कि जो 11, 12, 13 मद हैं कार्यक्रम की उसी में हो जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है, आप कहें तो उसी में उठायें हमें कोई एतराज नहीं है । उस समय कोई बाधा न पड़े इसलिए मैं कह रहा था उसमें दिया है "खण्ड (1) और खण्ड (2) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान मण्डल को सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (जिसे इस संविधान में राज्य सूची कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।" इसी तरह से मान्यवर, आप देखें कि राज्य सूची-2 के मद 5 में दिया हुआ है । "स्थानीय शासन, अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यास, जिला बोर्डों, खनन-बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां ।"

मान्यवर, इस तरह से आप देखेंगे कि स्वायत्तशासी संस्थायें और स्थानीय निकाय जो हैं इनके बारे में पूरे तौर पर अधिकार और जिम्मेदारी दोनों, संविधान के राज्यों को दी है। इसलिए मान्यवर, मेरा इसी संदर्भ में निवेदन है कि इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में 2 निर्णय दिये हैं एक तो इलाहाबाद का नगरमहापालिकाओं के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है "नो टैक्सेशन विद-आउट रिप्रैजेन्टेशन" ।

(बिजली चली गयी)

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि प्रतिनिधित्वविहीन जो स्वायत्तशासी संस्थाएं होंगी उन्हें कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। और दूसरा फैसला है जो लखनऊ की खण्ड पीठ ने दिया है "जो स्थानीय निकाय हैं या स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उन्हें बहुत लम्बे अर्से तक प्रशासक द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, जनता का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है"। यह दोनों सिद्धान्त उसने निरूपित किये।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह दोनों फैसले समान रूप से जिला परिषद् पर भी लागू होते हैं। चूंकि आज जिला परिषद् के बारे में एक बिल माननीय मंत्री जी ला रहे हैं, सरकार की तरफ से आ रहा है। मेरा निवेदन है कि उस दिन जब स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में बात हो रही थी तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री भी थे। एल0आर0 साहब ने कहा कि अगर हम चुनाव की घोषणा कर दें तो कंटेम्प्ट आफ हाई कोर्ट हो जायेगा, तो उच्च न्यायालय की अवमानना हो जायेगी। इस बहाने को लेकर वह स्थानीय निकायों के चुनाव की तारीख घोषित नही कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट के दोनो फैसले सारे स्वायत्तशासी संस्थाओं और स्थानीय निकायों पर लागू होते हैं क्योंकि उसमें जो कानून का सिद्धान्त निरूपित किया गया है वह सारे स्वायत्तशासी संस्थाओं के

बारे में है। इसलिए मान्यवर, जब हम उस पर विचार कर रहे हैं, तो उन फैसलों का क्या रियेक्शन होगा, इसको जानने के लिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के उन दोनों फैसलों की प्रतियों को सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायें। आपकी पीठ से जो समय-समय पर निर्देश हुए हैं, अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का जो संकलन है, जिसे विधान सभा पुस्तकालय ने प्रकाशित कराया है उसके क्रम संख्या 99 के पेज 423 पर दिया है कि मांग होने पर किसी विधेयक से संबंधित ऐसे साहित्य को सदन की मेज पर रखा जा सकता है, जो गोपनीय न हो ।

इसी तरह से क्रम संख्या 98 के पेज 422 पर दिया गया है कि किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर उससे संबंधित डाकूमेन्ट्स की मांग की जा सकती है। यही बात प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट बाई कौल एण्ड शकधर के थर्ड एडीशन के वालयूम 2 में पेज 831 पर दिया गया है।

इफ ए मिनिस्टर कोट्स इन दि हाउस ए डिस्पैच आर अदर स्टेट पेपर व्हिच हैज नाट बीन प्रेजेन्टेड टु दि हाउस, हेयर इज रिक्वायर्ड आन डिमान्ड टु ले दि रिलिवेन्ट पेपर आन दि टेबुल।

मेरा निवेदन है कि दोनों हाईकोर्ट के जजमेंट हैं, वे दोनों गोपनीय नहीं हैं, उन दोनों जजमेंट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी जायं और उसके बाद ही जिला परिषद् से संबंधित विधेयक पर जो मद संख्या 11, 12, 13 पर कार्य सूची में है, चर्चा करायी जाय। अगर कोई मंत्री सदन के अंदर किसी हिस्पैच या अभिलेख की चर्चा करते हैं, जो सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अगर उसकी मांग की जाती है, तो उसे सदन की मेज पर रखा जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने उस दिन जवाब देते समय कहा था कि हाईकोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया है, जिस पर सरकार की तरफ से रिव्यू की अप्लीकेशन दी गयी है। आज मैं मांग कर रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मसला है, स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित मसला है, हमारे फण्डामेंटल राइट पर असर डालने वाला मसला है। सरकार की ओर से कहा गया है कि चुनावों के बारे में तारीख की घोषणा करने से उच्च न्यायालय की अवमानना हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि एडवोकेट जनरल को सदन में बुला लिया जाय और दोनों फैसलों के संदर्भ में उनकी भी राय जान ली जाय। मेरा इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि सरकार सदस्यों को हाई कोर्ट के जजमेंट की कापी उपलब्ध करा दे और एडवोकेट जनरल को सदन में बुला कर उनकी भी राय जान ली जाय। दूसरा सरकार स्पष्ट घोषणा करे कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक स्थानीय निकायों और जिला परिषदें या उनकी अधीनस्थ संस्थाओं के द्वारा किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी टैक्सों में नहीं की जायगी। दूसरी बात जब हाई कोर्ट ने आपको निर्देशित किया है और कंटैम्प्ट का आप खतरा समझते हैं, तो एडवोकेट जनरल को क्यों नहीं बुलाते? अगर नहीं बुलाते हैं, तो सदन में जिला परिषद् के बारे में और उसकी अधीनस्थ संस्थाओं के बारे में तथा तमाम स्थानीय निकायों के चुनाव के बारे में तिथियों की घोषणा कर दें । अगर आप ईमानदारी से चुनाव कराना चाहते हैं, लोक तांत्रिक मूल्यों और लोक तांत्रिक परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं, तो मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करके सरकार को स्पष्ट घोषणा करने का निर्देश दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक स्थानीय निकायों के चुनाव का संबंध है, इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है और सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण आपके माध्यम से सदन के समक्ष आ चुका है कि वह चुनाव करायेगी और वह उसके लिए उपयुक्त समय पर घोषणा करेगी। जहां तक माननीय तिवारी जी के औचित्य के प्रश्न का संबंध है, जो इन्होंने कहा, उसके सपोर्ट में इन्होंने नियमावली का इत्तला दिया और कौल और शकधर के फैसले का हवाला दिया। तीसरी बात इन्होंने पीठ से दिये हुए फैसले की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इन तीनों के सम्बन्ध में मैं अपना भी डिफेन्स आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि जो भी चीज है उससे संबंधित उसका हवाला दिया जायेगा । नियमावली की जो बात कही गई तो नियमावली के नियम 125 में स्पष्ट उल्लेख है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जांय। मान्यवर, इसमें एक तो बात यह है कि जिस पर विधेयक आधारित हो।

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जिन पर विधेयक आधारित हो। माननीय तिवारी जी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायं। तो मैं माननीय तिवारी जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक उच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यही बात आपने कौल और शकधर के लिए कही और यही बात आपकी पीठ से हुए फैसलों का हवाला देते हुए कही।

मान्यवर, यह जो आज विधेयक आ रहा है वह पहले कार्य मंत्रणा समिति में तय किया गया और अब सदन के सामने आयेगा और सदन उस पर जो फैसला लेगा, अगर सदन उसे पारित करता है तो वह एक निर्णय होगा और उसका पालन करना जरूरी होगा लेकिन यह कहना कि जब तक उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपियां न वितरित कर दी जायं तब तक इसको पोस्टपोन कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक डाकूमेन्ट्स को सदन में लाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक डाकूमेन्ट्स तो कोई भी देख सकता है और फिर सब लोग जानते हैं, अखबारों में निकला है। हर एक सम्मानित सदस्य उससे परिचित है। मेरा तिवारी जी से अनुरोध है कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया इसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, चुनाव के लिए जितना उनको फिक्र है उससे कहीं ज्यादा उसकी चिन्ता सरकार को है कि वह चुनाव करा दिये जायं लेकिन जहां तक औचित्य का प्रश्न है, यह 300 में नहीं आता। इसके ऊपर आधारित और इससे संबंधित अगर कोई कागज हैं, डाकूमेन्ट्स हैं तो उन चीजों को सदन में रखना आवश्यक नहीं है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको औचित्य के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मान्यवर, आपके द्वारा माननीय विधायकों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वह सुविधा चाहे आवास की हो, टेलीफोन की हो, पानी की हो या बिजली की

हो, जो भी सुविधायें हैं, उनका उद्देश्य तो सही है कि उनकी कोई क्षमता बनी रहे और कार्य क्षमता बढ़ती रहे ।

मान्यवर, इस सत्र का आरम्भ 18 तारीख से हुआ और 16 तारीख को मैं यहां आया। आज 14 दिन बीत चुके हैं लेकिन मेरे निवास बी-104 का टेलीफोन आज तक ठीक नहीं हो पाया है। मैं घर में सोचता हूं कि यहां से कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो कार्यालय आता हूं और परिसर के अन्दर विधान मण्डल दल कार्यालय भा0 ज0 पा0 के फोन से बात करना चाहता हूं तो वहां का फोन भी खराब मिलता है। इसके अतिरिक्त लाबी "नही" में आपने एक टेलीफोन उपलब्ध कर रखा है वह भी ठीक नहीं रहता है। अभी 4 दिन हुए, मार्शल महोदय वहां खड़े थे और जब टेलीफोन घुमा-घुमाकर उनकी उंगलियां थक गयीं तो मुझे पता चला कि यह पीड़ा हम लोगों की ही नहीं है, उनका भी टेलीफोन खराब है । हमारे पड़ोस में बी-105 में रहते हैं डा0 दिनेश जौहरी, उनका टेलीफोन 3 महीने से खराब पड़ा है। "बी 103" में श्री रमाशंकर कौशिक जी रहते हैं यह सोचते हैं कि आपके यहां से आकर अपने टेलीफोन की कम्पलेंट करूं, मैं उनसे कहता हूं कि मेरे यहां की कम्पलेंट भी कहीं और से कर दें । हमारे माननीय विधायक द्विवेदी जी हैं, इनकी भी यही हालत है, हमारे शाही जी हैं इनकी भी यही हालत है । इसीलिए मान्यवर, मैंने अपने औचित्य के प्रश्न में एक वाक्य में यह कह दिया है कि मेरी जानकारी है कि दारुलशफा व विधायक निवासों में व जितने भी पार्टी के दफ्तर हैं, सदन की "नो-लाबी" को मिलाकर, सभी की हालत एक जैसी है । अर्थात 14-15 दिनों से यह सारे टेलीफोन्स खराब पड़े हुए हैं, मेरे द्वारा तथा अन्य माननीय विधायकों के बराबर कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है । माननीय राम आसरे वर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि उनके यहां भी फोन खराब है ।

मान्यवर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने यह सुविधा माननीय विधायकों को दी है ताकि अपने कार्य की क्षमता को बढ़ावें और सार्वजनिक हित के कार्यों को सामना करने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, परन्तु आज हम लोग 14-15 दिनों से परेशान हैं, कोई कार्यवाही अब तक नहीं हो सकी है, इसलिए मैं इस मामले को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाकर आपसे यह अनुरोध करूंगा कि दारुलशफा की हालत बहुत खराब है, अगर वहां से बिजली गयी तो पानी भी गया, अब नहाने को बैठे हैं । प्रतिदिन हम लोगों को नियम 301, नियम 51 व 56 में सूचनाएं देनी होती हैं, माननीय राजेन्द्र जी तो यह सूचनाएं बहुत देते हैं, बिजली के चले जाने पर बेचारे टार्च की रोशनी से काम चलाते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह व्यवस्था आपसे संबंधित है और माननीय हरीश जी ने जो इस संबंध में कहा है औचित्य के रूप में, मैं भी अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं और इनके लिए ऐसी कोई समुचित व्यवस्था करें कि इनकी उंगलियां थकने न पांय और इनका काम हो जाय । (हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा –

मान्यवर, इसी पर कुछ लोगों को और सुन ली जिए, बड़ी कृपा होगी ।

एक सदस्य –

मान्यवर, दारुलशफा में जितने भी कूलर लगे हुए हैं, वह सब बेकार पड़े हुए हैं, इनको ठीक कराने के लिए यदि मान्यवर, आप अपने यहां के किसी एक मैकेनिक से कह दीजिए, वह सब ठीक हो सकते हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, समस्त उत्तर प्रदेश का सामान्य रूप से विकास हो सके इसका दायित्व सरकार पर है । मान्यवर, प्रदेश के समस्त क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कभी भी किसी प्रकार भेद-भाव नहीं होना चाहिए चाहे विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, लेकिन यह औचित्य का प्रश्न जो आपके सामने मैंने रखा है, उसमें अत्यंत ही एक गम्भीर औचित्य का विषय है । राज्य सरकार ने सन् 1982 में तहसीलों के पुनर्गठन के लिए समिति राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनाई थी, जिसने देवरिया जनपद के कसया, तथा गोरखपुर के चौरी-चौरा में तहसील बनाने की संस्तुति की थी और 12 अप्रैल, 1986 को मंत्रि-परिषद् की बैठक में भी समिति की इस रिपोर्ट पर सहमति दे दी गयी थी और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा वे 12 अप्रैल को मंत्रि मण्डल के बैठक के उपरान्त प्रेस कांफ्रेन्स में भी प्रथम नं0 पर कसया तथा दूसरे नं0 पर गोरखपुर के क्षेत्र चौरी-चौरा में तहसील बनाये जाने का उल्लेख किया गया था । इसके अतिरिक्त अन्य 32 तहसीलों के गठन की घोषणा भी हुई थी, जिसकी फोटो स्टेट कापी भी आपकी सेवा सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, इसी सत्र के प्रथम सत्र में नवें शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में मुझे यह सूचना मिली कि जितनी भी नयी तहसीलों के खोले जाने की बात कही गयी है उसमें पुनर्गठन समिति के निर्णय के अनुसार क्रमांक -1 पर देवरिया जनपद के कसया नामक स्थान पर भी तहसील खोले जाने का प्रस्ताव है, परन्तु मान्यवर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कसया से बदलकर तमकुही राज में नई तहसील की स्थापना कर दी गयी है, वह इस लिए कि कसया से विपक्ष के विधायक चुनकर आए हैं और तमकुही राज से कांग्रेस के विधायक हैं ।

मान्यवर, तहसील पुनर्गठन समिति के निर्णय को और अपने ही मंत्रि-परिषद् के निर्णय को बदलने का काम श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार ने किया है । इसी प्रकार से गोरखपुर में चौरीचौरा में तहसील स्थापित करने की बात थी, उस पर भी मंत्रि-परिषद् का निर्णय था । भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चौरी-चौरा का एक विशेष स्थान रहा है, उसके हक को समाप्त करके मुख्य मंत्री जी ने अपने गांव के निकट खजनी में तहसील की स्थापना की है । मेरा आरोप है कि सरकार जानबूझकर विपक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है और उन क्षेत्रों का विकास कार्य ठप है । इसलिए इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपका संवैधानिक दायित्व है और इस पूरे सदन का दायित्व है कि यदि सरकार उसके किसी सदस्य के क्षेत्र की उपेक्षा राजनैतिक दुर्भावना से कर रही है तो उसको संरक्षण दिया जाय । मैं आपके माध्यम से इस औचित्य के प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील पुनर्गठन समिति के निर्णय और 12 अप्रैल, 86 के मंत्रि-परिषद् के निर्णय के अनुसार कसिया और चौरी-चौरा में तहसील की स्थापना की जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मा0 शाही जी मे जो तहसील के बारे में कहा वे स्वयं जानते हैं कि यह प्रश्न औचित्य के प्रश्न में नहीं आता । लेकिन शाही जी ने जो बात बताई है, यह एक प्रशासनिक मामला है । जहां पर तहसील की घोषणा हुई है, उसके बाद ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि और तहसीलें न बनाई जायं । इसलिए शाही जी से अनुरोध है कि वे सारी बातें शासन के सामने हैं पहुंचा दें और कोई बात होगी तो विचार किया जायगा । वैसे यह औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मैंने पहली की गयी घोषणा से भी पहले इसके बारे में लिखा था और उसकी फोटोस्टेट कापी आपके सामने है । मंत्रि-परिषद् का निर्णय भी आपके समक्ष रखा है । सारी बातें जानकर विपक्ष के सदस्यों के क्षेत्रों की जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है और कदाशयतापूर्वक राजनीतिक दुर्भावना से उक्त निर्णय लागू नहीं किया गया । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो तहसील पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट है, और जो पूर्व मंत्रि-परिषद का निर्णय है और जो इसी मंत्रि-परिषद की घोषणा है, उसको लागू कराया जाय ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह एक प्रशासनिक मामला है । मैं जानना चाहता हूं कि तहसील पुनर्गठन समिति और कैबिनेट ने पहले चौरीचौरा और कुशीनगर के अलावा गोरखपुर में परमापुर को तहसील बनाने का निर्णय लिया था । सन् 1987 की तहसील पुनर्गठन समिति की बैठक में ही यह तय कर लिया गया था ।मैं जानना चाहता हूं कि यदि आपकी नीयत साफ है तो जो पहले निर्णय लिया जा चुका है कि कुशीनगर, परतापुर और चौरीचौरा को तहसील बनाया जायगा । उसकी घोषणा भी की गयी थी । लेकिन जहां की कोई चर्चा नहीं है, जहां के बारे में कमेटी ने कोई रिकमण्डेशन नहीं की है, वहां के लिए राजनीतिक आधार पर यह घोषणा कर दी गई । इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या जनतंत्र में विपक्ष के लिये कोई अधिकार नहीं है । क्या हमारे यहां विकास की गंगा उन्हीं क्षेत्रों में बहेगी जहां सत्ता पक्ष के लोग हैं । इसलिए मान्यवर, जहां के लिए कोई विवाद नहीं है । कमेटी, शासन और मंत्रि-परिषद् निर्णय ले चुका है, वहां तहसील न बनाकर नयी तहसील बनाने की घोषणा की है ।मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी कुर्सी परमानेन्ट नहीं है । आपको एक दिन यहां आना है और हमको वहां पर जाना है, तब आप हमसे क्या अपेक्षा करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी शाही जी ने अपने क्षेत्र की परेशानी व्यक्त की । मान्यवर, यह एक नीति संबंधी प्रश्न है कि क्या शासन के निर्णय को क्रियान्वित करने में जो प्राथमिकता दी जायगी, उसमें इस बात पर विचार किया जायगा कि वहां पर सत्ता पक्ष का विधायक है या विपक्ष का । शासन ने इस मामले को प्रशासनिक मामला कहकर टालने की चेष्टा की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि यह औचित्य का प्रश्न आपके सामने है और आपसे सम्बन्धित है इसलिये आप इसके सम्बन्ध में शासन को निर्देश देने की कृपा करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो पहले निर्णय हो चुके हैं, मंत्रिपरिषद के फैसले हो चुके हैं कि संदर्भित स्थानों पर तहसीलें खोली जायेंगी, वह कार्यान्वित हो जायें, उसके बाद किसी अन्य के बारे में निर्णय लिया जाता है तो वह भी स्वागत योग्य है । लेकिन मैं इस तरह की नीति की भर्त्सना करता हूं । आपका संरक्षण चाहते हुए यह अपेक्षा करता हूं कि आप इस संबंध में शासन को समुचित निर्देश दें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने मतभेद की बात कही कि विपक्ष के जहां पर विधायक हैं वहां भेदभाव बरता जा रहा है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो जो हमारी डि-सेन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में बराबर पैसा भेजते हैं और वहीं के माननीय विधायकगण बैठकर योजना के बारे में तय करते हैं, उस वक्त न तो कोई पक्ष होता है और न कोई विपक्ष होता है, वह योजना नहीं होती। मान्यवर, किसी भी विकास कार्य के बारे में हमारे सामने उत्तर प्रदेश का नक्शा रहता है, राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई फैसला नहीं करते हैं। जहां तक तहसील की बात है, माननीय शाही ने कहा कि 4 तहसीलों की घोषणा की गयी, बाकी की नहीं की गयी, मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा का कोई अंत नहीं है, यह नहीं है कि आगे नहीं होगी। वे शासन से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें, हम सभी का प्रयास होगा कि अगर ऐसा कोई बिन्दु है, तो सहानुभूति पूर्वक उस पर विचार करके कुछ किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय शाही जी ने, माननीय ओझा जी ने और मैंने भी बात कही मैं उस पर शासन का स्पष्ट आश्वासन चाहता था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिला योजना की बात कहकर फिर बात टालने की बात की। मान्यवर, हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तहसील की बाबत फैसला तो शासन स्तर से ही होगा। मैंने यह आश्वासन चाहा था कि जिनकी बाबत पहले निर्णय हो चुके हैं, उनका कार्यान्वयन होगा, उसके बाद ही नई तहसीलों की घोषणा होगी । उसकी बाबत उन्होंने कुछ नहीं कहा ।

मान्यवर, सरकार की इस नीति के खिलाफ पक्ष और विपक्ष का भेदभाव करने की नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल थोड़े समय के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, वह नियम 300 के अन्तर्गत मान्य नहीं है । अगर वह चाहें तो इस समस्या को किसी अन्य नियम के अन्तर्गत या किसी प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी, जहां तक हाईकोर्ट के जजमेंट या फैसले को उपलब्ध कराने की बात है, यह निश्चित रूप से ही है कि यह पब्लिक डाकूमेंट है, कोई भी नागरिक उसको प्राप्त कर सकता है। अब चूंकि सदन में आज इस पर विचार होना है और वह सदन का निर्णय हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूं कि औचित्य का प्रश्न माननीय तिवारी जी का नहीं बनता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहा है कि वह इस संबंध में किसी डेट की घोषणा करें या यह घोषणा करेंगे कि जब

तक प्रतिनिधित्व वाली स्थानीय निकायें नहीं हो जाती हैं, तब तक वह कोई टैक्स नहीं लगायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अगर इस पर कुछ कहना चाहें, तो कहें लेकिन मैं उन्हें इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार स्थानीय निकायों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। अपने बहुमत के सहारे जनता पर टैक्स लगाना चाहती है। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदन त्यागकर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरीश जी ने जो नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी, वह नियम 300 के अन्तर्गत मान्य नहीं है। लेकिन चूंकि वह माननीय विधायकों से संबंधित वह समस्या है। इसी में कुछ माननीय सदस्यों ने आवास सुविधाओं के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है, यह भी नियम 300 के अन्तर्गत मान्य नहीं है। जहां तक टेलीफोन वाली समस्या की बात है, चूंकि वह मा0 विधायकों से सम्बन्धित समस्या है मैं शासन से यह अनुरोध करूंगा कि वे केन्द्र सरकार से टेलीफोन व्यवस्था को ठीक कराने के लिए उचित कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों से संबंधित सुविधाओं के बारे में, जिनका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है, उस विषय में भी देखने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 जो विधान सभा द्वारा 29 जून, 1987 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 30 जून, 1987 को वापस प्राप्त हो गया है।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के काली नदी से लगे हुए गांवों में टनकपुर-पंचेश्वर झूलाघाट-पीपली से खोलभ्यारी (बगड़ीहाट) तक मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र किए जाने विषयक याचिका

*श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के काली नदी से लगे हुए गांवों में व्यापक जनहित के लिए टनकपुर-पंचेश्वर-झूलाघाट-पीपली से खोल-भ्यारी (बगड़ीहाट) तक मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र किए जाने विषय श्री दिनेश चन्द्र पाठ, ग्राम–थल पत्रालय, थल, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत धार्मिक स्थल छिपलाकेदार को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने विषयक याचिका

*श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल छिपलाकेदार को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने विषयक श्री दिनेश चन्द्र पाठक ग्राम थल, पत्रालय-थल, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या-7 पुकारे जाने पर)

विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाये गये आक्षेपों के अन्तर्गत संबंध में दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैंने दो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनायें दो प्रतियों में दी हैं। श्री शतरूद्र प्रकाश जी व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी यहां मौजूद हैं। अध्यक्ष पीठ का अवमान हुआ है और सारे सदन का अवमान हुआ है। या तो आप आज ही इस पर चर्चा करवा दें और अपना निर्णय दे दें या फिर कोई अग्रिम तिथि निर्धारित कर दें। समिति को देने की कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। जो कुछ हुआ है सदन के समक्ष हुआ है। यदि इसी प्रकार अध्यक्ष पीठ का अवमान होता रहेगा तो किस प्रकार सदन की कार्यवाही चल सकेगी। किसी पत्रिका में यदि कोई बात कह दी जाती है, तो उसे बहुत जोरों से अवमानना का प्रश्न यहां पर लाया जाता है। जानबूझकर शब्दों का प्रयोग अध्यक्ष पीठ के लिए किया गया है। मैंने अपनी सूचना में उस कार्यवाही का सूक्ष्म विवरण भी दिया है। पिछले सत्र में भी माननीय श्री गुप्ता जी ने अध्यक्ष पीठ की अवमानना की थी लेकिन बाद में उन्होंने लिखित रूप में माफी मांग ली थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने लिखित रूप में माफी नहीं मांगी थी।

श्री जयदीप सिंह बरार–

उस समय अध्यक्ष पीठ से कहा गया था कि श्री गुप्ता जी ने माफी मांग ली है। इसलिए मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन दोनों माननीय सदस्यों को मेरे द्वारा दी गयी सूचना की कापी भेज दें और इसके लिए एक तिथि निश्चित कर इस पर विचार कर लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, श्री बरार जी ने जो विशेषाधिकार के हनन की सूचना आपको दी है, मैं भी चाहता हूं कि आप इसके लिए समय निर्धारित कर दें ताकि उस पर हम भी अपने विचार रख सकें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री बरार जी, आपकी सूचना माननीय अध्यक्ष को प्राप्त हो गई है। उस पर माननीय अध्यक्ष जो कार्यवाही करेंगे, उससे सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 जून, 1987 की बैठक में सिफारिश की है कि सदन का दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई, 1987 तक का कार्य-क्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय–

जुलाई, 1987	
2 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।
3 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान ।
4 शनिवार	2–उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घंटा)
5 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
6 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान । 2–अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गुटबन्दी के संबंध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।
7 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान । 2–प्रदेश में भयंकर गर्मी लू, पेयजल संकट, अवर्षण तथा सूखे एवं चित्रकूट मेले में 25 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री राम नरेश यादव, राजेन्द्र कुमार गुप्त, शतरुद्र प्रकाश, राम आसरे वर्मा, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, दिवाकर विक्रम सिंह, माता प्रसाद पाण्डेय, सुखपाल पाण्डेय तथा धनराज यादव द्वारा दिनांक 29-6-1987 को दी गयी सूचनाओं पर 2 घंटे की चर्चा ।
8 बुधवार	1–वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान । 2–गन्ना मिलों पर किसानों के बकाये के संबंध में श्री राम नरेश यादव तथा श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा दिनांक 30 जून, 1987 को दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जो अधिष्ठाता ने सदन को दी है, उससे सदन सहमत है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना अभी मैंने सदन को दी है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रथम सत्र 1986 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संबंध में वक्तव्य

(श्री अधिष्ठाता द्वारा "सिंचाई राज्य मन्त्री" को पुकारा गया, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने पर सूचना पढ़ने हेतु श्री हुकुम सिंह को अनुमति दी गयी)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-22 के उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के करण संख्या 219 के अन्तर्गत सूचना सम्बन्धी वक्तव्य निम्न प्रकार है–

[डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर, जो विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित था, मेरे द्वारा सदन में दिया गया था। प्रश्न में यह पूछा गया था कि जनपद बांदा की नरैनी तहसील के कलिंजर एवं फतेहगंज असिंचित क्षेत्र में शासन की सिंचाई योजना की व्यवस्था क्या है? इस असिंचित क्षेत्र के लिए अभी तक कौन-कौन सी योजनायें सिंचाई के लिए बनाई हैं? यह योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी? इस प्रश्न का उत्तर मुख्य अभियंता, बुन्देलखण्ड, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, झांसी से प्राप्त सामग्री के आधार पर दिया गया था। उत्तर में यह कहा गया कि बांदा जनपद के कलिंजर तथा फतेहगंज असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में मसौनी पम्प कैनाल योजना स्वीकृत की गई थी इत्यादि। विधायक महोदय द्वारा इस प्रश्न का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिए जाने की सूचना माननीय अध्यक्ष विधान सभा को दी गई। विधान सभा सचिवालय द्वारा जब इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी मांगी गई तब मुख्य अभियन्ता बुन्देलखण्ड से इस विषय में स्पष्ट सूचना मंगाई गई।

मुख्य अभियन्ता बुन्देलखंड ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रश्न का जो उत्तर भेजा गया था वह त्रुटिपूर्ण था व अधीक्षण अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल झांसी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसमें कालिंजर के साथ-साथ भूलवश फतेहगंज का नाम भी सूचित कर दिया गया था।

उपरोक्त त्रुटिपूर्ण उत्तर भेजने के संबंध में श्री सुखवीर सिंह अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता तथा श्री एम0 एच0 खान, मुख्य अभियन्ता (बेतवा) को दोषी पाया गया तथा श्री सुखवीर सिंह अग्रवाल की चरित्र पंजिका में भर्त्सनात्मक प्रविष्टि तथा श्री खान की चरित्र पंजिका में चेतावनी की प्रविष्टि करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 के अंतर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री राम नरेश यादव, श्री किरनपाल सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री अब्दुल वहीद कुरेशी, श्री विजय सिंह राणा, प्रधान प्रभुदयाल, श्रीमती सरोज वर्मा, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती विमला राकेश, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री अर्जुन सिंह यादव, श्री दीपचन्द्र सोनकर, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, डा0 बंगाली सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री फागू चौहान, श्री हाजी मोहम्मद हयात, श्री बदन सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सूचना दंगाग्रस्त इलाकों में सामूहिक जुर्माने के सम्बन्ध में है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मेरा भी नाम होगा इसमें।

श्री अधिष्ठाता–

जी हां, आपका नाम भी है शुक्ल जी।

श्री अधिष्ठाता—

तीसरी सूचना श्री सुख पाल पाण्डे तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की बस्ती कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिपिकों की छंटनी के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की गोरखपुर जनपद में रामगढ़ ताल योजना के नाम पर 22 गांवों को उजाड़े जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रिछपाल सिंह बंसल की ग्राम दौलतपुर जनपद मेरठ में 6 किसानों का अपहरण एवं हत्या के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मैनेजर सिंह की गोरखपुर जनपद में अघोषित कर्फ्यु के दौरान हत्यायें किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की महिला श्रमिकों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरी सूचना को निरस्त कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो दो स्थानों पर हस्ताक्षर के कारण पहले ही निरस्त हो गयी।

आठवीं सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की आगरा की एतमादपुर तहसील में वसूलयाबी में किसानों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में बिजली की अनियमित आपूर्ति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की भी इसी विषय पर है।

11—श्री फजलुल बारी	बधुआ मजदूरों की मजदूरी की दरों में कटौती।
12—श्री मो0 रिजवानुल हक, श्री सखावत हुसैन।	थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद में रोड होल्ड अप।
13—श्री देव कुमार यादव	चित्रकूट मेले में पेयजल के अभाव में यात्रियों की मृत्यु।
14—श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अमीर आलम खां।	प्रदेश में सूखा।
15—श्री दिनेश जौहरी	बरेली, मुरादाबाद व कुमायूं मण्डल की चीनी मिलों से वायु प्रदूषण।
16—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	गोसाइगंज जनपद फैजाबाद में पेयजल का अभाव।

यह जो पहली सूचना है दंगा ग्रस्त इलाकों में सामूहिक जुर्माना के विषय में तो इस संबंध में मैं कुछ निवेदन कर दूं । क्योंकि इसमें काफी मा0 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं इस सूचना में और यह नियम 56 में सूचना दी गयी है, आप सबको मालूम है कि आज बजट की सामान्य चर्चा का भी अन्तिम दिन है जिसमें सत्ता पक्ष के और विरोधी पक्ष के सभी सदस्य बोलना भी चाहेंगे अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, इस सूचना में में हस्ताक्षर इतनी तादाद में हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है । मैं समझता हूं कि इसमें से हमारे जो नेता हैं उनमें से एक या दो इस महत्वपूर्ण विषय पर बोल लें । मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे ?

श्री सत्यपाल सिंह—

ठीक है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना आपके सामने प्रस्तुत है यह एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है । जून 16, 1987 को प्रदेश के मंत्रिमण्डल ने एक फैसला लिया कि जहां-जहां दंगे होंगे प्रदेश में वहां जनता पर सामूहिक जुर्माना किया जायेगा । मुख्य मंत्री ने बताया कि मेरठ के दंगों पर भी सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा । इस फैसले का असर पूरे प्रदेश में पड़ा है, प्रदेश के नागरिक इससे प्रभावित हुए हैं । कहना न होगा कि व्यापक जुर्माने के फैसले को सुनकर लोगों में असन्तोष उत्पन्न हुआ है । मुख्य मंत्री ने बताया कि 1942 में जबकि देश गुलाम था और यहां पर बरतानिया की हुकूमत थी चूंकि अंग्रेजों ने यह काला कानून बनाया था क्योंकि वह गुलामी की मानसिकता से यहां के लोगों को जकड़ना चाहते थे इसलिये सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर चाबुक से, लाठी से तथा आर्थिक आधार पर इस तरह के कानून को प्रचारित करने का काम किया था । यह 1942 का जो अध्यादेश है जिसे कि 13 मई, 1942 को घोषित किया गया था जिसका नाम "कलेक्टिव फाइनेन्स आर्डिनेन्स, 1942" है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है जो कि अंग्रेजी में है, उसे पहले मैं पढ़ रहा हूं बाद में उसका हिन्दी में तजुर्मा भी कर दूंगा । इसमें लिखा है कि वेरेज एन एमरजेन्सी अराईजन विच मेक्स इट नेसेसरी टू प्रोवाइड फार दि इम्पोजीशन आफ कलेक्टिव फाइन्स इन कनेक्शन आन विद आफेन्स प्रेजुडिकली एफेक्टिंग दि डिफेन्स आफ इण्डिया दि पब्लिक सेफ्टी."

मान्यवर, इसका साफ तौर पर तजुर्मा है कि अगर कभी ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाय जिससे कि "इण्डिया" जिसको कि हम "भारत" कहते हैं उस इलाके में जान-माल का खतरा उत्पन्न हो जाय या हो गया हो तब ऐसे लोगों को सजा देने के लिये सार्वजनिक जुर्माना किया जायेगा । मान्यवर, इसी को आधार मान कर सामूहिक जुर्माना घोषित किया गया है और उसमें मेरठ का भी दंगा शामिल है ।

मेरठ के बारे में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री बूटा सिंह, ने कहा कि मेरठ का दंगा पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम है और यह अफसरों की लापरवाही के कारण हुआ है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि मेरठ का दंगा पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम है । मान्यवर, राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि मेरठ का दंगा पूर्व नियोजित था और अफसरों की लापरवाही के कारण हुआ है, अगर अफसरों ने लापरवाही न की होती तो मेरठ में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दंगा न होता । मेरठ का दंगा कुछ लोगों ने योजना बना कर किया है और यह अफसरों की लापरवाही के कारण हुआ है और इसी कारण पुलिस महानिदेशक का स्थानान्तरण कर दिया गया है, एस0एस0पी0 का स्थानान्तरण कर दिया गया है और जो डी0 आई0 जी0 थे, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। इन सभी का एक साथ स्थानान्तरण कर दिया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है और न मुख्य मंत्री जी या गृह मंत्री जी का कोई बयान आया है कि मेरठ के आम आदमी की कोई गलती थी और दंगों के सम्बन्ध में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गयी है । न्यायिक जांच हो जाने के उपरान्त यह साबित होगा कि गलती किसकी थी, और रिपोर्ट आने के बाद ही साबित होगा कि मलियाना में गलती किसकी थी । जब तक जांच का नतीजा नहीं आ जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि गलती किसकी है और इसके पहले आप जुर्माना किस पर लगा देंगे ।

मान्यवर, प्राकृतिक न्याय का इससे उल्लंघन हो रहा है और प्रजातंत्र की मान्याताओं के विपरीत यह कार्य किया जा रहा है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि गलती किसकी है और इसके पहले आप जुर्माना किस पर लगा देंगे ।

मान्यवर, प्राकृतिक न्याय का इससे उल्लंघन हो रहा है और प्रजातंत्र की मान्यताओं के विपरीत यह कार्य किया जा रहा है, उनकी अवहेलना की जा रही है । मान्यवर, आज प्रदेश की जनता पर इस कांग्रेस सरकार ने न जाने कितना टैक्स लगा दिया है, पानी का टैक्स लगा दिया है, सीवर का टैक्स लगा दिया है और बिजली के दाम बढ़ा दिये हैं और जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा दिये गये हैं, जनता पर टैक्स लाद दिये हैं और जो यह टैक्स लगा दिये गये हैं और जो यह टैक्स लगाया जा रहा है, उससे गरीब आदमी के ऊपर एक और टैक्स लगा दिया गया है, मान्यवर, तो यह जन भावना के प्रतिकूल है और इस घोषणा को लेकर जनता में असन्तोष उत्पन्न हो गया है । मान्यवर, इस सदन में इस सरकार को इस काली घोषणा को वापस लेना चाहिये क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता में असन्तोष उत्पन्न हो गया है । आप इस काली घोषणा को जिसको अंग्रेजी ने बनाया था, उसको आप वापस लें और तत्काल वापस लेने की घोषणा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 16 जून को प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है कि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जुर्माना किया जायेगा, तो इस निर्णय से पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ है । मान्यवर, सभी जानते हैं कि दंगों के पीछे किन्हीं लोगों की साजिश होती है, किन लोगों की होती है ? मान्यवर, आप देखेंगे कि जो भी दंगा होता है, वह राजनैतिक प्रेरित होता है और दंगा भड़काया जाता है । अगर दंगा राजनैतिक प्रेरित होता है, तो सजा जनता भोगे यह सही नहीं है । मान्यवर, मेरठ के परिपेक्ष्य में जो यह निर्णय लिया गया है, आप उसको ले लें जितने भी नेताओं ने बयान दिये हैं और जितने भी अफसरों ने बयान दिये हैं, उनसे जनता पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है । कोई कहता है कि दंगा पूर्व नियोजित था और कोई कहता है कि प्रशासनिक अक्षमता के कारण दंगा हुआ और कोई कहता है विदेशी एजेन्ट्स द्वारा दंगा कराया गया । आप देखें कि दंगों की जिम्मेदारी जनता पर नहीं ठहरती है और इस निर्णय के द्वारा सजा जनता को दी जा रही है, यह उचित नहीं ठहराया जा सकता है । मेरठ के परिपेक्ष्य में प्रदेश की जनता पर जो सामू-

हिक जुर्माने की तलवार लटक रही है, उससे जनता में क्षोभ उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और चर्चा की अनुमति दे दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने निवेदन किया था कि अगर सब लोग बोलेंगे तो उसमें काफी समय चला जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय नेता विरोधी दल से भी सहयोग चाहूंगा। केवल इस विषय में दो-तीन लोग ही बोलें।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो सामूहिक जुर्माने का मामला उठाया है वह बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का विषय है। मान्यवर, यह जो सामूहिक जुर्माने का कानून बनाया गया है वह अंग्रेजों के जमाने का है। उस समय की पृष्ठ भूमि कुछ और थी और आज के आजाद हिन्दुस्तान में उसकी पृष्ठ भूमि कुछ और है। उससे अलग पृष्ठभूमि आज की है। वैसे तो आजादी के बाद इस मुल्क में अनेक शहरों में दंगे हुये हैं लेकिन मेरठ के दंगे की तुलना यदि उन दंगों से की जाय तो यह दंगा एक अलग किस्म का दंगा था।

मेरठ में जो दंगा हुआ वैसा सारे हिन्दुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। इस कानून को लागू करते वक्त यह नहीं सोचा गया कि आज सारा मेरठ जल रहा है, अमीर और गरीब मर रहे हैं, दुकानदारों की दुकानें जली हैं, व्यवसाय ठप्प हो गए हैं, और खास तौर से मुसलमानों के घर तबाह हो गये हैं। यह सब तब हुआ जब प्रदेश के मुख्य मंत्री हफ्तों तक वहां पर रहे। उनके रहते चारों तरफ नहरों और नदियों में मुसलमानों की लाशें तैरती रही जिनको पी0 ए0 सी0 ने मारा गोलियों से। तब मेरठ के लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ के इन दंगों के कारण मुख्य मंत्री पर सबसे पहले जुर्माना लगना चाहिए और फिर मेरठ के जिलाधिकारी के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए जिसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। एक महीने पहले वहां पर दंगा हो चुका था, हत्यायें हो चुकी थीं और एक माह बाद वही सिलसिला शुरू हुआ। यह सब वहां के जिलाधिकारी की लापरवाही के कारण हुआ। इसलिये वहां के जिलाधिकारी के ऊपर यह जुर्माना लगना चाहिए नागरिकों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। यदि वहां के नागरिकों के ऊपर जुर्माना लगता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोहसिना किदवई के ऊपर कितना जुर्माना लगाया जा रहा है? इस जुर्माने को लागू करते वक्त सरकार को सोचना समझना चाहिए। यह क्या बिडम्बना है कि एक तरफ तो आप राहत बांट रहे हैं क्योंकि वहां पर लोगों के घर तबाह हो गये हैं एक-एक परिवार के दस-दस लोग मरे हैं और दूसरी तरफ आप उनसे सामूहिक जुर्माना वसूल करना चाहते हैं। यह क्या विरोधाभास है। इसलिये मेरा कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाय और इसकी आज ही इस सदन में घोषणा आप करें। आज मेरठ की हालत ऐसी नहीं है कि वह आपको जुर्माना दे सके। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप वहां के लोगों को समझायें राहत दें। . . . . (व्यवधान)

(श्री लोकपति त्रिपाठी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

आप बतायें । आप तो खुद ही ऐसे मौके पर नहीं जाते हैं और खुश होते हैं जब पी0 ए0 सी0 के लोग जाते हैं और मुसलमानों को भूनते हैं तो ऐसे ही लोग खुश होते हैं जैसे लोकपति त्रिपाठी जी हैं । यह मैं कहना चाहता हूं । इसलिये मेरी मांग है कि आप इस जुर्माने के कानून को वापस लें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मेरठ के सम्बन्ध में सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है और उसके आधार पर जो जुर्माना वसूल करने की बात कही गई है, प्यूनिटिव टैक्स लगाने की बात कही गई है वह बहुत ही निन्दनीय और घृणित है इस प्रदेश की जनता के लिये। इस गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये यह बहुत ही शर्मनाक बात है । इस विषय को इस पृष्ठ भूमि में देखना होगा कि मेरठ में जब अप्रैल में दंगें शुरू हुये तो फिर उसके बाद 18–19 मई को कैसे उसकी शुरुआत हुई। यदि इस दृष्टि से हम इस पर विचार करें तो निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है कि 19 तारीख को जो दुबारा वहां पर दंगा हुआ वह 16 तारीख को जो रैली हुई थी उसी कारण से हुआ । सारे अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान उस ओर लगाया गया दिल्ली में सारी बसें और सारे साधन लगाकर वहां पर रैली के लिए भीड़ जुटाने का कार्य किया गया. . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री राम नरेश यादव—

यह जो दिल्ली रैली हुई उसी से संबंधित है हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इतनी भीड़ कोई जुटा दे तो देखूं । तो जब सारे अधिकारियों का ध्यान उधर हो गया और मुख्य मंत्री जी दिल्ली में बैठ कर इसका संचालन करते रहे तो स्थानीय प्रशासन शिथिल हो गया । एल0 आई0 यू0 की रिपोर्ट और विजिलेंस की रिपोर्ट की ओर सरकारी जो मशीनरी थी उसे जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया । जिससे कुछ मुट्ठी भर तत्वों के इशारे पर यह हालत पैदा हो गयी और मेरठ जलने लगा । अरबों रुपयों का वहां नुकसान हो गया इसलिये आज वहां ऐसी स्थिति नहीं है कि वह टैक्स दे । सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए इस प्रकार पर्दा डाल रही है यह कह कर कि इसमें विदेशी तत्वों का हाथ है । यह केवल सरकार एवं सरकारी मशीनरी की विफलता है । यह जो टैक्स लगाने की बात है इससे, वहां की जनता की भावना को ठेस पहुंची है । इस सरकार को सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है और दूसरी तरफ यह टैक्स लगाना जले पर नमक छिड़कने के बराबर है क्योंकि वहां की जनता पहले ही तबाह हो चुकी है । इसलिये इस खतरनाक चीज को वापस लेना चाहिये और हमेशा के लिये वापस लेना चाहिये क्योंकि इससे शांतप्रिय जनता में जबरदस्त असंतोष है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका नाम तो इसमें नहीं है (व्यवधान) 1 मिनट में समाप्त करें ।

प्रधान प्रभुदयाल

मान्यवर, मैं मेरठ से आता हूं । मान्यवर, यह कहना गलत है कि यह झगड़ा हिन्दू और मुसलमानों का है । यह झगड़ा शासन की बेवकूफी का है एक ही जगह पर

तीन तीन बार झगड़ा होता है, एक ही मुहल्ले में होता है और यह सरकार सोई रहती है। झगड़ा कराने वाले कौन हैं, यही पता यह सरकार नहीं लगा सकी हमारे देहात में एक कहावत है लड्डू पेड़ा देवर खाए, मूंड मुड़ाने भाभी जाए, यह झगड़ा चन्द गुन्डों का कराया हुआ है जो इंका की सैलों के संरक्षण में चंद गुंडे पलते हैं जो आम रास्तों में राहजनी करते हैं, छुरा मारते हैं और फरार हो जाते हैं। उनको संरक्षण इन्हीं इंका का है। हमारी जो एम0पी0 हैं सीधे उनके पास यह गुन्डे जाते हैं। तो उनके यह कारनामे हैं क्या उसका जुर्माना मेरठ की गरीब जनता भरेगी। उनको वैसे ही 15, 20 दिनों तक कमाने खाने का मौका नहीं मिला तो उन पर यह टैक्स और लगेगा। हमारे वीर बहादुर जी वहां मौजूद थे और उधर कत्लेआम हो रहा हो, डी0 एम0 बैठा हो और जनता का कत्लेआम हो रहा हो यह क्या बात है। इस दंगे गर्दी में हिन्दू भी फुंके और मुसलमान भी फुंके और फिर उन्हीं से टैक्स वसूलें यह कहां का न्याय है ? इससे तो एक ही दफा उन पर बुलडोजर चला दो तो अच्छा रहेगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब सारी बातें आ चुकी हैं। (व्यवधान) माननीय अनुग्रह नारायण जी आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। (व्यवधान) एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, यह 16 जून को शासन ने जो घोषणा की है इससे मेरठ तो प्रभावित है ही इसके साथ साथ पूरा प्रदेश और खासकर वह जो 30 संवेदनशील स्थान सरकार ने घोषित किये हैं जहां पर धरना प्रदर्शन रैलियां निकालना आदि करना मना कर दिया है वहां जैसे इलाहाबाद, वाराणसी आदि जिलों की जनता में भी यह आशंका व्याप्त हो गयी है कि उन पर भी यह टैक्स लग सकता है। मेरठ में जो घटना हुई उसका सारा दोष प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य मंत्री और शासन स्तर पर सभी लोगों ने पूर्व नियोजित तथा कुछ विदेशी ताकतों पर डाला है। इससे सभी नागरिक दुखी हैं कि यदि किसी गुण्डे ने या विदेशी व्यक्तियों ने इस तरह षड़यंत्रकारी की घटना कर दी तो उसका बोझ हम पर सामुहिक जुर्माने के रूप में पड़ेगा। मेरठ में तो यह तात्कालिक प्रभाव से लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में भी असंतोष एवं आतंक व्याप्त है। जो कानून प्रिय और शांतिप्रिय लोग हैं उनके दिलों में भी इसका भय घुस गया है कि करेगा कोई और भरना हम सब लोगों को पड़ेगा अर्थात हम लोगों पर अर्थ दण्ड लगेगा तो इससे भारी असंतोष है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मजमूई जुर्माने की बात है इसका असर गरीब लोगों पर पड़ेगा और दंगे फसाद में ज्यादातर लोग गरीब ही मरते हैं। इसलिये सरकार का इस तरह का एलान करना मुनासिब नहीं है।

मान्यवर, जहां तक मेरठ फसाद का तालुक है तो वहां पी0 ए0 सी0 ने बहुत जुल्म किए हैं। मुख्य मंत्री और गृह मंत्री, केन्द्रीय मंत्री बूटा सिंह, और मोहसिना किदवई जी वहां मौजूद थीं जिनके रहते यह दंगा-फसाद ज्यादा हो जाये तो यह ज्यादती नहीं है ? मान्यवर, मेरठ में यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसको मुख्य मंत्री भोगें और आम

जनता पर इस तरह का जुर्माना डालना मुनासिब नहीं होगा । मान्यवर, मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि पी0 ए0 सी0 जो मुसलमानों पर खासतौर से जुल्म करती है उस पर सरकार ने विचार नहीं किया और अक्लियत के लोग इससे मुतमईन नहीं हैं चूंकि इंसानों का कत्ले आम उनके साथ अन्याय हो रहा है । इस संबंध में मैं एक शेर कहना चाहता हूं :–

"ऐ वतन खाके वतन, वो भी तुझे दे देंगे,
बच रहा है जो लहू, अब के फसादात के बाद,
राम और गौतम की जमीं, हुरमते इंसा की अमी,
बांझ हो जायेगी, क्या, खून की बरसात के बाद ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

अधिष्ठाता महोदय, यह जो सामूहिक जुर्माने की बात माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राम नरेश यादव, श्री किरनपाल और श्री शफीकुर्रहमान बर्क जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उठाई और यह कहा कि मेरठ में जुर्माना लगा दिया गया है या लगाया जा रहा है । मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि एक निर्णय मंत्रि परिषद् ने यह लिया कि जिन स्थानों पर इस प्रकार की घटना होगी वहां पर यह जुर्माना लगाया जा सकता है । मान्यवर, यह कोई निर्णय नया नहीं है और श्री शतरुद्र प्रकाश जी का मैं आभारी हूं कि आज उन्होंने स्वयं कलेक्टिव फाइन्स आर्डिनेन्स, 1942 का जो शुरू का प्रिएम्बिल पढ़कर सुनाया जबकि कल कह रहे थे नई चीज सरकार ने कर दिया है । मान्यवर, उसके अन्दर साफ-साफ है कि कहीं पर भी अगर . . . .

एक सदस्य–

यह तो अंग्रेजों के समय का बना है ।

श्री अम्मार रिजवी–

अंग्रेजों के समय का तो बना हुआ सी0आर0पी0सी0, आई0पी0सी0 है, यह डोम और छत भी है, फर्नीचर है और घड़ी स्वीटजरलैंड से आयी होगी । तो जो अच्छी चीज है वह ठीक है ।

तो मान्यवर, जो श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने पढ़ा–व्हेयरएज एन एमर्जेन्सी हैज एराइशन व्हिच मेक्स इट नेसेसरी टु प्रोवाइड फार दि इम्पोजीशन आफ कलेक्टिव फाइन्स इन कनेक्शन विद अफेन्स प्रेजुडिकली एफेक्टिंग दि डिफेन्स आफ इण्डिया (दि पब्लिक सेफ्टी, दि मेन्टेन्स आफ पब्लिक आर्डर, दि एफिशियन्ट प्रोसिक्यूशन आफ वार, आर दि मेन्टेन्स आफ सप्लाईज आर सर्विसेज नेससरी टु दि लाइफ आफ दि कम्यूनिटी)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्री शतरुद्र प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने पढ़ा है उसके अनुसार जहां पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जब मुल्क के अन्दर खतरा पैदा हो गया है, जो देश की स्थिति और स्ट्रक्चर है, उस पर खतरा

पैदा हो गया है, पब्लिक मेन्टीनेन्स पर खतरा पैदा हो गया है, यदि किसी से युद्ध कर रहे हैं वहां पर खतरा पैदा हो गया है तो क्या कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जा सकता है जिससे उसको रोका जाय । क्या श्री शतरुद्र प्रकाश कहेंगे कि नहीं । मुल्क की वरीयता और सुरक्षा का जहां सवाल है क्या उसको पीछे डालेंगे और कहेंगे कि अंग्रेजों का है उस पर बात न करें। मान्यवर, जहां पर मुल्क की अखण्डता, जहां पर अक्षुण्णता और इस देश और प्रदेश के ला एण्ड आर्डर का सवाल होगा, वहां पर प्रदेश सरकार, जितना भी सख्त कदम हो सकेगा उठायेगी । उसमें कोई शको सुबहा नहीं है । क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे बराबर का घर जल रहा हो, हमा पड़ोसी जल रहा हो और हम अपने घरों में बैठे तमाशा देखते रहें । क्या यह पड़ोसी का कर्तव्य है या उसके लिए किसी हालत में उचित कहा जायेगा कि जब दूसरे के घर में आग लगी हो तो वह अपने घर को बन्द कर अन्दर बैठ जाये । क्या उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह देखें कि बदमाश, दंगायी और आततायी लोग वहां पर न पहुंच पाएं और कोई खुराफात न करने पाएं (व्यवधान) उसके इस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है. .

श्री किरनपाल सिंह–

जब कांग्रेस पार्टी के लोग, नेता लोग ही, शासन में बैठे लोग ही झगड़ा करायेंगे, लूटमार में शामिल होंगे तो किसकी हिम्मत है कि उनको रोक सके । जब वे बन्दूक और पिस्तौलधारी दंगाई तत्व कांग्रेसियों की छत्र छाया में और उनके मिले हुए संरक्षण में आजादी से घूम रहे हैं तो कैसे कोई उनको रोक सकता है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिए ।

श्री किरनपाल सिंह—

देश के बटवारे की बात यह कह रहे हैं, देश को बेचने की बात यह कह रहे हैं तो यह सब कैसे रुक सकता है । विदेशों में दलाली यह करें, कमीशन और रिश्वत यह खायें, देश का पैसा यह बाहर ले जाएं, सब कुकर्म यह करें. . . . (व्यवधान) देश भक्ति इसमें थी, आज हर आदमी घायल है. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह में बिलकुल इजाजत नहीं दूंगा, अब अब आप बैठें । यह यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । आप जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री किरनपाल सिंह—

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें । आपने अपनी बात कह ली है, अब संसदीय कार्य मंत्री को पूरी बात अपनी रखने दीजिए (व्यवधान)

नोटः-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थान में ला एण्ड आर्डर बना रहे । यह हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि यह देखें कि हमारा पड़ोसी इत्मिनान से रह रहा है । उस पर कोई खतरा हो रहा है, तो हम जाएं । यह प्राविधान है कि गांव में कोई लाइसेन्सी बन्दूक है और वहां किसी जगह डाका पड़ रहा है तो उस आदमी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बन्दूक लेकर मौके पर जाए और यदि वह अपनी बन्दूक लेकर नहीं जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है । एक आदर्श नागरिक की दृष्टि से क्या यह हमारा फर्ज नहीं है ।

जो सामूहिक जुर्माने की बात है, कही गई है कोई किसी जगह पर रहे, जुर्माना अभी लगाया नहीं गया है । एक सरकार ने निर्णय लिया कि जिन स्थानों पर ऐसी कोई घटना होगी, वहां पर, सब लोगों को उसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ताकि सामूहिक रूप से लोग यह बात समझें कि हमें ला एण्ड आर्डर कायम रखना है । ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब, तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे में ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग भी आ जाएं, जो उसमें बिलकुल शामिल न हों, लेकिन मुल्क के ला एण्ड आर्डर और व्यवस्था के खातिर ऐसा फैसला करना पड़ता है । तो जो शतरुद्र प्रकाश जी ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव उठाया है उसमें मान्यवर, एक तो कोई जुर्माना लगाया नहीं गया है, जो पहले कानून था उसके तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी स्थिति हुई तो ऐसा करेंगे । मान्यवर, गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसा किया गया है अब यह लोग कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार वहां है, लेकिन मान्यवर, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां भी जुर्माना लगाया गया है, जब जख्म ज्यादा उभर जाता है तो उसका आपरेशन करना जरूरी हो जाता है, तो जनता के हित के लिए और तमाम चीजों के लिए यह जरूरी है। जहां कहीं स्थिति स्ट्रीम पर पहुंच जाती है तो प्यूनेटिव फाइन किया जाता है । वैसे मान्यवर, अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार को अधिकार है कि शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए वह कोई कदम उठाये ।

(इस समय सदन 1 बजकर 45 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ । 2 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, सामूहिक जुर्माने वाले मामले पर क्या हुआ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हम लोगों पर बहुत से सवाल उठाये हैं । हम चाहेंगे कि हमको मौका दिया जाय ताकि हम स्पष्टीकरण दे सकें ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम–56 में इस संबंध में जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया था उसको सुना गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भी दे दिया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, उस पर निर्णय देने के पहले सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी पूरी बात सुन लें । मैं इसको चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपने चर्चा के लिये स्वीकार किया उसके लिये आपको साधुवाद लेकिन मान्यवर, मुझे सुन लें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि मेरठ के अन्दर जो दंगा हुआ वह चिंता की बात है । मुझे यह कहना है कि वहां 3 तरह की जांचें चल रही हैं । न्यायिक जांच चल रही है, सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है और उच्च अधिकारियों की जांच चल रही है । यह सब जांचें चल रही हैं और किसी निर्णय पर अभी पहुंच नहीं रहे हैं और सामूहिक जुर्माने की बात की जाती है । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों के अन्दर इस तरह के सामूहिक जुर्माने किये गये । यह जो मेरठ में दंगा हुआ है तो इससे पहले भी कई बार दंगे हो चुके हैं, जहां तक मेरी जानकारी है एक मुरादाबाद के अन्दर सामूहिक जुर्माने की बात कही गयी थी और बाद में मजबूर होकर उसको भी आपको वापस लेना पड़ा था । मान्यवर, आप चर्चा कराने की बात कर रहे हैं इससे उत्तर प्रदेश या मेरठ का कोई भला होने वाला नहीं है । आपका कहना है कि दंगा करने वाले मेरठ से बाहर से आये । दहेली से लोग आये, कभी-कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान का हाथ है तो जब दंगा करने वाले लोग बाहर से आए तो फिर आपने जुर्माना वहां के इनहैबीटेंट लोगों पर क्यों किया । जो दंगा करते हैं या जो दंगा कराते हैं या इंसेंटिव देते हैं उनको कोई सजा नहीं मिलती है । आपका शासन और प्रशासन जो है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यह वर्तमान शासन हत्यारों की संज्ञा देने के काबिल है । जितनी हत्यायें और सामूहिक नरसंहार इनके जमाने में हुये उतने कभी नहीं हुये । आप सामूहिक जुर्माने की बात करते हैं तो उसका शिकार गरीब और अमन पसंद लोग होंगे । जब कहीं पर दंगा होता है तो जो अमन पसंद लोग हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए बेचारे अपने घरों को बंद कर लेते हैं वह दंगा करने नहीं जाते हैं । इस हालत के अन्दर आप इन पर जुर्माना लगायेंगे, उनको आप दंडित करना चाहते हैं बजाय इसके कि उनको कुछ सहूलियत दी जाती । मान्यवर, मेरठ के अन्दर जो हालात पैदा हुए हैं हजारों लोग नहीं तो सैकड़ों लोग मारे गए, करोड़ों की सम्पत्ति बरबाद हुई, वहां पर सैकड़ों बसें, गाड़ियां जलायी गयीं, काफी संख्या में लोग घायल हुए, हजारों लोग जेल के अन्दर बन्द किये गये इस तरह से लोग प्रताड़ित हुए हैं । आज जरूरत इस बात की है कि जो उनके घाव हैं, उन घावों पर मरहम लगाया जाता और हिन्दू और मुस्लिम के बीच जो दंगे की बात पैदा हो गयी उसे दूर किया जाता लेकिन आज अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये उन पर सामूहिक जुर्माना लगाने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं कहना चाहता हूं अगर कहीं पर दंगा हुआ है, तो यह हमारी मांग है, आपकी मांग है, सबकी मांग है कि जो भी दंगाई है, उनको दंडित करिये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जुल्म ढाये गये हैं, लाशों को नदी नहर के किनारे फिकवां दिया गया। इसलिए यह विषय बहुत ही गम्भीर है। जो मेरठ के अन्दर आपने सामूहिक जुर्माने की घोषणा की है। इस सामूहिक जुर्माने की घोषणा को आप इस सदन में वापस कराइये।

मान्यवर, केवल चर्चा से समाधान होने वाला नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हमेशा दंगा होता रहे। मान्यवर, दंगों के अन्दर हमेशा शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता रहा है, मेरठ के अन्दर शांति अमन चैन कायम होगा। लेकिन इस सामूहिक जुर्माने के द्वारा आप उन गरीबों को दंडित और प्रताड़ित करेंगे। इससे समाज का भला होने वाला नहीं है इससे हिन्दू और मुसलमान के बीच खाई बढ़ेगी। आपने जिलाधिकारी को यह आदेश दे दिया है। वह जिलाधिकारी जो अपनी लापरवाही के लिए दोषी पाया जायेगा वह अपनी सारी कमियों को छिपा लेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यपाल सिंह–

वह अपनी सारी कमियों पर पर्दा डालेंगे लेकिन जुर्माना लगायेंगे अपनी उस बात के लिए कि हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, जो अमन पसन्द लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं वह प्रताड़ित किये जायेंगे। इसलिए मान्यवर, मेरी मांग है, इस सरकार से मेरी मांग है, संसदीय कार्यमंत्री से भी अनुरोध है कि इस काले कानून के लिए, इस काली घोषणा को तुरन्त वापस करें और अमन चैन कायम करने के लिए मेरठ में कोशिश करें। यह मेरी मांग है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी और माननीय सदस्य जो बोले थे, उन सब की भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए इस विषय पर चर्चा स्वीकार की है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

कितने घंटे की चर्चा है।

श्री अधिष्ठाता–

एक घंटे की है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह तो बहुत कम है, कम से कम 2 घंटे की करिये।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, 2 घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, चर्चा की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक यह चर्चा न हो, कोई निर्णय न हो तब तक कहीं पर कोई जुर्माना न लगाया जाय, तब तक इसको वापस लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अभी संसदीय मंत्री ने जो कहा है, मैंने जहां तक सुना है उन्होंने कहा है कि अभी कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, तब तक के लिए इसे वापस करवाइये।

श्री अम्मार रिजवी–

अधिष्ठाता जी, आपका निर्णय जो है, वह शिरोधार्य है, वैसे इस पर चर्चा हो चुकी थी, चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो आपका आदेश है, उसका पालन होगा। जहां तक जुर्माने का सवाल है, सरकार ने एक निर्णय लिया है, कहीं पर अभी लगाया नहीं गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जब तक इस पर चर्चा न हो जाय, तब तक जुर्माना न लगाया जाय।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, ये इस काले कानून को वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले रही है। यह जो दंगा हुआ है, वह पूर्व नियोजित और कुछ राष्ट्रघाती ताकतों का षड्यंत्र है, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। सरकार ने खुद विदेशी ताकतों के हाथ का होना बताया है। हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो कि विदेशियों से प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए खतरा बने हुए हैं। तो क्या उन अपराधियों के अपराध की सजा उन निर्दोष व्यक्तियों को दी जायगी, जिनकी शासन रक्षा नहीं कर पाया था। ऐसी स्थिति में सामूहिक जुर्माने की बात करना सर्वथा अन्यायपूर्ण और अनुचित है। इसलिए मैं भी अपने दल के साथ थोड़ी देर के लिए सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सामूहिक जुर्माने के सिलसिले में शासन की ओर से जो बातें आई हैं, उनके विरोध में और सामूहिक जुर्माने के निर्णय को वापस न लेने के विरोध में मैं भी थोड़ी देर के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इस सरकार ने दंगा खुद किया और कराया। जुर्माना तो इनको खुद अपने ऊपर लगाना चाहिए था, जनता पर सामूहिक जुर्माना लगाना गलत है। उसे सरकार वापस नहीं ले रही है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुल बारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आप के माध्यम से मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपसे अनुरोध किया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले की कलेक्ट्रेट में सन् 1982 से और 1966 से 40 कर्मचारी कार्यरत थे, वहां पर 58 कर्मचारियों का चुनाव किया गया, परन्तु उसमें इन 40 कर्मचारियों को नहीं लिया गया। वे लोग अब ओवर एज हो गये हैं। वहां के जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, ए0 डी0 एम0 चयन समिति थे, उन अधिकारियों ने 20-20 हजार रुपये लेकर नये लोगों को रख लिया। मान्यवर, उन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को भी रख लिया। मान्यवर, वे चालीस कर्मचारी जिनके पास 20-20 हजार रुपये नहीं थे, वे लोग किश्तों में रुपया देकर काम करना चाहते थे, लेकिन उन अधिकारियों ने उनके अनुरोध को नहीं स्वीकार किया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसे यह सरकार रोकने में अक्षम है। इनके अधिकारीगण खुले आम लूट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन 40 कर्मचारियों को, जो चयन समिति से चुने जा चुके हैं और पहले से कार्य करते चले आ रहे हैं, उनको नौकरी में रखा जाय और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, ये जो 40 कर्मचारी निकाले गये हैं, उस समय वहां पर श्री आर0 के0 मित्तल साहब कलक्टर थे। वहां पर एक चयन समिति बनी हुई थी। उस चयन समिति के द्वारा ये 40 कर्मचारी जोकि पहले से कार्यरत थे, उनको सेवा में न रखकर अन्य 58 व्यक्तियों को सेवा में रख लिया गया है। यह 40 आदमी वहां काम कर रहे थे और उनका तजुर्बा भी था 5-10 साल का लेकिन उनको हटाया जा रहा है। इसलिए अधिकारियों की नीयत पर शक हो रहा है। मान्यवर, यह सही है कि एक-एक उम्मीदवार से 20-20 हजार रु0 लेकर उनकी भर्ती की गई है और मैं चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाय और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि जो असंतोष व्याप्त है, वह समाप्त हो सके। मान्यवर, यह 40 परिवारों की नौकरी का सवाल है, रोजी-रोटी का सवाल है। वहां सब आन्दोलन कर रहे हैं, सब धरने पर बैठे हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे निर्देश जारी कर दें कि इसकी जांच करवाई जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसकी जांच करवा ली जायेगी और जो न्यायिक रूप से कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जिनको नियुक्ति-पत्र दे रहे हैं और उनके स्थान पर जब आप कोई कार्यवाही करके उनको हटायेंगे तो फिर वह हाईकोर्ट जाकर स्टे ले लेंगे इसलिए जब तक कोई निर्णय न हो जाय उनको ज्वाइन न करवाया जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सारी कार्यवाही रुकी रहेगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोरखपुर की बहुचर्चित रामगढ़ ताल की परियोजना के सम्बन्ध में आज कार्य स्थगन के रूप में लाया हूं। मान्यवर, इस परियोजना में पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनवाने के नाम पर विश्व बैंक से 160 करोड़ रु0 का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पर इसके लिए 22 गावों की 1200 एकड़ जमीन को जबरन किसानों से लिया जा रहा है जिनमें मुख्य हैं सुरसैयाटोला, मनहर, मोहम्मद चक, रामनगर तथा इन्दिरानगर। मान्यवर, गोरखपुर के नागरिकों ने पिछले दो महीनों से लगातार कचहरी पर धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और प्रशासन के इशारे पर कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए लगभग 100 लोगों को फर्जी ढंग से चालान किया गया है और उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पी0 ए0 सी0 लाई गई। उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जिनको मुआवजा दिया जा रहा है वह किसी को कम और किसी को ज्यादा दिया जा रहा है, उसमें समानता नहीं है। मान्यवर, मुख्यमंत्री के कुछ रिश्तेदार, कुछ उनके भाई-भतीजे और सगे सम्बन्धी फर्जी ढंग से अपने नाम जमीन करवा रहे हैं और रामगढ़ ताल आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां पर लोगों ने सत्याग्रह किया है जिसके विरोध में पूरा गोरखपुर जनपद और आस-पास की जनता मे आक्रोश व्याप्त है और आन्दोलन जारी है। यह जिस स्पाट को विकसित करने के लिए 160 करोड़ रु0 लिया गया था उसमें इसको खर्च नहीं किया जा रहा है बल्कि दूसरे लोग उस पैसे का लाभ ठेके के रूप में उठा रहे हैं। रामगढ़ताल से गौतम बुद्ध से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, कुशी नगर से उनका सम्बन्ध रहा है, संबंध कपिलवस्तु से रहा है, श्रावस्ती से रहा है लेकिन मा0 मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी का ध्यान रखकर रामगढ़ परियोजना लागू करके हजारों लोगों के उजाड़ने और बेघर करने के साथ जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं और यह गोरखपुर की जनता के साथ ही नहीं अपितु पूरे उत्तर-प्रदेश की जनता के पैसे के दुरुपयोग का सवाल है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करवाने की कृपा करें।

*पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, रामगढ़ ताल एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है और उसके सौन्दर्यीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मान्यवर, यह सही बात है कि यदि किसी योजना या परियोजना को बढ़ाया जाता है तो वहां पर जो लोग होते हैं, उनको योजना के क्रियान्वयन के लिए हटाना ही पड़ता है, हां, इसमें ऐसे कुछ लोग अवश्य हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है परन्तु उन्हें उसका उचित मुआवजा दिया जायेगा और किसी के साथ कोई भेद-भाव रूपी कार्यवाही नहीं की जायेगी और जहां तक माननीय शाही साहब ने 160 करोड़ रु0 की बात कही है, यह पता नहीं कहां से इतने रुपये ले आए अगर हमारे पास इतने रुपये होते तो अब तक समस्त योजना पूरी कर ली गयी होती और जहां तक फण्ड को डाइवर्ट करने का प्रश्न है, ऐसी कोई बात नहीं है और जहां तक रामगढ़ ताल योजना की बात है, यह सही है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है जो प्रदेश के विकास के लिए सौन्दर्यीकरण के रूप में बहुत जल्द सामने आयेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसे स्वीकार कर लें यह बहुत बड़ी धनराशि से संबंधित मामला है, कृपया इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी पर्यटक विभाग का विधेयक कुछ दिन बाद यहां आयेगा, माननीय सदस्य समस्त बातें लिखकर दे दें, उसमें सारी शंकाओं का समाधान आ जायेगा, इसलिए इस पर किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसे स्वीकार कर लें क्योंकि सरकार को इसमें जो घोषणा करनी चाहिए थी, वह कुछ कर नहीं रही है कि इसमें जिन लोगों के घरबार उजाड़े गये हैं उनको कहीं अन्यत्र स्थान यह सरकार देगी अथवा नहीं, इसपर यह सरकार क्या विचार कर रही है। और दूसरी बात मान्यवर, यह कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जिनके दामाद के नाम से व अन्य रिश्तेदारों के नाम से उसमें जमीनों का आवंटन कर दिया गया है, परन्तु इस मामले में सरकार बिल्कुल मूक है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय शाही जी ने एक बहुत बड़ा और गम्भीर आरोप लगाया है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के निकट संबंधियों के नाम से ज़मीन आवंटित की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 गुप्त जी, आपने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है और मा0 मुख्य मंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं, आप तो पुराने सदस्य हैं, इस तरह की बात करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हां मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यही है कि बड़ा गम्भीर आरोप है कि मा0 मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदारों के नाम फर्जी कब्जा दिखाकर उनको बड़े पैमाने पर मुआवजा दिया जा रहा है, मान्यवर, इन मामलों की जांच कराने की कृपा करें और इस पर यहां वक्तव्य स्वीकार करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, राजेन्द्र जी की पुरानी आदत है व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाने की। मा0 शाही जी व मा0 गुप्त जी ने जो भी आरोप मा0 मुख्य मंत्री पर या उनके रिश्तेदारों पर लगाये हैं वह नितांत सत्य से परे और निराधार है, उसमें कोई सच्चाई का बल नहीं है और जिन लोगों की जमीनें ली गई हैं जो उस पर काबिज थे, इसकी जांच कराकर उन्हीं लोगों को मुआवजा मान्यवर, दिया जायेगा, दूसरे किसी को भी नहीं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं यह जो काम रोको प्रस्ताव लाया हूं इस निवेदन के साथ कि इस पर या तो आप चर्चा करा दें अथवा आप सरकार से इस पर वक्तव्य दिला दें।

*श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं गोरखपुर का निवासी हूं और मुझे वहां के बारे में तथा इस योजना के बारे में पूरी जानकारी है इस सम्बन्ध में शाही जी व गुप्त जी ने जो कुछ कहा है बिना किसी जानकारी के आधार पर निराधार व सत्य से परे बातें कहीं हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी पर व उनके रिश्तेदारों पर जो भी गम्भीर आरोप लगाये हैं, उन्हें आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए क्योंकि यह सारी बातें तथ्यहीन हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी व इनके रिश्तेदारों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय सदस्य को ग्राह्यता पर सुना जो नियम 56 के अन्तर्गत दी गई है, उसे अस्वीकार करता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, ग्राम दौलतपुर, थाना व तहसील सरधना, जिला मेरठ की घटना के बाबत मैं कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान ग्राम दौलतपुर, तहसील एवं थाना सरधना जिला मेरठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, 7/8 जून की रात को ग्राम दौलतपुर के 5 किसान जिनके नाम (1) घसीटू पुत्र तिरखा, (2) विजेन्द्र कुमार पुत्र श्यौराज सिंह, (3) सुनहरा पुत्र हरज्ञान, (4) चन्दरू पुत्र दुर्गा, (5) नकली पुत्र उमराव और (6) रामचन्द्र पुत्र उमराव हैं, ये अपने खेतों पर पानी कर रहे थे। उन किसानों का अपहरण कर लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मान्यवर, डाक्टरी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पहले इनके मुंह पर तेजाब डाला गया फिर चाकुओं से काटा गया फिर लाश नहर में डाल दी गयी।

मान्यवर, इस आतंक से ग्राम दौलतपुर में इतना आतंक छा गया कि किसान खेतों में नहीं जा सकते हैं। भय से परेशान हैं। लगभग 300 घरों के इस गांव में कोई लाइसेंस नहीं है। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच सी0आई0डी0 से कराई जाय और चूंकि मृत व्यक्तियों के परिवार में कोई और आदमी नहीं है, अतः उनके परिवारों को सहायता के रूप में एक-एक लाख रुपया की धनराशि देने का प्राविधान करें तथा इस गम्भीर मसले पर चर्चा कराई जाय। तथा मान्यवर, विशेष परिस्थितियों में ग्राम दौलतपुर के कुछ सम्भ्रांत व्यक्तियों को लाइसेंस दिलाने की कृपा की जाय।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, डी0आई0जी0 की देख रेख में जांच और विवेचना चल रही है। अगर सी0आई0डी0 को मामला सौंपा जाता है तो इसमें विलम्ब होगा और समय लगेगा। वैसे यदि मा0 सदस्य चाहते हैं तो शासन को सी0आई0डी0 से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है, सी0आई0डी0 से जांच करा दी जायगी। इसमें दूसरी बात मुआवजे की कही गयी, तो इसमें अभी यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि वहां कोई साम्प्रदायिक दंगा था, मा0 सदस्य के कहने से भी स्पष्ट होता है कि ये मौतें साम्प्रदायिक कारणों से नहीं हुई, बल्कि इसमें कोई गैंग शामिल था, ऐसी हमें थोड़ी जानकारी मिली है। इसलिये मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक कुछ सम्मानित व्यक्तियों को लाइसेंस देने की बात है, इसमें नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायगी और ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस देने पर नियमानुसार विचार कर लिया जायगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैंने कब कहा कि साम्प्रदायिक दंगा है, इसमें कोई गैंग है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस की मांग करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, 15 जून, 1987 को गोरखपुर के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जायगा। न केवल गोरखपुर के इतिहास में बल्कि उन तमाम लोगों के लिये जो प्रजातंत्र जम्हूरियत और वाणी की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, उनके लिये वह काला दिन था। उस दिन भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का आगमन था। उनका हमारे दल से कोई रिश्ता नहीं है न ही वीरेन्द्र शाही जी से कोई रिश्ता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में काम करने के नाते हम लोगों ने मुनासिब समझा कि जिस आदमी की चर्चा दुनिया में हो रही है, हम भी सुनें कि बोफोर्स काण्ड में 500 करोड़ रुपयों का क्या हुआ, लोटस कम्पनी क्या है। उसको जो ट्रान्सफर हुआ, कब हुआ, किसने किया। यह बी0 एन0 चड्ढा कौन है.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आभा जी, आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप केवल ग्राह्यता पर बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, आपके आदेश का पालन करते हुए ग्राह्यता पर आ रहा हूं। मान्यवर, यह जानने के लिये उत्सुकतावश मैं गोरखपुर गया, पूरे गोरखपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में तीन बारातें नहीं गयीं, टैक्सियां नहीं मिलीं। नौसर चौराहे पर, जो बाहरी सीमा पर पड़ता है, एक गर्भवती संभ्रांत परिवार की महिला जा रही थी, पुलिस वालों ने उसे तीन घण्टे तक रोके रखा, उसकी वहीं पर डिलीवरी हुई। मान्यवर, हमारे इलाके में एक लड़का मर रहा था, उसको खून देने के लिये एक औरत आ रही थी, उसे वहां नहीं जाने दिया गया। हमारे यहां के एक 70 साल के बूढ़े कार्यकर्ता के घर पर पुलिस बैठ गयी, उसे बाहर नहीं आने दिया गया। मान्यवर, इस सरकार में जरा सी भी नैतिकता है, प्रशासनिक क्षमता है, तो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को तुरन्त निलम्बित करना चाहिए। क्योंकि अगर 144 लागू था, तो फिर 10 हजार से ज्यादा लोग स्टेशन पर कैसे पहुंच गये, 5 हजार से ज्यादा लोगों का जुलूस गोरखपुर की गलियों में दो घण्टे से ज्यादा कैसे निकलता रहा, घूमता रहा।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, गोरखपुर में यह सब स्थिति रही, माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये यह कलंक की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं बार-बार कह रहा हूं आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, हमारे यहां कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा, गोरखपुर को यह सौभाग्य हासिल है। लेकिन जानबूझकर वहां अजीबोगरीब उस दिन स्थिति पैदा की गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, वहां 40 बटालियन पी0ए0सी0 लगी हुई थी। 4 लोगों की हत्या हुई।

श्री लाल चन्द्र निषाद–

मान्यवर, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं गोरखपुर का। 15 जून को गोरखपुर में 144 लगा हुआ था।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी का व्यवस्था का प्रश्न है, आप लोग बैठें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, जो प्रदेश का भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुका हो, कानून रक्षक रहा हो, क्या उनको 144 तोड़ने का अधिकार है?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरी बात को माननीय मिश्र जी ने, माननीय निषाद जी ने स्वीकार कर लिया कि कैसे जुलूस निकल गया जब वहां पर 144 लगा हुआ था।

(व्यवधान)

श्री लाल चन्द्र निषाद–

मान्यवर, 144 वहां के साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए, बहुत पहले लगा हुआ था। उसके रहते हुए किसी जिम्मेदार आदमी को उस तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

आप सब बैठें। माननीय ओझा जी आप ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे हैं। आप समाप्त करें। आज सामान्य बजट पर चर्चा भी होनी है, काफी लम्बी सूची है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

बलियारपुर गांव गोरखपुर शहर से 60 कि0मी0 दूरी पर है। सारी पुलिस शहर में लगी हुई थी, ऐसी पुलिस की व्यवस्था थी जैसे कोई बहुत बड़ा गैंग आ रहा हो। 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई बलियारपुर गांव में। जिसको पुलिस हत्यारा कह रही है, वह तो राजस्थान-जयपुर की जेल में मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांत रहें। ओझा जी, अब आप समाप्त करें।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, सारी पुलिस शहर में बुला ली गयी। उस पुलिस को शहर में बुला लेने के कारण अव्यवस्था हो जाने के कारण, गांव में यह बात हुई कि गन्ना समितियों के चुनाव नहीं हो सकते । 14 लोगों की निर्मम हत्या की जिम्मेदारी इस सरकार की है । इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसको यह हत्यारा कहते हैं, वह जयपुर की जेलों में पड़ा हुआ है।

इसलिये इस लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा की अनुमति दी जाय और इस सरकार को बर्खास्त करने का काम किया जाय। इस सरकार को एक मिनट भी इस कुर्सी पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

श्री लोकेन्द्र दत्त गंकलानी–

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय आभा जी इतनी जोर से बोल रहे थे कि हमको बात सुनायी नहीं दी।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मैं तो इस बहरी सरकार को सुनाने के लिये ही तेज बोलता हूं ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

आभा जी ने जो वक्तव्य दिया, मेरे ख्याल से किसी की समझ में नहीं आया।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, मेरी बात सुनने में इन लोगों की दिलचस्पी है, आप अनुमति दें तो पुनः कह दूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । जिन मा0 सदस्यों को सुनायी नहीं दिया है, वे कल कार्यवाही देख लें और पढ़ लें ।

श्री नरेन्द्र देव–

व्यवस्था का प्रश्न है। यहां परम्परा बन गयी है कि जब भी कोई ग्राह्यता पर बोलता है तो विषय से हटकर लोगों पर आरोप लगाना शुरू करता है, निराधार आरोप लगाना शुरू करता है, तरह-तरह का भाषण करता है। आज आपसे संरक्षण चाहते थे इस ग्राह्यता के विषय पर कि जो आवश्यक अंश हों, उसे कार्यवाही में रहने दिया जाय बाकी अंशों को कार्यवाही से काटा जाय जिससे आइन्दा यह परम्परा बने कि ग्राह्यता के नाम पर निराधार आरोप लगाना, भाषण देना और छपने के लिये प्रयास करना, यह बन्द हो।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, गोरखपुर के मामले पर ग्राह्यता की चर्चा माननीय आभा जी ने की। आभा जी स्वयं सशरीर वहां मौजूद थे।

श्री अधिष्ठाता–

उनके कहने के बाद तो कुछ कहने को बाकी नहीं रहा।

श्री मैनेजर सिंह–

अभी सत्ता पक्ष के एक मा0 सदस्य ने कहा कि हमारे कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व मंत्री को अधिकार है धारा 144 तोड़ने का? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है आप तब सन्तुष्ट हो जायेंगे जब श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी निकाल दी जायेंगी मंत्रि-परिषद् से और वह भी वही काम करेंगी जो उन्होंने गोरखपुर में किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं किसी की नकल नहीं करती, जो चाहूंगी करूंगी।

(हंसी)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसमें सरकार पर कुछ आरोप लगाये हैं। सरकार की कहीं पर कोई मंशा नहीं थी कि किसी को भाषण देने से रोका जाय या सभा न होने दी जाय। आप स्वयं जानते हैं कि इलाहाबाद में भी भाषण हुआ, सभायें हुईं, वहां पर ऐसी चीज नहीं की गयी। मेरठ में स्थिति उत्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश में यह जरूरी हो गया था कि जिन स्थानों में जरा भी ऐसी सम्भावना हो सकती है कि किसी प्रकार का तनाव चाहे वह साम्प्रदायिक हो या और किसी प्रकार का हो, वहां प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मान्यवर, यह रिपोर्ट सारी आप जानते हैं कि स्थानीय अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं वह भेजते हैं और फिर उस पर कार्यवाही की जाती है। यह तय करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि उसका जिला संवेदनशील है कि नहीं है। जहां जहां से रिपोर्ट आयी उन-उन जगहों पर कुछ दिनों के लिये 144 लगा दी गयी थी और मीटिंग्स पर रोक लगा दी गयी थी। यह कहना कि किसी को मीटिंग न करने देने के लिये यह किया गया, यह बात तथ्यों से परे है। कार्यस्थगन की परिभाषा आप जानते हैं उसमें यह कहीं नहीं आता है। एक बात जो ओझा जी कहना चाहते थे वह नियम 56 की आड़ में उन्होंने कह लिया है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम आसरे वर्मा की सूचना में दो जगह हस्ताक्षर हैं इसलिए वह स्वीकार नहीं की गई है। श्री चन्द्र भान मौर्य ने जो सूचना दी है उसके लिए 7 जुलाई की तिथि निश्चित की गई है।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में अघोषित कटौती के संबंध मैंने कार्य-स्थगन के रूप में सूचना दी है। मेरी सूचना की सत्यता तभी सिद्ध हो गई जबकि आज लन्च के पूर्व सदन में कई बार बिजली चली गई। जब सदन में बिजली के आने-जाने का यह हाल है तो अन्य स्थानों पर आप विचार कर ही सकते हैं कि बिजली आपूर्ति किस प्रकार से हो रही होगी। आज पूरे प्रदेश की जनता इसके कारण से त्रस्त है। सारे उद्योग-धन्धे चौपट हो रहे हैं। किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है जिसके कारण उनकी समय से बुवाई नहीं हो पा रही है। यदि अब बुवाई होती भी है तो अब फसल की पैदावार होने वाली नहीं है।

दूसरे बिजली की आपूर्ति के अभाव में पानी का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। बिजली आपूर्ति के लिये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। जनता के दुःख-दर्द की सुनवाई करना तो दूर, वह अपने बड़े-बड़े बंगलों में बैठे हुए ऐशो-आराम करते रहते हैं, इनका एक मात्र काम यही रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि ये लोग अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। जगह-जगह दंगे हो रहे हैं, आन्दोलन हो रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे प्रदेश की भयावह स्थिति हो रही है। शामली का उपद्रव इसी का एक उदाहरण है।

मान्यवर, 26 जून को फर्रुखाबाद में बिजली नहीं पहुंच रही थी जब मंत्रियों से बात की जाती है, अधिकारियों से बात की जाती है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। फर्रुखाबाद में बिजली न होने के कारण पानी की कमी से, भीषण गर्मी में लोग उबल रहे थे। जब वे सुबह उठे तो टट्टी तक जाने के लिए एक बूंद पानी नहीं था। वहां की जनता ने हजारों की तादाद में तत्काल एकदम निर्णय कर लिया और वहां सारा कारोबार ठप्प कर दिया। उसके बाद शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। वहां के बिजली के अधिकारी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने पहले से ही एक गुण्डे को छिपा कर रखा हुआ था उसने वहीं से प्रदर्शनकारियों पर वार करना शुरू कर दिया। इस तरह से 12 प्रदर्शनकारी घायल हो गए जिनका बाद में मेडिकल भी हुआ है।

स्थिति की गम्भीरता को देखकर वहां एडीशनल एस0 पी0, सी0 ओ0 सिटी तथा ए0 डी0 एम0 भी गए, मैं भी वहां के विधायक की हैसियत से वहां की जनता के साथ था। हम लोगों ने अधिशासी अभियन्ता, जगपत लाल से सम्पर्क स्थापित किया, लेकिन ए0 डी0 एम0 और अन्य अधिकारियों से कह दिया, विधायक से कह दिया कि जो कुछ करना चाहो कर लो, हम तुमसे बात भी नहीं करते हैं। मान्यवर, स्थिति भयंकर हो गई और वहां पर प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। इस कारण उस इन्जीनियर ने नाराज होकर हमारे घर पर बम रखवा दिया और इस कारण भयंकर विस्फोट हुआ और उसका नतीजा मान्यवर, यह हुआ कि आस-पास के मकानों की दीवालों को नुकसान पहुंचा, दीवालें गिर गयीं। तो मान्यवर, अगर कोई सत्याग्रह किया जाता है और अपनी वेदना उसके माध्यम से प्रकट की जाती है, तो उसको जान से मारने का प्रयास किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने तो अपनी पूरी बात कह दी है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, 140 रेडियोग्राम वहां के डी0 एम0 ने किए हैं, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जितने विद्युत अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि हमारे इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और उस पर चर्चा करा दें।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो सदस्य बोलते हैं, आपके कहने पर भी नहीं मानते हैं, तो क्या यह कार्यवाही का अंश माना जायेगा। क्या नियमावली में यही है।....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। मैं आपकी राय से सहमत हूं, अशतः आप कृपा कर बैठिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बात सही है कि इस समय पूरे प्रदेश में बिजली की अनियमित आपूर्ति, अघोषित कटौती और रोस्टिंग के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है । रेडियो और टेलीविजन के प्रसारणों में तो बिजली मिल रही है, लेकिन वास्तविक रूप से वह मिल नहीं रही है । कहीं पर भी बिजली नहीं मिल रही है । मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, संकट आ सकता है, लेकिन उसका सामना करने के लिए सरकार की दक्ष प्रवृत्ति होनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं चित्रकूट की बात कहना चाहता हूं, वहां इस प्रकार का दुखद प्रकरण हुआ जो सामने आया है । वहां के अधिकारियों को पता था कि जनरेटर खराब है, अगर वह ठीक करा दिया गया होता, तो लोगों को पानी पहुंचाया जा सकता था । मान्यवर, राजकीय बसें बन्द कर दी गयीं, उनके परमिट समाप्त कर दिये गये, बस अड्डे पर हजारों आदमी खड़े थे । मान्यवर, गलत कह गया, निजी बसों के परमिट समाप्त कर दिये गये और राजकीय बसों की संख्या में वृद्धि नहीं की गयी और जब जनता में असंतोष पैदा होता है और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, तो डण्डों और गोलियों से भूना जाता ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य को ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया गया है, तो उनको चाहिये कि सूक्ष्म में अपनी बात ग्राह्यता पर कह दें, आप सीतापुर का जिक्र कर रहे हैं, फतेहपुर का जिक्र कर रहे हैं, तो इस तरीके से सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र की बात उठाने लगेंगे । आपका प्रस्ताव क्यों ग्राह्य किया जाये, इस पर आप जोर दें । एक सदस्य ने कह दिया तो दूसरे सदस्य उसकी रुचि लेकर कह रहे हैं और अन्य सदस्य चिंतित हैं । आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें । व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे जो प्रश्न माननीय गुफरान जाहिदी ने उठाया है, उसका जवाब दे लेने दें । आप विराजें । आप बोल चुके हैं ।

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह बहुत उचित है और मैंने तथा मुझसे पूर्व भी पीठासीन अधिकारियों ने माननीय सदस्यों से हमेशा अनुरोध किया है कि वे केवल प्रश्न की ग्राह्यता तक बोलने पर ही अपने को सीमित रखें । माननीय गुप्ता जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें । इस प्रश्न पर बोलते हुये यदि कोई माननीय सदस्य पूरी चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह नियमों के नितान्त विपरीत है । यह परम्परा समाप्त होनी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा आने वाले माननीय सदस्यों से, जो बोलेंगे, कि वे सूक्ष्म में प्रश्नों की ग्राह्यता तक ही सीमित रहें अन्यथा जो नियम 56 के प्रस्ताव की व्यवस्था है वह एक मखौल बनकर रह जायेगा और उसकी गम्भीरता समाप्त हो जायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपसे सहमत हूं और मैं अपने इस प्रस्ताव की अविलम्बनीयता और महत्व को उसी बात से सिद्ध करता हूं कि माननीय जाहिदी साहब जो सत्ता पक्ष के हैं उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि आज हर आदमी चाहे वह सत्ता पक्ष का क्यों न हो, चिन्तित है। इसलिये मैं इस बात पर बल देता हूं। उन्होंने सीतापुर का नाम लिया। क्योंकि सीतापुर से उनका एक रागात्मक संबंध है इसलिये वे नाचा करते हैं। उनका वहां का जो रिश्ता है, उसे मैं स्वीकार करता हूं।

मान्यवर, यह बात सही है आज बिजली के बगैर सारे उद्योग ठप हो गये हैं। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अन्य कार्य रोक कर कार्यस्थगन के मेरे प्रस्ताव पर चर्चा करा दें। मंत्री जी भी उसमें अपने सुझाव दे देंगे और माननीय जाहिदी जी को अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री सत्य प्रकाश विकल से) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह कामरोको प्रस्ताव मैंने प्रदेश की गम्भीर विद्युत व्यवस्था और पेयजल संकट के बारे में रखा है। आज पूरा प्रदेश अघोषित विद्युत कटौती से त्रस्त है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। प्रचन्ड गर्मी झुलसा देने वाली लू भट्टी की आग की तरह तपते माहौल में बिजली न आने से नगरों और गांवों के लोग तड़फ रहे हैं और ऐसी स्थिति में विद्युत की अघोषित कटौती की गई है। अस्पतालों में मरीज बेहाल पड़े हुये हैं, घरों में महिलायें और बच्चे परेशान हैं, उद्योग धन्धे चौपट हो गये हैं, किसानों के खेत सूख रहे हैं लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। मान्यवर, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा सामने बैठे लोग अभी शोर मचा रहे थे, मान्यवर, मामला इधर के विधायकों की परेशानी का नहीं है। आपको तो मालूम है और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 5 जून को आगरा में वहां के एक क्षेत्रीय सांसद श्री निहाल सिंह जैन जो कांग्रेस (आई) के हैं उनको वहां की जनता ने तीन दिन तक बिजली न होने के कारण उनके घर पर प्रदर्शन किया, घिराव किया। उन्हें नंगे पैर बाजार में घुमाया और यह कहा कि जब तक बिजली नहीं आयेगी तब तक हम उनका घिराव करेंगे। मान्यवर, इसके लिये निहाल सिंह तो दोषी नहीं हैं, सत्य प्रकाश विकल दोषी नहीं है बल्कि दोषी वहां के अधिकारी और शासन में बैठे मंत्री लोग हैं जो बार-बार ध्यान दिलाये जाने पर भी, हल्ला मचाने पर भी, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके कसूर की सजा जन प्रतिनिधि भुगत रहे हैं। इसीलिये इस गम्भीर पेयजल संकट और बिजली के संकट पर प्रस्ताव रखकर, सदन का काम रोककर उस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की इस बात के लिये खेद प्रकट करता हूं कि उन्हें किसी भावना से कष्ट पहुंचा है। मैं स्वयं भी इस बात को महसूस करता हूं। माननीय सदस्य के पद की गरिमा को ध्यान

में रखते हुये मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उसकी जांच मैं लखनऊ से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर करा लूंगा और 15 दिन के अन्दर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करा दूंगा । मेरा विश्वास है और माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों से कहें तो उन्हें माननीय सदस्यों को सुनना चाहिए । आपने कहा कि मुझे अपनी बात कहने के लिये रोका गया । मान्यवर, अगर रोका है और व्यवधान उत्पन्न किया है, तो ऐसे अधिकारी को क्षमा नहीं किया जायेगा, अगर, आरोप सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । जहां तक बाकी सामान्य बात है तो निश्चित रूप से विद्युत आपूर्ति में थोड़ी कमी है । इस विषय में माननीय सदस्यों के सुझावों का हम स्वागत करेंगे क्योंकि आगामी 6 ता0 को बिजली का बजट लगा हुआ है उसमें जो सुझाव आप देंगे उनको कार्यान्वित करने का प्रयास हम करेंगे (व्यवधान) लखनऊ से किसी अधिकारी को भेज कर जांच करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

माननीय फजलुलबारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि केवल ग्राह्यता पर कहें ।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम में टाप करने का दावा करती है । यह मजदूरों की मजदूरी का मसला है जो मस्टर रोल पर काम करते हैं । जो पी0 डब्लू0 डी0 या दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में काम करते हैं उनको 1985-86 में 11.50 पैसा मजदूरी एक दिन की मिलती थी उसके बाद 1986 में 16.80 पैसे मजदूरी मिलने लगी । उसके बाद चूंकि बाजार में चीजों के दाम बढ़ गये उसके बाद होना यह चाहिये था कि मजदूरी बढ़ती । वह मजदूरी 86 और 87 के कुछ महीने तक तो 18.60 पैसे हुई । लेकिन 5 जनवरी 87 को एक गवर्नमेन्ट का आर्डर निकला, जिसके जरिये से मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया गया उनके साथ अन्याय किया कि मिनिमम वेजेज एक्ट का सेक्शन–2 से जितने सरकारी अधिष्ठान हैं या कारपोरेशन हैं और वहां पर जो मस्टररोल पर काम करने वाले मजदूर हैं, उनको इस धारा से हटा दिया गया । नतीजा यह है कि बाजार में चीजें महंगी हो गयी हैं रोज ब रोज दाम बढ़ रहे हैं होना यह चाहिये था कि उनकी मजदूरी बढ़ती उनको मिनियम वेजेज एक्ट से हटा दिया । जो सरकार अपने को मजदूरों की सरकार कहती है और 20 सूत्री कार्यक्रम में टाप करने की बात करती है उसने मजदूरी घटा कर 11.50 पैसा उनकी मजदूरी कर दी है।

एक बात और कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने 79 में एक फैसला दिया है कि न्यूनतम मजदूरी इससे कभी कम नहीं होनी चाहिये । इस सरकार ने मजदूरों के साथ कितना धोखा किया है कि मजदूरी घटा दी है । यह इतना गंभीर मसला है कि इससे लाखों लाख मजदूर पीड़ित हैं । मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर सरकार से वक्तव्य दिलायें और यह बतायें कि वह कौन से कारण रहे जिनकी वजह से यह किया गया है जब कि बाजार में चीजें महंगी हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसे शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु स्वीकार करता हूं और भेजता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फजलुल बारी–

इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य नहीं, ध्यान आकृष्ट करवा दिया है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मुरादाबाद के भोजपुरा थाने के अन्तर्गत रोड होल्ड अप, राहजनी, डकैती और हत्याओं की घटनायें बढ़ गयी हैं । मैं यहां पर दो तीन वारदातों का उल्लेख करूंगा । दिनांक 14-6-87 को सद्दन पहलवान नामक एक व्यक्ति जो मुरादाबाद का रहने वाला है थाना भोजपुर के बुड़िया बाग के पास आ रहा था । उसके साथ स्कूटर पर उसका एक साथी बैठा था । चार वर्दीधारी बदमाशों ने उसे स्कूटर से उतारा और उसे झाड़ियों में ले गये जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी । पुलिस को इसकी 10 बजे रात्रि में सूचना दे दी गयी लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने की कोई चेष्टा नहीं की व स्कूटर भी बरामद नहीं किया । सद्दन पहलवान सुबह 5 बजे तक जिन्दा था उसके बाद तड़प-तड़प कर उसने जान दे दी ।

मान्यवर, इस रोड होल्ड अप को भी थाना भोजपुरा की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है । दूसरी घटना हमारे संसदीय कार्य मंत्री के क्षेत्र, काशीपुर की है जहां से एक बस 8.30 बजे रात्रि में चली थी जिसका भोजपुरा में अपहरण कर लिया गया और कच्ची नहर की ओर ले जाकर बस में बैठे यात्रियों से 64 हजार रुपये नकद, यात्रियों की घड़ियां और जेवर लूट लिये । इन रोड होल्ड अप का भी पता पुलिस नहीं लगा सकी । तीसरी घटना ग्राम सिर्सवां के पास एक फैक्ट्री से चौकीदार की लाइसेंसी बन्दूक डकैत छीन ले गये। वहां 20 डकैत सक्रिय हैं जो डकैतियां डाल रहे हैं । वहां की पुलिस इन अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है जिससे वहां की जनता में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है । दरोगा हरिश्चन्द्र राणा वहां है और यह दरोगा जहां तैनात किया जाता है वहां रोड होल्डअप बहुत होते हैं, जिसके कारण इससे चार्ज छीन लिया जाता है इसके बारे में शिकायत डी0 आई0 जी0 और एस0 एस0 पी0 से की गयी लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसको वहां से हटाया नहीं गया । वहां का एस0 ओ0 और सी0 ओ0 दोनों जाट हैं दोनों में अच्छा तालमेल है और वे अच्छी खूब रिश्वत ले रहे हैं । मैं इन दोनों को निलम्बित करने की मांग करता हूं । मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं। इसमें शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज मैंने नियम 56 में अपने जिले मुजफ्फरनगर में क्षेत्र खतौली एवं तहसील बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय सूखे का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है, चारों ओर हाहाकार मचा है । वहां पानी से लोग वंचित हैं, पशुओं को पानी नहीं मिल रहा है फसलें सूख रही हैं । इस सबके बावजूद जबरिया वसूली की जा रही है जो कि तुरन्त रोककर राहत कार्य शुरू किये जाने चाहिये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर चर्चा स्वीकार हो गयी है, इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इसलिये मैं आपके फैसले के विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री हरेन्द्र सिंह सदन त्याग कर चले गये)

डा0 दिनेश जौहरी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि पिछले तीन दिनों से कार्य स्थगन की मैं सूचना दे रहा हूं लेकिन जब मेरा नम्बर आता है तो उसके पहले ही सारी सूचनायें खारिज कर दी जाती हैं, इसलिये मेरा नम्बर कब आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कल विकल जी से पहले आपको बुलवा दूंगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, परम्परा रही है कि नियम 56 के अन्तर्गत जो वक्तव्य स्वीकार किये जाते हैं, वे कार्य स्थगन प्रस्ताव के बाद में आते हैं, नियम–51 के बाद में लिये जाते हैं लेकिन मेरी सूचना नियम 56 में वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई थी जो आज सबसे अन्त में रखी गयी है । आप व्यवस्था दें कि क्या नियम समिति के निर्णय का उल्लंघन किया गया है, क्या यह तय कर लिया गया है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया जाता है उसे मंत्री सबसे आखिर में देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

इसको दिखवा लिया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, सामान्य बजट पर चर्चा करते समय कल मैंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बजट में घोर उपेक्षा की गयी है । इस संबंध में आगे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट सामाजिक, आर्थिक विषमताओं को दूर करने वाला बजट नहीं है । यह बजट लोक लेखा खाते पर उधार खाते का केवल एक पुलिन्दा मात्र है । इससे महंगाई में वृद्धि ही होगी । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल के लिये इस बजट में कुछ नहीं मिल रहा है । अभी मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि मान्यवर, प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना विश्व बैंक की सहायता से एक बहुत बड़ी योजना चलाई गई, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार मण्डल हैं गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस और लखनऊ, लेकिन उसमें किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मंडल का कोई नाम नहीं है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मंडल में उत्पादन वृद्धि के लिए एक हजार किसान परिवारों पर एक किसान सहायकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किन कारण से इस योजना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई है, जबकि पूरे प्रदेश में इसे शुरू करने के लिए विश्व बैंक से कहा गया है। तो श्रीमन्, उपेक्षा और निराशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बराबर होती रही, यह अब सहनीय नहीं है,

†दिनांक 26 जून, 1987 की कार्यवाही से ।

दूसरी योजना चावल की है। उसमें भी हमारी उपेक्षा की गई है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चावल पैदा नहीं होता है। इस योजना में खादी, मिनी किट्स और औजारों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है, लेकिन यह सारी की सारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चल रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके दर्शन भी नहीं हुए हैं। इसलिए हमारी धारणा बनती जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अलग प्रदेश घोषित करने की सरकार से मांग करें। क्योंकि उनका ध्यान उसकी ओर थोड़ा भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की ओर से 640 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण हेतु मिला और उसमें भी आगरा, बरेली और मेरठ आदि पश्चिमी मंडलों को छोड़ दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें अन्य योजनाओं की तरह गोरखपुर का नाम हर योजना में होगा और ऊपर होगा।

जहां तक हरिजनों के उत्थान की बात है, प्रदेश के हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास योजना 20 जनपदों में चलाई गई है, जिसके अन्तर्गत 87-88 में 42 क्षेत्र चुने गये हैं, उसमें भी प्रतापगढ़, गाजीपुर आदि पूर्वी जिले आगे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भी जिला नहीं है। तो यह क्या हो रहा है ? इसी तरह सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना है, उसमें 94 इकाइयां स्थापित करने की योजना इस बजट में है। उसमें भी गोरखपुर को सबसे आगे रखा गया है और जो अलंकृत बागवानी योजना है, उसमें भी गोरखपुर आगे बैठा है। इस सारी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है। इसी तरह से दस्यु प्रभावित 12 जनपदों के लिए जो बीहड़ सुधार योजना है, उसमें भी ललितपुर, एटा, बदायूं और झांसी जिले छोड़ दिये गये हैं। जहां से राज्य वित्त मंत्री आते हैं, वही जिला गायब हो रहा है। फिर जो सरकार की शाकभाजी एवं फसल के गुणात्मक बीज उत्पादन योजना है, जिससे प्रशिक्षार्थियों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाना है, इसमें प्रति प्रशिक्षार्थी 25 रुपया प्रति दिन भत्ता दिया जाना है और 100 रुपया मार्ग व्यय के रूप में दिया जाना है। यह योजना भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भी जिले में नहीं है, किन्तु गोरखपुर किसी भी योजना के बाहर नहीं है। इसी तरह अधिनिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जो बात है, उसमें दो जिले लखनऊ और इलाहाबाद हैं। इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जहां आम, अमरूद और नींबू की फसल के उत्पादन में प्रशिक्षण देने की बात है, उसमें भी गोरखपुर रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान में, सारी योजनाओं में घोर उपेक्षा की गई है। बड़ा डंका पीटा है इन्होंने कि हमने राजस्व को जनोन्मुखी बनाने के लिए तीन जिलों में विभाजन कर दिया है।

मान्यवर, फिरोजाबाद और हाथरस को जिला बनाने के लिए उसी कमेटी का पुनर्गठन करा दिया। मैंने पिछले वर्ष भी सवाल किया था, तो इन्होंने कहा था विचार करेंगे, लेकिन इस बजट से राजनीति की बदबू आती है, जब इन्होंने जिलों के निर्माण की योजना बनाई तो फिरोजाबाद को इसलिए उपेक्षा की गई क्योंकि विरोधी पक्ष से मैं वहां से चुनकर आया हूं इसलिए इनका यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। यह नहीं सोचा कि फिरोजाबाद कितना संवेदनशील शहर है उसको जिला बनाना जरूरी है।

मान्यवर, आगे निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय विभाग के मामले के संबंध में मुझे आपसे यह कहना है कि अभी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने के मामले में जसवन्त सिंह आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री ने आगरा में, दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में खंडपीठ की स्थापना में कोई देरी नहीं है, जो देरी है वह उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से देरी है। मान्यवर, जब यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई, जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि न्याय सुलभ बनाने के लिए आवश्यकता है कि हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना पश्चिमी उ0 प्र0 में की जाए । मान्यवर, फिर किसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गई। मान्यवर, खंडपीठ की स्थापना आगरा में जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए करनी चाहिए थी जिसकी उन्होंने संस्तुति की।

मान्यवर, एक निवेदन यह भी चाहूंगा कि पानी के मसले में इन्होंने काफी हांगामा मचाया है। मान्यवर, बजट के पृष्ठ–14 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर 3,350 ग्राम समस्या ग्रस्त हैं। इन्होंने 350 ग्रामों का चयन किया है साढ़े तीन सौ गांवों में कितने हैण्डपम्प लगेंगे यह बात इसमें स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, पेयजल का संकट मथुरा से लेकर इलाहाबाद तक है। जमुना नदी के दोनों किनारों पर पानी खारा है और सूख गया है। मेरे क्षेत्र में 60 गांव में पेयजल का संकट होने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में तीन लाख की आबादी में पानी के लिए हाहाकार मचा है नलकूप बन्द पड़े हैं तीन लाख की आबादी में 12 नलकूप चलते हैं, वहां जल सम्पूर्ति योजना को पूरा करना है। मान्यवर, वहां 8-10 नलकूप की स्वीकृति करके जल निगम की स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। मान्यवर, नगर विकास के सचिव के यहां सौदेबाजी के मामले को लेकर फिरोजाबाद की योजना खटाई में पड़ी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, दो मिनट और दे दीजिए। मान्यवर, हरिजनों के बारे में कहना चाहूंगा। हरिजनों के मामले में 1984-85 1985-186 तथा 1986-1987 में अभी तक महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। न ही उनके आवेदन-पत्र पर विचार चल रहा है और यह कहते हैं कि हमने पांच करोड़ रुपया दिया है। हम उसकी विवेचना कर रहे हैं कि कहां कहां किस को पैसा दिया जाय, महिलाओं को दिया जाय या विकलांगों

(इस समय 3 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

को दिया जाय। श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन हरिजनों की स्थिति रुपया अदा कर पाने की नहीं है, सरकार को उन हरिजनों के कर्जों को माफ कर देना चाहिए जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं। यह जो बजट पेश किया गया है यह इस प्रदेश की स्थिति को ठीक करने वाला नहीं है। अंत में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर में बड़ा अन्याय हो रहा है। वहां पर एक उप विकास आयुक्त जिनके खिलाफ 5 लाख रुपये के गबन का आरोप है और आरोप सिद्ध हो चुका है, इतना ही नहीं उनके खिलाफ 2 एडवर्स इंटरीज हैं और वह सेवा निवृत्ति होने वाले हैं, मुख्य मंत्री जी उसको फिर सेवा में लाने के लिए चंडाल चौकड़ी के बीच में फंसकर ऐसा काम कर रहे हैं। तो श्रीमन्, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विभाजन किया जाय फिरोजाबाद को जिला बनाया जाय। आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जाय।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 1987-88 के बजट पर, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो करहीन बजट यहां पर प्रस्तुत किया इस प्रदेश की जनता के लिये उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमारे योग्य सदस्य माननीय नेता विरोधी दल जिन्होंने इस बजट के विरोध में अपना वक्तव्य दिया है, मैं उसका घोर विरोध करता हूं। पर्वतीय क्षेत्र को इस बजट में रुपये के आबंटन की बात मुख्य मंत्री जी ने अवश्य कही है लेकिन इस संबंध में मैं मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं। यह जो बजट यहां पर रखा गया है, वह उस प्रदेश के 50 जिलों के लिये तो बहुत ही लाभकारी है लेकिन पर्वतीय जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये वहां मात्र रुपये देने से कोई उन्नति परिलक्षित नहीं हो रही है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। हिमांचल प्रदेश से वहां तुलना की जाती है कि पर्वतीय क्षेत्र को हिमांचल प्रदेश के बराबर बजट दिया गया है लेकिन बजट का कार्यान्वयन सही नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ जल निगम पानी की योजनायें बनाता है और उनका रख रखाव जल संस्थान करता है। जलनिगम को रुपया बहुत मात्रा में दिया जाता है लेकिन रख रखाव के लिये जल संस्थान को रुपया बहुत कम दिया जाता है। वहां पर वन संरक्षण अधिनियम लागू है। वहां के जो गरीब लोग हैं वह आबादी के चालीस वर्ष बाद विकास रूपी प्रकाश की किरणों को छूना चाहते हैं। लेकिन वहां पर सड़कें विद्यालय नहीं बन सकते हैं और वहां पर विद्युत लाइनों को नहीं बिछाया जा सकता है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम लागू है। मेरा आपसे निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जो कार्य विधान सभा या माननीय सदन द्वारा स्वीकार किये जाते हैं उनमें वन संरक्षण अधिनियम, को लागू न किया जाय और इसका सरलीकरण किया जाय और इस अधिनियम से छूट दी जाय।

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र को हिमांचल प्रदेश के बराबर बजट देने की बात कही जाती है, हिमांचल प्रदेश में इतने ही बजट का रखरखाव और देखभाल मुख्य मंत्री से लेकर विभागीय मंत्री तक और मुख्य सचिव से लेकर विभागीय सचिव तक पूरी तरह से करते हैं। वहीं हमारे पर्वतीय जिलों के लिये एक पर्वतीय विकास राज्य मंत्री बना दिये

गये हैं लेकिन उनको कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं कि वह इसकी देख-भाल कर सकें। हिमांचल प्रदेश की जनसंख्या हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जन संख्या से कम है। परन्तु वहां पर विकास कार्यों को देखने के लिये 68 विधायक हैं और हमारे यहां केवल 18 विधायक हैं। तो यह कैसे संभव है कि उस प्रकार से वहां पर विकास कार्य हम देख सकें। पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए वहां पर विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन करना चाहिए और वहां के लिए कम से कम 60 विधान सभा क्षेत्र बनाये जाने चाहिए।

आप देख रहे हैं कि पर्वतीय जिलों से कहीं-कहीं प्रथम पर्वतीय राज्य बनाने की मांग पैदा होने लग गयी है। वर्मा जी ने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात कही है। अगर शासन गंभीरता से इस ओर विचार नहीं करेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में जो विकास का असंतुलन है और उस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा और व्यवहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जायगा तो निश्चित रूप से जो पृथक पर्वतीय राज्य की मांग हो रही है वह वहां की आवश्यकता हो जायगी, मजबूरी हो जायेगी और शासन को उत्तर प्रदेश के टुकड़े करने पर मजबूर होना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी समय है, क्षेत्रों का परिसीमन किया जाय और जो यहां पर पर्वतीय क्षेत्र के लिये बजट उपलब्ध कराया जाता है उसके कार्यान्वयन व योजना बनाने के लिये एक अलग सेल बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, जैसे एक दर्जी को कोट सिलने को दे देते हैं अगर वह बिना नाप के कोट को सिले तो कहीं उसकी अस्तीन बड़ी हो जायेगी कहीं और कुछ बड़ा हो जायेगा या छोटा हो जायेगा। उसी तरह से मान्यवर, ये लखनऊ में बैठकर पर्वतीय क्षेत्र के विकास की योजना बना रहे हैं, वह पहाड़ी क्षेत्रों में सही साबित नहीं हो रही है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को देखते हुए उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए एक अलग सेल होना चाहिए। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमारे पर्वतीय सचिव को प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए और उनके अधीन एक संयुक्त सचिव पर्वतीय क्षेत्र के लिए वित्त सचिव भी हो।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बजट को इतने अच्छे ढंग से रखने के लिए इस सुझाव के साथ बधाई देना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का ज्यादातर विशेष उन्हें ध्यान देना होगा नहीं तो पृथक पर्वतीय राज्य बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र बिल्कुल विषम परिस्थितियों में जी रहा है। मैं, माननीय मुख्य-मंत्री जी द्वारा जो इतने अच्छे तरीके से बजट रखा गया उसका हृदय से स्वागत करता हूं और अपने योग्य नेता विरोधीदल द्वारा बजट भाषण के विरोध में दिये गये वक्तव्य का विरोध करता हूं। वे बिल्कुल आकड़ों के मायाजाल में घूम गये थे। (व्यवधान) उनका वक्तव्य नयी बोतल में पुरानी शराब जैसा था। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं है, शायद यह उम्मीद की गयी थी कि लोगों में इसकी बड़ी तारीफ होगी वाहवाही

होगी। लेकिन यह बजट एक दम अनाकर्षक, बिल्कुल निराशाजनक और जनता को धोखा देने वाला है। लेकिन इससे धोखे में आने की कोई चीज मुझे इसलिए नहीं मालूम पड़ती है क्योंकि अब लोग अच्छी तरह यह जान गये कि यह सरकार की परम्परा बन गयी है कि बजट के समय कोई टैक्स न लगाया जाय और उसके बाद किसी न किसी चीज पर कोई न कोई टैक्स बढ़ा दिया जाय। जो कि हर महीने, हर हफ्ते किसी न किसी चीज पर बढ़ते रहते हैं । मान्यवर, इन्होंने बिजली की दरें काफी बढ़ाकर सैकड़ों करोड़ रुपये से जनता के जेब के ऊपर डकैती डाली और अभी 3 महीने पहले बसों के किराये में थोड़ी बहुत नहीं, दो चार प्रतिशत नहीं इकट्ठी 20 प्रतिशत की किराया वृद्धि करके जनता की जेब पर खुली डकैती डाली है । बिक्रीकर पर अनापशनाप और मनमानी ढंग से टैक्स की बढ़ोत्तरी की है । इस तरह से यह बजट में आश्वासन देते हैं कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। मान्यवर, मैंने जब बजट की पुस्तिका पढ़ी तो इसके प्रथम पृष्ठ पर ही हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कुशल नेतृत्व में 21वी सदी में ले जाने की बात कही गयी है । मान्यवर, उनके नेतृत्व में अगर 21वीं सदी में यह देश गया भी तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होगा कि हिन्दी जो हमारी राष्ट्र भाषा है उसमें 20वीं सदी में ही छोड़ जायेंगें और पूरी अंग्रेजी और अंग्रेजियत के साथ को लेकर 21वीं सदी में जायेंगें ।

हम अगर अपने प्रदेश की हालत को देखें तो पाते हैं कि यहां हर क्षेत्र में बड़ी दुर्दशा है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का जब भी नाम लिया जाता है कि वह कैसा देश रहा है तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी हो यही कहता है कि हिन्दुस्तान कभी ऐसा था सोने की चिड़िया था, जहां दूध दही की नदियां बहती थी । इसलिये जब 21वीं सदी का सपना दिखाया जाता है तो यह मतलब होता है कि पहले के हिन्दुस्तान से भी ज्यादा खुशहाल और सम्पन्न 21वीं सदी का भारत होगा । लेकिन अगर कभी 21वीं सदी में राजीव गांधी के नेतृत्व में जाना ही पड़ गया तो कैसा हिन्दुस्तान होगा इसका हिसाब लोग पिछली चार सदियों से इस प्रकार लगायेंगें । लोग कहेंगें कि जब 18वीं सदी का हिन्दुस्तान कभी था तब उन दिनों लोग कहते थे कि अपने बच्चों को दूध में नहलाइयें । 19वीं सदी में जब गये तब लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को खूब दूध पिलाइये । बीसवीं सदी जिसमें आप हम रह रहे हैं लोग कहते हैं कि बच्चों को दूध की बोतल दिखाइये । और प्रधान मंत्री राजीव जी के नेतृत्व में जब हम इक्कीसवीं सदी में जाना ही पड़ गया तो उस समय हम माथा ठोक कर कहेंगे कि अपने बच्चों को दूध की केवल कहानियां सुनाइये । तो इक्कीसवीं सदी में ऐसा हिन्दुस्तान होगा, जिसमें यह हालत होगी ।

मान्यवर, मुझे हंसी आती है जब मैंने बजट में विकास और आंकड़ों के बड़े-बड़े अंक देखे और यह पाया कि प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है, जब कि वास्तविकता यह है कि जनता में बदहाली है, हर तबके हर वर्ग का आदमी परेशान है। इस पर मुझे वह कहानी याद आती है। एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ एक नदी के किनारे पहुंचा। परिवारजनों ने कहा कि पानी बहुत है, कैसे पार कर पायेंगे? औसत और आंकड़ों में माहिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठहरो मैं अभी हिसाब लगा कर बताता हूं और उसने नापना शुरू किया । शुरू में एक इंच, फिर दो इंच, कहीं एक फुट, कहीं पर 4 फुट और कहीं पर कुछ ज्यादा पानी था । इस तरह से उसने आंकड़े

और औसत लगा कर बताया कि नदी में कुल डेढ़ फुट पानी है, जाओ सब नदी पार करो और आराम से उधर पहुंच जाओ। लेकिन वह पूरा परिवार जब बीच नदी में पहुंचा तो डूब गया और वह व्यक्ति किनारे पर बैठा यही सोचता रहा कि ये डूब कैसे गये और बार-बार हिसाब लगाकर सोचने लगा कि हिसाब तो ज्यों का त्यों, फिर कुनबा डूबा क्यों ?यही हालत हमारी इस सरकार की है, जो प्रदेश की प्रगति का दावा करती है। विकास और बीस सूत्री में प्रथम आने का दावा करती है लेकिन दूसरी ओर प्रदेश डूब रहा है, हालत तो इनकी भी उस आदमी की तरह यही हो गयी है कि यह भी सोचते हैं कि हिसाब तो ज्यों का त्यों, फिर ये प्रदेश डूबा क्यों ? आप चाहे गांव का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नवजवान हो, चाहे शहरों में रहने वाले लोग हों, आज हर तबके का आदमी अपने को परेशान पाता है। यहां मैं बजट में दिये कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं।

नवीं विधान सभा का यह तीसरा बजट है। मैं जब तीनों साल पर नजर डालता हूं, तो मान्यवर, आप देखें कि 85-86 में आयोजनागत और आयोजनेत्तर खर्चों में 1784.4 करोड़ ज्यादा का अन्तर था और अब वह बढ़कर 2,993.43 करोड़ ज्यादा हो गया है यानि मान्यवर, इस वर्ष कुल 7575.13 करोड़ के खर्चे में आयोजनागत पर केवल 2290.85 करोड़ खर्च होगा, वहां आयोजनेत्तर पर 5284.28 करोड़ खर्च होगा यानि सवा दो गुने से ज्यादा खर्चा, अनुत्पादक और प्रशासनिक खर्चों पर जायगा, तब विकास की गति कहां से बढ़ेगी? जनता के लिये खर्च कहां से होगा? इसी तरह से मान्यवर, हमारी खेती की पैदावार जो है, वह घटी है जहां गत वर्ष कुल खद्यान्न उत्पन्न 14.77 लाख मीट्रिक टन बढ़ा वहां 86187 केवल 2.72 लाख मीट्रिक टन की अनुमान है सरकार कहती है है कि बजट के घाटे को उधार की वसूली करके और आयोजनेतर खर्चे में कमी करके पूरा करेंगे यह सरासर धोखा है, जो सरकार खुद को भी देती है और जनता को भी। क्योंकि यह घाटा तो और बढ़ता है। जिस शानोशोकत और ऐशो-आराम की जिन्दगी हमारे मंत्री और अधिकारी जी रहे हैं और जिस फराख दिली से अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या उससे खर्चे में कमी हो सकती है? क्या सरकार उन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से, जिन पर करोड़ों अरबों रुपया आपका बाकी है, वसूल कर पायेंगी? बिड़ला और हिंडलको से अपना कर्जा वसूलने की हिम्मत सरकार करेगी? जबकि एक गरीब और मामूली आदमी की और गांवों में किसान की 50 और 100 रु0 की वसूली पर खाल और चमड़ी उधेड़ ली जाती है। क्या सरकार अपनी इस नीति को बदल पायेगी।

मान्यवर, मैं किसानों की बात कहूं, पिछले 10–15 वर्षों के अन्दर जो उनकी लागत की चीजें हैं, उनकी कीमत 400 से 500 प्रतिशत तक यानि 4-5 गुनी बढ़ी हैं, जबकि उनकी उपज के दाम सिर्फ दुगुने हो पाये हैं और नतीजा यह है कि गांव बराबर गरीब होते जा रहे हैं और आमदनी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इस तरह से पूंजी कुछ हाथों में इकट्ठा होकर पूंजीपतियों के पास बढ़ती चली जा रही है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, मैं आगरा शहर की कुछ बात कहूं अस्पताल सरकार की ओर से पीड़ितों की सेवा के लिये है, हमारे यहां एस0 एन0 मेडिकल कालेज और अस्पताल है, बड़ी उम्मीदों से वहां इलाज कराने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे खून-

पसीने का जो अरबों रुपया टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, अस्पतालों में, सही इलाज तो मिलेगा, लेकिन आज वहां की इमर्जेंसी बूचड़खाना बनी हुई है सुविधा नाम की कोई चीज वहां नहीं है । भयंकर रूप से जले हुए जो लोग जाते हैं, उनके वार्ड में कूलर तक नहीं है, जहां पूरी तरह से शीतलता होनी चाहिये वहां की उमस में जले लोग तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। अस्पताल जो सेवा के संस्थान थे जहां फ्री इलाज होना था वहां उसकी हर चीजों पर शुल्क लगा कर अब उसे एक कमाऊ उद्योग बना दिया गया है । आगरा जैसे महानगर में सफाई की इतनी दुर्दशा है कि वह एक नरककुण्ट बन गया है शहर का हर हिस्सा अलाव घर बन गया है भारी गन्दगी रहती है । अभी 30 अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा गये थे, वहां की भयंकर पेय जल समस्या को देखकर उन्होंने घोषणा की थी कि ताज महल से आगे यमुना पर बैराज बनाया जायगा और तीन महीने में उसका सर्वेक्षण पूरा हो जायगा । उन्होंने यह भी घोषणा की कि 500 हैंड पम्प तुरन्त लगाये जायेंगे यमुना में रेडियल बैल खोदे जायेंगे । लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है । जहां मुख्य मंत्री की घोषणाएं कोई मायने नहीं रखती उस सरकार को क्या कहा जाय मान्यवर, बिजली की कमी से जनता तड़प रही है इसलिए मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता ।

*श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, 1987-88 की वार्षिक योजना का आकार 2,629.65 करोड़ रु0 निर्धारित किया गया है जो गत वर्ष से 22.3 प्रतिशत अधिक है और इतना ही नहीं घाटे की कमी को पूरा करने के लिये करों की चोरी रोककर उसको पूरा करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

इस बजट में गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को, पिछड़े और निर्बल वर्ग तथा दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने की बात कही गयी है और इस बजट में प्राविधान किया गया है कि उनको किस प्रकार से ऊपर उठाया जाय और किस तरीके से उनकी मदद की जाय । इतना ही नहीं, इस बार भी उत्तर प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम में देश में प्रथम आया है, इस लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही इस बजट के अन्दर 50 हजार ग्रामीण लोगों को आवास देने की बात कही गई, 139 नये पुलों का निर्माण तथा 3108 किलो मीटर नई सड़कों के निर्माण की बात कही गई जिससे विकास की गति तेज होगी ।

आज हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे है, विशेषकर कृषि के मामले में जो आज रिकार्ड उत्पादन हो रहा है और जो प्रगति हो रही है, उससे आने वाले समय में हमारा प्रदेश देश के अन्दर पहले स्थान पर होगा और आत्मनिर्भर होगा तथा दूसरे देशों में भी जहां आवश्यकता होगी, हम उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे । मान्यवर, मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गाजीपुर जिले से चुनकर आया हूं और पूर्वांचल के साथ जो न्याय होना चाहिए, बजट में उस बात का प्राविधान नहीं किया गया है । आज पूर्वांचल के जिले जैसे गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ तथा प्रतापगढ़ विकास के मामले में काफी पीछे हैं । मान्यवर, यह क्षेत्र आजादी की लड़ाई के मामले में, बलिदान के मामले में सबसे आगे रहे हैं और गाजीपुर के विकास के बारे में जितना वहां का विकास होना चाहिए था, उतना वहां का विकास नहीं हो पाया है । गाजीपुर के बारे में एक बार पार्लियामेंट में गाजीपुर के सांसद मरहूम श्री विश्वनाथ सिंह गहमरी ने इतना दर्दनाक वर्णन किया था, पूर्वांचल की गरीबी के बारे में, इन जनपदों की गरीबी के बारे में, इनके पिछड़ेपन के बारे में इतना दुखद वर्णन किया था कि उस समय प्रधान मंत्री नेहरू जी थे और उनकी आंखों में आंसू आ गये थे । उस समय पटेल आयोग का गठन हुआ और उसमें पूर्वांचल के कुछ जिले लिये गए लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसमें से बहुत सी संस्तुति को, जिनका उल्लेख पटेल आयोग ने किया था, लागू नहीं किया गया । उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया और यही कारण है कि आज पूर्वांचल का जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो पा रहा है । अगर आज बदले हुए माहौल में उन संस्तुतियों पर ध्यान दिया जाय और उन पर परीक्षण किया जाय कि क्या हो सकता है और उन पर कार्यान्वयन किया जाय तो पूर्वांचल का विकास हो सकता है । माननीय उपाध्यक्ष जी गाजीपुर जनपद में विगत 2 मई को भयंकर तूफान और ओला पड़ा था । सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि सैकड़ों साल के अन्दर इस तरह का ओला और तूफान गाजीपुर में इससे पहले नहीं पड़ा था । इस तूफान और ओले से मान्यवर, गाजीपुर जनपद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । इसके अंतर्गत 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी है और दो सौ पशुओं की अकाल मृत्यु हुयी है। लगभग एक हजार गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और मान्यवर, यही नहीं इस आंधी और तूफान से लगभग 5 हजार घर अस्त-व्यस्त हुए हैं । कुछ लोगों के मकान तो बिल्कुल ध्वस्त हो गये हैं । इस तरह से मान्यवर, करीब 20 करोड़ रुपयों की क्षति जनपद गाजीपुर में हुयी है । मान्यवर, यही नहीं इस जनपद में आज पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, विद्युत की समस्या है, जो तार व खम्भे इस तूफान से टूटे हैं, वह आज तक नहीं लगाये जा सके हैं, जबकि करीब डेढ़ माह होने को आ रहा है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए व स्वंय इस जनपद के पिछड़ेपन को देखते हुए जो सुख-सुविधाएं वहां के निवासियों को मिलनी चाहिए थीं, राहत के कार्य होने चाहिये थे, वह नहीं हो रहे हैं ।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से वहां पर राहत कार्य की मांग करता हूं ताकि वहां के परेशान हाल किसानों व गरीबों की जो आज भुखमरी की स्थिति बनी हुयी है, वह उत्पन्न न हो । साथ ही मैं यह भी मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है और मान्यवर, गाजीपुर का जो पड़ोसी जनपद जौनपुर है यहां पर 25 प्रतिशत सबसीडी केन्द्रीय उपादान योजना के अन्तर्गत दी जाती है और बिक्रीकर में उन्हें, 7 प्रतिशत छूट दी जाती है, परन्तु हमारे यहां यह सब कुछ नहीं दिया जाता है । इस प्रकार गाजीपुर में उद्योग के नाम पर केवल एक अफीम की फैक्ट्री है, लेकिन उसका लाभांस भी किसी प्रकार से जनपद को नहीं मिलता है । इस प्रकार यह जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ और बहुत ही पुराना बीमारियों से भरा हुआ शहर है । जबकि एक तरफ न तो यहां पर जिला परिषदों

के व नगर पालिकाओं के चुनाव आप नहीं करा रहे हैं और दूसरी तरफ इन समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं हो रहा है । जबकि मान्यवर, 16 सालों से अनवरत लिखा-पढ़ी चल रही है परन्तु आज तक कोई भी ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है इसलिए मैं सरकार से इस ओर निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो समस्याएं हैं, पेय जल की समस्या है, विद्युत की समस्या है, सार्वजनिक शौचालयों की गम्भीर समस्या है, परन्तु किसी एक समस्या का भी निदान नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे इस ओर मजबूर हो कर कहना पड़ रहा है कि जो न्याय जनपद गाजीपुर के साथ होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद ।

*मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपकी लाल-बत्ती से पहले-पहले अपनी बात को खत्म कर लूंगा । मान्यवर, जब मुझे यह मालूम हुआ कि प्रदेश में तीन और नये नये जिले बन गये हैं तो मुझे बेहद सुकून सा महसूस हुआ कि अब शायद इस तरह से कुछ प्रदेश के अंदर अमन-व अमान और सुकून बढ़ेगा और प्रदेश की स्थिति कुछ पहले से अवश्य बेहतर हो जायेगी, लेकिन मान्यवर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही प्रदेश के अंदर आज आज ज्यादा फसाद बढ़ रहे हैं। इत्तफाक से जब मा0 मुख्य मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करने जा जा रहे थे, उससे पहले ही मेरठ का फसाद हो गया, लेकिन मैं इस पर कुछ ज्यादा इस वक्त बोलना नहीं चाहता क्योंकि जिस दिन इस पर चर्चा हो रही थी, मैंने भी अपना नाम दिया था लेकिन मैं बोल नहीं सका । इस फसाद के अंदर मान्यवर, हजारों जाने गयीं और अरबों रुपयों का देश का नुकसान हुआ। इन हालात को सामने रखते हुए मैं यह सोच रहा था कि सरकार को एक अलग डिपार्टमेंट "एन्टी राइट मिनिस्ट्री" के नाम से खोल देना चाहिए और अगर आइन्दा यही स्थिति मुल्क की रही तो मजबूरन एक न एक दिन इस सिलसिले में सोचना पड़ेगा । हिन्दू मुसलमान की आपस की लड़ाई के कारण जानें गयीं, मकानात जले, नुकसान हुआ और उसके बाद मलियाना और हाशिमपुरा में जो हुआ, जो लोगों को शूट किया गया, हिन्दुस्तान क्या दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जहनियत में खराबी आ गयी है। जिनको इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, वे इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस बजट में एक एन्टी राइट मिनिस्ट्री या और जो भी नाम रख लिया जाय, होगी, उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। उसके साथ पूरा एक विभाग होगा और जिसमें काबिल अधिकारी होंगे, जिसमें नीम फौजी और पुलिस के लोगों को रखा जायगा जिससे कि फसाद रुक सके। लेकिन फसाद तभी रुक सकेंगे जब उस मिनिस्ट्री में सेकुलर और न्यूट्रल लोगों को रखा जायगा, तभी फसाद तो दो मिनट में रुक सकते हैं, इसलिये उस विभाग में ऐसे अधिकारी रखे जांय जो सेकुलर हों।

मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि इस सिलसिले में यह कार्यवाही की जायगी । जवाब में यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में नेशनल इन्टीग्रेशन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महकमा है। वह काफी है। लेकिन नेशनल इन्टीग्रेशन यू0 एन0 ओ0 हो गया है, जो फैसला तो कर देता है, लेकिन अमल दरामद के लिये उसके पास कोई एजेंसी नहीं है। नतीजे में नेशनल इन्टीग्रेशन चाहे जो फैसला कर ले, लेकिन उसका अमल नहीं होता। जैसे एक फैसला यह था कि जहां राइट होंगे वहां के डी0 एम0 और एस0 पी0 को उसके लिए जिम्मेदार बनाया जायगा, यह फैसला किया गया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं दी गयी। मेरठ में जांच करा दी गयी, लेकिन जब वह वहां बैठा है जिसकी मौजूदगी में यह सब काण्ड हुआ, तो उसके बारे में कोई कुछ कहना भी चाहता है तो कैसे कहेगा।

मान्यवर, यहां हमारे प्रदेश में और देश में मुखतलिफ जबान और मुखतलिफ तहजीबों वाले लोग हैं। लेकिन मुख्तलिफ जबानों और तहजीबों के इकट्ठा होने से संगम होता है, संघर्ष नहीं होता, लेकिन संघर्ष हो रहा है, यह हमारी बद किस्मती है। मैं सोच रहा था कि इस सिलसिले में बजट में जरूर कोई प्राविधान किया जायेगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं किया गया। अगर ऐसी कोई मिनिस्ट्री बनाई गयी होती और आप दूसरे प्रदेशों और मुल्कों में ध्यान दें तो सिंगापुर और मलेशिया में भी ऐसे ही मुखतलिफ जबान के और मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं, लेकिन मिल-जुल कर रहते हैं, क्योंकि वहां पर गरीबी, बेरोजगारी और करप्शन नहीं है। इस-लिये वहां पर हिन्दू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं निहायत खामोशी से पूरी बात सुनता हूं, आपमें भी इतना संयम होना चाहिए कि कोई दूसरा कोई बात कहता है तो खामोशी से सुनें।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मुख्य मंत्री जी ने जो एक अच्छा बजट रखा है, प्रदेश की उन्नति के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिये, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही मैं अपने जिले के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा मिर्जापुर जिला पूरे देश में बिजली दे रहा है, सीमेंट दे रहा है, चूना दे रहा है, डोलामाइट दे रहा है और तमाम खनिज पदार्थ दे रहा है और आज वही मिर्जापुर सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है कि हमें पानी दीजिये। मिर्जापुर में इस वर्ष ही नहीं, पिछले 20-25 वर्षों से पानी की समस्या निरन्तर बनी हुई है।

मान्यवर, हमारे जिले के बगल में बाणसागर परियोजना बनायी गयी है। बाण-सागर परियोजना में 3 प्रदेशों ने समझौता किया था और उस समझौते में उत्तर प्रदेश ने जो समझौता किया था वह था कि उत्तर प्रदेश लागत का कुछ हिस्सा देगा उसके बदले उत्तर प्रदेश को 1640 क्यूसेक प्रति सेकेंड पानी दिया जायेगा। मान्यवर, अधि-कारियों की अदूरदर्शिता थी कि उत्तर प्रदेश शासन ने पैसा बाण-सागर को दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आज तक नहर नहीं बनवाई जिससे 1640 क्यूसेक पानी जो हमें मिलना था जो मिर्जापुर को मिलना था, वह नहीं मिल सक रहा है। मान्यवर, इसके बाद मैं मिर्जापुर के साथ हुए कुछ अन्याय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मिर्जापुर में कई सिंचाई परियोजनाएं, कुछ बंधियों को लेने का प्रस्ताव हुआ। आज जो बंधियां बनाई गई हैं, उसमें एक सेमरी बंधी है, 10 साल से बंधी बनी हुई है, उस पर लगभग 40 लाख की लागत आयी, लेकिन आज तक उसका माइनर नहीं बनकर तैयार हुआ और माइनर न होने की वजह से वह पानी किसी योग्य नहीं रह गया। मान्यवर, मिर्जापुर में मेरे क्षेत्र में चार पेयजल परियोजनाएं हैं जिसकी बाबत मैंने पिछली वाराणसी में हुई बीस सूत्रीय की मीटिंग में यह सिद्ध किया था कि जल निगम का रिकार्ड है कि 30 मिनट प्रति चौबीस घंटे पेयजल आपूर्ति हो रही है। यह उनका रिकार्ड है, वह पानी टंकी से दिया करते हैं। करोड़ों-करोड़ों रु0 की टंकी बनी हुई हैं। 30 मिनट प्रति 24 घंटे-अगर 16 गांवों में पाईप जा रहा है या 28 गांवों में पाईप जा रहा है, तो 30 मिनट यदि टंकी से पानी निकलता है तो 5 मिनट से ज्यादा किसी गांव में पानी जायेगा नहीं।

मान्यवर, करोड़ों रु0 लगाकर यह जो टंकियां बनाई गयीं हैं, उससे तो पूरी तरह से गांवों को पानी मिल नहीं पा रहा है, उसके अलावा उस परियोजना के अन्तर्गत जो लोग आते हैं, पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आते हैं, उन पर एक बैन लगा दिया गया है कि उनके यहां हैंड पाईप नहीं गाड़े जायेंगे। अब वह गांव पानी बिना तड़प रहे हैं। वहां पानी बिना पशु मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। अधिकारियों ने इस स्थिति पर मिर्जापुर को पहुंचा दिया है कि परम्परागत ढंग से मिर्जापुर में जहां टैंकर्स जाया करते थे, वहां भी इस वर्ष टैंकर्स नहीं पहुंच पाये और लोगों को पानी नहीं मिल पाया। अपार धन और पशुधन की हानि इस वर्ष मिर्जापुर में हुई है।

मान्यवर, मैंने पिछले वर्ष भी और पिछले वर्ष के पहले भी इसी सदन में आपके माध्यम से शासन से आग्रह किया था कि मधुपुर-सुकृत के आस-पास के 16 गांवों के लोग 12 घंटे चलने के बाद तहसील चुनार पहुंच पाते हैं, उन गांवों को एक घंटे की दूरी पर स्थित राबर्ट्सगंज तहसील से जोड़ दिया जाय। लेकिन, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया। ढाई सौ कि0मी0 लम्बा जिला है। 25 साल से मांग है कि उस जिले का विभाजन किया जाय। आज तक मिर्जापुर के मामले में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। मान्यवर, अभी हाल ही में 3 नये जिले घोषित किये गये हैं। मिर्जापुर के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार राबर्टसगंज जिला मिलेगा, लेकिन वह जिला नहीं मिल सका।

मिर्जापुर में विद्युत आपूर्ति के संबंध में भी अपनी बात कहना चाहता हूं। आखिर विद्युत विभाग के अधिकारी चाहते क्या हैं? विद्युत विभाग में इन्जीनियर बढ़ते जा रहे हैं, "ए" क्लास के आफीसर्स बढ़ते जा रहे हैं और सन् 1972 से मिर्जापुर में एक भी सीढ़ी उठाने वाला, खम्भे पर चढ़ने वाला, मरम्मत करने वाला, मीटर रीडिंग करने वाला, किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। विद्युत परिषद् का यह रवैया निश्चित रूप से विद्युत खरीदने वाले ग्राहकों के साथ विश्वासघात है। उनकी सेवा में जो रहा करते थे "फोर्थ क्लास" के कर्मचारी, जो सेवा करते थे, उनकी संख्या घटा दी गयी है, वह रिटायर होते चले जा रहे हैं और उनकी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं।

मैं अन्त में अपने जिले के भुइली ग्राम के बारे में कहना चाहूंगा । वहां आस-पास बहुत दूर तक खारा पानी मिलता है । बहुत दिनों से यह मांग चली आ रही है कि वहां पर पेयजल टंकी बना दी जाय, पास ही दो कि0मी0 पर मीठा पानी मिल सकता है, वहां से लाकर पानी भुइली और पास के गांवों को दिया जाय । मैं उत्तर प्रदेश शासन से आग्रह करूंगा कि भुइली व आस-पास के गांवों का पेयजल संकट दूर करना चाहते हैं तो भुइली में टंकी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने जो प्रयास किये हैं, उसके लिए वह बधाई का पात्र है, केवल इतना है कि थोड़ा सा और प्रशासन को कसने की जरूरत है ।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

इस वर्ष फिर घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है । यह बजट पूंजीपतियों का समर्थक है और मजदूरों का विरोधी है, मेहनतकशों का विरोधी है । इसमें राज्य कर्मचारियों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया है । मुझे आशंका है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीछे के दरवाजे से फिर कर लगाये जायेंगे और टैक्स बढ़ाये जायेंगे ।

इस समय पूरे प्रदेश में बिजली और पानी का संकट चल रहा है। बरेली महानगर से, जहां से मैं चुनकर आया हूं, एक प्रमुख शहर है, वहां इस समय 5-6 घण्टे रोज बिजली की कटौती हो रही है । कटौती के साथ-साथ यहां के अधिकारी पूरी तरह समस्याओं की अवहेलना कर रहे हैं । मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता लखनऊ में अपना मकान बनवा रहे हैं, वे यही पड़े रहते हैं, 3 अभियन्ताओं का ट्रांसफर हो चुका है, वे अपना ट्रांसफर रुकवाने के चक्कर में यही पड़े रहते हैं । ऐसी परिस्थिति में जब कि भीषण संकट है बिजली का पानी का, नागरिकों की तरफ से 3 तारीख से आन्दोलन चलाया जा रहा है, 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं । अगर विद्युत समस्या को शीघ्र ठीक नहीं किया गया तो 3 तारीख से आन्दोलन चलेगा । ऐसी स्थिति में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी ।

बरेली नगर के एक नौजवान इंजीनियर, जो ठेकेदारी भी करते थे जल निगम में, उन्होंने 29 तारीख को आत्महत्या कर ली थी मा0 राजीव गांधी को पत्र लिखकर कि छोड़ गये थे कि किस तरह से जल निगम के भ्रष्टाचारी अधिकारी उन्हें प्रताड़ित करते थे और उन्हें मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी । पुलिस ने धारा 306 में 5 जल निगम के अभियन्ताओं पर मुकदमा कायम किया, लेकिन न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई कार्यवाही हुई ।

पूरे प्रदेश में गरीबों से जमीन छीनकर असहाय लोगों से जमीनें लेकर अवैध कब्जे करने का धन्धा जोरों से चल रहा है । बरेली के बहुत गरीब नागरिक का उदाहरण दूंगा । उसने 10 हजार रु0 का कर्जा लिया था, समय पर नहीं दे पाया और उसके मकान को नीलाम कर दिया गया । कई लाख रु0 का मकान था 10 हजार रु0 में नीलाम करके पटवारी को दे दिया गया । कई बार और आवाज उठायी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार में जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली और पूरा विभाग पूरी तरह लिप्त है। मेरा दावा है कि कम से कम 3 लाख रु0 महीने की अवैध कमाई वह लोग कर रहे हैं। सीमेन्ट की दूकानों से, पेट्रोल के पम्पों से, मिट्टी के तेल की दूकानों से, चीनी की दूकानों से, तहसील स्तर पर जो चीनी की दूकानें हैं, मिट्टी के तेल की दूकानें हैं उनसे तथा मकान एलाट कराने के लिये दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह हजार रु0 तक रिश्वत ली जा रही है। जितने भी व्यापारी हैं उनसे संबंधित सबको 3/7 की धमकी देते हैं कि यदि उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको 3/7 के अन्दर बन्द करा दिया जायेगा। इसमें जिला पूर्ति अधिकारी के अतिरिक्त और भी अधिकारी इस काम में लिप्त हैं। यह धन्धा हर दूकानदार से पैसा एंठने के लिये चारों तरफ चल रहा है।

मान्यवर, अभी यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे तब मैं उनसे कहना चाह रहा था कि बरेली नगर में इण्टरमीडिएट कालेजों का बहुत अभाव है जिसके कारण पूरे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिये मजबूर हैं और उन्हें इधर-उधर शहरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जाना पड़ता है। हम लोग काफी समय से वहां के लिये इण्टरमीडिएट कालेज की मांग करते चले आ रहे हैं कि बरेली में दो या तीन इण्टरमीडिएट कालेज खोले जायं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे मैं कल जब उनका बजट प्रस्तुत होता तब ही कहने वाला था परन्तु आज ही कह रहा हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बरेली की अवहेलना हुई है। मेडिकल कालेज तो खोला नहीं गया, मंत्री जी ने कहा है कि 500 बेड का एक अस्पताल वे बरेली में खोलेंगे। लेकिन जब उनसे इस बारे में बात करो तो कभी कहते हैं कि जमीन नहीं उपलब्ध है तो कभी कहते हैं कि पैसा नहीं है।

इसी तरह से विधवाओं और विकलांगों के पेंशन का मामला है इस बजट में आशा थी कि मुख्य मंत्री जी अब की विकलांगों को और विधवाओं को पेंशन देने के बारे में घोषणा करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे परन्तु उनको पेंशन नहीं दी गयी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सत्यपाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं बैठ कर बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ कर ही बोल लीजियेगा।

श्री श्रीनाथ सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने बजट की सामान्य चर्चा पर मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट सराहनीय है, सुगठित है और नियोजित है।

श्री विजय सिंह राणा–

स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसीलिये ऐसा कह रहे हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीनाथ सिंह–

इस बजट में राणा जी जो नहीं लिखा होगा, वह कौन कहेगा ? जैसा जिसका नजरिया होता है-वी सी द थिंग्स एस द आर नाट दयेर

बजट में बहुत सी बातों को नेता विरोधी दल जी ने कहा है, उनको हम स्वीकार करें या न स्वीकार करें, लेकिन वह सत्य बातें हैं, जैसे निगमों के बारे में उन्होंने कहा और उनके घाटे के बारे में कहा । मान्यवर, यह निगम हमारे देश को किसी न किसी दिन बैठा देंगे । हमारे प्रदेश के जो निगम हैं, वह अफसरों के चरागाह बन गये हैं ।

मान्यवर, जहां तक विद्युत का प्रश्न है और उसकी जो समस्या है, उस पर रोज चर्चा होती है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है । भाभा ने नेहरू जी को पत्र लिखा कि देश की उन्नति ऊर्जा शक्ति पर निर्भर करती है और ऊर्जा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, ऊर्जा पानी से प्राप्त की जा सकती है, सोलर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कोयले से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है । उस लेटर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने उनको बुलाया और उनसे बात की और उनको भाभा परमाणु केन्द्र का डाइरेक्टर बना दिया। और जिसके कारण पाकिस्तान की लड़ाई जीती गयी लेकिन जब आज विद्युत की बात की जाती है तो उसमें घाटा ही घाटा दिखाई पड़ता है, हम पक्ष में बोलेंगे क्योंकि हम सरकार के आदमी हैं ।

मान्यवर, सार्वजनिक समस्यायें हैं–बिजली और पानी की । यह दो ऐसी समस्यायें हैं, जो नित्य प्रति के जीवन में आवश्यक हैं । मान्यवर, मैं बनारस नगर से आता हूं, यह ऐसा नगर है जो इन्टरनेशनल ख्याति का है, लेकिन हम लोग गरीबी की उसी सीमा में रह रहे हैं, जिसमें और लोग रह रहे हैं । हमारे यहां से डा0 सम्पूर्णानन्द जी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मुख्य मंत्री हुये हैं । त्रिपाठी जी ने वहां पर एक डीजल इंजन का कारखाना स्थापित कराया है, लेकिन मान्यवर, वहां पर मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से कर्मचारी बुलाये गये हैं, हमारे अपने जिले के नाम मात्र के कर्मचारी हैं ।

मान्यवर, दूसरा कारखाना साहू केमिकल्स का है, यह एक प्राइवेट कारखाना है, जो अधिकांश बन्द रहता है, कभी खुलता नहीं है । माननीय लोक पति जी, पढ़ रहे हैं, वह हमारी बातों पर ध्यान दें । इन दो कारखानों के अतिरिक्त कोई और कारखाना बनारस में स्थापित नहीं किया गया है । आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपकी पत्नी वहां से एम0पी0 हैं और मैं वहां से विधायक हूं । वहां पर 500 शैय्याओं का अस्पताल बन रहा है । मेरा एक टर्म हो गया है और दूसरा टर्म भी आधा हो गया है, परन्तु वह अस्पताल आज तक बना नहीं है । कहा जा रहा है कि निर्माण निगम बना रहा है, लेकिन वह बन नहीं पा रहा है, मान्यवर, मैं स्वास्थ्य के बारे में कम बोलता हूं, अगर दूसरे टर्म तक अगर यह योजना पूरी हो जाती है, तो बहुत बड़ी कृपा होगी ।

मान्यवर, बनारस में सिल्क उद्योग होता है । मान्यवर, बजट को आप देखें, उसमें सिल्क की चर्चा की गयी है । यह उद्योग ऐसा है, जिसमें भारत की हर स्त्री शादी के दिन चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सिल्क का परिधान पहनती है और जो बनारस में उत्पन्न होता है, लेकिन मान्यवर, यहां पर सिल्क का धागा नहीं बनाया जाता है, वह सूरत और कर्नाटक से मंगाया जाता है। मान्यवर, 1983-84 में सिल्क

के धागे की परियोजना बनाने की बात हुई थी और उसकी नींव भी डाली गयी और एक करोड़ से कारखाना स्थापित किया गया, लेकिन उसमें गधे और घोड़े बन्द किये जाते हैं। पता नहीं क्या बात है और कब तक यह योजना लागू होगी।

मान्यवर, बनारस में तोरैया की लकड़ी से खिलौने बनाने का काम किया जाता है, लेकिन यह लकड़ी यहां पर नहीं मिलती है, जिससे हजारों आदमी जो इस उद्योग में लगे हुये थे आज रिक्शा खींचना शुरू कर दिया है। उद्योग विभाग से मैंने कहा कि लकड़ी की व्यवस्था की जाये, लेकिन लकड़ी प्राप्त होने के बाद वह उनको वितरित नहीं की गयी और वह सड़ रही है। मान्यवर, इसी तरह से वहां पर बहुत पुराना पम्पिंग स्टेशन है, जो अंग्रेजों के समय का है, वह आज भी आधी आबादी को पानी दे रहा है। जल निगम की टंकी बनायी जा रही है, लेकिन एक भी टंकी काम की नहीं है। पानी की समस्या है। बुद्धिस्ट सेंटर है और इस नाते विदेशों के बहुत से लोग आते हैं, लेकिन बड़े से बड़े होटलों में पानी प्राप्त नहीं होता है। नड़े-बड़े होटलों में भी नहीं मिल रही है, छोटी-छोटी जगहों को तो छोड़ दीजिये। इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये और विद्युत के संबंध में उन्होंने लम्बा डिस्कशन भी किया। फिर भी वहां बिजली की समस्या हल नहीं हो सकी। विद्युत विभाग पर तो किसी का बस नहीं है। उसे तो भगवान ही चलाये। इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, आपने सामान्य चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। प्रस्तुत बजट में कुछ ऐसे शब्दों का जाल है जिसमें लेना-देना कुछ नहीं लेकिन लुभावने नारे बहुत दिये गये हैं। मान्यवर, मैं मथुरा जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर पेयजल की गम्भीर समस्या पैदा हो गई। सारे तालाब सूख गये हैं। 80 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हुये हैं। उनकी मरम्मत नहीं होती है। नवम्बर से लेकर अभी तक पेयजल का गम्भीर संकट वहां जनता पर मंड़रा रहा है। जहां पर पेयजल की योजना है, वहां बिजली नहीं है, न वहां पर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी बैठता है। जमुना के किनारे जहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनका जल स्तर नीचे चला गया है। इसलिये मैं मांग करूंगा कि मथुरा जिले के लिये विशेष रूप से पेयजल की समस्या की ओर आप ध्यान दें।

मान्यवर, एक लम्बे समय से हमारी यह मांग चली आ रही है कि मथुरा में शेरगढ़ में जमुना पर एक पुल बनाया जाय। इससे देहली के लिये मांट क्षेत्र से 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मांट तहसील में कोई गन्ना फैक्टरी नहीं है जिससे मांट और छाता तहसीलों में किसानों का काफी गन्ना खड़ा सूख रहा है। वहां पर कोई पुल न होने की वजह से छाता फैक्ट्री को कोई ट्रक नहीं चल सकता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे वहां पर एक पुल बनवाने का आश्वासन दें। मांट तहसील में जो गन्ना पैदा होता है उसमें शुगर का परसेन्टज ज्यादा है लेकिन कोई फैक्ट्री न होने की वजह से किसानों ने गन्ना पैदा करना कम कर दिया है। इसलिये वहां पर एक गन्ना फैक्ट्री की भी सरकार व्यवस्था करे।

मान्यवर, मांट क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं। उनको बनाने की कोई व्यवस्था नही है। जिले की योजनाओं में भी डामर करने की कोई व्यवस्था नहीं। सारी सड़कें उखड़ी हुई हैं। इसके लिये धन की व्यवस्था करने की मांग करता हूं। मान्यवर, मथुरा जनपद सूखे से ग्रस्त है किन्तु फिर भी किसानों से जबरिया वसूली प्रशासन द्वारा की जा रही है। दिनांक 17-6-87 को असकरपुर का भमन नाम के एक व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर ले जाया गया और उसे गोली मार दी गई। इस तरह से जबरिया सरकारी वसूली की जा रही है। छोटे किसानों को ही यह सरकार परेशान करती है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर लाखों रुपया पड़ा हुआ है उसकी वसूली नहीं होती है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये इस बजट में भेद-भाव किया गया है। वहां के लिये कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं। पूरी तरह से हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। मैं मांग करता हूं कि यदि इस तरह की व्यवस्था रही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग की जायेगी। बिजली की बड़ी दुर्व्यवस्था हो रही है। कहीं भी देहातों में बिजली नहीं मिल रही है मनमाने तरीके से कटौती हो रही है। किसानों के खेत बिजली के अभाव में सूख रहे हैं।

हाई कोर्ट की बेंच आगरा में खोलने की बात तय हो चुकी है लेकिन जानबूझकर राजनैतिक कारणों की वजह से नहीं खोली जा रही है। जहां एक तरफ सस्ता न्याय दिलाने की बात कही जाती है वहीं दूसरी तरफ हमारी मांग नहीं मानी जा रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि वहां पर हाई कोर्ट की एक बैंच तुरन्त खोली जाय।

श्री प्रेम पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अविश्वास प्रस्ताव कब रखा है यह बता दें।

श्री प्रेम पाल सिंह–

अविश्वास नहीं कटौती का जो प्रस्ताव रखा है उसका घोर विरोध करता हूं। पहली बार जब आप बोले होंगे तो तब आपको पता चला होगा।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिये जो बजट रखा है उससे जनता का निश्चय ही लाभ होगा, उससे लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। इसमें कृषि, सड़क, शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा, नगर विकास सभी का ध्यान रखा गया है। यह जनता के लिये लाभकारी है। मैं ज्यादा न कह कर अपने जलेसर जनपद एटा विधान सभा क्षेत्र जहां के लोगों ने मुझे चुन कर भेजा है उस क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। जलेश्वर विधान सभा में जो 20 सूत्री कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है उसके विकास के लिये उसमें जो बातें जनता ने मेरे सामने रखी हैं वह मैं कहना चाहता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में तहसील स्तर पर अस्पताल देने की बात है तथा सड़कें देने की बात है उसमें मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कही थी तो

उन्होंने कहा था कि जिलास्तरीय योजना से स्वीकृत करा कर भेज दें तो स्वीकार हो जायेगा तो वह वहां से स्वीकृत हो गयी है। इसी तरह जलेश्वर में राजकीय महाविद्यालय की बिल्डिंग अभी तक नहीं है वह किराये की बिल्डिंग में चल रहा है तो उसके लिये धन दिया जाय। जिससे राजकीय महाविद्यालय जलेसर का भवन निर्माण हो सके।

वहां के लिये 132 के0 बी0 सब-स्टेशन स्वीकार है वह पूरा नहीं हुआ है उसे जल्दी पूरा किया जाय।

उत्तर प्रदेश में खारे पानी के जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा मेरे यहां समस्या है। वहां पर पेय जल की बड़ी समस्या है इसलिये उसे पूरा किया जाय। इसी तरह से दर्जनों सड़कें हैं जो अधूरी हैं उनको पूरा कराया जाय। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां अधिकारी विकास कार्यों के नाम पर लूट रहे हैं चाहे वह सिंचाई हो, या सड़क का काम हो या दूसरे काम हों वहां के लोगों की यह शिकायत है।

अंत में मैं अपने युवा प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने जो भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिये योजना दी है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। जै हिन्द, जै भारत।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारने पर)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जैसा पहले परिपाटी रही है एक दिन में 4 घंटे बहस होनी चाहिए जनरल डिबेट पर लेकिन अभी तक कुल मिला कर 5 घंटे भी मुश्किल से मिले होंगे तो इस पर कम से कम 16 घंटे और बहस होनी चाहिए। इसलिये इसे देर रात तक चलने दें ताकि अधिक से अधिक सदस्य बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष–

बोलते रहें बंद नहीं करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, कल हमारे डाक्टर कौशल साहब ने बरेली और आगरा का फाटक खोल दिया जिससे सदन का वातावरण गर्म हो गया था। ऐसा लगा पूरब और पश्चिम का अभी बटवारा हो जायेगा। हम न पश्चिमी के हैं न पूरब के। हम सब तो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। यह बात मैं बराबर कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश एक छोटा भारत है विभिन्नता में एकता का प्रतीक है और यही उत्तर प्रदेश है जो सारे देश को एक सूत्र में बांधे हुये है। पूरब के लोग भी शिकायत करते हैं पश्चिम को लेकर कि इस साल ज्यादा उधर पश्चिम चला गया और पश्चिम के लोग कहते हैं इस साल पूरब में ज्यादा चला गया। हमसे भी पूरब के लोग लड़ते हैं कहते हैं हम लोग अंग्रेजों से लड़े हैं। अंग्रेजों से 1857 से 1942 तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज हमको पिछड़ा छोड़ गये, हमारा विकास नहीं किये और सारा विकास पश्चिम में हुआ। हमारा पूरब का तो कुछ विकास किया नहीं है। इसलिये पूर्व पिछड़ गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरेन्द्र सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। श्री मैनेजर सिंह ने एक तरीके से पश्चिम के लोगों को आरोपित किया है। उन्होंने कहा हम लोग अंग्रेजों से लड़े तो मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम के लोग भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई में उनसे पीछे नहीं रहे। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न है कि उन्होंने जो पश्चिम के लिये शब्द कहे हैं वे कार्यवाही से निकाल दिये जांय।

(व्यवधान) (कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

बजट पर बोलें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में पश्चिम के भाइयों ने भी कुरबानी की है। इसलिये पूर्व को गौरव है कि स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत पश्चिम से हुई, लेकिन उसका नेतृत्व बलिया जिले के मंगल पांडे जी ने मेरठ छावनी से किया था।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पश्चिम को वह आरोपित न करें। (व्यवधान) और जैसा वह कह रहे हैं कि पश्चिम में विकास किया गया तो प्रदेश अलग अलग कर दिया जाये। पश्चिम के किसी आदमी ने कभी भी बेइंसाफी की बात नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी तो पूर्व और पश्चिम दोनों के लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े कह रहे हैं। अच्छा होगा बजट पर ही बोलें।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मंगल पांडेय ने सारे देश के लिये लड़ाई लड़ी थी, इसलिये यह बात नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें। बजट पर बोलें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, पूर्व और पश्चिम दोनों हमारे बाजू हैं। पश्चिम के साथियों की टोली बना दी जाये जो 1947 से 1987 तक सारे बजट के आंकड़ों का संकलन करे और उसमें मंडलवाइज, क्षेत्रवाइज देख लें कि किस विभाग में, किस मद में किस जिले के किस क्षेत्र में कितना धन व्यय हुआ है, यदि पूर्व में गया हो तो पश्चिम के साथियों

की शिकायत सही होगी। मान्यवर, थोड़ा बहुत काम पूर्व में पं0 कमला पति त्रिपाठी जी के समय में हुआ और कुछ काम श्री वीर बहादुर सिंह ने भी शुरु किया है। यदि यह बात पश्चिम के लोगों को बरदाश्त न हो तो श्री जयदीप सिंह बरार बता दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

हम वहां से मांगते हैं आप भी वहां से मांगें।

श्री उपाध्यक्ष–

पूर्व और पश्चिम की आप बात न करें, बजट पर बोलें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि यह बजट भाषण कर रहे हैं या सरकार की तरफ से उसकी तारीफ कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

बजट भाषण दे रहे हैं, उनका कहने का स्टाईल ऐसा है।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मुझे तो यही एहसास होता है कि वह सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उसकी दलाली कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

आगरा और बरेली का एक जवाब हमारे बलिया के हरदेव जी हैं...

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैनेजर सिंह जी को मालूम होना चाहिए कि जब आदमी को आवश्यकता होती है तो तो वह बरेली और आगरा ही भेजा जाता है। आपका भी स्वागत है।

श्री मैनेजर सिंह–

तो मान्यवर, मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं इस बजट के सिलसिले में। बजट की पुस्तिका में देखें तो उसमें बलिया की कोई योजना नजर नहीं आती है। बलिया में सबसे बड़ी और भयंकर समस्या है नदियों के कटान की। गंगा और घाघरा जैसी बड़ी नदियां वहां पर हैं, उनसे कटान का खतरा हर वर्ष बना रहता है, जिसमें करोड़ों रुपये के फसल और सम्पत्ति का नुकसान होता है। उससे कई-कई जगह सैकड़ों गांव कट रहे हैं, कई जगह जो बांध और सड़कें बनी हैं उनको भी खतरा है। मझौवां में बन्धा गंगा नदी से केवल 100 मीटर रह गया है, क्या आप चाहते हैं कि जब 10 मीटर रह जाए तो आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके उसको रोकने का काम करेंगे। क्या आप बन्धे को किनारे आने पर रोक पायेंगे, जो अभी से उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो वहां के लिए इस संबंध में योजना बनी है, उसको आप स्वीकार करायें और मझउवां, पंचरूखिया, नरोदरा व सठिया-भोवन टोला आदि स्थानों पर इसके लिए काम शुरू करायें, जहां इसकी आवश्यकता है।

हमारा जिला बलिया शिक्षा और कृषि में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां कोई भी कृषि विद्यालय नहीं है। इस बात की बड़ी आवश्यकता और जनता की मांग है कि एक राजकीय कृषि विद्यालय बलिया में खुले और यदि सरकार इसे करती है तो मैं 5 लाख रुपया चंदा करके इसके लिए दूंगा।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 87-88 के बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, मौजूदा बजट जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में रखा गया है निश्चित रूप से आज के समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के बोध की अभिव्यक्ति है। मौजूदा बजट गरीबों, निर्धनों, निराश्रितों, निर्बलों और जरूरतमन्दों तथा अपाहिजों और सबके लिए उत्थान का आधार है। मान्यवर, भारत के प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रदेश में सफल बनाने के लिए नई-नई योजनाओं के माध्यम से गरीबी की जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है ताकि गरीबी को प्रदेश से समूल नष्ट किया जा सके। इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से निर्बल और अल्प आय वर्गों को आसानी से मकान उपलब्ध कराने की सुन्दर योजना चलाई गई है, जिससे इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करके उनको भवन उपलब्ध कराया जा सके। इस दिशा में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाए जांए, वहां पेयजल, विद्युत प्रकाश, सड़कों और खडंजा रोड आदि की पूरी और अच्छी व्यवस्था शुरू से ही की जानी चाहिए। श्रीमन्, जब मैं नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था, उन्होंने अपने भाषण में मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर बल प्रदान किया, उनमें से एक यह था कि किसानों को अपनी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, तो लगा कि यह बात निराधार है और काबिले-गौर नहीं है। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि किसानों के लिए ही राष्ट्रीय तिलहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय दलहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसानों के हित के लिए उर्वरक की नयी प्रस्तावित योजना के तहत चार गांव के बीच में एक उर्वरक वितरण केन्द्र की स्थापना की जा रही है यह किसानों के हित के लिए है अब निश्चित रूप से उनको समय से उर्वरक का वितरण हो सकेगा । किसानों के हित को ध्यान में रखकर 23 हजार हैक्टेयर ऊसर भूमि के सुधार को भी इस योजना में प्राविधान किया गया है। निश्चित रूप से यह महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है। जहां तक यह कहा गया कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है यह बात सरासर गलत है। इस वर्ष शासन ने 11 लाख 34 हजार 583 टन गेहूं की खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0 सी0 एफ0) का प्रथम स्थान रहा जिसने 4 लाख 6 हजार 312 टन गेहूं की खरीद की। राज्य सरकार दूसरे नम्बर पर रही जिसने 2 लाख 32 हजार 948 टन गेहूं की खरीद की। कृषि औद्योगिक निगम द्वारा 2 लाख 28 हजार 657 टन गेहूं की खरीद की गई इस प्रकार से किसानों की उपज का सही मूल्य प्रदान करके किसानों का हित किया गया है। और यह एक प्रशंसनीय कदम है और इसके लिए निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

मैं इस ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वतः रोजगार योजना को क्रियान्वित करने के लिये इस समय जो लाटरी प्रथा का सिस्टम चलाया गया है उसके बारे में सुझाव देना चाहूंगा कि इस प्रथा को समाप्त करके ऐसी व्यवस्था करें ताकि जरूरतमन्दों का सही तरीके से चयन हो सके। शिक्षित बेरोजगारों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा मिल सके। लाटरी प्रथा को इसलिए बन्द किया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कर्णावति नदी पर ग्राम अकोढ़ी में पुल बनना जरूरी है। मान्यवर, पूरे जिले में विद्युतीकरण के काम में कोई प्रगति नहीं है। मिर्जापुर जिले में 4 हजार गांव है। वहां मात्र 30 परसेन्ट विद्युतीकरण है। प्रतिवर्ष 4-5 गांव प्रति ब्लाक ही लिये जाते हैं जिससे न तो सामान्य बस्तियों का विद्युतीकरण हो पाता है और न ही अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण हो पाता है। ऐसी दशा में इनका टारगेट बढ़ा दिया जाए और उसी हिसाब से विद्युत विभाग को साधन मुहैया कराये जाएं। श्रीमन्, पिछले वर्ष के सत्र में मैंने इस मांग के बारे में सदन में बताया था और जो माननीय सदस्य इसके पहले इस क्षेत्र से आए थे उन्होंने भी इस विषय में आवाज उठाई थी लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया इस पुल के न बनने से करीब 25-30 गांव के लोगों का रास्ता बरसात में बन्द हो जाता है न तो वह जिला मुख्यालय जा पाते हैं, न जिला चिकित्सालय जा पाते हैं न ब्लाक मुख्यालय पर जाकर बाढ़ राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल को स्टेट सेक्टर से बनवाने का निर्णय लें। पूर्वांचल को औद्योगिक मानचित्र पर प्रतिष्ठापित करने हेतु पूर्वांचल का औद्योगिक विकास करने के लिए पूर्वांचल औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की जाए।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में न तो हलिया, न लालगंज न छानवे ब्लाक में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीनों ब्लाक में राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना की जाए ताकि उस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा का विकास किया जा सके। मान्यवर, मिर्जापुर में महिला पालिटैक्निक की सख्त आवश्यकता है मेरे हलिया ब्लाक में कोरावल इलाके में आई0 आर0 डी0 योजना का लाभ वहां के गरीबों को केवल इसलिए नहीं पहुंच पाता है कि वहां पर कोई बैंक नहीं है। बैंक वहां इसलिए नहीं है क्योंकि उस इलाके में सुरक्षा के नाम पर कोई थाना नहीं है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मिर्जापुर में नगर पालिका के अन्तर्गत एक प्रेक्षागृह की मांग बराबर हो रही है लेकिन अभी तक शासन का ध्यान उधर नहीं गया है। मिर्जापुर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवासीय सुविधा दिलाने के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, हलिया ब्लाक की निवावल प्राइमरी पाठशाला कई वर्ष से मंजूर है लेकिन अभी तक वहां विद्यालय नहीं बन सका है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं विरोधी दल के नेताओं से कहना चाहूंगा कि जो बार बार सदन को अव्यवस्थित करते हैं। बार बार बिल में आकर के सदन का महत्वपूर्ण समय जाया करते हैं। इससे न तो देश का विकास होगा न उनके दलों में एकता ही आएगी। श्रीमन्, मैं उन्हें आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

नीम की पत्ती निचोड़ने से शहद की प्राप्ति नहीं हो सकती है । इनका जो आलम है इस पर एक शेर समर्पित करूंगा–

कभी ये आग लगाते हैं, कभी बिजली गिराते हैं,
उन्हें तकलीफ ये है कि ये तिनके बच क्यों जाते हैं ।

इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रगतिशील व्यवहारिक, कल्याणकारी कर रहित और वित्तीय रूप से अनुशासित बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल वहीद कुरेशी–

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । सबसे पहले मैं अपने सरधना क्षेत्र के किसानों के संबंध में निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा । वहां पर बिजली का अभाव है और सूखा पड़ा है और रजबहों में पानी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय । साथ ही साथ वहां पर ईख की पौध में कीड़ा लग गया है, इसलिये कीटनाशक दवायें छिड़कवाने का प्रबन्ध किया जाय । नगर पालिका सरधना में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की इस कदर भरमार है कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि गरीब आदमी पर पहले का 100 गुना तक टैक्स लगा दिया गया है । वहां पर सफाई का और रोशनी का कोई इन्तजाम नहीं है और न सड़कों का ही कोई इन्तजाम ठीक है । नगर पालिका के लोग इस पैसे को फर्जी तरीके से खा पी रहे हैं । दौराला शुगर मिल की एक सोसायटी दौराला है और उसकी ब्रांच सरधना में है । 40-50 मील तक का गन्ना लेकर किसान दौराला आते हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि एक गन्ना सोसायटी सरधना में अलग से खोली जाय । वहां पर कपड़ा बुनकरों की हालत बहुत खराब है तथा वहां पर हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो बुनकर हैं लेकिन उनको सही तरीके से मजदूरी नहीं मिल पाती है । बिजली न मिलने के कारण स्थिति बहुत खराब है । बुनकरों को बैंकों से जो कर्ज दिये जाते हैं उसमें इस कदर भ्रष्टाचार है कि जिन लोगों को कर्ज मिलता है उनका आधा पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है और जो जरूरत मंद आदमी हैं उनको पैसा नहीं मिलता है ।

प्रदूषण विभाग जो आपका गाजियाबाद में है उसने तो कमाल कर रखा है । उसमें इस कदर भ्रष्टाचार है कि जो लोग अच्छी खासी रकम दे देते हैं उनको सर्टीफिकेट मिल जाता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको इस कदर परेशान किया जाता है कि वह प्रोजेक्ट नहीं लगा पाते हैं, जिससे इस इलाके की प्रोग्रेस रुकी है और पावरलूम उद्योग बिल्कुल सफर कर रहा है । सरधना में जो लेडीज हास्पिटल है वहां पर आपने एक्सरे मशीन भेजी है, लेकिन वहां पर टेक्निकल हैंड न होने की वजह से वह बिल्कुल बेकार पड़ी है और वह मशीन न वहां इस्तेमाल में आ सकती है और न दूसरी जगह पर इस्तेमाल में आ सकती है । इसी तरह से जो मर्दों का अस्पताल है वहां पर यह हाल है कि न तो वहां पर चारपाइयां हैं और न बेड रूम है । उसका हाल यह है कि सिवाय मेडिको लीगल केस के वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है । सब मरीज वहां के परेशान हैं ।

एक निवेदन मैं आपसे और करना चाहता हूं कि वहां पर उद्योगों का अभाव है। सरधना क्षेत्र को आपने बैकवर्ड घोषित किया है। वहां पर जगह जगह पर पब्लिक चाहती है कि वह उद्योग कायम करें लेकिन जरूरतमंद लोगों को यू0 पी0 एफ0 सी0 तथा एफ0 सी0 आई0 व बैंकों के माध्यम से कर्जे नहीं मिल पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप वहां पर ऐसी स्कीम लागू करें कि वहां के जो लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, फैक्टरीज लगाना चाहते हैं उनको सहूलियतें दी जायं। धन्यवाद।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 1987-88 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उसके विरोध में बोलना चाहूंगा।

यह कर रहित बजट प्रस्तुत करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकास की दर 22·3 प्रतिशत के रेट से बढ़ाकर अपने दृढ़ निश्चय को दोहराया है कि हम लोग विकास की तरफ निरन्तर वृद्धि करने के लिए अग्रसर हैं। यह बजट एक तरह से समाजवादी दृष्टिकोण वाला बजट है जिसमें निराश्रितों के लिए, गरीबों के लिए, साधनहीनों के लिए हर प्रकार से सुविधाएं देने के लिए हम लोगों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे वर्तमान बजट में गरीबों के लिए आवास देहाती क्षेत्रों में 50 हजार आवास और नगरीय क्षेत्र में 25 हजार आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रदेश में 20 हजार औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। हरिजन एवं समाज कल्याण में, 3 लाख 50 हजार लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग थे उनको ऊपर उठाने का उद्देश्य है। चीनी के उत्पादन में यह प्रदेश लगातार वृद्धि कर रहा है, अनाज के उत्पादन में भी यह प्रदेश लगातार वृद्धि कर रहा है। इस वर्ष मिनीकिट और उर्वरक आदि के वितरण की व्यवस्था बहुत ही ठीक रही। जनता इसके लिए बहुत आभारी है।

सड़कों का निर्माण, जो कि विकास के लिए बहुत आवश्यक चीज है, लगभग 5 हजार कि0मी0 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है। मैं शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं यद्यपि 234 बेसिक और 81 उच्च बेसिक शिक्षा विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है लेकिन हमारे दृष्टिकोण से यह बहुत कम है विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं कि इसमें प्रगति बहुत धीमी है और लड़कियों की शिक्षा के संबंध में अधिक ध्यान देना आवश्यक है। पेयजल की योजना के संबंध में यद्यपि 3350 ग्रामों को पेयजल देने का लक्ष्य है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना स्वागत के योग्य तो है, लेकिन जो हैण्ड पम्प लग रहे हैं वह खराब होते जा रहे हैं उनकी मरम्मत करने का प्रबन्ध गांवों में नहीं है। जो हम लोगों ने गांव और ब्लाकों को इसका जिम्मेदार बनाया है तो उनके पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है और वह पूर्ण-रूपेण जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से जो नया आदेश जारी किया गया है कि अधिकारी वर्ग जनता से मिलेंगे। इसको सुनिश्चित किया जाय कि जो अधिकारी जनता से मिलेगें उनकी और जनता के बीच जनतांत्रिक एक मीटिंग होनी चाहिए न कि शासित व शासक की या अधिकारी की ग्रामवासियों की।

तभी इसका लाभ होगा । मान्यवर, मैं बस्ती जिले के विषय में कुछ बात कहना चाहता हूं वहां पर विद्युतीकरण का लक्ष्य बहुत धीमा है । मान्यवर, बस्ती जिले में 4900 गांव हैं जो विद्युतीकरण से रहित हैं और केवल 150 गांवों के प्रति वर्ष विद्युतीकरण करने की गति है इस प्रकार से हमारे यहां विद्युतीकरण होने में 25-30 वर्ष लग जायेंगे । उद्योग के विषय में हमारे यहां काफी प्रयास करना पड़ेगा । यहां उद्योग न होने से बहुत गरीबी है । मान्यवर, स्त्री शिक्षा के विषय में दुबारा फिर कहना चाहता हूं कि हमारे पूरे विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए केवल जूनियर हाईस्कूल हैं, हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज नहीं हैं । जो खोले जाने चाहिए ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है और संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका समय कल तक के लिए बढ़ा दें न इधर से अभी सब लोग बोल पाये हैं और न उधर से सब लोग पाये हैं । बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नहीं बोल पायेंगे तो हम लोगों के साथ बड़ा भारी कुठाराघात होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको कल तक के लिए बढ़ा दें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा मुख्य मंत्री जी से कहना है कि इस पर जब हमें बोलने में अवरोध पैदा हुआ था, नहीं बोल पाये थे तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह से वापस जाय कल आप इसका जवाब दीजिएगा ।

(व्यवधान)

प्रधान प्रभूदयाल–

मान्यवर, जो मुख्य मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका घोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और नेता विरोधीदल ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मुझे बजट न लग कर, मुझे जादू का पिटारा नजर आया, जिस तरह से जादू का पिटारा दिखाने वाला कुछ दिखाता है और नजर कुछ आता है उसी तरह से इस बजट को जब ये पढ़ते हैं, तो रुपया-रुपया ही नजर आता है और जन क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो कुछ नजर नहीं आता है । मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पाया कि यह बजट है या झंझट है । जो उधर के लोग बजट पर बोले हैं, उधर से हर सदस्य मुख्य मंत्री की तारीफ करने के लिए खड़ा होता है । मुझे एक कहावत याद आ गयी । एक किसी फर्म में एक मुनीम था, वह बहुत तेज था और फर्म के सारे आंकड़ों से वाकिफ था । मुनीम यह कहता था कि या तो नौकरी बढ़ा दो, नहीं तो . . . । कह कर चुप हो जाता था। फर्म के मालिक ने समझा कि यह नौकरी छोड़ देगा या फर्म के कच्चे आंकड़े सरकार को दे देगा । इससे वह बहुत घबड़ाता था । एक रोज उसको एक अक्कड़ श्री वीर बहादुर सिंह जैसा मिल गया । उसने अपनी समस्या उसके सामने रखी । उन्होंने कहा कि चलो आज हम तेरे साथ चलते हैं । जब वह दोनों फर्म में पहुंचे, तो आदत के मुताबिक उस मुनीम ने मालिक के सामने वही शब्द फिर दोहराये, "या तो नौकरी बढ़ा

दो, नहीं तो . . ." इतना सुन कर मालिक आगे निकल गया और अकड़ू चौधरी ने मेज पर जोर से हाथ मार कर कहा कि नहीं तो तुम क्या करोगे ? इस पर मुनीम ने खिजया कर कहा कि नहीं तो, इतने पर काम कर ही रहे हैं । इसी तरह से माननीय सदस्य बजट की तारीफ करते हैं और कटोरा हाथ में लेकर फिर भीख मांगते हैं कि अमुक-अमुक चीज हमारे क्षेत्र को दे दो ।

मान्यवर, अगर यह बजट सही होता, तो हर सदस्य को कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होती । मैं अपने क्षेत्र की एक बात दिखाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक बाढ़ की समस्या पैदा हो गयी है, जो हर साल आती है, जिस पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है । उसमें माचिस, मोमबत्ती इतने रुपये की पड़ जाती है, पता नहीं उनकी झोपड़ियां नष्ट हो जाती हैं, तो वे मोमबत्ती और माचिस का क्या करते हैं । ये सब फर्जी बांटते हैं, जिनके फर्जी बिल पेश किये जाते हैं । दो-दो साल तक वहां के बिल नहीं आ पाते हैं, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा घपला रहता है । तो मेरी मांग है कि उसका कोई परमानेंट हल निकाला जाय, जिससे यह हर साल की समस्या निपटे और फजूल खर्ची न हो पश्चिम में ऐसी कोई कृषि योजना नहीं बनी, जिससे कि कृषि को बढ़ावा मिले ।

मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ ये कृषि के लिए माने हुए इलाके हैं । वहां पर बिजली की खराब हालत है । सरकार से एलान होता है कि 12 घंटे बिजली दी जायगी, लेकिन वहां पर बिजली का तीन घंटे का भी औसत नहीं आता है । उसमें भी आई गयी की प्राब्लम लगी रहती है । जो किसान अपने खेत में कीमती बीज बोता है, वह पानी न मिलने की वजह से नष्ट हो जाता है और बरबाद हो जाता है । फसलों का भी लाभकारी मूल्य नहीं मिलता । किसानों के साथ ज्यादतियां होती हैं । पिछले साल गन्ने की सप्लाई में वहां का मिल मालिक, क्रेशर मालिक पैसे बढ़ा कर देना चाहता था, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रेसर से उनको नहीं देने दिया और अधिकारियों के जरिये से उन्हें दबाया गया और उनके लाइसेंस कैंसिल करने की अधिकारियों द्वारा धमकियां दी गयीं कि 22 और 24 से ऊपर कोई नहीं खरीदेगा, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जायगा, जिससे किसानों को नुकसान हुआ ।

मान्यवर, ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो ऐसा करे, खुद न दे, लेकिन दूसरे को तो न देने दें । मान्यवर, कुछ ने चोरी से खरीदना शुरू किया, तो उन्हें बाध्य किया गया कि वे न खरीदें । मान्यवर, अब दवाइयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पिछले साल पायरिला रोग की दवाइयों में धांधली की गयी, जिससे कई लाख रुपये का नुकसान मेरे क्षेत्र वालों को हुआ । हमने सदन में उसके लिए बहुत शोर मचाया, मगर आज तक भी उन बड़े अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने फर्जी दवाइयां खरीद कर भेजवाई थी । उसमें छोटे कर्मचारी मारे गये ।

मान्यवर, एक कहावत है कि करेगा कोई, भरेगा कोई । आज वही हालत हो रही है, ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है। जिससे जनता को परेशानी हो। बिजली के पैसे बढ़े, डीजल के पैसे बढ़े, लकड़ी के दाम बढ़े । हल की कीमत 3 रु0 से 10 रु0 हो गई। आज उसकी कीमत तिगुनी है और गेहूं में आपने कितना बढ़ाया। गेहूं के दाम 5 रु0 बढ़े हैं। इसी तरीके से मान्यवर, शिक्षा की यही हालत है। प्राइमरी स्कूलों

"में आज कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने को तैयार नहीं है। वहां पर टाट नही है, पट्टी नहीं है, छत नहीं है और न ही अध्यापक हैं। जब अध्यापक ही नहीं हैं तो बच्चों को कौन पढ़ायेगा। इसके अलावा आज एक स्पेशल शीट बनाई गई है नकल करवाने के लिए। आज यह हालत शिक्षा की हो रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार का तो बेड़ा गरक होने वाला ही है, यह तो डूबेगी ही, साथ में सबको ले डूबेगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, टाइम का क्या हुआ? समय बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

जब प्रस्ताव आयेगा तब देखा जायेगा।

श्री श्याम लाल चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड की समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां पर पहली समस्या सिंचाई साधनों की है । इसमें मेरा सुझाव है एक्सप्लायटरी बोरिंग सिस्टम अन्वेषणात्मक छिद्रता में 40,000 रुपए भूजल की उपलब्धि के संबंध में की जाये । होता यह है कि रिमोट सेन्सिंग ने अगर रिपोर्ट यह दे दी कि नीचे चट्टान या पत्थर है तो ट्यूबवैल का कार्य बन्द हो जाता है। सिंचाई सुविधा न होने के कारण और मण्डलों जैसी हर पासी नहीं दिखलाई देती । दूसरी बात बुन्देलखण्ड पत्थरों की सम्पदा का धनी है। वहां पर कई प्रकार के पत्थर पाये जाते हैं जैसे प्लेराइट स्टोन है, लाइम स्टोन मेरे नारौना क्षेत्र में जहां सीमेन्ट उद्योग लग सकता है। बेतवा की बालू भी बहुत उपयोगी है । सरमायेदार उसका लाभ उठाते हैं । मेरा सुझाव है कि बेतवा बालू का निगम बना दिया जाय, इससे राजस्व की अभिवृद्धि होगी। मान्यवर, उद्योग लगाने की बात बहुत जोर-शोर से कही गई । हरिजनों के बारे में बजट पर चर्चा से पहले विरोध पक्ष ने इस सम्बन्ध में बहुत गाना गाया। इस विधान सभा में संविधान के मर्मज्ञ और मीमांसाकार बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने आर्थिक विकास का कोई सुझाव नहीं दिया। विरोधी दल यह सुझाव देता कि अनुसूचित जाति का आर्थिक विकास कैसे होगा। उनके बड़े-बड़े उद्योगों जैसे लीवर और ग्लेक्सो के प्रोजेक्ट जालौन में बन रहे हैं एन्सीटियरी यूनिट के अनुज्ञा पत्र अनुसूचित जाति वालों को दिये जायें। रेमण्ड का कारखाना लग रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इनके लाइसेंस हरिजनों को दिये जायें। बहुत सी बातें कहीं गईं लेकिन क्या हरिजनों के विकास की कोई बात आई। अगर हरिजनों का किसी ने आर्थिक उत्थान किया है तो केवल इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं इस आदरणीय पीठ के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि हरिजनों को और अधिक उन्नति और विकास का अवसर मिलना चाहिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं एक-दो सुझाव और देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये।

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ बातें शासन को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र जो है, भदोही है, जो डालर एरिया भी कहलाता है। जबकि 150 करोड़ तक डालर प्रति वर्ष विदेशी मुद्रा हमारी सरकार को अगर कोई क्षेत्र सही मायनों में दिलवाता है तो वह भदोही है और यही नहीं मान्यवर, भदोही एक ऐसा क्षेत्र है जो लाखों गरीबों और मजदूरों को प्रति दिन आय अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी का प्रबन्ध भी करता है, जिसमें सरकार की कोई लागत नहीं लगती है। मान्यवर, भदोही एक ऐसा विदेशी व्यापारिक केन्द्र है, जहां पर बहुत से हर साल विदेशी व्यापारी भी आया-जाया करते हैं। दुर्भाग्य से अगर वह व्यापारी हमारे कालीन मजदूरों को जो कही गांवों में बैठकर इन कालीन को बनाने का कार्य करते हैं, देखना चाहते हैं, तो वह वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, कोई उचित रास्ता नहीं है, जिससे वह व्यापारीगण हमारे उन कालीन बुनकरों को काम करते हुए देख सकें। बस हमारे जो बड़े-बड़े अफसर हैं वह उनको वहां ले जाने में न कोई मदद करते हैं न इनकी इस सुविधा की ओर कोई ध्यान देते हैं बल्कि इन व्यापारियों को वाराणसी के बड़े-बड़े होटलों अवध क्लार्क जैसे में ठहरा देते हैं । साथ ही मेरा कहना यह है कि इन कालीन बुनकरों को सड़कों व रास्तों की सुविधा से वंचित ही नहीं किया गया, बल्कि इनके लिए कोई समुचित संख्या में अस्पताल नहीं खोले गये हैं। यह बेचारे कालीन का काम करते-करते बीमार पड़ जाते हैं । इसलिए जगह-जगह पर यूनानी, आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक अस्पताल आदि खुलवाए जांए तथा बरीयता के आधार पर उन्हें जगह-जगह पर लिंक रोड दिए जांए और इसी प्रकार के यदि सरकार की तरफ से उन्हें पूर्ण सहयोग मिले और वे यदि स्वस्थ्य रहें तो वहां के उत्पादन में और बढ़ोत्री हो सकती है जो आज 150 करोड़ डालर दे रहा है वह इन सुविधाओं के बल पर 300 करोड़ तक डालर देगा। इसलिए मेरा यह कहना कि सरकार की तरफ से इन कालीन बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जांए उनके बच्चों की शिक्षा आदि भी समुचित व्यवस्था की जाए ताकि उनके जीवन के स्तर में विकास हो।

मान्यवर, 20 सूत्रीय कार्य-क्रमों के अन्तर्गत हरिजनों को बरीयता हर क्षेत्र में दिए जाने की बात तो बहुत दोहराई जाती है परन्तु सरकार द्वारा जो आपकी मंशा है, वह पूरी नहीं की जा रही और जो हरिजनों को बरीयता दी जानी चाहिए उसको न देकर अनदेखा किया जा रहा है। नैतिकता, मानवता और राष्ट्रीयता सब कुछ समाप्त किया जा चुका है और धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, दलवाद तथा भाई-भतीजावाद आज चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसलिए मेरा इस ओर कहना है कि इस पर आप समय रहते पाबन्दी लगाइए और देश के हर नागरिक की एक ही मंशा होनी चाहिए कि देश व प्रदेश का तथा देशवासियों का उत्थान कैसे हो।

श्री उपाध्यक्ष–

मूल चन्द जी, आपके भाषण का समय समाप्त हो गया, कृपया बैठिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मूलचन्द–

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं—

"नफरत का तुफान है हरसू, वहशत की गुलकारी है,
आज नया अंदाज है लोगों, दुश्मन की तैयारी है,
शहर-शहर में आग के शोले, जंग मुल्क में जारी है,
एवानों में रहने वालों, अब सुन लो तुम्हारी बारी है।"

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द जी, अपना भाषण समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, पिछले दिनों जो बजट प्रस्तुत किया गया, दोनों पक्षों के मा0 सदस्यों ने, नेता विरोधी दल ने और सभी दलों के नेताओं ने करीब-करीब जो यहां पर विचार व्यक्त किये, उससे ऐसा लगता है कि इस बजट को उन्होंने ठीक से पढ़ने का प्रयास नहीं किया। मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, बहुत सोच समझ कर प्रस्तुत किया गया है। यह देखा गया कि हमारे गांवों में जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, हमारे हरिजन और जनजाति के लोग हैं, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं और जो हमारे सरकारी कर्मचारी या और लोग हैं, जो मंहगाई से परेशान रहते हैं, सभी लोगों को देखा गया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। जो हमारे संसाधन हैं, यह देखते हुए कितनी ज्यादा सुविधा हम उनको दे सकते हैं, इसका हर तरह से प्रयास किया गया। जब आप देखते हैं कि जो हमारा इस साल का जो प्लान परिव्यय है, लगभग 2630 करोड़ रुपये का है, जो गत वर्ष की तुलना में 22.30 प्रतिशत ज्यादा है। यह परिव्यय इसलिए इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो गत वर्ष जितनी कमियां दिखाई पड़ी हैं, जहां पर हम जो काम करना चाहते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं।

बहुत से हमारे प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारा बुन्देलखण्ड, हमारा पहाड़, हमारा पूर्वान्चल, मध्य यू0 पी0 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं जो आज बहुत पिछड़े हैं और उनके बहुत से ब्लाक पिछड़े हैं। हमें देखना है कि जो हमारे ब्लाक, किसी एक जिले के दो तीन ब्लाक ज्यादा सम्पन्न हो सकते हैं, वहां हो सकता है कि विकास हो गया हो, लेकिन ऐसे बहुत से ब्लाक्स हैं उन जिलों के जो बहुत पिछड़े हैं। आज हमें देखना है कि हमारे प्रदेश का कोई क्षेत्र और गांव का कोई एरिया पिछड़ा न रहे। खास तौर से किसानों को हम जो सुविधाएं दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे, तभी किसानों से ज्यादा आशा कर सकते हैं। उनकी पैदावार बढ़ने से देश और प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी। इसलिये प्रयास किया गया है कि किस तरह से ऐसे काम करें कि प्रदेश के खेतों में पैदावार बढ़े, उद्योग धंधे ज्यादा लगाकर ज्यादा लोगों को काम दें और उत्तर प्रदेश का उत्पादन बढ़े और साथ ही कुछ क्षेत्रों में जहां कि काफी गुंजाइश है काम करने की, प्रदेश की जनता को ज्यादा राहत दे सकें। हमारे यहां देश में उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे पहाड़ों और मैदानों में बहुत से ऐसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थान हैं, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, विदेशों से आते हैं और अपने देश के कोने-कोने से आते हैं, लेकिन जो सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए, अभी हो नहीं पायी हैं। उधर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश में ज्यादा पर्यटक आयें, पर्यटक ज्यादा आयेंगे तो प्रदेश की माली हालत अच्छी होगी और उस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिये हम पर्यटन के क्षेत्र में भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

आपको मालूम है सबसे जरूरी हमारे लिये बिजली है। जब बिजली की कमी हो जाती है तो किसान परेशान होता है, हर वर्ग का व्यक्ति चाहे वह किसी उद्योग धन्धे से जुड़ा हो या अन्य किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, हम देखते हैं कि परेशानी बढ़ती जाती है। जितना उत्पादन हमारा बढ़ना चाहिये, उतना उत्पादन नहीं बढ़ता है। बिजली के अभाव में तरह-तरह की परेशानियां सामने रहती हैं। जो बिजली हमारे पास है, क्या उतनी ही बिजली चाहिए? उतनी ही बिजली के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण करें उद्योग धन्धे उसी अनुसार लगायें या ज्यादा लगायें ? हमें भविष्य भी देखना पड़ता है, विकास को ध्यान में रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण हो, गांवों का विकास हो । हम चाहते हैं कि छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगें ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके। इन सबके लिये बिजली आवश्यक होती है। बिजली की कमी की वजह से पीने के पानी की भी समस्या हो जाती है । उसके लिये भी बिजली आवश्यकता पड़ती है । निजी नलकूप हों, प्राइवेट नलकूप हों या सरकारी नलकूप हों, कैसे हम उन्हें ठीक से चला सकते हैं, उसके लिये भी बिजली चाहिये।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि विद्युतीकरण के लिये जितना प्लान किया गया, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें और ज्यादा बिजली पहुंचायें। जितनी हमारी आवश्यकता है, उसकी ओर ध्यान देना है। हमने लक्ष्य रखा था कि सातवी पंचवर्षीय योजना में हम 1562 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा देंगे। लेकिन, हमारी मांग दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से गांवों में विद्युतीकरण बढ़ रहा है, उसके अनुसार दिन प्रतिदिन बिजली की मांग बढ़ती जा रही है । मांग के अनुसार यदि बिजली का जनरेशन नहीं करते हैं तो बहुत पीछे हो जायेंगे, जितनी आशा जनता करती है, उसे हम पूरा नहीं कर पायेंगे। हमने इस क्षेत्र में काफी प्रयास किया है। पिछले वर्ष और अभी तक जो विद्युतीकरण का काम हुआ है, सातवी पंचवर्षीय योजना में अभी तक करीब 950 मेगावाट बिजली हम दिसम्बर, 1987 तक बढ़ा पायेंगे। जो बिजली हमारे पास थी छठी पंचवर्षीय योजना में 4085 मेगावाट, वह दिसम्बर, 1987 के अंत तक बढ़कर लगभग 4900 या 5000 मेगावाट हो जायेगी। लेकिन, जो स्थिति है, उसको देखते हुए यह मांग और बढ़ जायेगी । हम इस तरह से योजना बना रहे हैं कि जिस तरह से मांग बढ़े, उसी तरह से विद्युत की उपलब्धता भी बढ़े। इधर हम थर्मल की तरफ ज्यादा गये हैं। लेकिन अब हमें हाइडिल प्रोजेक्ट्स भी बड़ी संख्या में लगाने होंगे, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली मिले और सस्ती बिजली मिले। थर्मल में जो बिजली पैदा की जाती है वह मंहगी होती है। कोयले की खराबी के कारण जितना प्लांट लोड फैक्टर होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। उसमें तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो पिछले वर्ष प्लांट लोड फैक्टर था करीब 32 प्रतिशत,

अब बढ़कर 41.2 प्रतिशत हो गया है। प्रयास किया जा रहा है कि प्लांट लोड फैक्टर और बढ़ाया जाय। जो इस दिशा में प्रयास हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, प्लांट लोड फैक्टर कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए इससे कम होने का सवाल नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर किया जाय, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंच सके। जो हमारी हाइडिल की टेहरी परियोजना, लखवार व्यास परियोजना, मनेरी भाली परियोजना, विष्णु प्रयाग परियोजना इस तरह के हाइडिल के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, उन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से, भारत की सहायता से या दूसरी सहायता से जो ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने का, कर्जा पाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि योजनायें समय से पूरी हो सकें और काम आगे बढ़े। रूस के सहयोग से 2200 मेगावाट की जो टेहरी परियोजना है, वह बनने जा रही है उससे हमें सफलता मिलेगी। साथ ही साथ और भी जो परियोजनायें हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी सफलता मिलने की सम्भावना है और जो संसाधन है उससे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट हाइडिल के बनायेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि सामने आने वाली दिक्कत काफी कम हो जायगी। 4-5 साल तक यह परेशानी रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सी परियोजनायें सामने आ जायेंगी तो बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने नहीं रहेंगी और काफी सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए प्रयास हुआ कि शासन बिजली पर परिव्यय करे।

सिंचाई भी बहुत जरूरी है। सिंचाई के लिये आप जानते हैं कि जितना नदियों से पानी मिल सकता था, उनका पानी नहरों में डाला है। अब यही रास्ता है कि नलकूप लगायें या पम्प कैनाल लगायें। जहां सिंचाई के लिये सुविधायें नहीं मिल पायी हैं वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल लगाये और सूखे क्षेत्र हैं, वहां छोटे-छोटे रिजवायर्स बनाकर या बंधियां बनाकर काम कर सकते हैं।

इस प्रकार आप देखेंगे कि बिजली, सिंचाई, उद्योग, खेती, को बढ़ावा देने के लिये ज्यादा परिव्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़कों के लिये ज्यादा परिव्यय किया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा परिव्यय किया गया है, जो कि जरूरी था। उत्पादन बढ़ने के लिए परिव्यय ज्यादा रखने का प्रयास किया है। प्रयास यही है कि जो सामयिक और अधिक आवश्यक आवश्यकतायें हैं उन पर ज्यादा धन खर्च हो और जहां थोड़े दिनों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, उसे बाद में करेंगे। जहां काम नहीं चल सकता है, उसे पहले करेंगे। इसी प्रकार आप यह भी देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय हिमाचल प्रदेश के बराबर रखा है। पर्वतीय क्षेत्र में हमने 235 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा है ताकि पहाड़ों के विकास के लिये जो जरूरी है सड़कें बनाने के लिये, हार्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिये, छोटे-छोटे उद्योग लगाकर काम देने के लिये, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये और जो उत्पादन है चाहे फलों का उत्पादन हो या कृषि का उत्पादन हो, उसको बढ़ावा देने के लिये, कार्य हो सकें। इस प्रकार, कैसे लोगों की हालत अच्छी बना सकते हैं, इस पर ज्यादा धन दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस परिव्य को बढ़ा देने से पहड़ों पर तरक्की करने में हमें सफलता मिलेगी। हमारा यह भी प्रयास है कि वहां के लोगों के लिये टैक्नीकल ट्रेनिंग के लिये पालीटैक्निक, आई0 टी0 आई0, इन्जीनियरिंग कालेज, साइंस और टैक्नालाजी के लिये स्कूल्स और कालेज खोले जांय ताकि प्रशिक्षण और सेवायोजन की ज्यादा व्यवस्था कर सकें ताकि वहां के लोग जब निकलें तो बेकार न बैठें, उनको रोजगार मिले।

हमारी जो विकेन्द्रीकरण की योजना है, उसका परीक्षण कर रहे हैं । हर पिछड़े एरिया में जहां पर काम नहीं हो पाता था, वहां पर भी बहुत काम हो रहा है । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण से फायदे हुए हैं । जो जिला प्लान बनता है वह पूरे जिले के लिये बनता है और उस पर काम होता है । हमारा प्रयास और भी होगा कि और ज्यादा काम हो क्योंकि हम काम करके ही किसी जिले की प्रगति कर सकते हैं ।

मान्यवर, हमारा प्रयास है कि विकास दर को जो राष्ट्रीय विकास दर है उससे ज्यादा करें । हम प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास की दर जो कि 5 प्रतिशत है इसे हम बढ़ा कर कर 6 प्रतिशत तक ले जायं क्योंकि यदि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले में हम पीछे रह जायेंगे ।

कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था पर कैपिटा इनकम के बारे में कि वह हमारे प्रदेश में कम है । यह सही बात है कि उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेन्ट कम हुआ है । अभी तक सेन्ट्रल सेक्टर में इनवेस्टमेन्ट कम था, अब हम इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । इसमें भारत सरकार के सहयोग को और अपने कार्य को मिला करके हम उत्तर प्रदेश की हैसियत को बढ़ायेंगे । इसलिये हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें और उससे पर कैपिटा आमदनी को बढ़ा सकें ।

किसानों के लिये उधर से बहुत कहा गया कि काम नहीं किया गया । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये बहुत ज्यादा काम हुआ है । हमारा प्रयास था किसानों के लिए फ्री बोरिंग की स्कीम का और यह स्कीम किसानों के लिए बहुत फायदेमन्द रही । इसके लिये तीन हजार रु0 दिये जाते हैं और इसके लिये लघु कृषकों को 1/3 सहायता दी गयी है । सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । हमारा प्रयास है कि किसानों को अच्छे बीज, अच्छी खाद मिले और इसके लिये पूरी व्यवस्था की जाय और इसके लिये हम ज्यादा से ज्यादा खाद की दूकानें खोल कर जो कि उनके स्थान से नजदीक हों, उनको जल्दी खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

इसके साथ ही साथ हम जितना परिव्यय सिंचाई में करते हैं, यह किसानों के लिए ही करते हैं । मैं भी किसान हूं और मैं जानता हूं कि अगर किसी खेत की सिंचाई नहीं होती है तो उसकी पैदावार नहीं बढ़ायी जा सकती है । इस समय सूखा पड़ा हुआ है । आज जितनी नहरें हैं वहां लोगों ने नर्सरी लगा रखी है और वह हो जायेगी। किसानों के लिये सिंचाई बहुत ही आवश्यक है इसीलिये खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई का कार्यक्रम रखा गया है । जो भी इस पर खर्च हो रहा है आप लोग समझते हैं कि क्या इन्टरेस्ट मिल रहा है ? इन्टरेस्ट नहीं मिल रहा है, घाटा ही घाटा होता है । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के लिये खाद सही तरीके से दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है । इसमें हमारा प्रयास रहेगा पैदावार को बढ़ाने के लिये चाहे इसमें हमें बड़े पैमाने पर रोकथाम करनी पड़े, इसमें प्रयास किया जायेगा ।

इसी प्रकार से और भी हमारा प्रयास है कि किसानों को और भी सुविधायें दें । जो बिजली की छूट उनको दी जाती है 221/2 रु0 प्रति हार्स पावर, यह हम किसानों से नहीं वसूल करते हैं । जो बिजली बोर्ड का आया था, जो खर्चा आया था, वह 83 पैसा प्रति यूनिट कास्ट आती है और हम किसानों को दे रहे हैं, 24 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से 83 पैसा कास्ट आती आती है और 24 पैसे में बिजली हम किसानों को दे रहे हैं 59 पैसा का घाटा हम उठा रहे हैं, इसको सब्सीडी के रूप में हम दे रहे हैं,

यह किसानों को मिल रहा है । आप को मालूम है कि उसी बिजली को जब उद्योग धन्धों को दिया जाता है, तो अधिक पैसा चार्ज किया जाता है हम एक रुपया लेते हैं, 90–95 पैसा लेते हैं, लेकिन हम किसानों से 24 पैसा वसूल करते हैं, तो यह सब देखना पड़ेगा । यह सब प्रदेश का पैसा है, सरकार का पैसा है, जो यह किया जा रहा है, वह किसके लिये किया जा रहा है, यदि किसानों के लिये किया जा रहा है । तो इन चीजों को देखना पड़ेगा । यह सब किसानों के लिये हो रहा है, किसानों का विशेष ध्यान है । हम चाहते हैं कि उनके लिये जितनी अधिक से अधिक सुविधायें दी जा सकें, दी जायें । मारकेटिंग की सुविधा देने की बात है, उनके गल्ले की बिक्री कैसे हो, उनके गल्ले का सही दाम उनको कैसे मिले, तो यह बहुत सी बातें हैं ।

मान्यवर, गन्ने की कीमत जो किसानों को मिल रही है, 25 रुपया पश्चिमी जिलों में और 24 रुपया पूर्वी जिलों में मिल रही है । इससे गन्ने की पैदावार बढ़ रही है, लोग गन्ना अधिक बोना शुरू कर दिये हैं और दूसरी फसलों को बोना कम कर दिया है । जो भी गन्ना है, किसान का, उसकी पेराई हो जाये और उसका फायदा इसको मिल जाये । मैं कहना चाहता हूं कि किसान के गन्ने की पेराई करीब 90 प्रतिशत हुई है और 90 प्रतिशत किसानों की कीमत का भुगतान कर दिया गया है । हमने इस तरह की व्यवस्था की है, कि किसान के पैसे का भुगतान होता रहे, ताकि उनको दिक्कत नही हो । इसमें शिकायत नहीं आ रही है । मान्यवर, यह जुलाई का महीना है और हमारी मिलें चल रही हैं और उनकी रिकवरी 4-5 प्रतिशत है, लेकिन हमने कहा कि जब तक किसान का गन्ना पेर नहीं जाता है तब तक उनको चलाया जाये । हम नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि नुकसान किसान का न हो । यह मिलें कभी जुलाई में नहीं चली हैं । इतना घाटा कौन उठाने वाला है । जिसमें किसानों को फायदा पहुंचे उसको हम हर तरह से करेंगे, लेकिन कुछ लोग असल चीज को नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है । अगर यह लोग इस चीज को देखते तो आलोचना न करते, केवल किसान-किसान करते रहते हैं ।

मान्यवर, कल यह बात कही गयी, विधवाओं और निराश्रितों को पेंशन देने की बात कही गयी । मान्यवर, आपको मालूम होना चाहिये कि अभी तक एक लाख 23 हजार 982 निराश्रित विधवायें हैं, जिनके लिए 8 करोड़ 25 लाख 15 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है, इसको हम दे रहे हैं । 60 रुपये के हिसाब से हम पेंशन दे रहे हैं । जो निराश्रित विकलांग हैं वह 23,990 है और उन पर एक करोड़ 60 लाख 24 हजार को बजट में प्राविधान किया गया है । जो हमने 5 करोड़ की बात कही थी, हमने सांकेतिक रूप में ऐसे लोगों को जो बिलकुल बेसहारा हैं, उनके पास मकान नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोगों के लिये कहा है कि उनका सर्वे किया जाये, हमने सर्वे के आदेश दे दिये हैं, 5 करोड़ रुपया टोकेन के रूप में रखवा दिया है और आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर और खर्च करेंगे । ऐसे लोगों का जिनका कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं । जब इसके बारे में सर्वे होकर आ जायेगा तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके खाने के लिये उनके कपड़े के लिये, उनके रहने के लिये हम व्यवस्था करें और वह हम करेंगे । यह एक बहुत बड़ा काम है । केवल 5 करोड़ रुपया अभी हम टोकन के रूप में इसके लिये रखे हैं । इसके लिये और आवश्यकता

पड़ेगी तो वह भी किया जायेगा । हमारा प्रयास है कि ऐसे लोगों के ऊपर हम ध्यान दें ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिये जो स्कालरशिप दी जाती थी वह बन्द कर दी गई । मैं कहना चाहता हूं कि 1986-87 में पिछड़ी जाति छात्रों को जो सुविधायें दी गई उसमें 4,80,271 छात्रों को 8 करोड़ 1 लाख 62 हजार रुपया दिया गया उसे इस साल बढ़ाकर 10 करोड़ 17 लाख कर दिया गया । इस तरह से हमारा प्रयास है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुये हैं, जिनकी दिक्कतें हैं, जो फीस नहीं दे सकते हैं, जिनके पास सुविधायें नहीं हैं ऐसे लोगों के लिये हम व्यवस्था करें । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमने बढ़ाया है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बढ़ायेंगे । तो ऐसे लोगों को भी हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं । इस ओर हमारा ध्यान है कि किस तरह से पिछड़े लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें, कैसे उन्हें आगे बढ़ायें, कैसे उनकी तरक्की हो । इसके लिए काम करने की आवश्यकता है और सरकार इसके लिए काम कर रही है । मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हम काम करेंगे ।

इसी तरह से हरिजन और आदिवासी हैं । उनके लिये भी काफी काम करने की आवश्यकता है । मार्च, 1987 तक अनुसूचित जाति के लगभग 27 लाख लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनको ऊपर उठाने के लिये उनकी तरक्की के लिये मौका दिया गया । उनके लिये आवास की व्यवस्था की गई और यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको नौकरियों में जो शिकायतें आती हैं कि उनका कोटा पूरा नहीं होता है इसलिये यह आदेश दिया गया है कि श्रेणी चार में 30 प्रतिशत और श्रेणी तीन में 25 प्रतिशत उनके लिये आरक्षित रहेगें ताकि पिछला कोटा जो पूरा नहीं हो पाया है उसको पूरा किया जा सके । जो 18 प्रतिशत उनका कोटा होना चाहिए जब तक यह पूरा नहीं हो जाता तब तक श्रेणी चार में 30 प्रतिशत और श्रेणी तीन में 25 प्रतिशत का आरक्षण उनको मिलता रहेगा ।

मान्यवर, इससे उनको बड़ा फायदा हुआ है और जो शिकायतें आ रही थीं वह नहीं आ पायेंगी । इसी तरह से श्रेणी एक और श्रेणी दो में जितनी सुविधायें उनको मिलनी चाहिए, जो रिजर्वेशन होना चाहिए, जितनी बढ़ सकती है, जितनी सम्भव हो सकती है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं । खास तौर से कल यहां पर यह भी कहा गया कि हरिजनों के लिये जो मकान बनाये गये हैं वह कम हैं । लेकिन जितने पिछली बार बनाये गये उससे ज्यादा हम उनके लिये मकान बना रहे हैं । हमारा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो गत वर्ष से कम हुआ हो । हम ज्यादा से ज्यादा बनाकर उनको देंगे ।

इसी तरह से जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, इस बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि जो सबसे कम तनख्वाह पाते हैं कैसे हम उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें । इसीलिये हमने उसमें दस प्रतिशत बढ़ाया है और पहले 15 प्रतिशत बढ़ाया था । उस समय न्यूनतम 30 रुपया दिया था और इस समय 60 (साठ) रुपया न्यूनतम दिया है । हम इसको आगे भी देखेंगे । इससे काफी राहत उनको मिली है । हमारा प्रयास है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत उनको दे सकें, हम देने का प्रयास करेंगे ।

इसी प्रकार हमारे जो माइनारिटी के लोग हैं उनके लिए हमें देखना है । आज बहुत सी ताकतें एक दूसरे को लड़ा कर एक दूसरे से अलग करना चाहती हैं और कमजोर

करना चाहती हैं। उनके लिये हमने आर्थिक कार्यक्रम चलाया है, उनकी हालत सुधारने के लिये शिक्षा में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं, उनके लिये उद्योग धन्धे दे रहे हैं, ताकि वह छोटे छोटे काम कर सके। उनके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था कराकर आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरियों में स्थान देने के लिये कहा है। पुलिस में भर्ती की बात आती है शिकायत आती थी कि पी0 ए0 सी0 में सभी वर्गों के लोगों को नहीं लिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आदेश ही नहीं दिये गये हैं बल्कि यह कर भी दिया गया है कि जब भी सलैक्शन हों चयन समिति में माइनारिटी का भी आफिसर रखा जाय। तो वह देखते हैं कि माइनारिटी के लोग जरूर आयें। उसमें देखते हैं कि सभी वर्ग के लोग आयें ताकि इस प्रकार की शिकायत न आये। हमारा प्रयास है कि जहां कहीं जो पिछड़े हैं जहां पर उनकी ज्यादा आबादी है उनके लिये स्कूल, आई0 टी0 आई0, पालिटैकनिक तथा और भी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार उनके लिये कोचिंग क्लास खुल रहे हैं ताकि वह पढ़ लिख कर नौकरी पा सकें।

इसी प्रकार बुनकरों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की बात है। जो कपड़ा वह बनाते हैं उनको अच्छा पैसा उसका मिल सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं चाहे वह हैण्डलूम कारपोरेशन के द्वारा हो या यूपिका के द्वारा हो उनका ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीद कर बेचा जाय। इसके अलावा किस तरह से उनको अच्छे से अच्छे डिजाइन मिलें ताकि ज्यादा बिक सके यह भी प्रयास करते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पिछले वर्ष पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा, इस साल भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। (मेजें थपथपाई) इतना बड़ा प्रदेश जहां इतनी बड़ी समस्यायें हैं उसके लिये देश में प्रथम स्थान पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मान्यवर, किसी को जनतंत्र में किसी की आलोचना करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरी प्रार्थना है जहां कोई अच्छा काम हो उसे अच्छा कहा जाय और जो खराबी हो उसे आप खराब कहिये। अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे तो जो लोग इस काम को करने वाले हैं उनका मनोबल गिरता है, फिर उनसे और ज्यादा काम करने के लिए कैसे कहेंगे। अच्छा काम करने वाले को अच्छा नहीं कहेंगे तो उनसे काम लेने में दिक्कत होगी। इसलिये जहां कहीं भी अच्छा काम हो उनके मनोबल को बढ़ाईये और जहां खराब काम हो वहां ज्यादा से ज्यादा आलोचना करिये, करनी भी चाहिये। इसलिये यह सब देख कर कहने की बात है खाली फर्जी कह देने से कोई काम बनेगा नहीं, कहने से कोई रोकेगा नहीं। समाज में जहां लाखों काम होते हैं उसमें एक दो गलतियां भी होती हैं लेकिन उसमें देखना होता है कि उसका सुधार कैसे हो। अच्छा काम करने वाले को इनकरेज करना चाहिए। हम सब प्रदेश की बहबूदी चाहते हैं तो जो अच्छे काम में लगे हैं जो ईमानदार हैं उनका अगर मनोबल नहीं बढ़ायेंगे, उनको उत्साहित नहीं करेंगे तो प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा। यही मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कई बातें उठाई और यह कहा कि पहले घाटा 150.2 करोड़ दिखाया लेकिन बाद में वह 161.83 करोड़ हो गया। मान्यवर, आपको मालूम होना चाहिये कि जो बजट में घाटा दिखाया जाता है वह अनुमानित होता है लेकिन जब मार्च के बाद अप्रैल में सारे आंकड़े आ जाते हैं और

रिजर्व बैंक से सारी बात आ जाती है, तो उस समय कह सकते हैं कि वास्तव में कितना खर्च है। उसके बाद 161.83 करोड़ रुपया खर्च हुआ तो यह तो अनुमानित था। लेकिन सही माने में खर्च बढ़ सकता है और घट भी सकता है। काम अधिक होंगे तो बढ़ जायेगा और काम कम होंगे तो घट जायेगा। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है कि जानबूझकर कर करने की कोशिश की गयी है।

इसी प्रकार कहा गया कि राजस्व आय और राज्यस्व व्यय में अन्तर है, तो यह सही है। राजस्व आय 4602 करोड़ और राजस्व व्यय 4924 करोड़ रुपये का अनुमान 1987-88 में है, इस प्रकार घाटा 3.22 करोड़ है। लेकिन यह नहीं है कि आपने जो कहा है कि पूंजी लेखों से घाटा आपने पूरा किया। तो असलियत यह है कि पूंजी लेखे से नहीं बल्कि लोक खाते से पूरा किया गया।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हमने कहा था कि राजस्व की आय लगभग 46 अरब रुपये हैं और राजस्व व्यय 49 अरब रुपये हैं और पूंजी लेखों को मिलाकर यह पूरी आपको जो आय हो रही है वह 72 अरब रुपये है। इस प्रकार 75 अरब रुपये खर्च हो रहा है। आपने जो कहा राजस्व व्यय को बढ़ा दिया है पूंजी लेखे की तरफ और पूंजी लेखा और राजस्व व्यय दोनों को मिलाकर जो घाटा हो रहा है इसको अन्त में पूरा किया है लोक लेखा से।

श्री वीर बहादुर सिंह–

तो यह तो होता ही है कि अंत में लोक लेखा से पूरा किया जाता है। नई आपने बात क्या कहा है। बजट में ऐसा प्राविधान किया गया है। नई बात आपने नहीं कही है।

मान्यवर, आपने कहा है कि आकस्मिकता निधि कंटेंजेन्सी फण्ड की सीमा 450 करोड़ रुपये कर दिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि 450 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ किया है।

श्री सत्यपाल सिंह–

दूसरे प्रदेशों से ज्यादा है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

हर प्रदेश से यह प्रदेश बड़ा है। हमारी एक कमिश्नरी गोरखपुर हरियाणा से बड़ी है। इसलिये यह सीमा यहां अधिक है।

मान्यवर, यह कहा गया है कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हमने बहुत सी परियोजनाओं का नाम लिया है, बिजली परियोजना और बड़े बड़े उद्योगों का नाम लेंगे और जब यह उद्योग धंधे लगेंगे, बड़ी बड़ी परियोजनायें बनेंगी, आप नलकूप ज्यादा लेंगे, बहुत से काम ऐसे हैं जिनको करने से प्रदेश बढ़ेगा। इस काम को करने में यदि आपके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है और उसके लिए यदि आप कर्ज लेकर, और फिर उस पैसे को लौटाकर, उन कामों को करके प्रदेश की उन्नति कर सकते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। टिहरी परियोजना कितनी बड़ी योजना है, इसी प्रकार थर्मल पावर योजना और चार बड़े-बड़े फर्टीलाइजर कारखाने लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा भी कई बड़े-

बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं और वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम नलकूप लगा रहे हैं और जो अपर-गंगा कैनाल है इसका हम मार्डनाइजेशन कर रहे हैं, इसके लिए 1400 करोड़ रुपया विश्व बैंक से मांग रखा है। तो इसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा और कर्ज से काम को पूरा करके हम इस पैसे को लौटा देते हैं तो यह कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कर्ज लेकर कोई ऐसा काम न करना चाहिए, जिसको लौटा न सकें, तो उस काम के लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। उसके लिए न लिया जाए। किन्तु जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कोई बुराई नहीं है। हमारा यह प्रयास है, और भी हमारी तमाम परियोजनाएं हैं, जो बिना कर्ज लिए हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इनको भी हम लोन लेकर पूरी करना चाहते हैं और यह बिलकुल ठीक बात है। इसमें कहीं से भी कोई हर्ज नहीं है। अनप्रोडक्टिविटी के काम में खर्च करें, तो उससे हानि होनी है और प्रदेश को नुकसान होता है।

आगरा के वर्मा जी ने अपने भाषण में गोरखपुर का नाम बहुत लिया। पता नहीं क्या बात है ? ओझा जी के बगल में बैठने का असर पड़ गया है या क्या बात है । हमने अभी कहा है कि हमारे प्रदेश में जो भी एरिया पिछड़ा है, चाहे वेस्टर्न यू0 पी0 हो, चाहे ईस्टर्न यू0 पी0 हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, वहां-वहां हमें काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमको देखना है और आप जाकर देख आइये कि कितना गोरखपुर पिछड़ा हुआ है। फिर भी वहां पर कोई बड़े कल-कारखाने नहीं लगे हैं, कोई भी बड़ा कारखाना गोरखपुर में नहीं लगा है। मैं पूरब-पश्चिम का सवाल नहीं करना चाहता, मैं कहना चाहता हूं कि जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम में लग रहे हैं। पश्चिम में इसलिए लग रहे हैं कि वहां ही यह लग सकते हैं। इसलिए यदि आप बुन्देलखण्ड, पूरब, पश्चिम का सवाल उठायेंगे तो वह ठीक नहीं है। हमारा जो भी पिछड़ा एरिया है, पूरे पिछड़े एरिया को हमें डेवलप करना है और यह हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर, मैंने कहा काफी कारखाने लगाने का हमारा प्रयास है और उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मैं कुछ जगहों के नाम आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो एरोनेटिक काम्प्लेक्स है वह सलेमपुर, अलीगढ़ में लगेगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।

डा0 बंगाली सिंह–

किन्तु वह बजट में नहीं है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोई बड़ा सेक्टर लगाएगा। इसलिए बजट में नहीं है। उसी तरह हमारा प्लास्टिक स्टेपुल फाइबर का कारखाना है ।

श्री किरनपाल सिंह–

बड़ा सेक्टर कौन है, इसका क्या मतलब है?

(शोर)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इण्डोगल्फ फर्टीलाइजर के लिए 720 करोड़, नार्दन इण्डिया पेट्रो कैमिकल सिकन्दराबाद में 30 करोड़, पालीप्रोपलीन

कोसी, मथुरा में 70, सोयाबीन प्रोजेक्ट उरई में 25 करोड़, फोटो फिल्म अल्मोड़ा में 250 करोड़ तथा इसी तरह से प्लास्टिक फिल्मयान कारखाना लगाने का विचार है।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

यह बजट में तो है नहीं।

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जब प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें प्रदेश सरकार को बहुत इन्तजाम करना पड़ता है। सड़क बनानी पड़ती है, पानी का इन्तजाम करना पड़ता है, चाहे वह प्रोजेक्ट कोई भी लगाए। अभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये खासतौर से बजट के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि हर विभाग का अभी अनुदान पेश होगा उससे आप सारी बातें जानेंगे उसको देखेंगे भी। इसमें आपको सुझाव देने का भी मौका मिलेगा। हम प्रयास करेंगे कि जो सुझाव आपके आयेंगे उनको देखते हुए कहां क्या हो सकता है इसका प्रयास किया जाएगा। मुझे खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिए बहुत से लोगों ने आलोचना की। आलोचना करना ठीक है लेकिन आलोचना के समय यह देखना चाहिए कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सही मायनों में उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश के विकास के लिए जितना अच्छा हो सकता है किया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी को सुना। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो तीन स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो मैं समझता हूं कि कई लोग आपको प्रोत्साहित मेंजे थपथपाकर कर रहे हैं और आप प्रोत्साहन से हतोत्साहित न हों। मैं दो तीन बातें जानना चाहता हूं कल विषय चल रहा था जितने सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक उपक्रम हैं इसमें 23 अरब के करीब घाटा हो चुका है। इसमें आपकी पूंजी करीब 60 अरब लगी है और 115 लाख के करीब प्रतिदिन सार्वजनिक उपक्रम एवं सार्वजनिक निगम पर घाटा आ रहा है। इस घाटे को रोकने के लिए आपने कोई प्राविधान किया है? क्या इन पर आप नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे?

विशेष कर विद्युत परिषद् का यह हाल है कि उसमें 18 अरब का घाटा हो चुका है। इस विद्युत परिषद् के घाटे को दूर करने के लिए कल मैंने विशेष रूप से बताया था कि यह कार्य अगर आप कर लें तो मैं समझता हूं कि यह 18 अरब रुपये का जो घाटा है यह 16 साल में खत्म हो सकता है। लेकिन इसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री जी के पैटर्न पर जवाब देते हैं। अगर उनका भाषण सुनें तो वह कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हमारा देखना काम है। वही बात आप कह रहे हैं, हम कहेंगे कि कमी है तो आप कहेंगे कि पूरा करेंगे लेकिन कहां से पूरा करेंगे यह नहीं बता पा रहे हैं। केवल दिल बहलाने

वाली बातें न करिये। कृषि के लिये जरूरत की चीजें खाद, पानी, बिजली के दाम कम नहीं किये गये हैं। आप कहेंगे कि हमने 30 रुपये से साढ़े 22 रुपये कर दिये। तो यह जो साढ़े 22 रुपये से 30 रुपये कर दिये गये थे यह किसी साठगांठ के तहत किये गये थे। जब किसानों ने आक्रोश व्यक्त किया और आप उसका मुकाबला नहीं कर पाये तो फिर कम कर दिया।

मेरा कहना है कि किसानों के लिये न तो लाभकारी मूल्य दिलाया और न किसानों के काम में आने वाली चीजों के दाम कम कराये। किसी को भी कोई राहत बजट में नहीं दी गयी है। मैंने आपसे एक और खास बात कही थी 86-87 का जब आपने बजट पेश किया था तो यह कहा था कि 151 करोड़ रुपये का घाटा है लेकिन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पहली अप्रैल को कहा कि 161 करोड़ रुपये का घाटा है तो मैंने पूछा था कि 11 करोड़ रुपये की जो विसंगति है उसका क्या कारण है तो उसके बारे में आपने नहीं बताया है। मैंने यह भी जानना चाहा था, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को उस समय इंगित किया था, आपने बजट भाषण के पेज 4 पर कहा है कि अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 3.56 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को स्पेशल कांपोनेंट योजना द्वारा लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद पेज 5 पर आपने कहा है कि 3 लाख 50 हजार अनु0 जाति के परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है तो यह 6 हजार परिवार कहां चले गये। इसी बजट भाषण में इस तरह की विसंगतियां दिखायी दे रही हैं। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में बड़ी वाहवाही लूटी है कि हमने राहत दिया है। जबकि देखा जा रहा है कि कर्मचारी आपसे प्रसन्न नहीं हैं। वह केन्द्र के बराबर चाहते हैं।

मैं जानता हूं कि आप इसका जवाब नहीं देंगे और न दे पायेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिये लेकिन मंहगाई पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि अंतरिम राहत देने से कोई लाभ नहीं होगा। अंत में एक बात का जवाब स्पष्ट रूप से दें कि मंहगाई बढ़ने के कारण क्या होते हैं और मंहगाई को कंट्रोल करने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जहां तक पब्लिक अंडरटेकिंग्स का सवाल है, जिसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, बहुत से हमारे निगम ऐसे हैं जैसे चीनी मिलें बहुत से दूसरे लोगों से ली गयीं जब वह चलने के लायक नहीं रह गयीं थी। देखा गया कि किसानों और मजदूरों का अहित हो रहा है इसलिये यह मिलें सरकार को लेनी पड़ी। सिक मिलें, बीमार मिलें लेने से उनमें जिस तरह का उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हुआ बल्कि घाटा हुआ। उन मिलों का मार्डनाइजेशन कर रहे हैं। बहुत सी मिलों में विस्तार कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि यह घाटा जो हो रहा है वह न होने पाये। जिन मिलों का सुधार कर लिया है उनमें घाटा नहीं हो रहा है। बहुत से हमारे जो सार्वजनिक निगम हैं वह अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ खराब काम कर रहे हैं। इसके लिये हमने एक कमेटी बैठायी थी, उसको हम देख रहे हैं कि क्या क्या कार्य किये जायं, कैसे इनको ठीक किया जाय, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक विद्युत परिषद् की बात है उसके लिये काफी बातें हो रही हैं और यह देखा जा रहा है कि घाटा किन किन कारणों से है और इसको कैसे ठीक किया जाय इसके लिये प्रयास किया जायगा।

माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें किसानों के बारे में कहीं। मैंने कहा था शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा था कि 83 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च आता है और अब किसानों से केवल 24 पैसा वसूल किया जा रहा है अब अगर यह ज्यादा नहीं है तो क्या है। कहते हैं कि दबाव से, कहीं काम होता है दबाव से काम नहीं होता है। किसानों के हित को देखते हुए, किसानों की भलाई को देखते हुए, किसानों को ज्यादा सुविधा कैसे दी जा सकती है, यह देखते हुए किया गया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि टी0 एण्ड वी0 योजना जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चालू किया है, वह केवल प्रदेश के 4 मण्डलों में शुरू की गयी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू की गयी। 5,000 कृषि सहायक आपने रखे है और दूसरा 164 करोड़ रुपये सड़कों के बारे में जो दिया वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला गया इसका स्पष्टीकरण और तीसरा न्याय विभाग का है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जसवन्त सिंह की रिपोर्ट आ गयी कि आगरा में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना हो, इसका स्पष्टीकरण दे दें। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा नहीं है, तो और क्या है?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जब मान्यवर, चर्चा होगी तब विस्तृत बात हो जायेगी।

*श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह कहा कि गत वित्तीय वर्ष में हमने विकास की दर 5 प्रतिशत तय किया था और आज यह कहा कि इस चालू वित्तीय वर्ष में विकास की दर का लक्ष्य 6 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष की 6 प्रतिशत की दर का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है, उसके पूरा न होने के क्या कारण हैं? आज आप घोषणा कर रहे हैं कि 6 प्रतिशत की विकास दर फिर से आप पूरा करेंगे तो इसके लिए कौन-कौन से उपाय अपनाने जा रहे हैं जो उपाय पिछले साल नहीं अपना पाये थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह आपको विश्वास दिलाया गया है कि 6 प्रतिशत का जो लक्ष्य है वह पूरा किया जायेगा।

(मद सं0-11 पुकारे जाने पर विपक्ष के कई सदस्य खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

जो हो गया वह हो गया अब आप बैठिये।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अभी आपने कहा कि हो गया। क्या हो गया अगर आपको पता लगा हो तो मुझे बता दें कि क्या हो गया?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपको पता होगा कि क्या हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 56 करोड़ रुपये की खाद बांटी गयी थी और वह बजट प्राविजन में नहीं था, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से दी गयी थी और किसानों से वादा किया गया था कि आधी छूट दी जायेगी यानि आधा देना पड़ेगा। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते होंगे कि आज तक वह सब्सिडी आधी छूट किसानों को नहीं दी गयी और उसका पूरा मूल्य वसूल किया जा रहा है। पिछली बार कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस कमी को पूरा करेंगे लेकिन इस बजट में इसकी चर्चा नहीं की गयी। क्या माननीय मुख्य मंत्री घोषणा करेंगे कि किसानों को जो सब्सिडी दी गयी थी उसको काटा नहीं जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही है कि पिछले वर्ष 56 नहीं 62 करोड़ की खाद बांटी गयी, उसमें सब्सिडी दी गयी उसमें से ज्यादा अनुदान दे दिया गया, ज्यादा सब्सिडी दे दी गयी, कुछ बकाया है उसका इंतजाम किया जायेगा।

*डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं और जब वह लगायेंगे तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आभारी होंगे और मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र होंगे लेकिन उसके साथ ही पूर्वान्चल में कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे और कितने लगने वाले हैं इसका जिक्र कर दें?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जिस दिन इण्डस्ट्री का बजट होगा, उस दिन हर जिले का बता दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987

*श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता हूं।

मान्यवर, यह अध्यादेश पुनः इस बार लाया गया। इसी प्रकार से विगत वर्ष में भी इसी तरह अध्यादेश लाया गया था। मान्यवर, इस अध्यादेश ने इस सरकार के प्रति विश्वसनीयता ही समाप्त कर दी है। पिछली बार जब कि अध्यादेश आया था, ग्राम्य विकास मंत्री महोदय ने अपने इस अध्यादेश को रखते समय एक आश्वासन दिया था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी और सदन की जानकारी से पढ़ना चाहता हूं। जब यह शंका उत्पन्न की गयी कि आप यह चुनाव जिला परिषद् के नहीं कराना चाहते हैं और जान-बूझ कर इसे टाल रहे हैं, तो माननीय ग्राम्य विकास मंत्री महोदय ने इन शब्दों को कहा था। ग्राम सभाओं और क्षेत्र समितियों के चुनाव हो चुके हैं और यहां तक कि जिला परिषद् के जो माननीय सदस्य आते हैं क्षेत्र समितियों से उनके भी चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। अब तो केवल जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव कराना शेष है। लेकिन इस वर्ष जैसा कि मैंने बताया है प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जैसे सूखा और बाढ़, असेम्बली चलती रही, जिससे चुनाव नहीं हो सके, किन्तु माननीय मुख्य मंत्री चूंकि घोषणा कर चुके हैं कि मई के महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और आज भी माननीय मैनेजर सिंह के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह भी कहा है कि जिला परिषद् के चुनाव जून तक सम्पन्न हो जाय।

मान्यवर, ग्राम्य विकास मंत्री जी ने यह भी कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि हम चुनाव करा देंगे, पूरा प्रयास करूंगा कि 30 जून तक चुनाव सम्पन्न हो जाये। इसी सदन में सरकारी पक्ष से माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 30 जून तक चुनाव सम्पन्न करा देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान इधर आकृष्ट कराने की कृपा करें। मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जहां जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न कराने में थोड़ा सा काम शेष है, उसके लगातार दो-दो बार यह अध्यादेश के द्वारा समय की बढ़ोत्तरी करके जनता के अधिकारों को जिलाधिकारी के हाथ में सौंपते जाना लोकतंत्र की हत्या है। उसके बाद सदन में जो आश्वासन दिया गया माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने, माननीय मुख्य मंत्री जी का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय मंत्री जी कह चुके हैं कि हम चुनाव करा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि 30 जून तक चुनाव सम्पन्न हो जाय।

मान्यवर, 30 जून तक चुनाव कराने की बात जिस समय पिछलीबार बजट के समय यह अध्यादेश लाया गया था, आश्वासन दिया गया था। मान्यवर, इसके पहले भी 85 में एक और इसी तरह जब समय की बढ़ोत्तरी की गई थी एक वर्ष के लिए तो यह आश्वासन दिया गया जिला परिषदों के चुनाव बहुत शीघ्र कराये जायेंगे, जल्दी से जल्दी कराये जायेंगे इससे सदस्यों को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, यह विश्वास दिलाते-दिलाते विश्वासघात किये जा रहे हैं और अब यह अध्यादेश के द्वारा फिर से 31 मार्च, 1988 तक जनता के अधिकारों को जिलाधिकारियों के हाथ में सौंप दिया गया है। मान्यवर, जिला परिषदों की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं जानना चाहूंगा मा0 मंत्री जी से कि ग्राम सभाओं के चुनाव हो गये, गन्ना समितियों के चुनाव हो गये, जिला-परिषद् के सदस्यों के चुनाव हो गये, सदस्य चुन तो गये लेकिन बेकार बैठे हैं और यह जिलाधिकारी जिसके पास पहले ही बहुत से काम हैं, सारे जिला परिषद् का काम देख रहे हैं। जिला परिषद् के अन्तर्गत अस्पताल बेकार पड़े हैं उन्हें कोई चलाने वाला नहीं है, जो विद्यालय चल रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं। सारा पैसा जिलाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी मिल जुलकर बांट ले रहे हैं, लूट रहे हैं। जिला परिषद् तबाह है। आप जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव न करवाकर, जिला परिषद् का गठन करने

से सरकार भाग रही है और इसीलिए एक साल का समय लेने का इन्होंने प्रयत्न किया है।

मान्यवर, दो बार माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया है, वह फिर करेंगे इसलिए मैं अपनी ओर से कह देना चाहता हूं। आपने कहा कि जनता सरकार ने ही 1978 में जिला परिषद् को भंग किया था, जरूर भंग किया था, भंग इसलिए किया था कि उसका चुनाव करवाकर सही तरीके से जिला परिषद् का गठन करेंगे। मान्यवर, स्पष्ट है कि जनता सरकार नहीं रही और 80 से 87 तक 7 वर्ष बीत गये, हमने जिला परिषद् को भंग किया था चुनाव कराने के लिए लेकिन 7 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं। 7 वर्ष हो गये, यह काम अगर जनता सरकार रही होती तो एक साल या दो साल के अन्दर हमने इसको करके दिखा दिया होता। आज भी मंत्री जी आश्वासन दे दें कि एक-दो महीने में वे चुनाव करवा देंगे तो मैं इसको वापस ले लेता। यदि मंत्री जी यह कह दें कि 2 महीने के अन्दर चुनाव करा दिये जायेंगे तो मैं यह संशोधन वापस ले लूंगा। मान्यवर, मैं यह अननुमोदन का प्रस्ताव न लाता यदि इसे 31 मार्च, 1988 तक बढ़ाने की बात न कही जाती। इसके माध्यम से आप फिर जिलाधिकारियों को, नौकरशाही के हाथ में जनता के हितों की हत्या करने के लिए यह अधिकार दे रहे हैं इसीलिए मैंने कहा है कि मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसी के साथ-साथ कि जो कठिनाई कांग्रेस पार्टी की अपनी आन्तरिक है उससे जनता को वे हानि न उठाने दें। आन्तरिक कठिनाई आपकी हो सकती है लेकिन कितना समय आप लेंगे। आपके सामने प्रश्न यह है कि किस जिले में कौन जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाया जाय और मैं जानता हूं कि अधिकांश जिलों में कांग्रेस पार्टी के ही लोग जिला परिषद् के अध्यक्ष बनाये जायेंगे, कांग्रेस के ही लोग चुने जायेंगे, परन्तु प्रश्न यह है कि किस जिले से किसको लाया जाय। यह आपके आन्तरिक संघर्ष और गुटबन्दी का ही नतीजा रहा है कि कांग्रेस पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है और पूरा उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पर इस अध्यादेश के द्वारा झोंक दिया गया है इसीलिए मैंने इसका अननुमोदन किया है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अगर एक महीने की बात पर बल दें तो मैं इसको वापस लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मान्यवर, 31 मार्च, 1988 तक प्रदेश को आग में झोंक देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा इसलिए मैं इसका अननुमोदन करता हूं।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, 31 मार्च, 1988 तक तो यह------

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्याण सिंह जी यह मद संख्या 12 मा0 मंत्री जी रख दें तब उसके बाद आप बोल लीजिएगा, फिर समय मिलेगा।

*ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 की धारा के अधीन समस्त शक्तियां, कार्य एवं कर्त्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हैं और 31 मार्च, 1987 तक इन जिला परिषदों का गठन हो जाना चाहिए था धारा-2 के अधीन किन्तु किन्हीं परिस्थितियों वश इन जिला परिषदों के चुनाव नहीं हो सके। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 31 मार्च, 87 को यह आध्यादेश जारी किया गया कि जिला-परिषदों के कार्य-काल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाय। इसी के तहत इसको पुरःस्थापित करने के लिए यह अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। श्रीमन्, मा0 हरीश जी इस बात पर अधिक बल दे रहे हैं कि यह सरकार चुनाव नहीं करा रही है और इनके साथ विश्वासघात कर रही है, लेकिन मान्यवर, 10 अगस्त, 1977 को जब जनता-पार्टी की सरकार आयी (विपक्ष की ओर से एक जोरदार हंसी का ठहाका) तो पहला आघात जिला-परिषदों पर ही इस सरकार ने किया। चुनी हुयी जिला-परिषदें जिनका कार्य-काल तीन वर्ष बाकी था, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, परन्तु इन्होंने इनको तोड़ दिया और इनके तोड़ने के बाद भी इनका शासन का कार्य-काल तीन वर्षों तक रहा, परन्तु इन्होंने इस बीच भी इनका गठन चुनाव द्वारा नहीं कराया और आज मा0 हरीश जी व मा0 कल्यान जी यह कहते हैं कि यह सरकार जिला परिषदों के चुनाव नहीं करा रही है और जबकि मान्यवर आपको भी और इनको विदित है कि अभी पिछले दो ही तीन दिनों पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन के अंदर यह घोषणा की है कि इस सत्र के बाद आने वाले कुछ ही महीनों में लोकल-बाडीज व जिला परिषदों के चुनाव करा दिए जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है कि आने वाले समय में चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराने के प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को आश्वस्त हो जाना चाहिए था और जो यह छोटा सा संशोधन विधेयक है, जिसमें केवल एक साल का समय मांगा गया है, 31 मार्च, 1988 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 1988 तक समय मांगा है तो हम इस वर्ष के आखिर तक इंतजार करेंगे बल्कि इससे पहले ही हम चुनाव कराने के प्रयास करेंगे।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

मान्यवर, जो अभी ग्राम्य विकास मंत्री जी वे अपने भाषण के दौरान यह कह रहे थे कि जनता शासन काल में 1977 में जिला परिषदें भंग की गयीं तो मान्यवर, इनके भंग हुए आज 10 साल हो रहे हैं, परन्तु जब यह सन् 80 में आ गये थे तब से आज तक यह इसके चुनाव नहीं करा पाये, 7 साल हो गये हैं इनको आए हुए। वर्ष 1980 से 1985 तक इनको एक टर्म पूरा मिला उसमें यह चुनाव नहीं करा पाये और अब 87 हो रहे हैं। मान्यवर, यह इस बात के आदी हो गये हैं पिछली बार भी यही इस विभाग के मंत्री थे इनको यह समय-मांगते-मांगते शर्म नहीं आती है और हमें भी अननुमोदन करते-करते शर्म नहीं आती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यही उपाध्याय जी हमें चौखम्भा राज की बात बताते थे कि स्व0 राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में किस तरह से ग्राम सभाएं बनेंगी और किस तरह से काम होगा। मैं समझता था कि इस सरकार में उस व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे इनकी काया पलट हो गयी, मैं समझ नहीं पाया । तो मान्यवर, इसको प्रवर समिति में भेजने का उद्देश्य यह है कि प्रवर समिति यह विचार करे कि यह बार-बार संशोधन आते रहेंगे या उसका कोई समय होगा । यह जबसे भंग हुई है, आप एक बार 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिये बढ़ा लेते । मान्यवर, यह हर बार यही करते हैं । आप फिर देख लीजियेगा, आज ये मा0 वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में यह बात कह रहे हैं, अगली बार लोकपति त्रिपाठी जी आ जाएंगे, उपाध्याय जी आज यहां पर हैं, तब भी यहीं पर रहेंगे, ये तो भाग्यशाली हैं, इनकी कुर्सी वहीं रहेगी ।

मान्यवर, इसमें हमारा स्वरूप प्रजातांत्रिक है । उसकी कुछ मर्यादाएं और सीमाएं हैं । तो जनतांत्रिक व्यवस्था को प्रशासन तंत्र के हाथ में सौंप दिया जायगा तो काम ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आपने यही नजरिया बना लिया है, तो आपको भगवान सद्बुद्धि दे, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं । आप अगर 31 मार्च, 1988 तक का समय मांग ही रहे हैं तो आपकी संख्या है, समय मिल ही जायगा, लेकिन जब तक चुनाव नहीं कराते हैं, तब तक कम से कम कोई जन-प्रतिनिधि नामांकित कर दें, जैसा जनता पार्टी के राज में हुआ था, चुनाव नहीं हो पाया तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि जन प्रतिनिधि की सलाह से जिला प्रशासन का काम चलता था । आज जिला परिषद् की सारी व्यवस्था जिलाधिकारी के हाथ में है, लेकिन जिलाधिकारी के पास जाते हैं तो उसके पास फुरसत ही नहीं है कि ध्यान दें, इसलिये उपाध्याय जी, कृपा करके जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक जन-प्रतिनिधियों को नामित कीजिये और कलेक्टर के अधिकार को सीमित करें ।

*श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, 31 मार्च, 1988 तक के लिये जिला परिषदों के ऊपर प्रशासक बनाए रखने का अधिकार सरकार लेने जा रही है । जब कभी स्थानीय निकायों के चुनाव का प्रश्न सामने आता है या जिला परिषद् के चुनाव का प्रश्न सामने आता है तो इनके पास केवल एक ही तर्क शेष रह जाता है कि अक्टूबर, 1977 में जनता पार्टी ने जिला परिषदें भंग कर दी थीं । यदि आप समझते हैं कि जिला परिषदों का भंग किया जाना सही था तो बार-बार यह तर्क क्यों देते हैं और अगर समझते हैं कि जनता पार्टी का यह काम गलत था तो आप बार-बार उस काम को दोहराते क्यों हैं । जब बार-बार यह प्रश्न आता है कि स्थानीय निकाय या जिला परिषदों के चुनाव कराए जांय, हर बार यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि जनता पार्टी ने भंग कर दिया था तो मान लीजिये जनता पार्टी ने बड़ा भारी पाप किया था लेकिन आप उस पाप को बार-बार क्यों दोहराते जा रहे हैं । यह कोई तर्क नहीं है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो जिला परिषद् के वर्तमान सदस्य हैं, उनका कार्य-काल भी अब लगभग समाप्त होने जा रहा है और मार्च, 1988 में यह अवधि पूरी हो जायगी तो क्या नये सिरे ग्राम प्रधानों का चुनाव कराया जायगा । जब नये सदस्य चुन जाएंगे तो क्या इन जिला परिषदों का अध्यक्ष नये जिला परिषद् के सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुनेंगे । मौजूदा सदस्यों को तो एक दिन भी जिला परिषद् में बैठने का अवसर नहीं मिला । उन्हें कदाचित अभी तक शपथ लेने का भी अवसर नहीं मिला है । इनके पांच साल हो गये . . .

श्री जयदीप सिंह बरार–

जैसे शादी हो गयी, गौना नहीं हुआ ।

श्री कल्याण सिंह—

तो कम से कम गौने की मीयाद इतनी न रखें कि आदमी तड़प-तड़प कर मर जाय ।

(हंसी)

मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने सवाल उठाया कि ठीक है अगर आप तत्काल चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है तो जिला परिषदों में जन प्रतिनिधियों का कोई न कोई रोल कराये, भागीदारी करायें चाहे उसमें समिति बनाकर आप करें। कलेक्टर के पास इतना काम होता है कि जिलापरिषदों के कामों की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। पत्रावली जाती है, बिना पढ़े दस्तख्त हुए वापस लौट आती है। मैं बताना चाहूंगा कि जन-प्रतिनिधियों का उसमें रोल न होने की वजह से, जिला परिषदों के विकास के कार्य और बाकी के कार्य भी ठप पड़े हुए हैं । पैसा जनता का बरबाद हो रहा है । आप एक स्पष्ट घोषणा करें कि आप किस तिथि तक चुनाव करा देंगे। अब है क्या आपका एक रटा रटाया शौक पल्ले पड़ गया है जल्दी से जल्दी या शीघ्र से शीघ्र का । शीघ्र से शीघ्र के मायने क्या हैं? एक महीने, दो महीने, एक साल, दो साल पांच साल, सात साल? आप उसकी परिधि बता दें। हम सब करके बैठेंगे कि सरकार ने शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने की बात कही है वह इस अवधि तक हो जायेगा। शीघ्र से शीघ्र की परिभाषा आप स्पष्ट कर दें। आपका इस तरह का प्रस्ताव तेईसवीं बार आया है। जनता पार्टी के समय में 7 बार आया था । तो उसे पाप माना गया । आपका यह प्रस्ताव 23वीं बार आया है, आप तीसरी बार पाप कर रहे हैं। अब यह जरूरी तो नहीं है कि किसी ने गल्ती की तो सरकार उस गल्ती को दुहराती चली जाये। आप निश्चित घोषणा करें कि जिला-परिषदों के चुनाव आप कब तक करा देंगे। शीघ्र से शीघ्र की बात में अब विश्वास नहीं रहा। जन प्रतिनिधियों की भागीदारी जिलापरिषदों में हो सके, इसकी भी आप घोषणा करें जब तक चुनाव न हो सकें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मनुष्य का स्वभाव है कि वह बुराई को याद करता है, अच्छाई को भूल जाता है। 1977 में जो जनता पार्टी ने किया, वह माननीय मंत्री जी को याद है। अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में जनता पार्टी ने जो अच्छा कार्य किया, वह माननीय मंत्री जी को शायद याद नहीं है । कर्नाटक में जनता पार्टी ने सारी सत्ता जनता को दे दी । आप चुनाव करा नहीं पायेंगे, कई बार इससे पूर्व भी आपने समय बढ़वाया है। आपके बगल में माननीय सहकारिता मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका कुछ अनुकरण करें। सत्ता के गलि-यारों में तमाम लोग चप्पले चटकाते फिर रहे हैं, आप उन्हीं को उसमें मौका दे दें। कलेक्टर की जगह आप किसी भी अपने कर्मठ कार्यकर्ता को ही वहां लाकर बिठा दीजिये चुनाव होने तक नामिनेट कर दीजिये, हम उसको सलाम कर देंगे। लेकिन, अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कलेक्टर को सलाम करने की स्थिति में नहीं हैं। जिसको आप चाहें, उसे वहां आप नामिनेट कर दें। हम लोगों से अब बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने का काम मत करवाइये बड़ी कृपा होगी। चाहे आप चुनाव 2 साल बाद करवायें, तब तक आप वहां नामिनेट किसी को कर दें।

*श्री किरनपाल सिंह–

जनता पार्टी ने यह किया, वह किया, अब यह सब पुरानी बातें हैं। माननीय मंत्री जी ने और इस सरकार के कई मंत्रियों ने कहा कि जल्द से जल्द जिला परिषदों के चुनाव करा देंगे। जो हमारे जिला परिषद् के सदस्य प्रमुख और ग्राम प्रधान जो चुने गये हैं उनका मान्यवर, समय निकट भविष्य में समाप्त ही होने वाला है। यह भी सोचना होगा कि जब आप यथा शीघ्र चुनाव कराने की बात कह रहे हैं और वह बहुत जल्दी होता प्रतीत नहीं होता उस स्थिति में क्या होगा। अगर आप 2 साल पहले यह बात कहते तो बात वाजिब लगती और यह भी उम्मीद लगती कि आप चुनाव करा देंगे। ब्लाक प्रमुखों का समय 5 साल का था, 5 साल का समय भी समाप्त होने वाला है। यह भी सोचना होगा कि जिनका समय समाप्त होने वाला है उनके द्वारा आप नयी जिला परिषदें गठित करेंगे तो यह बात न्यायोचित नहीं होगी। माननीय ओझा जी ने कहा कि आप चाहे किसी कांग्रेस आई0 के कार्यकर्ता को वहां नोमिनेट कर दीजिये, नियुक्त कर दीजिये, वह तो और भी तानाशाही का कदम होगा। मैं इस बात में एतबार नहीं करता। या तो आप ऐसा करें कि ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के सदस्य और एम0 एल0 ए0 की एक समिति बना दें और उसे जिला परिषद् का काम सौंप दें, तो यह एक उपयुक्त कदम होगा। जिला परिषद् में प्रशासक का नियुक्त रहना अब उचित नहीं है। चुनाव कराने की बात आप करते हैं, समय मांग रहे हैं। जिन पदों पर जो लोग हैं प्रधान हैं, ब्लाक प्रमुख हैं उनका समय समाप्त होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिला परिषद् के चुनाव के लिये आप ग्राम प्रधानों के, ब्लाक प्रमुखों के नये चुनाव करायेंगे या जिनका समय समाप्त होने जा रहा है, उनसे चुनाव कराये जायेंगे।

*श्री जयदीप सिंह बरार—

अभी संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी की ओर से सदन में रखा गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार भी रखे हैं। मैं समझता हूं कि जितने विपक्ष के साथी हैं, माननीय मंत्री जी हैं इस बात से सब सहमत हैं कि यथा-शीघ्र लोकतांत्रिक व्यवस्था लायी जाय। एक-दो बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो इसी से सम्बन्धित हैं। पहली बात तो यह कि जब तक चुनाव न हों तब तक टैक्स बढ़ाने की जो व्यवस्था है, उस पर रोक लगा दी जाय। यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक जिला परिषद् का गठन न कर दें तब तक टैक्स बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान. . .

(कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बात करने से व्यवधान)

मा0 मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि विभव और सम्पत्ति कर की जो परिभाषा है, उसमें अगर कोई आदमी घास काटकर भी बेचता है तो उस पर भी टैक्स लगाने की शक्ति है। ये नियम 1924 में बने थे अंग्रेजों के समय में,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको आज लागू रखना, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये उचित नहीं है। आज आई0 आर0 डी0 योजना में और दूसरी योजनाओं में जहां आप एक ओर निम्न वर्ग के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये करोड़ों रु0 खर्च कर रहे हैं, यह उचित नहीं है कि किसी ने अगर कोई छोटी सी दुकान खोल ली है या कोई और काम कर लिया है, तो आप उस पर टैक्स लगायें। ऐसे मामले भी हैं जहां जिला परिषद् ने उन पर भी टैक्स लगा रखा है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विभव और सम्पत्ति कर में भी ऐसा संशोधन करें कि गांव में जो लोग टैक्स देने की स्थिति में हों, वही टैक्स दें और वह लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं जैसे 50 रु0 की बीड़ी खरीद कर बेच ली या और कोई छोटा-मोटा काम कर लिया, उनको इस टैक्स की परिधि से दूर रखा जाय।

*श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, शासन ने स्वयं एक राजाज्ञा जारी किया था कि चुने हुए जो जिला परिषद् के सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और सदस्य हैं, ये एक जिला परिषद् गठित करेंगे और जो प्रभारी मंत्री होंगे, वह उसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन दो वर्ष हो गये 57 जिलों में से किसी जिले में इसकी बैठक नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं क्यों बैठक नहीं हुई? जब राजाज्ञा जारी हो गयी तो प्रभारी मन्त्री ने क्यों नहीं बैठक बुलायी? दूसरी बात, जैसा हमारे नेता अभ्भा जी ने कहा कलेक्टर की व्यवस्था तत्काल समाप्त कीजिये। जो धूर्त अधिकारी हैं वही आपको बरगलाते हैं कि आप हार जायेंगे इत्यादि। जिले में बल्वा होगा, यह रिपोर्ट आपको देते हैं और आपको भड़काते हैं कि जिले में बलवा होगा, यह रिपोर्ट आपको देते हैं और आपको भड़काते हैं कि कलेक्टर की व्यवस्था आप जारी रखें। आप आज ही घोषणा कीजिये कि कलेक्टर की व्यवस्था आप समाप्त करेंगे। आप चाहे चेयरमैन के रूप में कांग्रेसियों का नाम ही घोषित कीजिए, हम विरोध पक्ष के लोगों की बात नहीं करते हैं, लेकिन जिला परिषद् में आप अन्तिम रूप से यह व्यवस्था चालू कर दें ताकि कलेक्टर की व्यवस्था चली जाय। हमारे यहां के लिये कोई न मिले तो चाहे आप हरदेव जी को ही अध्यक्ष बना दें, हम इनसे काम चला लेंगे, हम मजाक नहीं करते हैं। हम गम्भीरता के साथ कहते हैं कि आप चाहे किसी भी चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक आदमी को उस पद के लिये नामिनेट कर दीजिये अध्यक्ष के रूप में, हो सकता है कि इस पर एक या दो महीना झगड़ा हो लेकिन फिर सब शान्त हो जायेगा। हर जिले के लिये नाम चुन कर आप घोषित कर दें, न हो तो प्रभारी मंत्री को ही आप घोषित कर दीजिये और कलेक्टर की व्यवस्था को समाप्त कर दीजिये और उसकी जो ड्राइंग और डिसबर्सिंग पावर है वह भी उससे ले लीजिये। यदि आप आज इस बात की घोषणा नहीं करेंगे तो हम "वेल" में तो नहीं जायेंगे लेकिन फिर हम यहां बैठना नहीं चाहते हैं। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आप चेयरमैन को नामिनेट करने का आश्वासन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरीश जी, संकल्प के बारे में क्या आप कुछ कहेंगे?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, संकल्प रखते समय मैंने कहा था कि मंत्री जी जिला परिषद् के चुनाव के बारे में कोई निश्चित तिथि की घोषणा कर दें जिससे समस्या का हल निकल जाय। एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव भी आया कि तब तक के लिये जन प्रतिनिधियों में से ही किसी को नियुक्त कर दें जिससे लोकतंत्र का स्वरूप बना रह सके जिला परिषदों में। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यदि वे इस प्रकार का आश्वासन दें तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय माता प्रसाद पाण्डेय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी बार-बार इसे ला रहे हैं और हम बार-बार वही कह रहे हैं, अब इसमें और क्या कहूं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय सभी साथियों ने जिला परिषद् के गठन पर चिन्ता व्यक्त की है, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं। यह सही है कि जिला परिषद् के चुनाव शीघ्र ही होने चाहिये, शासन इस भावना से पूरी तरह से अवगत है और इससे पूरी तरह से सहमत है कि जिला परिषद् के चुनाव होने चाहिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की थी कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे।

मैं इस अवसर पर सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की मंशा पूरी तरह से साफ है, मनोनयन हम इसलिये नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम चुनाव कराना चाहते हैं। जैसा कि मैनेजर सिंह ने अभी कहा जिला सलाहकार समितियों के बारे में, पाण्डेय जी और किरनपाल सिंह जी को मालूम होगा कि दो साल पहले जिला सलाहकार समितियों के गठन के आदेश हो गये हैं। मैं चाहूंगा कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं यह जिला सलाहकार समितियां विधिवत् बैठक करें और उनके माध्यम से कार्य होते रहें। जब तक चुनाव नहीं होते हैं यह जिला सलाहकार समितियां विधिवत् बैठक करें और उनके माध्यम से कार्य होते रहें।

चूंकि शासन की मंशा साफ है चुनाव कराने के बारे में इसलिये मैं हरीश जी से निवेदन करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें। और पाण्डेय जी से भी निवेदन करूंगा कि वह भी संशोधन को वापस ले लें।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है और यह भी नहीं कहा है कि जो प्रशासक हैं, उनको हटाया जायेगा, इससे लागता है कि सरकार लोकतंत्र विरोधी है और इसके विरोध में हमारा दल इस सदन से त्याग करता है।

(श्री कल्यान सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, सरकार जब चुनाव नहीं करा रही है, तो यहां पर बैठने से क्या लाभ और बैठने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था), (संशोधन) विधेयक, 1987 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1987 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, 4, 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 31 मार्च, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "31 मार्च, 1987" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 मार्च, 1988" रख दिए जायेंगे।

नयी धारा 2-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी और 10 सितम्बर, 1986 से बढ़ायी गयी समझी जायेगी, अर्थात्—

"2-क—ऐसे जिला परिषदों के सम्बन्ध में जिनका संघटन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किये गया है, धारा 2 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, यथास्थिति, उनके कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्यकाल की समाप्ति के दिनांक से लागू होंगे।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। अध्यादेश संख्या 3 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 29-6-87 की कार्यवाही में मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश स्वीकार करने के प्रस्ताव पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा ने दिनांक 30-6-87 को नियम 300 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठाया था कि दिनांक 29-6-87 की कार्यवाही में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को स्वीकार करने का प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं था। मैंने दिनांक 30-6-87 की कार्यवाही देखी है। उसमें श्री राम औतार दीक्षित जो मंत्री भी हैं तथा जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य भी हैं, द्वारा समिति की सिफारिश स्वीकार करने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया था। बाद में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की आपत्ति पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव करने को कहा गया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कार्य मंत्रणा समिति में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लेते रहे हैं। तदुपरान्त सदन ने कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुति स्वीकार कर ली। जब सदन में एक ही विषय पर दो प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये गये हों और सदन ने उसे स्वीकार कर लिया हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि सदन ने कौन सा प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के पश्चात् वह सदन का विनिश्चय हो जाता है और सदन के विनिश्चय को नियमों के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। चूंकि नियमों के अनुसार कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य ही उससे सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, अतः श्री राम औतार दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सदन की सहमति को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। अतः मैं इस मत का हूं कि दिनांक 29-6-87 को कार्य मंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ, वह नियमों के प्रतिकूल नहीं था।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की वक्तव्य के लिये और श्री विजय सिंह राणा की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद न किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह एडवोकेट)–

[राज्य सरकार व इसकी क्रय एजेन्सियां केन्द्र सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं की खरीदारी किसानों से सीधे करती है। यह खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर व उनके द्वारा घोषित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप की जाती है। इस वर्ष के लिए भारत सरकार ने उचित औसत किस्म के गेहूं ग्रेड–1 का मूल्य रु0 166/- प्रति कुन्तल तथा ग्रेड–2 का मूल्य रु0 164/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया है। इस समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा यथासमय आवश्यक व्यवस्थायें की गईं जिससे कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। क्रय केन्द्रों की इस प्रकार स्थापना के आदेश दिये गये कि किसानों को अपना खाद्यान्न बेचने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक दूर तक न जाना पड़े। इस वर्ष 5,998 क्रय केन्द्रों की स्थापना की गई, जबकि गत वर्ष 5,779 क्रय केन्द्र खोले गये थे।

मूल्य समर्थन योजना के सुचारु रूप से संचालन के यथासमय प्रयास हर स्तर पर किये गये। खरीद संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु शासन, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पूरी व्यवस्थायें की गईं जिससे कि डिस्ट्रेस सेल की कोई विशेष समस्या नहीं हुई और राज्य सरकार गेहूं के दाम समर्थन मूल्य के स्तर तक बनाये रखने में सफल रही।

जहां तक गुण-निर्दिष्टियों का संबंध है भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि गेहूं प्राकृतिक रंग व आकार का होना चाहिये तथा इसमें कीड़े-मकोड़े या बीमारी न लगी हो व इसके अतिरिक्त इसमें अन्य अशुद्धियां निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये:–

श्रेणी	बाहरी तत्व	अन्य खाद्यान्नों के दानों के अंश का प्रतिशत	क्षतिग्रस्त अन्न के दानों का प्रतिशत	आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दानों का प्रतिशत	सिकुड़े हुए अथवा टूटे हुए दानों का प्रतिशत
1–	0·75	6·00	2·00	5·00	6·00
2–	1·50	10·00	3·00	10·00	12·00

भारत सरकार के उक्त निदेशों के कारण वर्षा से भीगे गेहूं को भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल हेतु स्वीकार नहीं करता। अतएव समर्थन योजना में इसकी खरीद के लिए राज्य सरकार ने दिनांक 14 मई, 1987 को गुण-निर्दिष्टियों में शिथिलता प्रदान करने का भारत सरकार से अनुरोध किया। मामले की गम्भीरता की दृष्टि से मुख्य मंत्री जी ने भी इसी आशय का एक पत्र दिनांक 21 मई, 1987 को केन्द्रीय खाद्य मंत्री जी को लिखा तथा व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें स्थिति की गम्भीरता से अवगत कराया। खाद्य सचिव ने भी व्यक्तिगत सम्पर्क भारत सरकार के अधिकारियों से किया। परन्तु भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 1987 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं प्रीवेंशन आफ

नोट:–[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फूडएडल्टरेशन एक्ट में निहित प्रतिबन्धों के आधार पर वांछित शिथिलता प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त कर दी ।

भारत सरकार द्वारा गुण-निर्दिष्टियों में वांछित शिथिलता प्रदान करने में असमर्थन व्यक्त कर देने पर राज्य सरकार ने किसानों के वर्षा से प्रभावित गेहूं की समस्या का यह विकल्प निकाला कि रोलर फ्लोर मिलें पश्चिमी जनपदों में निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप वर्षा से प्रभावित चमकहीन गेहूं रु0 160/- प्रति कुन्तल की दर से खरीदेंगी । इस खरीद को क्रय कर व मण्डी शुल्क से मुक्त किया है ।

प्रारम्भ में यह खरीद बुलन्दशहर जनपद में आरम्भ की गई है और दिनांक 13 जून, 1987 से वहां रोलर फ्लोर मिलों द्वारा खरीदारी की गई है । दिनांक 29 जून, 1987 तक प्राप्त सूचनानुसार 2,127 किसानों से 3,155 मी0 टन चमकहीन गेहूं मिलों द्वारा खरीदा गया है । वर्षा से प्रभावित चमकहीन गेहूं की समस्या की व्यापकता को देखते हुए बुलन्दशहर जनपद के ढंग पर मेरठ सम्भाग के अन्य जनपदों व आगरा, मुरादाबाद एवं बरेली सम्भागों में भी रोलर फ्लोर मिलों को कुल 1 लाख मी0 टन चमकहीन गेहूं खरीदने की भी अनुमति दिनांक 26 जून, 1987 को दी गई है ।

राज्य सरकार द्वारा स्वयं वर्षा से प्रभावित गेहूं खरीदने का कार्य इसलिये नहीं लिया गया कि राज्य सरकार के पास इस प्रकार की खरीद की कोई अपनी अलग व्यवस्था नहीं है । राज्य सरकार यदि अपने किसी अन्य व्यवसायिक संस्थान से भीगे हुए गेहूं की खरीद कराती है तो उसके विक्रय की समस्या उत्पन्न होती और इस पूरे कार्य में करोड़ों रुपये की क्षति होने की आशंका थी जो अन्ततोगत्वा राज्य सरकार को वहन करना पड़ता आटा मिलों से खरीद करवाने में सरकार की अपनी कोई पूंजी नहीं लग रही है और आटा मिलों के पास ऐसी व्यवस्था है कि वे भीगे हुए गेहूं से आटा आदि बनाकर इसका विक्रय कर सकेंगे क्योंकि भीगा हुआ गेहूं बहुत अधिक दिनों तक गोदामों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता ।

इस वर्ष भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार ने पहले से ही गेहूं के व्यापार, संग्रहण तथा प्रदेश से निर्यात एवं अन्य व्यापारिक प्रतिबन्ध पूरी तरह से हटा लिये हैं जिससे गेहूं का व्यापार सर्वथा मुक्त हो गया है । इसके फलस्वरूप इस फसल के प्रारम्भ से ही खुले बाजार में भाव पिछले वर्ष की अपेक्षा में अधिक ऊंचे रहे हैं और यही मुख्य कारण था कि समर्थन मूल्य के अन्तर्गत केवल इस वर्ष दिनांक 29 जून, 1987 तक 11,34,000 मी0 टन की खरीद हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 15,42,000 मी0 टन की खरीद हुई थी। गेहूं के मुक्त व्यापार से किसानों को इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा अच्छी कीमत मिली ।

भीगे हुए गेहूं की समस्या विशेष रूप से मेरठ सम्भाग के बुलन्दशहर तथा सहारनपुर जनपद एवं आगरा सम्भाग के एटा जनपद में है जहां फ्लोर मिलों द्वारा खरीद प्रारम्भ कर दी गई है । इस प्रकार की खरीद भी सर्वप्रथम प्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही की गयी है । सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों से प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली तथा मुरादाबाद सम्भागों में इस प्रकार के गेहूं की कोई समस्या नहीं है और आगरा सम्भाग के अन्य जिलों में भी ऐसी समस्या नहीं है ।

इस नये कार्यक्रम की व्यवस्था के सारे पहलुओं को ठीक करने में काफी प्रयास किया गया और समस्याओं और कठिनाइयों का निदान और समाधान किया जाता रहा । सबसे

बड़ी कठिनाई इस कार्य के लिए मिलों को अतिरिक्त धन की सुविधा बैंकों से दिलाने की थी जिसके लिए निरन्तर शासन के खाद्य विभाग व संस्थागत वित्त विभाग द्वारा प्रयास किये गये एवं इस खरीद में कार्यरत आटा मिलों को अतिरिक्त कैश क्रेडिट की सुविधा वरीयता के आधार पर दिये जाने हेतु बैंकों को राजी किया गया और अब प्रारम्भिक कठिनाइयों के हल हो जाने से खरीद में तेजी भी आयी है ।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से जो भी सम्भव प्रयास इस दिशा में किया जा सकता था वह कर दिया गया है ।

प्रश्नगत मामले में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।]

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह वक्तव्य दिया गया है उससे स्पष्ट झलकता है कि इस सरकार ने गेहूं उत्पादकों की कितनी उपेक्षा की है । किसानों का गेहूं खरीदने का कोई प्रयास नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि आप दिल्ली में इसके बारे में प्रयास करते रहे किन्तु क्या आपने यह भी प्रयास किया कि पंजाब और हरियाणा का गेहूं उत्तर प्रदेश के गेहूं से ज्यादा भीगा हुआ था तो उन्होंने कैसे खरीदवा लिया, इसका प्रयास आपने किया ?

*खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय किरनपाल सिंह जी ने पंजाब और हरियाणा की बात कही कि उन्होंने कैसे खरीदवा लिया । वास्तव में यदि हम उत्तर प्रदेश की तुलना हरियाणा और पंजाब से करें तो पायेंगे कि इस संबंध में किसानों को जो सहूलियतें उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई हैं वह वहां से ज्यादा प्रभावी हैं । हम आज भी किसान का गेहूं 160 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं । साथ ही जो सहूलियतें हम दे रहे हैं–हमने क्रय कर और मंडी शुल्क माफ किया और जो फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनसे भी सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं । पंजाब और हरियाणा में किसानों का जो डैमैज्ड गेहूं था उसको 160 रुपये में नहीं ले रहे हैं ।

*श्री माता प्रसाद पांडेय–

माननीय मंत्री जी का जो खाद्य विभाग है, उसकी जो गल्ले की दुकानें हैं उनको फूड कारपोरेशन से लेकर देते हैं । जो भीगा हुआ गेहूं है वह खाने में खराब नहीं होता है । मैं जानना चाहूंगा कि जो आपकी दुकानें हैं, आप गेहूं स्वतः खरीदकर सीधे दुकानों पर सप्लाई करेंगे जिससे किसानों का गेहूं बिक सके ।

श्री हुकुम सिंह–

यह तो व्यवस्था की बात है । अभी तक प्रदेश सरकार की भंडारण की और क्रय की नीति नहीं रही है । उसके भंडारण की कोई सीमा नहीं है कि वह कहां-कहां पूल करती है । किसानों को कम भाव पर अपना गेहूं न बेचना पड़े इसलिये हम बाजार में जाते हैं । अब तो गेहूं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं से खरीदें, कहीं व्यापार करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस तरह के आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि कितने किसानों का कितना गल्ला ऐसा रखा है जो गेहूं भीगने के कारण नहीं बिका है और कितने किसान उससे प्रभावित होंगे ? उन किसानों की आप खास तौर से सहायता करने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो जानकारी है विशेष रूप से मेरठ मंडल के सहारनपुर और बुलन्दशहर दो जिले प्रभावित हैं । गेहूं का बाजार भाव 135 रुपये तक नीचे आया है । इसी कारण सहारनपुर और बुलन्दशहर में खरीददारी शुरू की है । जहां-जहां से जानकारी मिली है वहां हम करते जा रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैंने यह पूछा था कि क्या आपने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि ऐसा कितना गेहूं कितने किसानों का रखा है जो भीगा होने के कारण अभी तक बिका नहीं है । साथ ही मैंने यह भी पूछा है कि जिनका गल्ला नहीं खरीदा गया है, जो प्रभावित हुये हैं उनको आप सहायता दे रहे हैं या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिनका गेहूं भीगा हुआ है वह तो मैं इस समय नहीं बता सकता लेकिन हम 160 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, जहां तक गेहूं के भीगने की बात है वह सहारनपुर में सबसे ज्यादा भीगा है वहां अभी तक कितना गेहूं खरीदा गया है वहां किसान परेशान हैं, अगर खरीदा गया है तो कितना और खरीदना शुरू नहीं किया है तो कब तक शुरू कर देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य देखेंगे कि वक्तव्य में पृष्ठ 3 में बताया गया है कि अब तक 3·155 मी0 टन चमकहीन गेहूं खरीदा जा चुका है । जो उन्होंने सहारनपुर की बात कही है कि वहां से कितना गेहूं खरीदा गया है तो उसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, पृष्ठ 3 पर लिखा है कि कुल 1 लाख मी0 टन चमकहीन गेहूं खरीदने की अनुमति दिनांक 26 जून, 87 को दी गयी है । मैं जानना चाहता हूं यह सीमा बांधने का क्या कारण है एक लाख मी0 टन तक खरीदने की क्यों सीमा रखी है ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की रोलर मिलों के अलावा दिल्ली आदि दूसरी जगह की रोलर मिलें भी खरीद सकें उनको नहीं रोका जाय ताकि जिनकी ज्यादा क्षमता है वह खरीद कर जल्दी आटा बना सकें उनको सुविधा देने का क्या प्रयास कर रहे हैं । तो कैश क्रैडिट लिमिट को बढ़ा दें ताकि वह ज्यादा गेहूं खरीद सकें ।

श्री हुकुम सिंह–

हमारा प्रयास यह है कि जो चाहे, चाहे दिल्ली हो या दूसरे प्रदेश की मिल हो गेहूं खरीदे । वह कोई फ्लोर मिल हो इस सुविधा का फायदा उठा सकती है ।

हमारे अधिकारी अधिक से अधिक उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि यहां आकर वह गेहूं खरीदें। लेकिन वह विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

जो एक लाख मी0 टन की सीमा की बात कही यह तो हमारा कार्यकारी लक्ष्य है अगर कोई दो लाख मी0 टन खरीदने वाला मिलता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने में हमारा फाइनेंसियल इनवाल्वमेंट रहता है। उसमें हमें 4 परसेंट की छूट तथा 1 परसेंट की मंडी शुल्क में छूट आदि देनी होती है इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आदि की छूट देनी होती है। तो उन सब को देख कर यह किया गया है अगर कोई ज्यादा खरीदना चाहे तो उसको हम सुविधा देंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा माननीय राणा साहब ने आंकड़े पूछे थे कि कितना कुल गेहूं है और कितना खरीदने से बचा है उसका वह उत्तर नहीं दे पाये। मंत्री जी ने केवल अंदाज से बता दिया। तो यह सारे उत्तर अंदाज से ही देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब किसान का गेहूं खलिहान में भीग गया उसके बाद डेढ़ महीने तक सरकार ने खरीदने का कोई प्रयास नहीं किया। जब किसानों ने आंदोलन किया, घेराव करना शुरु किया तो डी0 एम0 और कलक्टर्स ने वायरलैस भेजा और सरकार की आंख खुली। यह दावा कर रहे हैं कि फ्लोर मिलों ने गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। बुलन्दशहर में एक दो दिन कांटे लगे लेकिन अब वह फिर बन्द हो गये हैं।

दूसरा आरोप यह है कि चाहे वह कोआपरेटिव सोसायटी हों या फ्लोर मिल हों जिन्होंने किसानों से गेहूं लिया उनके चैक लेकर महीने डेढ़ महीने से वह लेकर फिर रहे हैं वह कैश नहीं हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ उनकी सरकारी देयों की वसूली जोरों से हो रही है। यह सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। तो सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री किरन पाल सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
1 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0प्र0सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

वर्ष 1973–74 एवं 1974–75 में सिंचाई कार्य मण्डल, फैजाबाद एवं उनके अधीनस्थ खण्डों में 12" इंच व्यास के निर्मित सीमेंट कंकरीट का विवरण ।

क्रम-सं0	खण्ड का नाम	वर्ष 1973-74 (मीटर में)	वर्ष 1974-75 (मीटर में)	योग (मीटर में)
1	2	3	4	5
1	नलकूप खण्ड सुल्तानपुर	1219.16	..	1219.16
2	नलकूप खण्ड, बहराइच	3364.00	12800.00	16164.00
3	नलकूप खण्ड फैजाबाद (वर्तमान नलकूप खण्ड प्रथम फैजाबाद)	3782.00	4057.72	7839.72
4	नलकूप खण्ड प्रतापगढ़	..	..	..
5	लिफ्ट सिंचाई खण्ड रायबरेली	..	..	..
6	सिंचाई कार्य मण्डल, फैजाबाद (वर्तमान नलकूप मण्डल, फैजाबाद)	..	..	..
	योग ..	8365.16	16857.72	25222.88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 8 का उत्तर पीछ पृष्ठे 31 पर)

तालिका 1

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, बस्ती

लाग-बुक के अनुसार लेथ मशीन के चलित घण्टे

माह	चलित घण्टे	
जनवरी, 84	190	घण्टा
फरवरी, 84	117	,,
मार्च, 84	83.30	,,
अप्रैल, 84	115	,,
मई, 84	15.30	,,
जून, 84	85	,,
जुलाई, 84	113.45	,,
अगस्त, 84	59	,,
सितम्बर, 84	89.30	,,
अक्तूबर, 84	192	,,
नवम्बर, 84	145	,,
दिसम्बर, 84	109	,,
जनवरी, 85	56	,,
फरवरी, 85	73.30	,,
मार्च, 85	81.30	,,
अप्रैल, 85	68.30	,,
मई, 85	..	
जून, 85	7	,,
जुलाई, 85	95	,,
अगस्त, 85	69	,,
सितम्बर, 85	86	,,
अक्तूबर, 85	89	,,
नवम्बर, 85	55	,,
दिसम्बर, 85	99	,,
जनवरी, 86	31	,,
फरवरी, 86	116	,,
मार्च, 86	20	,,
अप्रैल, 86	6	,,
मई, 86	..	
जून, 86	..	
जुलाई, 86	..	
अगस्त, 86	..	
सितम्बर, 86	12	,,
अक्तूबर, 86	..	
नवम्बर, 86	..	
दिसम्बर, 86	14	,,
जनवरी, 87	..	
फरवरी, 87	4	,,
मार्च, 87	3	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका—2

ड्रेनेज खण्ड द्वितीय बस्ती

काफर डैम के निर्माण हेतु निर्गत मटीरियल तथा उस पर ठेकेदार एव मस्टर-रोल के माध्यम से माहवार भुगतान का विवरण ।

माह	निर्गत मटीरियल			भुगतान ठेकेदार के माध्यम से	भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से
	नाम	मात्रा	मूल्य		
1	2	3	4	5	6
4/86	बल्ली	बन्धे के तनी निर्माण हेतु 96 अदद	27500.00	126000.00	10817.00
	जी0सी0शीट	1.15 मी0टन	9200.00	..	..
	बांस	350 अदद	5250.00	.	..
	खाली बोरियां	22000 अदद	40000.00	..	..
			81950.00		
		बन्धे के रख-रखाव पर			
5/86	खाली बोरियां	13400	27000.00	20170.00	2607.00
		बाढ से बचाव हेतु			
8/86	खाली बोरियां	2950 अदद	6000.00	4400.00	3151.00
		योग ..	1,13,950.00	150570.00	16575.00

विधान सभा बुलेटिन

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 128 हेतु डीजल की खपत का परिलेख।

प्राप्त डीजल की मात्रा : 1,56,250 लीटर।

डीजल का वितरण—

1—मेसर्स सुल्तान एण्ड क0 अमरोहा अनुबन्ध संख्या 3/1सं0ई0/79-80	13,600 मीटर	
2—श्री अरशद जमील ठेकेदार अनुबन्ध संख्या 4/एस0ई0/79-80	27,300 लीटर	
3—श्री अरशद जमील ठेकेदार ..	6,600 लीटर	
4—श्री एम0पी0 सिंह ..	4,800 लीटर	
5—श्री बाबू राम, ठेकेदार ..	2,800 लीटर	
6—श्री साइद अहमद, ठेकेदार ..	3,000 लीटर	
7—श्री मेसर्स भोलानाथ एन्ड सन्स ..	13,400 लीटर	
8—श्री सत्य प्रकाश, ठेकेदार ..	1,000 लीटर	
9—श्री नजीर हुसैन, ठेकेदार ..	3,000 लीटर	
10—श्री राजवीर सिंह ..	200 लीटर	
11—श्री चरन सिंह, ठेकेदार ..	485 लीटर	
12—श्री अब्दुल वहीद, ठेकेदार ..	95 लीटर	
13—श्री अली हसन, ठेकेदार ..	200 लीटर	
14—श्री जगमोहन, ठेकेदार ..	400 लीटर	
15—अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड द्वितीय, मुरादाबाद	5,000 लीटर	
16—अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, लखीमपुर खीरी ..	10,000 लीटर	
17—अधिशासी अभियन्ता, सिविल निर्माण खण्ड, बरेली ..	5,000 लीटर	
18—अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मुरादाबाद ..	10,000 लीटर	
19—अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर खण्ड, हरदोई ..	5,000 लीटर	
20—अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर ..	6,300 लीटर	
21—अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद ..	23,300 लीटर	
22—अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कालागढ़ ..	5,000 लीटर	
23—सहायक अभियन्ता, प्रथम ब्रजघाट (बाढ़ खण्ड)	600 लीटर	सहायक अभियन्ता ने अपने उप खण्ड ठेकेदार को निर्गत किया।
24—सहायक अभियन्ता तृतीय अमरोहा (बाढ़ खण्ड) ..	20 लीटर	पम्पिंग सेट पर निर्गत किया (कार्यों पर)।
25—सहायक अभियन्ता चतुर्थ, बदायूं ..	300 लीटर	सहायक अभियन्ता ने 200 लीटर ठेकेदारों को व 100 लीटर रोड रोलर पर निर्गत किया।

26—रोड रोलर	..	400 लीटर	रोड रोलर पर कार्य हेतु निर्गत किया गया।
27—जीप सं0 यू0टी0यू0 860	..	66.5 लीटर	कार्यों पर जीप में उपयोग हुआ।
28—पम्पिग सेट	..	3410 लीटर	बाढ़ कार्यों के लिए पम्पिग सेट पर उपभोग हुआ।
29—श्री भूषण सिंह "अवर अभियन्ता"	..	4,973.5 लीटर	श्री भूषण सिंह अवर अभियन्ता ने 4973.50 लीटर का कोई हिसाब नहीं किया अतः इसके लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो रही है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री शूरवीर सिंह सजवाण द्वारा पूछे गए अतांकित प्रश्न संख्या–34 का संलग्नक।

(लाख रुपयों में)

वर्ष	उद्यमियों की कुल संख्या	ऋण व अन्य सुविधाओं की धनराशि	जनपदीय उद्यमियों की संख्या	ऋण व अन्य सुविधाओं के रूप में धन-राशि जो उन्हें वितरित की गयी	बाहरी व्यक्तियों की संख्या	बाहरी व्यक्तियों वितरित की गई धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1980	27	4.00	26	3.81	1	0.19
1981	34	5.364	34	..	..	..
1982	41	3.653	39	3.553	2	0.10
1983	67	7.847	64	7.497	3	0.35
1984	44	6.717	44	6.717	..	..
1985	64	12.372	64	12.372	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

श्री सिद्दीकी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूची–

(1) श्री सिद्दीकी ने जुलाई, से 15 अक्तूबर, 1986 तक कोल उपभोग करने वाली इकाइयों के पंजीयन किए जो प्रतिबन्धित हैं तथा उनमें ग्लास व कोल के आइटम की बीस इकाइयां हैं। यह सभी पंजीयन कम से कम 22,000 रुपया लेकर किए गये।

(2) श्री सिद्दीकी ने एक केस के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता की राय को पत्रावली से गायब करके परिवर्तित किया।

(3) श्री सिद्दीकी कार्यालय के कर्मचारियों को धमकाते हैं तथा उनसे नाजायज पैसे की मांग करते हैं। वह यह भी धमकी देते हैं कि यदि उन्हें पैसा नहीं दिया गया तो वे उनकी चरित्र पंजिकाओं में खराब प्रविष्टियां कर देंगे।

(4) श्री सिद्दीकी डायरी रजिस्टर में कुछ नम्बर छोड़वा देते हैं तथा उन नम्बरों को मनचाहे तरीके से इकाइयों को नाजायज रिश्वत लेकर दे देते हैं।

(5) श्री सिद्दीकी का व्यवहार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ उचित नहीं है।

(6) श्री सिद्दीकी कानपुर का दौड़ा सरकारी दौड़ा करते हैं वे यहां अपने किसी कार्य के लिए आते जाते हैं।

(7) श्री सिद्दीकी ने श्री भूप सिंह नामक लिपिक को एक वर्ष 9 माह की सेवा के उपरान्त बिना किसी आधार के निकाल दिया क्योंकि वह उनके द्वारा मांगी गयी 2000 रुपए की धनराशि नहीं दे सका।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

सिंचाई सलाहकार समिति, गोरखपुर की बैठक दिनांक 30–8–85 को श्री सैयद जावेद अली, विधायक का विवरण ।

माननीय विधायक श्री सैयद आवेद अली ने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए निम्न सुझाव दिये जिससे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सहमत व्यक्त किया ।

1—अमवा व तरकुलही के बीच गिरहिया ड्रेन पर पुल का निर्माण ।

2—तरकुलहां के पास पिपरी माइनर पर 2.200 कि0मी0 पर पुलिया व साइफन निर्माण ।

3—बसन्तपुर राजबाहा पर बसन्तपुर से सोनबरसा तक नहर की पटरी पर खड़ंजा निर्माण ।

4—जंगल डुमरी नम्बर 2 के माइनर पर शाहपुर के पास नहर पर पुलिया का निर्माण ।

5—रमवापुर राजवाहा नहर की पटरी पर खड़ंजा का निर्माण ।

6—जैनपुर से मंगलपुर नहर पर (छपिया नहर) खड़ंजा का निर्माण ।

7—परतावल राजवाहा पर भटहट से होते हुए टेल तक गोरखपुर पिपराइच सड़क तक नहर की पटरी पर खड़ंजा का निर्माण ।

8—बखरैली ग्राम के पास छपिया नहर पर बखरैती ग्राम के पास नहर पर पुलिया का निर्माण ।

9—फुलवरिया नहर पर धुनिया टोला में छोटा पुल का निर्माण ।

10—फुलवरिया नहर पर रेहरवा ग्राम में पुल का निर्माण ।

11—भटहट से अतरौली या नहर पर पुलिया का निर्माण ।

12—परतावल राजवाहा पर तरकुलही व अमवा के बीच बगहवा टोला के सड़क सोखता नाले पर पुल का निर्माण ।

13—पिपरी राजवाहा हेड से बरगदही तक खड़ंजा ।

14—गोरखपुर राजवाहा पर हुए खड़ंजा को मंगलपुर तक खड़ंजा किया जाना ।

15—पिपरी राजवाहा 2.200 कि0मी0 पर ग्राम तरकुलहा में पैदल पुल ।

16—ढमरी राजवाहा नम्बर 2 के टेल पर पानी का निकास ठोकर लगाकर चिलुआ ताल में गिराया जाना ।

17—गोरखपुर राजवाहा किमी0 12/390 करमहा बुजुर्ग टोला सिपहिवा में टेल की आवश्यकता है ।

18—डुमरी राजवाहा जो हैलानी के से निकलकर बंगला होते हुए कोरीपुर सड़क तक खत्म हो जाता है और शाहपुर में पास मार्ग को क्रास करती है उस पर पुल निर्माण ।

19—डुमरी राजवाहा ग्राम चिलबिलवा से प्हराहिया टोला पर पुल का निर्माण ।

20—रमवापुर राजवाहा हेड से बेलों समवार खुर्द होते हुए घोड़ा टेकर तक खड़ंजा लगाना ।

21—पिपरी राजवाहा बरगदही रोड क्रासिंग के लिए हस्लामपुर तक खड़ंजा ।

22—मुहम्मद बरवा में गुलावा नं0–11 के पास पुल ।

23—गोरखपुर राजवाहा से सेखनी स्कूल के पास संटी पुलिया का निर्माण ।

24—ग्राम सभा फुलवरिया गोरखपुर राजवाहा पर धनिया टेले के पास छोटी पुलिया का निर्माण व छपिया राजवाहा पर प्राइमरी पाठशाला फुलवरिया के पास छोटी पुलिया का निर्माण ।

25—विकास खण्ड भटहट ग्राम जंगल सखनी टोला रोहुआ में पानी निकासी हेतु एक पाइप पुल का निर्माण ।

26—खुटहन माइनर पर पुलिया का निर्माण गुलाब बाबा चौरा पुल सड़क नहर पर जाकर दाहिने पटरी नहर में मिल जाती है ।

27—ग्राम करमहा बुजुर्ग फुलवरिया ड्रेन पर रेहरवा टोला और बरई टोला के बीच पुल ।

28—ग्राम भटहट व परसौना में पेयजल की व्यवस्था को पुनः लाग किया जाये ।

विकास खण्ड पिपराइच

29—ग्राम बरसेना में बसन्तपुर राजवाहा पर फाल का निर्माण।

30—सोनबरसा राजवाहा पर बसडीला सौसड़ के हरिजन बस्ती का पुल चौड़ा किया जाये।

31—हेमछापुर व पगड़ा सड़क सोनबरसा राजवाहा पर पुल का निर्माण।

32—सोनबरसा राजवाहा के हेड कि0मी0 से 4 कि0मी0 तक खड़ंजा।

33—जगदीशपुर राजवाहा गोविन्दपुर में अधूरे पुल को पूर्ण किया जाना।

34—ग्राम गोविन्दपुर जगदीशपुर माइनर पर अधूरे पुल को पूरा किया जाय।

35—ग्राम चिलबिलवा के हरिजन बस्ती में जल जमाव के समाधान हेतु एक पुलिया व ड्रेन का निर्माण किया जाये।

36—पिपराइच क्षेत्र के अन्तर्गत सरैया पिपराइच रोड पर ग्राम सोनराईच और जंगल पकड़ी के बीच अधीक्षण अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण मण्डल प्रथम, गोरखपुर द्वारा एक पुल कई साल से बन रहा है किन्तु अधूरा है उसको अविलम्ब पूरा किया जाय।

37—गोरखपुर राजवाहा पर ग्राम करमहा बुजुर्ग के पास नहर में ठोकर लगाना।

38—ग्राम बड़े गांव से पिपराइच के पश्चिम ड्रेन बनाकर फरेन नाले पिपराइच तक निर्माणाधीन किया जाये। उक्त निर्माण हेतु निरीक्षण कार्य कई बार हो चुका है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0-121 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 121 संलग्नक

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड अकबरपुर के लाभार्थियों की सूची

क्रम-सं0	आवेदकों का नाम व पता	उद्योग/सेवा व्यवसाय का नाम	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	सदुपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	1—पंजाब नेशनल बैंक अकबरपुर, फैजाबाद				
1	श्री इरशाद अहमद, शाहजादपुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	कपड़ा	15,000	15,000	दुरुपयोग
2	श्री मनोज कुमार यादव, यादव साड़ी केन्द्र इलतिपातगंज रोड, अकबरपुर, फैजाबाद।	कपड़ा	15,000	15,000	दुरुपयोग
3	श्री राम सेवक पाउल, समैसा ग्राम व पो0 सेरेगांव, फैजाबाद।	आयल मिल	25,000	25,000	सदुपयोग
4	श्री अतीक अन्सारी, पुत्र हाजी अब्दुल मजीद अन्सारी, शहजादपुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	कपड़ा	25,000	25,000	,,
5	श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, पो0 लोदीपुर, फैजाबाद।	आयल मिल	25,000	25,000	,,
6	श्री चन्द्र प्रकाश गौड़, पुत्र श्री आद्या प्रसाद, मीरानपुर, अकबरपुर, फैजाबाद।	क्राकरी	15,000	15,000	,,
7	श्री राम निवास मिश्रा पुत्र संध्याकर प्रसाद मिश्रा, ग्राम सिवलीपुर, रामपुर, फैजाबाद।	आयरन स्टोर	20,000	20,000	,,
8	श्री चौथी राम राजभार पुत्र श्री कोलेश्वर पीपरपुर, सिकन्दरपुर, फैजाबाद।	वेल्डिंग	25,000	25,000	,,
9	श्री दिलीप कुमार अकबरपुर, पचोक सुरारपुर, फैजाबाद।	राइस मिल	25,000	25,000	,,

1	2	3	4	5	6
10	श्री सुधानस द्विवेदी, पुत्र श्री रामआसरे दुबे, मोहसिनपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	इलेक्ट्रिक गुड्स	15,000	15,000	दुरुपयोग
	2—बैंक आफ बड़ौदा, अकबरपुर, फैजाबाद				
1	श्री मो0 रईस, पुत्र श्री आबिद हुसैन, ग्राम लोरेपुर, अकबरपुर फैजाबाद ।	फोटोग्राफी	19,900	19,900	सदुपयोग
2	श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, पुत्र श्री श्रीकान्त त्रिपाठी, ग्राम आसोपुर, पो0 वरियावन, फैजाबाद ।	आइरन स्टोर	20,000	20,000	,,
3	श्री राम नाथ पुत्र श्री शीतला प्रसाद, ग्राम जहरडीह मुरादाबाद, अकबरपुर, फैजाबाद ।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,
4	श्री पवन कुमार, ग्राम हरिपुर जगदीशपुर, पो0 जमुनीपुर, फैजाबाद ।	होजरी	10,000	10,000	दुरुपयोग
5	श्री अभिमन्यु यादव पुत्र श्री भगलू राम यादव, ग्राम कोदरा, पो0 मीरापुर शेखपुर, फैजाबाद	कपड़ा की दुकान	15,000	15,000	सदुपयोग
6	श्री श्याम लाल चौधरी पुत्र श्री सीतापुर चौधरी ग्राम पल्लवी कल्याणपुर, पो0 परियावन, फैजाबाद ।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,
	3—इलाहाबाद बैंक, शाहजादपुर, फैजाबाद				
1	घनश्याम गुप्ता, पुत्र श्री काली प्रसाद गुप्ता, सरदरपुर सिझौली, फैजाबाद ।	खाद की दुकान	25,000	25,000	,,
2	श्री राम चन्द्र वर्मा पुत्र श्री राम लोट, वर्मा ईसापुर बहोरिकपुर फैजाबाद ।	मेडिकल स्टोर	20,000	20,000	,,
3	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री कमला प्रसाद, ग्राम अलिया बाजार, सुरारपुर, फैजाबाद ।	जनरल स्टोर	15,000	15,000	,,
4	श्रीमती साधना यादव पुत्री श्री गुलीराम, ग्राम केशवपुर, भटियावन, फैजाबाद ।	खाद की दुकान ।	20,000	20,000	दुरुपयोग
5	श्री हीरा चौधरी, पुत्र श्री राम कौशल चौधरी, मो0 मोहाराय, भटिवन फैजाबाद ।	परचून की दुकान	15,000	15,000	सदुपयोग

1	2	3	4	5	6
	4—स्टेट बैंक आफ इंडिया, अकबरपुर				
1	श्री रवीन्द्र चन्द्र, ग्राम हाजीपुर, पो0 रामपुर मुंगराडिला, फैजाबाद ।	खाद की दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
2	श्री औरी लाल, पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद, पो0 अकबर पुर, फैजाबाद ।	खाद को दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
3	श्री गौरीशंकर वर्मा, पुत्र श्री सती प्रसाद, ग्राम व पो0 मनसापुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	कीट नाशक दवा की दुकान	10,000	10,000	सदुपयोग
4	श्री नगेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री नारायण, मुरादाबाद, अकबरपुर, फैजाबाद ।	चाय की पत्ती की दुकान	20,000	20,000	सदुपयोग
5	श्री अनिल रंजन त्रिपाठी पुत्र श्री राम अकवाल, पो0 मीरान-पुर, अकबरपुर ।	कपड़े की दुकान	15,000	15,000	दुरुपयोग
6	श्री शमशाद अहमद, पुत्र श्री हयात मोहम्मद मो0 शाहजहां पुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	मेडिकल स्टोर	20,000	20,000	सदुपयोग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर)

संलग्नक

द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर का संलग्नक

श्री लल्लन प्रसाद, फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता, सकलेनाबाद गाजीपुर नगर को अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1986 तक प्रत्येक माह में आवंटित मिट्टी तेल मात्रा का विवरण तथा जहां उक्त मिट्टी तेल मात्रा वितरित की गयी उसका ब्योरा निम्नवत् है—

माह का नाम		आवंटित मात्रा (लीटर में)	कहां वितरित किया गया
अप्रैल, 1985	..	2,200	नगर के कार्डधारकों में
मई, 1985	..	2,500	तदैव
जून, 1985	..	3,000	तदैव
जुलाई, 1985	..	3,500	तदैव
अगस्त, 1985	..	7,800	तदैव
सितम्बर, 1985	..	15,800	नगर के सम्बद्ध कार्डधारक, विद्यार्थी तथा परमिटों पर।
अक्टूबर, 1985	..	26,760	विद्यार्थियों तथा परमिटों पर
नवम्बर, 1985	..	16,220	तदैव
दिसम्बर, 1985	..	23,200	तदैव
जनवरी, 1986	..	23,960	तदैव
फरवरी, 1986	..	25,040	तदैव
मार्च, 1986	..	17,920	तदैव
अप्रैल, 1986	..	16,240	तदैव
मई, 1986	..	23,500	तदैव
जून, 1986	..	22,100	तदैव
जुलाई, 1986	..	25,000	तदैव
अगस्त, 1986	..	21,300	तदैव
सितम्बर, 1986	..	26,200	तदैव
अक्टूबर, 1986	..	26,320	तदैव
नवम्बर, 1986	..	27,860	तदैव
दिसम्बर, 1986	..	25,000	तदैव

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ73 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित श्री अफजाल अन्सारी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–140 के उत्तर में उल्लिखित सूची

जनपद गाजीपुर में कारखानों एवं कार्यरत मजदूरों तथा उनके बीड़ी बनाने की औसत आदि का विवरण—

क्रमांक	कारखाना का नाम व पता	श्रमिकों की संख्या		प्रतिदिन बीड़ी बनाने का औसत
		मर्द	औरत	
1	2	3	4	5
1	मै0 पनामा बीड़ी कम्पनी, सादात गाजीपुर	3	शून्य	3,600 बीड़ी
2	मै0 राजीव बीड़ी उद्योग, वार्ड नं0–6, यूसुफपुर, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर।	7	शून्य	8,400 बीड़ी
3	मै0 मो0 हबीब मलिकपुरा, गाजीपुर	5	शून्य	6,000 बीड़ी
4	मै0 साथी बीड़ी वर्क्स, मुफ्तीपुरा, गाजीपुर	8	शून्य	9,600 बीड़ी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिए अता0प्र0सं0–165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

संलग्नक

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित मा0 श्री विजय सिंह राणा, द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–165 में उनके क्षेत्र में प्रस्तावित नालों पर कराए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति।

माननीय विधायक श्री विजय सिंह राणा के नियम 301 के अन्तर्गत दिए गए नोटिस में 8 नालों का जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होना बताया है। इन नालों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है––

1––मिढाकुर नाला––

इस नाले का प्रस्ताव डी0आर0डी0ए0 द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ था। केवल मिढाकुर साइफन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण आगरा राजवाहे पर ग्राम मिढाकुर के पास वर्ष 1984–85 में पूर्ण करा दिया गया है।

2––गढ़ी गुलजारी नाला––

गढ़ी गुलजारी नाले का प्रस्ताव एन0आर0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ था बल्कि गढ़ी गुलजारी साईफन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण गढ़सानी माईनर पर करा दिया गया है। मा0 विधायक ग्राम गढ़ी गुलजारी से मलपुर नाले तक नाले का निर्माण कराना चाहते हैं। इस नाले के निर्माण हेतु लगभग 5 कि0मी0 की लम्बाई में भूमि की आवश्यकता होगी। डी0आर0डी0ए0 योजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्राविधान नहीं है तथा कृषकगण जगह-जगह पर प्रस्तावित निर्माण का विरोध करते हैं जिसके कारण यह नाला डी0आर0डी0ए0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है। स्थल का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, निचली खण्ड, आगरा नहर, आगरा द्वारा माननीय विधायक के साथ किया गया था तथा उनको इन तथ्यों से अवगत करा दिया गया था।

3––नानपुर नाला––

इसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

4––अंगूठी नाला––

इसका कार्य पूर्ण हो चुका है।

5––गढ़ी दौलता नाला––

इस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

6––सहारा नाला––

इस नाले की कुल लम्बाई 3.60 कि0मी0 है जिसमें से 1.0 कि0मी0 की लम्बाई में खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष लम्बाई में कृषकगणों द्वारा आपत्ति किए जाने एवं भूमि न देने के कारण अवरोध उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता ने माननीय विधायक से अपने प्रभाव से भूमि दिलाने का निवेदन किया था लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके कारण इस नाले की शेष लम्बाई में खुदाई का कार्य रुका हुआ है।

7––मिर्जापुर नाला––

इस नाले का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

8––खेड़ा भगौर नाला––

इस नाले का निर्माण स्थानीय कृषकगणों के विरोध के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका है इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा माननीय विधायक से भी निवेदन किया गया था कि वे अपने प्रभाव से कार्य पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें लेकिन कृषकगणों के विरोध के कारण यह कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया जा सका है।

पी0एस0यू0पी0––एल0 161 वि0सभा (284)––1987––813।